

TIGHT BINDING BOOK

**THE BOOK WAS
DRENCHED**

UNIVERSAL
LIBRARY

OU_184482

UNIVERSAL
LIBRARY

Ismania University Library

Call No H 491.437 Accession No. H ^G 2398

Author S I S ~~सर्वज्ञान~~, जल्लुवाह

Title सामान्य भाषा - विशेष

This book should be returned on or before the date last marked below.

सामान्य भाषाविज्ञान

बाबूराम सक्सेना

एम० ए०, डी० लिट्० (प्रयाग)



१९६६

हिन्दी साहित्य-सम्मेलन, प्रयाग

प्रथम संस्करण :: १००० :: मूल्य ४)
मुद्रक—श्रीगिरिजाप्रसाद श्रीवास्तव, हिन्दी साहित्य प्रेस, प्रयाग

दिन्नसमग्गहृदयाय अलक्खितरूपाय
तस्सा देविया ससिनेहं समप्पिता
कामनाहिं नेदिट्ठा वि
सुदूरा येव अग्हे यस्सा

प्रकाशकीय वक्तव्य

श्रीमान् बड़ौदा-नरेश स्वर्गीय सर सयाजीराव गायकवाड़ महोदय ने बंबई सम्मेलन में उपस्थित होकर पाँच सहस्र रुपये की सहायता सम्मेलन को प्रदान की थी। उस सहायता से सम्मेलन ने 'सुलभ साहित्यमाला' संचालित कर कई सुंदर पुस्तकों का प्रकाशन किया है। प्रस्तुत पुस्तक भी उसी ग्रंथमाला के अंतर्गत प्रकाशित हो रही है।

भाषाविज्ञान ऐसे महत्त्वपूर्ण विषय पर हिंदी में जो साहित्य प्राप्त है वह बहुत थोड़ा ही कहा जायगा। डाक्टर बाबूराम सक्सेना की पुस्तक इस साहित्य में अत्यंत वांछनीय वृद्धि करेगी, इसका हमें पूरा विश्वास है। हिंदी क्षेत्र के ही नहीं, अपने देश के भाषा वैज्ञानिकों में डाक्टर सक्सेना का आदरणीय स्थान है। उनका सम्मेलन से भी घना संबंध रहा है। हमारी धारणा है कि इस पुस्तक की गणना पिछले कई वर्षों में प्रकाशित हिंदी की प्रमुख पुस्तकों में होगी।

रामचंद्र टंडन
साहित्य मंत्री

क्यों ?

भाषाविज्ञान पर हिन्दी में तीन-चार पुस्तकें पहले से मौजूद हैं। तब भी काँग्रेस की इस महँगाई के समय भी नई पुस्तक क्यों निकाली जा रही है, इसका उत्तर मुख्यरूप से साख्यतत्त्वों में से वही तत्त्व है जो महान् और पञ्चतन्मात्राओं के बीच में पड़ता है। गौण रूप से छोटी सी एक और वासना को अतृप्त न रखकर पुनर्जन्म के कारणों की कमी करना भी इस पुस्तक के प्रकाशन का हेतु हो सकता है। १९२१-२२ में मैं हिन्दू विश्वविद्यालय, काशी में पूज्य प्रोफेसर टर्नर के चरणों में बैठकर भाषा-विज्ञान का अध्ययन करता था। श्री बाबू श्यामसुन्दरदास जी कभी कभी कृपाकर मेरे कमरे में आकर प्रोत्साहन देते और बातचीत करते थे। जब मैं प्रयाग में अध्यापक होकर आ गया, तो उसी परिचय के नाते १९२३ में श्री बाबू साहब ने मुझ से भाषाविज्ञान पर हिन्दी में पुस्तक लिख देने को कहा। मैंने सामग्री इकट्ठी करली और कुछ महीनों में पुस्तक का प्रथम अध्याय लिखकर उनके अवलोकनार्थ भेजा। उन्होंने उसे पसन्द किया और आज्ञा की कि छुः महीने में पुस्तक तय्यार कर दी जाय। मेरे ऐसे अल्पज्ञ के लिए इतनी जल्दी ऐसे गहन विषय पर पुस्तक तय्यार कर पाना असंभव था इसलिए मैंने अपनी असमर्थता प्रकट कर दी। हताश श्री बाबू साहब को स्वयं यह काम करना पड़ा और कुछ ही दिनों में उनकी “भाषाविज्ञान” नाम की पुस्तक प्रकाशित हो गई। दिग्गज और अल्पज्ञानी सामान्य जन की क्षमता में इतना अन्तर होता है ! मैंने जो भाग लिखा था वह जबलपुर से निकलनेवाली ‘श्रीशारदा’ में छपा दिया, और आगे कुछ न लिखा। पर वासना अन्तःकरण में बनी रही।

ईश्वर को धन्यवाद है कि उसने यह काम उस समय रुकवा दिया। इस बीस साल के अन्तर में, मैंने विषय का थोड़ा बहुत अनुशीलन परिशीलन कर लिया है, अध्यापन भी यथेष्ट कर चुका हूँ। इसलिए प्रस्तुत पुस्तक अधिक आत्म-विश्वास से उगस्थित कर सका हूँ। आज्ञा है कि यह कम दोष-पूर्ण होगी। इसमें मैं कोई बात मौलिक दे सका हूँ, यह नहीं कह सकता। विषय का मैंने दर्शन अँगरेज़ी चश्मे से किया है। दृष्टि वैसे ही कमज़ोर है। पर भारतीय परिशीलन की ओर भक्ति अधिक दृढ़ होती जा रही है।

यह पुस्तक सामान्य पाठक को विचार में रखकर लिखी गई है और विषय के प्रारंभिक विद्यार्थियों को। इसीलिए शैली को थोड़ा कम नीरस बनाने का उद्योग किया गया है। 'बालाना सुखबोधाय' वाला ध्येय है।

इस विषय का ज्ञान मैंने कई गुरुओं की उपासना से और अंगरेज़ी और फ़्रेंच पुस्तकों के अध्ययन से प्राप्त किया है। यह सारी सामग्री प्रायः विदेशी थी। इसलिए प्रस्तुत पुस्तक में, पाठको को वर्तमान पच्छिमी अनुमन्धान का पूर्ण प्रतिबिम्ब और गन्ध मिले तो अचरज नहीं। जिन पुस्तकों से सहायता ली है, उनके नाम ग्रन्थ सूची में मिलेंगे। मैं उन लेखकों का कृतज्ञ हूँ। विशेष रूप से सर्वश्री टर्नर, चटर्जी, तारापुरवाला, ओभा, वान्द्रियाज़, जेस्पर्सन, टकर, ग्रैफ़ का चिरश्रेणी रहूँगा। इनकी पुस्तकों की छाया और उद्धरण जहाँ तहाँ मिलेंगे। पुस्तक सामान्य पाठक के लिए लिखी गई है, इसलिए जगह-जगह कृतज्ञता-स्वरूप उल्लेख नहीं किया गया।

पुस्तक का चौथाई अंश लैंडडाउन में १९४१ की गर्मी की छुट्टियों में, दूसरा चौथाई १९४२ के ग्रीष्मावकाश में रामगढ़ (नैनीताल) में और शेष भाग पिछले छः महीनों में यहाँ प्रयाग में लिखा गया है। इन तीनों स्थानों पर जिन देवता और देवियों के प्रेमपूर्ण आश्रय में यह काम हुआ है उनके प्रति मैं अपनी विनम्र स्नेहपूर्ण कृतज्ञता प्रकट करता हूँ। पुस्तक-प्रकाशन में मित्रवर धीरेन्द्र वर्मा जी और माननीय श्री पुरुषोत्तमदास टडनजी ने कृपापूर्वक प्रोत्साहन दिया है और यदि वे आग्रह न करते तो शायद अभी दो एक साल और यह काम पड़ा रहता। उन दोनों का मैं आभारी हूँ।

छपाई में सम्मेलन के वर्तमान साहित्य मन्त्री, मेरे मित्र श्री रामचन्द्र टडन ने तथा हिन्दी साहित्य प्रेस के कर्मचारियों ने पूरी मदद और सहयोग प्रदान किया है। उनका भी आभार मानता हूँ। छपते समय मेरे तत्कालीन अज्ञान या अनवधान से जो गलतियाँ रह गई हैं उनका प्रायश्चित्त 'समाधान' में कर दिया गया है। पाठक पढ़ने के पूर्व उसका अवलोकन करने की कृपा करे। यदि और कहीं भूले या अपूर्ण-ताएँ रह गई हों तो उनकी सूचना मिलने पर अगले संस्करण में कृतज्ञतापूर्वक ठीक-ठाक कर दी जाएँगी।

अपने पाठक की सीमाओं का विचार कर, नितान्त आवश्यक ही नए लिपि चिह्न इस पुस्तक में रखे गए हैं। वर्णों के नीचे की बिन्दी (यथा च थ) सामान्य से कुछ विभिन्न ध्वनि का संकेत करती है। वर्ण के नीचे का गोलाकार चिह्न (मु, नृ, स्वरत्व को और तारा-चिह्न (*) शब्द के अनुमान-सिद्ध रूप को जतलाता है। भिन्न संकेत न होने पर वर्ण के ऊपर चिह्न उसके ह्रस्वत्व की सूचना देता है। एँ, ओ की मात्राएँ ॐ हैं।

इस पुस्तक में पाठक को इतिहासिक, भूगोलिक आदि कुछ शब्द अपरिचित (और अशुद्ध ?) से मिलेंगे। मेरी धारणा है कि हिन्दी को संस्कृत-व्याकरण का अनावश्यक आश्रय छोड़ देना चाहिए, इसलिए ये नए रूप समाविष्ट किए गए हैं। इसका यह मतलब नहीं कि संस्कृत से शब्द न लिए जायँ। मेरी निश्चित सम्मति है कि जहाँ हिन्दी में शब्द न हों वहाँ अरबी, फारसी आंगरेज़ी आदि की अपेक्षा, संस्कृत और प्राकृतों से ही लेने चाहिए। यदि कर्ज़ ही काढ़ना हो तो अपनों से ही लिया जाय। पारिभाषिक शब्द संस्कृत को ही आधार मानकर बनने चाहिए। मेरे विचारों के बारे में कुछ 'कृपालुओं' के बीच भ्रान्ति है इसलिए ये शब्द यहाँ लिख देना उचित समझा। इतिहासिक आदि विकृत (?) शब्द देखकर यदि 'पंडित वर्ग' को दुःख हो तो मेरी सनक सपभ्रकर क्षमा करने की उदारता दिखाएँ।

संसार की भाषाओं की स्थिति का दिग्दर्शन करानेवाला एक नक्शा भी इस पुस्तक के साथ जा रहा है। इसका स्वाका विलेम ग्रैफ की पुस्तक से लिया गया है।

संसार पर घोर संकट है और अपने देश पर विशेष। दासता की कटुता का नगा चित्र इधर पूरे रूप में सामने आया है। जो महापुरुष संसार को आदर्श बता रहे हैं, सत्य अहिंसा और सुख का मार्ग दिखा रहे हैं, और हमारे प्राणों के भी प्राण हैं, उनके जीवन को संकट में देख कर हम लोग विह्वल हो गए थे। कौन भारतीय, विशेषकर राष्ट्रीय भावनाओं वाला, ऐसा होगा जिसके अन्तस्तल में इस महापुरुष ने आशा और स्वातन्त्र्य-प्रेम का प्रकाश न पहुँचाया हो। ईश्वर को कोटिशः धन्यवाद है कि आज वह घोरतपस्या से उत्तीर्ण हुए हैं और उज्ज्वलतर निखरे हैं। ईश्वर उन्हें चिरायु करे। इस पुस्तक का सौभाग्य है कि वह आज ऐसी पुण्य तिथि को प्रकाश में आ रही है।

१४, चैथम लाइन,
प्रयाग,
पुण्य तिथि, ३-३-१९४३ }

बाबूराम सक्सेना

विषय-सूची

		पृष्ठ
पहला अध्याय	विषयप्रवेश	१
दूसरा अध्याय	भाषा	५
तीसरा अध्याय	भाषा का विकास	१०
चौथा अध्याय	भाषाविज्ञान तथा अन्य मनुष्यविज्ञान	१५
पाँचवाँ अध्याय	भाषा का विकास	२२
छठा अध्याय	विकास का मूलकारण	२७
सातवाँ अध्याय	ध्वनियन्त्र	३७
आठवाँ अध्याय	ध्वनियों का वर्गीकरण	४३
नवाँ अध्याय	ध्वनियों के गुण	४८
दसवाँ अध्याय	संयुक्त ध्वनियाँ	५२
ग्यारहवाँ अध्याय	ध्वनिविकास	५६
बारहवाँ अध्याय	पदरचना	६३
तेरहवाँ अध्याय	पदविकास	६६
चौदहवाँ अध्याय	पदव्याख्या	८०
पन्द्रहवाँ अध्याय	पदविकास का कारण	८४
सोलहवाँ अध्याय	अर्थविचार	८८
सत्रहवाँ अध्याय	भाषा की गठन	९३
अठारहवाँ अध्याय	भाषा का वर्गीकरण	१११
	प्रोक्तमूलक और इतिहासिक	
उन्नीसवाँ अध्याय	विविध भाषा-परिवार	१२१
बीसवाँ अध्याय	यूरोपिया के भाषा-परिवार	१३३
इक्कीसवाँ अध्याय	आर्यतर भारतीय परिवार	१४५
बाईसवाँ अध्याय	आर्य-परिवार	१५५
तेईसवाँ अध्याय	हिन्द-ईरानी शाखा	१७७
चौबीसवाँ अध्याय	वाक्य-विचार	१६६
पच्चीसवाँ अध्याय	उपसंहार, भाषाविज्ञान का इतिहास	२०३
प्रथम परिशेष	लेपि का इतिहास	२२२
द्वितीय परिशेष	ग्रन्थ-सूची तथा समाधान	२३६
तृतीय परिशेष	पारिभाषिक शब्द-सूची	२४४

पहला अध्याय विषय-प्रवेश

भाषा

भाषा शब्द का प्रयोग कभी व्यापक अर्थ में होता है तो कभी संकुचित । मूक भाषा, पशुपत्नियों की भाषा अथवा संस्कृत ग्रंथों के टीकाकारों द्वारा “इति भाषायाम्” द्वारा अभिप्रेत भाषा में सर्वत्र एक ही भाव छिपा हुआ है—वह साधन जिसके द्वारा एक प्राणी दूसरे प्राणी पर अपने विचार, भाव या इच्छा प्रकट करता है । बेकार की डाट खाकर शिशु जब माँ की ओर डुकुर-डुकुर निहारता है और कुछ बोलता नहीं, तब क्या माँ उस बच्चे के अंतस्तल की बात नहीं समझ पाती ? अथवा जब भिखारी विमुख होकर द्वार पर से लौटने लगता है तब उसकी आकृति से जो भाव प्रकट होता है वह किस सद्दय से छिपा रहता है ? पेड़ की सघन छाया में बैठे हुए पत्नियों में से यदि किसी को दूर से आती हुई बिल्ली दिखाई दे जाय तो उस पत्नी के शब्द करते ही उस के सारे साथी तुरंत उड़ कर पेड़ पर क्यों बैठ जाते यदि उन को उस शब्द द्वारा भय की सूचना न मिलती ? बछड़े के अम्मा शब्द में वह शक्ति है कि कहीं अन्यत्र बँधी हुई भी उसकी माँ चारा खाना छोड़कर विकल हो उठती है । इसी प्रकार यदि कोई गँगा मुँह के पास हाथ ले जाकर चुल्लू बनाता है अथवा पेट पर हाथ फेरता है तो देखने वाले को उसकी प्यास या भूख का अन्दाज़ हो ही जाता है । इन सभी उदाहरणों में इतना स्पष्ट है कि एक प्राणी अपने किसी अवयव द्वारा दूसरे प्राणी पर कुछ व्यक्त कर देता है—यही विस्तृत अर्थ में भाषा है ।

कवि की प्रतिभा इससे भी वृहत्तर अर्थ में भाषा समझ सकती है, उसे अप्राणी भी परस्पर भाव-व्यक्ति करते हुए दिखाई देते हैं । तुलसीदास जी ने वर्षा-काल में ताल-तलहियों का जो परस्पर स्नेह का आदान-प्रदान देखा वह साधारण जन की बुद्धि नहीं जान पाई । सुमित्रानंदन पंत को “उदधि का गान” सुनाई पड़ा । महादेवी वर्मा का ‘सुमन’ तो

स्वप्नलोक की मधुर कहानी
कहता सुनता अपने आप ।

और उनकी प्रतिभा को

..... नीरव तारों से,
बोलों किरणों की अलकें,

ऐसा स्पष्ट दिखाई देता है। पर सामान्य मनुष्य को यह सब, अचेतन संसार का व्यापार समझ में नहीं आता और इसीलिए वह भाषा शब्द का इतना व्यापक अर्थ नहीं करता।

भाषा के वैज्ञानिक अध्ययन के लिए तो भाषा का और भी संकुचित अर्थ लिया जाता है। एक तो अन्य प्राणियों को छोड़कर हम अपना ध्येय मनुष्य ही भाषा तक सीमित रखते हैं, दूसरे, मनुष्य द्वारा प्रयुक्त अन्य अवयवों का त्याग कर केवल वाणी को ही अवलम्बन मानते हैं। बच्चे अथवा भिखारी की मूक भाषा का अथवा गूंगे की इंगित भाषा का यहाँ कोई स्थान नहीं। इसके अतिरिक्त वाणी द्वारा व्यक्त सभी ध्वनियों का भी इस वैज्ञानिक अध्ययन में प्रयोजन नहीं—न हमें अदृष्टास से काम, न रोदन से और न घाड़े को चलने के लिए प्रेरित करने के टूटूटू... शब्द अथवा किसी की विपत्ति में सहानुभूति और कण्ठासूचक चू चू चू... शब्द से। हमें तो काम है वाणी द्वारा प्रयुक्त ऐसी ध्वनियों से—जो अध्ययन द्वारा विश्लेषण में आ सके और जिनके इधर उधर के हेर फेर से अन्य शब्द बन सके। हमें प्रयोजन है ऐसी ध्वनियों से जिनके द्वारा एक मनुष्य अन्य मनुष्य पर अपने विचार प्रकट कर सके। यह व्यापार मनुष्यों तक ही परिमित है—इसमें अन्य प्राणी के प्रवेश की गुंजाइश नहीं। कथा कहानियों के वे अश्रु जिनमें मनुष्य और अन्य प्राणियों के संवाद अंकित हैं विज्ञान की दृष्टि से कवि की कल्पना की श्रेणी में आते हैं और यदि किसी की श्रद्धा इतना स्वीकार नहीं करती तो भी इस अध्ययन को प्रारम्भ करने के पूर्व उसे इतना मानकर ही चलना होगा कि उस प्रकार के संवाद आदि हमारे क्षेत्र से परे हैं।

विज्ञान

दर्शनकारों ने जीवात्मा के लक्षणों में 'ज्ञान' को मुख्य माना है। प्रत्येक चेतन पदार्थ में ज्ञान की कोई न कोई मात्रा अवश्य रहती है। यह ज्ञान दो प्रकार का होता है—एक तो स्वतः सिद्ध दूसरा बुद्धिग्राह्य। स्वतः सिद्ध ज्ञान की मात्रा पशु पक्षियों में अधिक रहती है और दूसरे की मनुष्य में। गाय का बलुड़ा स्वभाव से ही आग की ज्वाला के पास नहीं फटकता पर मनुष्य का बच्चा आग पकड़ लेता है और बुद्धि से सीख कर ही उससे बचा करता है। कुत्ते की पानी में तैरने की शक्ति स्वतः सिद्ध है, आदमी के बच्चे को कठिन प्रयत्न करने पर प्राप्त होती है।

बुद्धिग्राह्य ज्ञान को प्रायः दो विभागों में विभाजित करते हैं—विज्ञान और कला में। विज्ञान विशिष्ट ज्ञान है जिसमें विप्रतिपत्ति और विकल्प की गुंजाइश नहीं और इसके तत्त्व सर्वत्र व्यापक हैं। दो और दो मिलकर चार सब कही होते हैं, ऐसा नहीं कि गरीबों के यहा तीन और अमीरों के यहा चार या पांच। पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षणशक्ति व्यापक है, ऐसा नहीं कि न्यूटन के देश में उसका एक अर्थ हो और कपिल ऋषि के देश में दूसरा। यह विज्ञान के मूल तत्वों के उदाहरण हैं। कला ज्ञान सीमित और विकल्पात्मक होता है। बंगाली चित्रकार दूर तक लम्बी चली जाने वाली उगलियों से स्त्री के सौन्दर्य को अंकित करता है पर रविवर्मा के चित्रों की साधारण नाप की उंगलियों को भी हम असुन्दर नहीं समझते। रीतिकाल की, भरपूर अलंकारों से लदी हुई, कविता भी काव्यकी श्रेणी में आती है और साथ ही छायावाद के नीरव अलंकारों से सुशोभित अनन्त की ओर की उड़ान भी सुंदर और मनोहारिणी कविता है। दोनों प्रकार का ज्ञान कला के अंतर्गत है। एक ओर मणिपुर और गुजरात का नृत्य है दूसरी ओर रूस का, एक ओर भारतीय संगीत तो दूसरी ओर अंगरेज़ी। कला के अंतर्गत यह सभी हैं पर भारतीय संगीत जो माधुर्य एक भारतीय के समुख उपस्थित कर उसकी हृत्तंत्री को भङ्कृत कर देता है, चाहे वह शब्द एक भी न समझे, उतने अंश में अंगरेज़ी संगीत नहीं। इसी प्रकार अंगरेज़ नागरिक की भावना अपने संगीत के पद में और हमारे संगीत के विपन्न में होती है। कला का यही विकल्प है, यही उसकी विप्रतिपत्ति है। कला का जितना अंश मनुष्यमात्र पर व्यापक है वह विज्ञान का है—कला का स्वकीय नहीं।

विज्ञान और कला का एक और गौण अंतर है—विज्ञान का ध्येय शुद्ध ज्ञान है और कला का व्यवहार ज्ञान, मनोरंजन और उपयोग। काव्यकला से हमारा मनोरंजन होता है, और उसका इसके अलावा भी उपयोग है, पर पृथ्वी घूमती है या सूर्य, हम क्यों बोलते हैं, सभी मनुष्य एक ही भाषा क्यों नहीं बोलते इत्यादि प्रश्नों का समाधान हमारी ज्ञान की प्यास को ही अधिक बुझाता है, उपयोग की श्रेणी में कम आता है। और जब आता है तब गौण रूप से।

कला का प्रतिपादन शास्त्र करता है। उसका ध्येय साधारण व्यवहार होता है और उसमें काल और देश के अनुसार विकल्प होते रहते हैं। ऐसा समझना कि एक देश और काल का शास्त्र सब देशों और कालों के लिए स्थिर सत्ता रखता है, मनुष्य की बुद्धि की अवहेलना करना है।

कोई भी ज्ञान, विज्ञान की श्रेणी में स्थान पाने के पूर्व वाद की अवस्था में रहता है। जब उसकी अपवादरहित सत्ता स्थिर हो जाती है तब उसको विज्ञान कहते हैं।

उन्नीसवीं सदी के विद्वानों में, भाषा के तत्त्वों का अध्ययन विज्ञान की कोटि में आता है अथवा शास्त्र या वाद की कोटि में—इस विषय को लेकर बहुत वाद-विवाद चलता रहा। पर अब इतना स्थिर है कि भाषा-विषयक जिन मूल तत्त्वों को मनुष्य की बुद्धि ने पकड़ लिया है वे इस अध्ययन को विज्ञान की श्रेणी में स्थान पाने का अधिकारी बनाते हैं। इसीलिए इस अध्ययन का नाम भाषाविज्ञान उपयुक्त है भाषा-शास्त्र नहीं।

प्रस्तुत पुस्तक में भाषाविज्ञान-संबंधी सामान्य सिद्धांतों की विवेचना करना ही अभिप्राय है, किसी विशिष्ट भाषा के तत्त्वों की विवेचना नहीं।

दूसरा अध्याय

भाषा

मनुष्य तरह-तरह की भाषाएँ बोलते हैं, कोई हिंदी, कोई मराठी, कोई गुजराती, कोई बंगाली तो कोई अंगरेज़ी, जर्मन, तुर्की, चीनी, जापानी आदि । यदि और भेद की दृष्टि से देखा जाय तो एक भाषा के अंतर्गत ही मनुष्य कई तरह की बोलियाँ बोलते हैं, हिंदी वाले ही कोई अवधी, कोई ब्रज, कोई खड़ी बोली आदि । और इन बोलियों के भीतर भी बहुत से भेद हैं । परंतु इन सब की तह में एक एकत्व है—मनुष्य के विचारों, भावों और इच्छाओं को प्रकट करना ।

जिन ध्वनिचिह्नों द्वारा मनुष्य परस्पर विचार-विनिमय करता है उसे भाषा कहते हैं । भाषा के इस लक्षण में विचार के अंतर्गत भाव और इच्छा भी हैं । बोलते समय हमारे विचारों की पूर्ण अभिव्यक्ति ध्वनि चिह्नों ही से नहीं होती । उनकी मदद के लिए हम इंगित का भी प्रयोग करते हैं । बोलते समय मुखाकृति, आँखों का भाव और हाथ के हिलने-डोलने से हमारे भाव को समझने में दूसरे को सहायता मिलती है । परंतु हम भाषाविज्ञान के अध्ययन में इन इंगितों का विचार करने नहीं बैठते ।

ध्वनिचिह्नों के अतिरिक्त अन्य चिह्न भी हैं जिनके द्वारा हम अपने विचार परस्पर प्रकट करते हैं, जिनमें प्रधान हैं लेखबद्ध अक्षर । आजकल प्रायः लेख द्वारा ही देश-देशांतर से विचार-विनिमय होता है । ध्वनि का क्षेत्र सीमित है, लेख का अपेक्षाकृत अपरिमित । पर यह चक्षुग्राह्य अक्षर ध्वनि पर ही निर्भर हैं इसलिए भाषा की दृष्टि से ध्वनिचिह्नों की अपेक्षा इनकी नेत्रग्राह्य-सत्ता गौण है । और इनसे भी गौण सत्ता है स्पर्शग्राह्य अक्षरों की जो अंधों के उपकारार्थ तय्यार की गई किताबों में हस्तेमाल में आते हैं । स्काउट लोग भंडियों द्वारा जो संदेश भेजते हैं उनमें प्रयुक्त अक्षरों की भी बहुत गौण सत्ता है । और इसी प्रकार तार द्वारा टिक-टिक करके जो संदेश भेजे जाते हैं उनकी भी । हाँ, टेलीफ़ोन द्वारा जो ध्वनिचिह्न एक स्थान से दूसरे स्थान को जाते हैं उनकी सत्ता प्रायः वही है जो भाषा के ध्वनिचिह्नों की । इस प्रकार भाषा का अभिप्राय, विचारों का व्यक्तीकरण, प्रमुख रूप से श्रोत्रग्राह्य ध्वनिचिह्नों से सिद्ध होता है और गौण रूप से दर्शन, संकेत अक्षरा स्पर्श द्वारा ग्राह्य लेख, क्लपाई, स्काउट-चिह्न आदि से । गौण रूप से प्रयुक्त यह चिह्न विभिन्न मनुष्य-समु-

दायों ने अपने अपने लिए बना रखे हैं और इनके मूल में है उस समुदाय के व्यक्तियों की स्वीकारी। एक समुदाय अ द्वारा व्यक्त की हुई ध्वनि को अ (बंगाली अ) से व्यक्त करता है तो दूसरा किसी अन्य से। इन समुदायों का अस्तित्व आवश्यकता के अनुसार विस्तृत और संकुचित भी किया जा सकता है। इस प्रकार कोड (code) भाषाओं और लिपियों की सृष्टि होती है। एक मित्र समुदाय का कोड यह था—

अहिफन कमल चक्र टंकारा।

तरुवर पवन युवा सुस्कारा॥

अंगुलिन अचर चुटकिन मात्रा।

कह हनुमन्त सुनहु सौमित्रा॥

और इस कोड की भाषा में जिसे दीक्षित कर लिया जाता था उस पर सौ मन एहसान का बोझ लाद कर अभिन्न मित्र बना लिया जाता था। रहस्यमयी भाषा बोलने की उत्सुकता शायद मनुष्य में स्वभाव से ही है। बच्चे जब उल्टे वर्णों की भाषा (तुम क्या कर रहे हो को तुम इका रक हरे ओह) सीख लेते हैं तब अपना कौशल दिखाने के लिए मित्रों में ही उसका प्रयोग नहीं करते, अपने चचा, मामा आदि से बोलने लगते हैं।

यदि वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाय तो भाषा मनुष्य के केवल विचार-विनिमय का ही साधन नहीं है विचार का भी साधन है। दो तीन बरस का बच्चा जब बोलना सीख लेता है तब अकेले में बैठा खिलौनों से खेलता हुआ वह मन की बात प्रकट करता रहता है, किसी को सुनाने के लिए नहीं। वयस्क मनुष्य भी भावावेश में अकेला ही मन की बात शब्दों में कह जाता है। इस प्रकार यह सिद्ध होता है कि भाषा और विचार एक ही वस्तु के दो अभिन्न पहलू हैं। मोतीलाल जी को मरते समय, गांधी जी ने 'राम' कहने की प्रेरणा की और यद्यपि उनके मुख से अशक्त होने के कारण कोई ध्वनि नहीं सुनाई दी तथापि उनकी ओठों की आकृति से वहां बैठे लोगों को प्रत्यक्ष मालूम हुआ कि मरणासन्न प्राण राम शब्द 'मनसा' बोल रहे हैं। निरंतर प्रयोग करते-करते ही हम लोग ऐसी शक्ति प्राप्त कर लेते हैं जिससे बिना प्रत्यक्ष बोले ही विचार कर लेते हैं और प्रत्यक्ष कुछ बोल कर विचार कुछ कर सकते हैं। कर्मठ पुजारी पूजा करते समय बोलता कुछ जाता है और साथ ही साथ विचार किसी और बात का करता जाता है। अर्थ जानने वाला विचारशील भक्त भी बहुधा संध्या का मंत्र कुछ बोलता है और सोचता कुछ और है। ऐसी दशाओं में शब्द और विचार का सामंजस्य नहीं बैठता और इससे ऐसा मालूम होता है कि विचार और शब्द में तादात्म्य नहीं है। परंतु बात ऐसी नहीं है। उदाहृत दशाओं में मन में जो

भाषा

विचार हैं वही मुख्य हैं और उनके तादात्म्य वाले शब्द (ध्वनिचिह्न समूह) अस्तित्व में हैं पर प्रकट नहीं हुए। उन विचारों के साथ-साथ जो ध्वनियां मुँह से निकलीं वह अनर्गल और उन विचारों से बिल्कुल असंबद्ध हैं। उनका उच्चारण केवल अभ्यास से किया जाता है जिस प्रकार अर्थविहीन शब्दों का अथवा बिना समझी हुई परदेशी भाषा के शब्दों का।

भाषा विचार करने का भी साधन है इसका प्रत्यक्ष प्रमाण यही है कि यदि कोई भी विचार करने बैठे तो भाषा की मदद के बिना नहीं कर सकते। जिसको संदेह हो वह प्रयत्न करके देख ले। सप्रधारण रीति से हम कह सकते हैं कि ध्वनियां विचारों से उद्भाविता होती हैं और विचार ध्वनियों से, पर सूक्ष्मदृष्टि से देखने पर विद्वानों का मत है कि इन दोनों के बीच में एक माध्यम है—एक रूप या प्रतिमा। इसको चाहे ध्वनिप्रतिमा कहें या विचारप्रतिमा, पर यही ध्वनियां और विचार में संबंध उपस्थित करती है। किसी विचार के मन में आने के लिए इतना ज़रूरी है कि विचार और यह प्रतिमा आ जायँ, मुख से बोली ध्वनियां चाहे आएँ चाहे नहीं। विचारों के साथ ही साथ यह प्रतिमाएँ भी बनती बिगड़ती रहती हैं। मनुष्य जब एक बार भाषा का व्यवहार सीख लेता है तो ध्वनि-चिह्न अनायास ही उसकी इच्छा के अनुकूल अपने आप विचारों के साथ निकला करते हैं; अपने सतत प्रयत्न से वह कभी अभ्यास से किन्हीं ध्वनियों को निकाल कर तत्संबंधी विचारों को मस्तिष्क में स्थान न देकर अनर्गल ही उनको बकता है अथवा उच्चारण को बिल्कुल दबाकर विचारों को मस्तिष्क में रखकर काम किया करता है। इन अवस्थाओं का साधक है केवल अभ्यास।

इस प्रकार भाषा का विचार से अटूट संबंध है। इसे मनुष्य अपने पूर्वजों से सीखता आया है। भाषा सीखने की सामर्थ्य मनुष्य में स्वभाव से ही होती है और यदि उसे अनुकूल वातावरण मिल गया तो उसे सीख लेता है। अन्यथा नहीं। जिन बच्चों को भेड़िए उठा ले जाते हैं और किसी कारण जिनको मार कर खा नहीं जाते वे बड़े होकर मनुष्य की भाषा नहीं बोल पाते। इससे स्पष्ट है कि मनुष्य कोई भी भाषा माँ के पेट से सीख कर नहीं आता (मनुष्य ने इसे अपने समुदाय से सीखा है और यह मनुष्य की संस्कृति की देन है, उसी प्रकार जैसे धर्म, कला आदि। केवल भाषा ऐसी है जो मनुष्य मात्र में सर्वत्र फैली है, इस विस्तार तक धर्म या कला नहीं। और यह भी संभव है कि मनुष्य की संस्कृति की सब से पुरानी चीज़ भाषा ही है—उसने आत्मा के प्रयोग के पूर्व ही इसको सीखा होगा।

जिस चीज़ को हम दूसरों से सीखते हैं उसे हम ठीक वैसी ही नहीं सीख पाते

जैसी उनकी होती है जिनसे हम सीखते हैं। और विशेषकर जब हम कोई चीज़ सह-वास से ही सीखते हैं। बच्चा भाषा अपने पास-पड़ोस के मनुष्यों से अपने आप सीखता रहता है कोई उसे सिखाने नहीं बैठता। पढ़ने लिखने की बात दूसरी है। ऐसी परिस्थिति में यह आवश्यक नहीं कि किसी ध्वनि को वह ठीक उसी तरह बोले जिस तरह वह मनुष्य या मनुष्य-समुदाय जिससे सुनकर उसने सीखा है, बोलता है; और न ठीक उसी अर्थ में। उदाहरण के लिए, गाय शब्द को बच्चा घर में सुनता है और एक विशेष चलता फिरता जानवर देखता है जिसके प्रति उस शब्द का व्यवहार होता है। जब तक उसका अनुभव उसी गाय तक सीमित है तब तक वह उस शब्द का वही सीमित अर्थ समझता है। जैसे जैसे उसका अनुभव बढ़ता जाता है उसके गाय शब्द के अर्थ में भी हेरफेर होता जाता है। इसी तरह उसका पिता जब गाय शब्द बोलता है और उसका पुत्र जब उसका अनुकरण करके उसी शब्द का उच्चारण करता है तब संभव है कि बच्चा ठीक उसी स्थान और उतने ही प्रयत्न से उस शब्द का उच्चारण न कर रहा हो क्योंकि गू आदि ध्वनियाँ स्थान के कई प्रकार के सूक्ष्म परिवर्तनों से क़रीब क़रीब एक ही तरह की निकल सकती हैं और इनकी पकड़ हमारी स्थूल श्रोत्रेन्द्रिय से नहीं होती।

इस सीखने के कारण ही भाषा में विकार अथवा परिवर्तन अवश्यम्भावी है। और यही कारण उसकी अपूर्णता का है। जब हम बोलते हैं तब प्रतिक्षण यही अनुभव होता रहता है कि हम अपने हृदय की पूरी बात नहीं कह पा रहे हैं और पूर्णता लाने के लिए मुखराग, चितवन, हाथ आदि से सहारा लेते हैं। वाचिक भाषा की निस्वत लिखित भाषा तो और भी अपूर्ण है क्योंकि जो सहायक वस्तुएँ वाचिक को प्राप्त हैं, उसको वह भी नहीं। इसी कारण लेख से कभी-कभी अनायास ही अनर्थ हो जाते हैं, उसमें “आँखों का शील” नहीं मिलता।

मनुष्य की भाषा उसकी सृष्टि के आरंभ से, निरंतर गति से, प्रवाह रूप से चली आ रही है। इस प्रवाह के आदि और अंत का कोई पता नहीं मिलता। मनुष्य उसे सीखता चला आया है और यावज्जीवन सीखता और व्यवहार करता चला जायगा। नदी के वेग के समान उसकी भाषा का वेग अनियंत्रित है। आज हमें भाषा की विभिन्नता मिलती है। कह नहीं सकते कि यह विभिन्नता कितनी पुरानी है। कोई निश्चय पूर्वक नहीं कह सकता कि मनुष्य की सृष्टि या विकास पृथ्वी के किसी एक विशिष्ट स्थान में हुआ है या अलग अलग स्थानों पर। किसी भी अवस्था में भाषा की विभिन्नता समय और देश के अनुसार भाषा के स्वभाव से ही अवश्यम्भावी थी। प्रत्येक भाषा के पीछे उसका इतिहास है जिसका अनुमान हम उसके वर्तमान स्वरूप से लगा सकते

हैं। उसके भविष्य का भी थोड़ा बहुत अनुमान शायद कर सकें।

भाषा के बारे में हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जिन ध्वनियों से किसी विशेष जीव या वस्तु का बोध होता है उनका उस जीव या वस्तु से कोई नियत स्वाभाविक संबंध नहीं, केवल सामयिक व्यवहार का संबंध है। यदि कोई नियत स्वाभाविक संबंध होता तो प्रत्येक काल और देश में गाय और कमल का वही अर्थ होता जो हम हिंदी वाले समझते हैं। तब न भाषा में परिवर्तन होता और न विभिन्नता ही आ पाती।

• यद्यपि मनुष्य ध्वनि संकेतों का अनायास ही व्यवहार करता रहता है और कभी उनका विश्लेषण करने नहीं बैठता परंतु यह ध्वनियाँ विश्लेषण सक्षम हैं। विधाता की इस सृष्टि में इन ध्वनियों की संख्या अनंत है और प्रत्येक जनसमुदाय केवल एक थोड़ी सी संख्या का प्रयोग करता है। ध्वनियों का विश्लेषण सर्वप्रथम वय्याकरणों ने किया। श्रुति के अनुसार इंद्र ने 'वाणी' को दो हिस्सों में विभक्त किया था। भाषा के विश्लेषण का यह प्रथम उल्लेख है।

भाषा के द्योतक हमारे पुराने शब्द वाक् और वाणी हैं जिनमें बोलने का अर्थ निहित है। वाक् का दूसरा अर्थ जिह्वा का भी होता है। जिह्वा बोलने में प्रमुख भाग लेती है, इसीलिए शायद अन्य भाषाओं में भी जिह्वा और भाषा के लिए समान शब्द हैं। फ़ारसी का ज़बान, अंगरेज़ी का टंग (Tongue), फ़्रेंच का लॉंग, लॉंगाज़ (Langue, Langage), लैटिन का लिंगुआ (lingua < dingua) और यूनानी का लाइस्वाइन (Leichein) जो भाषा के अर्थ में प्रयोग में आते हैं, सभी के मूल में जिह्वा का अर्थ है। अंग्रेज़ी का स्पीच (speech), जर्मन स्प्राख़ेन (Sprachen) और अरबी लिस्सान प्रायः उसी अर्थ के द्योतक हैं जिसका कि हमारा शब्द भाषा।

तीसरा अध्याय

भाषा का उद्गम

दूसरे अध्याय में हम देख चुके हैं कि मनुष्य अपने पूर्वजों से भाषा सीखता आया है। हमने अपने मां बाप से सीखी, उन्होंने अपने मा बाप से। इस तरह चलते चलते उस आदि अवस्था तक हम पहुँच जाते हैं जब भाषा पहले पहल सीखी गई होगी। उस समय मनुष्य को भाषा किसने सिखाई? और यदि सिखाने वाला कोई नहीं था तो मनुष्य ने किस प्रकार भाषा का सृजन किया? यह सवाल विचारणीय है।

धर्मग्रंथों में श्रद्धा रखने वालों के लिए इस प्रश्न की तह में कोई समस्या नहीं मालूम होती। प्रत्येक सृष्टि के आरंभ में परमेश्वर ऋषियों को ईश्वरीय ज्ञान (वेद के रूप में) प्रदान करता है। इन आदिम ऋषियों को उस वैदिक भाषा का स्वतः ज्ञान होता है और ये परम्परा से अपने बाद वालों को और ये अपने बाद आनेवालों को सिखाते चले आए हैं। यास्क की दृष्टि से प्रवरों ने अवरों को यह ज्ञान दिया और पतञ्जलि के मत से ईश्वर से पूर्व कोई गुरु नहीं था— वही अनंत काल से आदि गुरु है। इस प्रकार देववाणी सस्कृत ही आदि भाषा है जिसको परमेश्वर ने सृष्टि के आरंभ में ऋषियों को सिखाया और जिससे बाद को अन्य भाषाएँ और उपभाषाएँ फूट निकलीं। हंजील को धर्मग्रंथ मानने वालों के लिए तो बहूदी भाषा ही आदिम की आदिम-भाषा थी जो परमेश्वर प्रदत्त है और यदि बेबल के मीनार की दुर्घटना न हुई होती तो आज भी वही अकेली भाषा सारे संसार में प्रचलित होती और भाषा की विभिन्नता के कारण मनुष्य जाति की जो दुर्गति हो रही है उससे वह बच जाती!

आदिम में किसी परमेश्वर की कल्पना न करने वाले और सृष्टि को प्रवाह रूप से अनादि और अनन्त मानने वाले धर्म भी आदि भाषा की सत्ता स्वीकार करते हैं। बौद्ध लोग पालि (मागधी) को मूल भाषा मानते हैं और विश्वास करते हैं कि आदि कल्प के मनुष्य, ब्राह्मण और संबुद्ध इसी का व्यवहार करते थे। जैन लोग तो आर्ष (अर्धमागधी) को मूलभाषा मानकर उसे मनुष्यमात्र ही तक सीमित नहीं रखते। उनका विश्वास है कि श्री महावीर स्वामी का इस भाषा का उपदेश तिर्यग्योनि के (पशु पत्नी आदि) और सिद्ध, देव आदि योनियों के जीव भी समझते थे और सुनकर लाभ उठाते थे।

मतमतान्तरों पर श्रद्धा रखनेवाले और यह मानने वाले कि मनुष्य परमेश्वर के यहाँ से इस संसार में आते समय ही भाषा सीखकर आता है, एक दूसरी ही समस्या से विचलित रहे हैं—कौन सी भाषा लेकर मनुष्य यहाँ उतरता है ? मिश्र देश के राजा सैमेटिकुस (Psammeticus) के समक्ष यह समस्या उपस्थित की गई कि फ़र्जियन जाति (Phyrgians) असली मिश्र देश निवासी है या नहीं । राजा ने सोचा कि इस समस्या का सुलभाना सहल है । हुकम हुआ कि तीन बच्चे मा के पेट से निकलते ही अलग कोठरी में रखे जायँ और सफ़ूत पहरा रहे कि कोई उनके सामने एक शब्द भी न बोले । कई वर्ष बाद जब यह बच्चे राजा के सामने इस विचार से उपस्थित किए गए कि वे मिश्री भाषा बोलते हैं या फ़र्जियन तब मालूम हुआ कि वे बच्चे कोई भी भाषा नहीं बोल सके केवल एक हुकार मात्र कर सके । और यह हुंकार भी उस नौकर की वह हुकार थी जिसे वह खाने के पदार्थ देते समय कभी २ उन बच्चों के सामने किया करता था । इसी प्रकार का एक प्रयोग कुछ बच्चों पर अकबर बादशाह ने भी करवाया था और वे बच्चे भी गूगे निकले । इससे इतना स्पष्ट है कि मनुष्य का बच्चा कोई भी भाषा सीखकर नहीं आता, जो सीखता है, यहीं इस संसार में । धर्म में अटल विश्वास रखने वाले इन प्रमाणों से हतबुद्धि नहीं होते । वे कहते हैं कि माना कि अब मनुष्य-जाति जन्म से कोई भाषा सीखकर नहीं आती पर सृष्टि के आरंभ मे अवश्य भाषा मनुष्य को सिखाई गई थी अन्यथा आज की तरह सब लोग गूगे ही आते । और जब मनुष्य को और कोई पूर्वज स्वजातीय शिक्षक नहीं सिखा सकता था उस समय निश्चय ही उसको यह ज्ञान किसी दैवी शक्ति से मिला होगा ।

आधुनिक विज्ञान मनुष्य की सृष्टि विकासवाद की दृढ़ नींव पर ही स्वीकार करता है, इसीलिए भाषा के उद्गम की समस्या उसके सामने जटिल समस्या के रूप में उपस्थित होती है और इसको हल करने का विद्वानों ने प्रयास किया है ।

एक मर्त यह है कि आरंभ में जब संकेत आदि से मनुष्य-समुदाय का यथेष्ट काम नहीं चला, तब समुदाय ने एकत्र होकर विचारपूर्वक निश्चय किया कि अमुक वस्तु का यह नाम होगा और अमुक का यह । इस प्रकार उसने आपस के समझौते से भाषा का सृजन किया । परंतु यह मत थोड़े दिन भी समीक्षा की कसौटी पर नहीं टहर सका । जब मनुष्य के पास कोई भाषा थी ही नहीं, केवल संकेत थे तब उसने एक दूसरे पर अपने समझौते के समय के यह विचार किस साधन से प्रकट किए होंगे ? क्या यह संभव नहीं कि एक वस्तु के लिए किसी सदस्य ने एक नाम पेश किया हो और दूसरे ने दूसरा और फिर वाद-विवाद हुआ हो कि कौन स्वीकार किया जाय ? यह वाद-विवाद क्या केवल संकेतों से हुआ होगा ? फिर किसी वस्तु का

विचार उठते ही उसकी ध्वन्यात्मक प्रतिमा मन में आ जाती है। तो, जब किस वस्तु का क्या नाम रक्खा जाय यह बात निश्चित नहीं हुई थी तब यह प्रतिमा कैसे मस्तिष्क में आई और किस रूप में ? और उसकी अनुपस्थिति में विचार ही कैसे आया ? इस प्रकार समीक्षा करने पर विचारपूर्वक आदि भाषा के निर्माण का मत कितनी कमज़ोर दीवार पर खड़ा है यह स्पष्ट हो जाता है।

भाषा की उत्पत्ति का समाधान करने के लिए दूसरा मत यह है कि मनुष्य ने भाषा अपने आस-पास के पशु-पक्षियों तथा सृष्टि के अन्य पदार्थों से सीखी। कोयल को कुहू, कुहू करते सुना तो उसका नाम कुहू-कुहू रक्खा; विल्ली को म्याऊं-म्याऊं करते सुना तो उसकी संज्ञा म्याऊं बनाई; पेड़ से पत्ता गिरते देखा और उसकी आवाज़ परखी तो पत् धातु गिरने के अर्थ में निश्चित की; पानी की तेज़ धार को बहते सुनकर, नद् धातु का निश्चय किया और नदी शब्द बनाया। आज भी इस प्रकार शब्द बनते हैं। बच्चे मोटर को मोटर न कहकर पों-पों कहते हैं क्योंकि उनको हटाने के लिए मोटर पोंपों शब्द करती है और मोटर के हार्न को हम लोग अपनी भाषा में भोंपू नाम शायद इसीलिए दे बैठे हैं। परंतु यह मत भी समीक्षा करने पर पक्का और संतोषजनक नहीं ठहरता। पहली बात तो यह है कि संसार की पुरानी से पुरानी भाषा का भी अध्ययन करने पर यह पता चलता है कि ऐसे शब्द जो इस प्रकार पशु पक्षियों के अनुकरण और अन्य पदार्थों के अनुरणन पर बने हैं उनकी संख्या बहुत कम है। कोई कह सकता है कि संस्कृत आदि सब से पुरानी भाषाएँ जिस अवस्था में हमको मिलती हैं वह हजारों वर्ष की विकसित अवस्था है इस कारण यह तर्क पुष्ट प्रमाण नहीं। इस सन्देह में कुछ तथ्य है परंतु संसार की असभ्य और असंस्कृत जातियों की भाषाओं का भी विद्वानों ने अध्ययन किया है और तब भी इसी नतीजे पर पहुँचे हैं कि अनुकरणात्मक और अनुरणनात्मक शब्दों का अनुपात उन भाषाओं में भी बहुत थोड़ा है। अमरीका की मैकेंज़ी नदी के किनारे बसने वाली असभ्य ज़ाति अथबस्कन (Athabaskan) की भाषा में तो ऐसे शब्दों का नितान्त अभाव पाया गया है। दूसरी बात यह है कि क्या जब पशु पक्षियों को प्रकृति ने ध्वनियों के उच्चारण करने की शक्ति प्रदान की थी तो आदिम मनुष्य को कोई भी शक्ति प्राप्त न थी ? क्या वह स्वयं दृश्यों और वस्तुओं को देखकर कुछ शोर न कर सकता था ? जब उसे भी यह शक्ति प्राप्त थी तब वह भाषा के सृजन के लिए दूसरों का ही सहारा क्यों लेता ?

दूसरे मत की समीक्षा से ही तीसरा मत निकल आया। प्रकृति के जीवों का अवलोकन करते समय हम देखते हैं कि मन के भावों और आवेशों के ही समय

विशेष रूप से ध्वनियां निकलती हैं। पत्नी आनंदोत्साह, भय, भूख आदि के ही समय शोर मचाते हैं अन्यथा चुप रहते हैं। गाय का बच्चा भी कुदक्की मारते समय, भूख से या मां को देखकर उत्साह से *अम्मा-अम्मा* करता है। गायें, भैंसें बहुधा मैथुन की प्रबल अदम्य आकांक्षा होने पर रँभाती हैं। श्रीवैशाखनंदन जी भी पीछे नज़र घुमाकर और यह ज्ञान प्राप्त कर कि इतनी भारी जगह की घास हमने साफ़ कर दी आनंदातिरेक से रेकने लगते हैं। इसी प्रकार, तृतीय मत को पेश करनेवाले विद्वानों के अनुसार, आरंभ में मनुष्य में भी इस प्रकार अपने भाव प्रकट करने की शक्ति थी और विस्मयादिबोधक चिह्न इसी शक्ति के परिणाम हैं। इन विद्वानों का कहना है कि प्रारंभ में मनुष्य इन्हीं का उच्चारण कर सकता था और धीरे-धीरे इस प्रकार की उच्चारित ध्वनियों को उन आवेशों और भावों से अलग भी उच्चारण करने की उसे शक्ति प्राप्त हो गई। जैसे कि हम देखते हैं कि प्रारंभ में बच्चा जो सोचता है उसे अकेला बैठा हुआ भी शब्दों में प्रकट करता जाता है पर धीरे धीरे वह विचार और ध्वनि को अलग करने की शक्ति प्राप्त कर लेता है; ठीक उसी प्रकार आदिम मनुष्य-समुदाय की शक्ति का विकास हुआ होगा। उदाहरण के लिए छिः, छिः, घत्, हुश्, हला आदि अथवा अंगरेज़ी के फ़ाइ (fie), बाश् (bash) आदि शब्द पेश किये जाते हैं। मज़दूर जब बोझ उठाता हुआ थका रहता है तब उसके मुँह से अनायास हे, हो आदि शब्द निकल पड़ते हैं और इसी से उठाने के अर्थ की अंगरेज़ी धातु हीव् (have) की उत्पत्ति बताई जाती है। इसी प्रकार तिरस्कार सूचक फ़ाइ (fie) शब्द से तिरस्कारपूर्ण काम करनेवाले शब्द (शैतान) फ़ियेड (tiend) का संबंध जोड़ा जाता है।

दूसरे मत को काटने के लिए यह मत उपकारक साबित हुआ। पर स्वयं यह मत भी पूरे तौर से संतोषजनक नहीं है। पहली बात तो यह है कि विस्मयादिबोधक अव्यय भाषा के मुख्य अंग नहीं और किसी भी भाषा में उनकी संख्या बहुत परिमित है। वे वाक्य के अंदर तो आते ही नहीं, उनका अस्तित्व ही अलग है। दूसरे यह बात कि यह अव्यय सदा और सर्वत्र मनोरोग आवेश आदि के द्योतक हैं यह भी ठीक नहीं जँचती क्योंकि कहीं और कभी कोई अव्यय प्रयोग में आते हैं और दूसरे देश-काल में अन्य।

तब भी दूसरे और तीसरे मत के अनुसार भाषा के थोड़े से (परन्तु बहुत थोड़े से) शब्दों की उत्पत्ति समझ में आ जाती है। शेष के विषय में वे केवल असंतोष-जनक वाद की सत्ता पर ही स्थित रहते हैं।

फिर इस जटिल समस्या का क्या हल है? अल्पज्ञानी मनुष्य के ज्ञान की

वर्तमान स्थिति में इस समस्या का हल नहीं सूझता। इसी कारण पिछली पीढ़ी के भाषा-वैज्ञानिकों ने इस प्रश्न को उठाया तो, पर टाल दिया था और यह कहा था कि इससे हमें सरोकार नहीं; हम तो जैसी भाषा पाते हैं उसका अध्ययन करते हैं और उसके मूलतत्त्वों तक पहुँचने की कोशिश करते हैं; भाषा की उत्पत्ति का विषय तो दर्शन के क्षेत्र में आता है। पर आधुनिक भाषा-वैज्ञानिक यह नहीं कहता; वह स्वीकार करता है कि भाषा की मूलउत्पत्ति का पता लगाना उसी का कर्तव्य है। वह प्रयत्नशील है। असभ्य और बर्बर जातियों की तथा बच्चों की बोलियों का अध्ययन करता है, दूर दूर की भाषाओं की परस्पर तुलना करता है और भाषा के मूल, आधार पर पहुँचने का उद्योग करता है। वह हिम्मत नहीं हारता।

भाषा और विचार का अटूट संबंध है। मनुष्य के मस्तिष्क में जब विचार उठे होंगे तभी भाषा भी आई होगी। आदि काल में यदि भिन्न भिन्न स्थानों पर मनुष्य का विकास हुआ होगा तो संभव है कि भिन्न भिन्न भाषाएँ प्रारंभ से ही उपस्थित हुई हों। यदि एक ही स्थान पर सुसंगठित मनुष्य-समुदाय का आविर्भाव हुआ होगा तो प्रारंभ में एक ही भाषा रही होगी और कालान्तर में उसमें विभिन्नता आई होगी।

मनुष्य को विचार करने की शक्ति कब मिली ? इस प्रश्न का उत्तर मनोवैज्ञानिक नहीं दे पाते।

भाषा और विचार के आविर्भाव का प्रश्न मनुष्य-समाज के विकास की समस्या के साथ अनिवार्य रूप से उलझा हुआ है और जब तक विकासवाद के उपस्थापक डार्विन आदि विद्वानों के खोए हुए पूर्वजों का पता नहीं चलता और विकासवाद की शृंखला की टूटी हुई कड़ी नहीं मिलती तब तक भाषावैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक भाषा और विचार के आदि स्रोत तक पहुँचने में नितांत असमर्थ हैं और रहेंगे। धर्म पर श्रद्धा रखने वाले को यह माया नहीं व्यापती क्योंकि उसके सिद्धान्त हैं “श्रद्धावान् लभते ज्ञानम्” और “संतोषः परमं सुखम्”।

बतावें पर प्रयोग की शुद्धि-अशुद्धि का ज्ञान उसे करा ही देंगे। इसी प्रकार यदि विद्यार्थी ने कर् धातु से करा रूप बनाया और उसे अपने लेख में लिखा तो गुरु जी करा को काट कर किया लिख देगे। अथवा बालक जब घली और छात कहेगा तब उसके बड़े भाई और बहिन मुस्कराएँगे, दो-एक बार उसे चिढ़ाएँगे भी और वह घोर प्रयत्न करके थोड़े ही दिनों में घड़ी और सात कहने लगेगा। उच्चारण और अर्थ दोनों में, परिवर्तन अपने आप अनजान में होता रहता है; जान में भी ऐसा परिवर्तन जो तुच्छ है सहा जा सकता है। पर घोर परिवर्तन बहुत कम होता है और जब होता भी है तब समुदाय उसे अंगीकार कर लेने को तैयार ही रहता है तभी होता है। असुर शब्द का अर्थ देवता से राक्षस में परिवर्तित हो जाना आर्य जाति को किसी बड़ी देस के लगने का द्योतक है। इसी प्रकार देवानी प्रियः का अर्थ मूर्ख हो जाना पंडितवर्ग के बौद्धमत और उसके महापुरुषों के प्रति द्वेष का ही सूचक हो सकता है। अंगरेजों को भारत के 'न्यायप्रिय शासक' के स्थान से देश को गुलामी में जकड़े रखने वाली 'बेईमान जाति' की हीनता पर ला पटकने वाली भारतीय मनोवृत्ति भी तो मनोवृत्ति के धीरे-धीरे और फिर किसी महापुरुष की प्रेरणा से भटके के साथ जोर से बदल जाने का ही तो उदाहरण है।

क्या परिवर्तन तुच्छ हैं और क्या महत्त्व के इसका निर्याय हर भाषा अथवा उसे बोलने वाला समुदाय स्वयं करता रहता है। बंगाली और नैपाली भाषाओं में स्वरों की मात्रा में व्यतिक्रम होने से उतना भ्रम नहीं होता इसलिए वहा वह सखा है परंतु हिंदी में उसका महत्त्व है (नहीं तो कटना काटना, मरना मारना में अंतर न रहे)। इसलिए व्यतिक्रम नहीं आने पाता। जर्मन भाषा में अतिम व्यंजन सघोष हो अथवा अघोष इससे विशेष अंतर नहीं पड़ता इसलिए—द् लिख कर भी—त् बोल सकते हैं (और गुड को गुत कह सकते हैं) पर अंगरेजी में ऐसा नहीं करने पाते क्योंकि छेरो ऐसे शब्द हैं जहां इस अंतर के न रखने से घपला हो जाय (और इसीलिए किट्ट किड्, कैप-कैव, रिप रिब में उच्चारण का भेद रक्खा जाता है)।

इस प्रकार भाषा के विकास में परिवर्तन कुछ अंश में होता रहता है और कुछ में नहीं। सृष्टि के ऋत् (गति के नियम) और सत्य (स्थिति के नियम) सदा ही काम किया करते हैं और इस जगती के जगत् का एक उदाहरण भाषा इन नियमों के चक्र के बाहर नहीं जा सकती। काल-भेद से एक ही भाषा को, अवस्थाओं के अनुसार, हम अनेक नाम देते आए हैं पर वह धारा एक ही है। एक ही धारा कहीं भागीरथी, कहीं गंगा तो कहीं हुगली हो जाती है। दर्शनकारों ने सवाल उठाया था कि साक्षर का बच्चा जब विकसित होता-होता दस साल का हो जाता है तब वह बड़ी रहता

हे या दूसरा हो जाता है ? उत्तर मिला था कि न हम यही कह सकते हैं कि वही है और न यही कह सकते हैं कि अन्य है । वह भी है और नहीं है और अन्य भी है और नहीं है । दार्शनिक ढंग से यही उत्तर भाषा के बारे में भी दिया जा सकता है ।

छठा अध्याय

विकास का मूल कारण

पिछले अध्याय में हम देख चुके हैं कि संसार की प्रत्येक अन्य वस्तु की तरह भाषा की भी निरंतर विकास होता रहता है, यह विकास ही सृष्टि के हर पदार्थ का नियम है। यह विकास गति और स्थिति के विचित्र संमिश्रण के रूप में प्रकट होता है। भाषा-विज्ञानियों ने इस विकास का मूल कारण भी ढूँढने का प्रयत्न किया है और इस संबंध में विविध विद्वानों के विविध मत हैं। सामान्य रूप से चार वाद उपस्थित किए जाते हैं।

पहला वाद

शारीरिक विभिन्नता—प्रत्येक मनुष्य दूसरे मनुष्य से शरीर के संस्थान की दृष्टि से भिन्न है, उसके उच्चारण के अवयवों की नाप तथा उसके मस्तिष्क की गुरुता दूसरे के अवयवों और मस्तिष्क से भिन्न है। जो शरीर विशालकाय जर्मन का है वह जापानी का नहीं, और जो मस्तिष्क आर्य ब्राह्मण के कंधे के ऊपर स्थित है वह पंचम जाति के अछूत का नहीं। इसी प्रकार इससे कम मात्रा में विभिन्नता एक ही जाति अथवा देश के विभिन्न व्यक्तियों में पाई जाती है। परमेश्वर ने कोई दो व्यक्ति समान नहीं बनाए।

शरीर-भेद के कारण भाषा-भेद होता है, यह वाद परीक्षा करने पर युक्तिसंगत नहीं जँचता। हमारे रोज़ के अनुभव की बात है कि एक ही समुदाय में बड़े क्रद के भी आदमी होते हैं और छोटे भी, मोटे भी और दुबले-पतले भी, बड़े सिर वाले भी, और छोटे सिर के भी, लंबे सिर वाले भी और गोल सिर वाले भी, पर इनके कारण समुदाय की भाषा में विभिन्नता नहीं आती। इसी बात को और संकुचित और सुश्लिष्ट क्षेत्र-परिवार में जांचें तो वहाँ भी वही परिणाम पाएंगे। संसर्ग का भेद न होने पर कन्नौज के ब्राह्मण से अपनी उत्पत्ति बताने वाला बंगाली ब्राह्मण और सीधे हज़रत मुहम्मद के इत्तानदान से सिलसिला जोड़ने वाला बंगाली मुसलमान बंगाल के किसी गांव में पैदा होकर और जन्म बिता कर एक ही बोली बोलता दिखाई देता है। जो महाराष्ट्र के ब्राह्मण कुमायूं में जा कर दो सौ वर्ष पहले बस गए थे उनके पौत्र-प्रपौत्र

आदि उतनी ही शुद्ध कुमाउनी बोलते हैं जितनी कि वहां बहुत पहले से रहने वाले क्षत्रिय अथवा डोम की संतान। गढ़वाल में कई पीढ़ी पूर्व आकर बसा हुआ चीनी परिवार उतनी ही सुंदर गढ़वाली का प्रयोग करता है जितनी कि कोई अन्य गढ़वाली। कोई-कोई हिंदुस्तानी परिवार विलायत में जा कर बस गए हैं और उनके बच्चे वहां शुद्ध अंगरेज़ी बोलते हैं। इसी प्रकार कोई-कोई हिंदुस्तानी अंगरेज़ में ब्याह कर ले आते हैं। इनके बच्चे भाषा की दृष्टि से पूर्णरूप से परिवार में खप जाते हैं। फिर शारीरिक भेद पर भाषा-भेद की निर्भरता कहां रही ?

दूसरा वाद

भूगोलिक विभिन्नता—कुछ विद्वानों का मत है कि भूगोलिक परिस्थिति के अनुसार भाषा में विभिन्नता आ जाती है। पहाड़ आदि ठंडे प्रदेशों के निवासी जाड़े के कारण उतना मुंह नहीं खोल सकते जितना कि मैदान वाले अथवा रेगिस्तान वाले मुंह ढके रखते हैं, इन कारणों से एक प्रकार की भूगोलिक स्थिति वाले प्रदेश की भाषा दूसरे प्रकार के प्रदेश की भाषा से भिन्न होती है। यही भाषा-विभेद का कारण है।

यह वाद भी तर्क की कसौटी पर खरा नहीं उतरता। एक बार जब भाषा प्रवाह में आ गई तो भूगोलिक परिस्थिति उसके बनाने या बिगाड़ने में सहायक या बाधक नहीं होती। और जो युक्ति इस वाद के पक्ष में दी जाती है वहीं इसके विपरीत बैठ सकती है। पहाड़ों और रेगिस्तानों के निवासी जलवायु की असुविधा के कारण ही तो ज़्यादा मज़बूत होते हैं, कठिन परिश्रम के आदी होते हैं फिर उन्हें मुंह खोलकर स्पष्ट उच्चारण करने में क्या दिक्कत होनी चाहिए ? और मैदानों के आदमी जलवायु के कारण शिथिल भी रहते हैं। ज़रूरी न होने के कारण कठिन मेहनत भी नहीं कर पाते। फिर मुंह खोलकर वे स्पष्ट उच्चारण क्यों करें ? वर्तमान भाषाओं की समीक्षा से भी यह परिणाम नहीं निकलता कि पहाड़ी अथवा रेगिस्तानी प्रदेशों की भाषा में और मैदानों की भाषा में, स्पष्टता अस्पष्टता आदि का कोई भेद है।

तीसरा वाद

जातीय मानसिक अवस्था-भेद—कुछ लोगों का विचार है कि किसी किसी जाति (अथवा राष्ट्र) की मानसिक अवस्था दूसरी जाति अथवा राष्ट्र की मानसिक अवस्था से ऊंची या नीची होती है और इसी कारण भाषा में भेद उत्पन्न होता है। उदाहरण के लिए जर्मन विद्वानों का मत है कि उनको भाषा में एक सौष्ठव

और गति है जो अंगरेजी आदि भाषाओं में नहीं है और उनकी राय से भाषा का यह सौष्ठव और यह गति उनकी जातीय मानसिक गति और सौष्ठव के कारण है। इसी प्रकार फ्रेंच भाषा में एक अद्भुत लालित्य है जो उस जाति की ललित मानसिक अवस्था का परिचायक है। इसी तरह कोई कह सकता है कि बंगाली भाषा में दुरुह सयुक्त व्यंजनों तथा मूर्धन्य व्यंजनों के अभाव से जो माधुर्य आता है वह उनके सौन्दर्यानुभव और स्त्रीत्व के प्रभाव का तथा भाषा की द्रुतगति उनके तेज़ दिग्गम के कारण है। और मद्रासी जो खटाखट कठिन से कठिन मूर्धन्य व्यंजन जल्दी जल्दी बोलता जाता है वह उसकी इस मानसिक अवस्था का परिचायक है कि वह विषम जलवायु की परिस्थिति में भी अपना काम सुगमता और खूबी से कर सकता है।

कोई भाषा अन्य भाषा की अपेक्षा अधिक द्रुतगति से विकसित होती है इसमें मूल कारण संगठन की शिथिलता, और सुश्लिष्टता की कमी ही होती है, किसी जाति की मानसिक अवस्था की उच्चता या नीचता नहीं। ऐसा देखा गया है कि यदि किसी देश में कई साल तक युद्ध जारी रहे जिसके कारण पुरुष अधिक संख्या में संग्राम में जुटे रहें और स्त्रियाँ अन्यान्य व्यवसायों में, तो उस समय भाषा में परिवर्तन की गति द्रुत हो जाती है। इसका कारण यही है कि सीखने वाली, बच्चों की पीढ़ी पर यथेष्ट नियन्त्रण नहीं रह पाता और इस प्रकार संगठन की कमी आ जाती है। यह भी संभव है कि राजनीतिक, सामाजिक आदि परिस्थितियों के कारण, युद्ध न होने पर भी, स्वतन्त्रता और निरंकुशता की लहर युवक वर्ग में फैल जाय और अन्य क्षेत्रों की तरह भाषा के क्षेत्र में भी फैल जाय; उस समय भी भाषा में परिवर्तनों की गति के द्रुत होने की संभावना है क्योंकि बच्चे और लड़के लड़कियाँ भाषा के संशोधनों की परवाह न करेंगे और अध्यापक तथा माता पिता खीज कर रह जायेंगे। भाषा के प्रवाह में द्रुत और विलम्बित गति रहती है और यह भी समझ में आता है कि आपेक्षिक दृष्टि से किसी भाषा में दूसरी की अपेक्षा द्रुत या विलम्बित गति हो। पर इसके मूल कारण केवल जातीय मानसिक अवस्था को ही समझना ठीक नहीं मालूम होता। सौष्ठव, लालित्य और माधुर्य आदि गुणों की मर्यादा तो अपनी अपनी रीति पर निर्भर है। जिस चीज़ को जर्मन अपनी भाषा का सौष्ठव कहता है उसी को अंग्रेज़ या फ्रेंच रूढ़ता के नाम से पुकारता है। बंगाली जिसको अपनी भाषा की सुन्दरता कहता है उसी को पंजाबी जनानापन कह कर हँसी उड़ा सकता है। भारतीय संस्कृति वाले को संस्कृत के जो पद ललित और सुरस जान पड़ते हैं वही पद इसी देश के निवासी को जो विदेशी संस्कृति के पालने पर भुलाया गया

है, करीह नज़र आते हैं। दसवीं सदी के महाकवि राजशेखर के मत से ‘संस्कृत की रचना रूक्त और प्राकृत की सुकुमार है। पुरुष और महिला में जितना अन्तर है उतना इन दोनों में है’ किन्तु आज जब हम प्राकृत की टवर्गध्वनि-प्रचुरता देखते हैं तब हमें कवि की इस उक्ति में सन्देह होने लगता है। फ़ारसी की एक कहावत का अर्थ है—‘फ़ारसी मधुर भाषा है।’ इस प्रकार हर एक को अपनी अपनी भाषा में गुण और अन्यों की भाषा में अपेक्षाकृत अवगुण दिखाई देते हैं और इस क्षेत्र में भी हमें तुलसीदास की यह अनुभूति याद आ जाती है—

निज कवित्त केहि ज्ञाग न नीका । सरस होउ अथवा अति फीका ।

चौथा वाद

प्रयत्न-लाघव—मनुष्य का स्वभाव है कि अपने प्रयोजन की सिद्धि के लिए, लक्ष्य तक पहुँचने के लिए कम से कम प्रयत्न करे और यदि एक ही जगह पहुँचने के लिए दो मार्ग हों तो छोटी-मोटी बाधाओं की भी पर्वाह न करे। पहाड़ पर रोज़ ही का अनुभव है कि चक्करदार चौड़ी सड़क को छोड़ कर ऊबड़-खाबड़ पगडंडी पर ही अधिक लोग चढ़ कर रास्ता और समय की बचत कर लेते हैं। फाटक पर ‘आम रास्ता नहीं’ का नोटिस मोटे अक्षरों में टँगे होने पर भी यदि आप के बंगले से कहीं जाने का सीधा रास्ता मिलता है तो आपकी नज़र बचा कर लोग आपके बंगले में हो कर जाने की अनधिकार चेष्टा करेंगे ही। और गावों में मेढ़-मेढ़ न चल कर बोए हुए खेतों को रौंद कर जाने वालों की शिकायत और ऊपर से गाली-गलौज की बौछार हुआ ही करती है। कुली को छुः पैसे की जगह अग्रर चार ही पैसे देने पर वह चला जाय तो कौन समझदार आदमी दो पैसे की बचत कर लेना न चाहेगा ? केवल परीक्षा में पास हो जाने को ही अपना परम लक्ष्य रखने वाले विद्यार्थी को महत्त्व के ही अंशों पर निर्भर रहने और ग्रंथों के शेष अंश छोड़ जाने से कौन अध्यापक रोक सकता है ? इस प्रकार जिधर भी निगाह डाली जाय हमें मनुष्य के कार्यों में प्रयत्न की बचत करने का सिद्धांत मनोवृत्ति में अंतर्निहित दिखाई देता है। यही सिद्धांत भाषा के परिवर्तनों के मूल में भी हो सकता है।

प्रयत्न-लाघव का यह सिद्धांत तरह-तरह से भाषा में काम करता हुआ दिखाई देता है। और कहीं एक चीज़ में प्रयत्न-लाघव कर के दूसरी में प्रयत्न-वृद्धि से ही सुविधा मालूम होती है। सुविधा ही प्रयत्न-लाघव की जड़ है।

भाषा के वे अंश जो बहुधा प्रयोग में आते हैं उनका मूल अंश तो रह जाता है किंतु शरीर विकल हो जाता है। अभिवादन के शब्द, व्यक्तियों के नाम, सर्वनाम,

बहुव्यवहृत अव्यय इत्यादि में काफ़ी विकार होने पर भी मूल स्थित रहता है । इसका कारण यही है कि बहुव्यवहार के कारण इनका अस्तित्व मस्तक मे निश्चित स्थान प्राप्त कर लेता है पर प्रयोग की अधिकता के कारण इनको अंशरूप से बोलने से ही काम चल जाता है । शास्त्र में दंडवत् प्रणिपात करके गुरु को अभिवादन करने का विधान दिया है और अनुमान है कि रघुवंश के निर्माता के काल मे ऐसी प्रथा भी थी । धीरे-धीरे सारी देह को ज़मीन पर न टिका कर केवल दोनों हाथों को जोड़ कर टिकाने का प्रयत्न-लाघव किया गया । इस के लिए शरीर को झुकाना तो पड़ता ही था । फिर ज़मीन तक हाथों को न ले जाने की प्रथा चल पड़ी होगी । यह प्रयत्न-लाघव की दूसरी अवस्था आई । और तीसरी अवस्था थी अपने सिर को थोड़ा झुका कर अंजलि उस पर टेक देना । और अब गुरु के अभिवादन की चरम सीमा बिना शरीर का कोई भी अवयव झुकाए हाथ जोड़ देना; और कभी-कभी यह हाथ मस्तक के ठीक सामने न आकर दाएं या बाएं कंधे के सामने ही दिखाई पड़ते हैं जिससे दंडवत् प्रणिपात की तो नहीं हा दंडवत् प्रहार की मुद्रा की आशंका होती है । इसी प्रकार बंदगी करने का पुराना ढंग यह था कि शरीर को काफ़ी झुका कर दाहिने हाथ को अपने मस्तक पर ले जाकर अर्ज करना और इसकी चरम सीमा आज यह है कि हाथ (कभी कभी बाया भी) मस्तक तक जाता है जिस से यह आशंका होती है कि मस्तक पर बैठे हुई मक्खी को उड़ा देने का उद्योग तो नहीं है । इसी प्रकार भाषा के भी प्रयत्न-लाघव के उदाहरण हैं—

अपर > अपर > अउर > और > औ > अ

ततः > तत्रो > तउ > उ

खलु > क्लु > हु > उ

साहव > साब

जय रामजी की > जय राम > जय

हुज़ूर > जुर

बाबू > बाउ

बाप साहब > बा साब; मास्टर साहब > माट साब

भाई > भइ

धीरेन्द्र > धीरेन; रामेश्वर > रामेसुर; गोपीकृष्ण > गोपी; कृष्णमानसिंह >

कृष्णा आदि । अथवा हीराबल्लभ दादा > हिरदा, पद्मादत्त दादा > पद्दा, सुवीरा > सुइरा

अस्ति > अत्थि > आथि > आहि > हइ > है

वर्तते > वट्टइ > बाटइ

त्वया > तुइ, तू

मया > मइ, मै

स्वराघात और भावातिरेक में भी भाषा में परिवर्तन होता है और इसके मूल में भी सुविधाजन्य प्रयत्न-लाभ है। स्वराघात के समय हम किसी विशेष अक्षर पर अधिक प्राणशक्ति खर्च कर देते हैं जिसका नतीजा यह होता है कि उस अक्षर का अस्तित्व तो दृढ़तर हो जाता है पर पास-पड़ोस के अक्षर कमज़ोर पड़ जाते हैं और एक-आध उन में से गायब भी हो जायं तो अक्षरज नहीं। प्राचीन 'अलाबु' शब्द के वर्तमान दो रूप आल् (मालवी) और लौकी (हिंदी) मिलते हैं। इन में आल् उस प्राकृत से आया हुआ रूप है जिस में स्वराघात प्रथम अक्षर पर था और लौ (की) उसका जिसमें स्वराघात उपधा के अक्षर पर था। इसी प्रकार भावातिरेक में भी भाषा में परिवर्तन आ जाता है। बच्चे के पांव को दुलार में पड़ैयाँ और गाल को गल्लू कहने लगते हैं। ब्रजनारी की बांह का बँहियाँ रूप मोहक मोहन के अतिशय प्रेम का ही द्योतक हो सकता है। इसी प्रकार गुस्से में रामेश्वर का रमसुरा हो जाना अथवा कल्लू का कलुआ हो जाना स्वाभाविक है। अतिशय प्रेमातिरेक में भी मनुष्य अपने स्निग्ध जनों के नाम बिगाड़ (?) कर बोलता है— बहू का बहुरिया, ननद का ननँदिया, भौजाई का भौजइया आदि रूप स्नेह का सूचक है। कभी-कभी ज़ोर देने के लिए स्वर अथवा व्यंजन की मात्रा दीर्घ हो जाती है— नदी (नदी), बबू (बाबू) आदि उदाहरण हैं। इन्हीं में से एकाध कारण शब्दों के वर्धित रूपों के मूल में हैं—संयुक्तप्रात के पूर्वी जिलों में संशान्तों को बढ़ा कर बोला जाता है यथा, लोटवा, घोडवा; कुतवा कुतउना, सुअना आदि। दिल्ली की तरफ़ है की जगह हैगा, है की जगह हैगे का प्रयोग भी ज़ोर देने की भाषा का उदाहरण है।

बड़े-बड़े शब्दों के पूरे रूप का उच्चारण न करके उनके आदि के अक्षरों का अथवा समस्त शब्द के प्रथम पद को ही बोल कर काम निकालना भी प्रयत्न-लाभ के सिद्धांत का ही उदाहरण है। इक्का (-गाड़ी), कापी (-बुक), ब्लार्टिंग (-पेपर), जोड़ी (घोड़ों आदि की), मोटर (कार) तथा वी० सी० (वाइसचैंसलर), डी० सी० (डिप्टी कमिश्नर), सुदि (शुक्र दिवस-शुक्र पक्ष का दिन अर्थात् तिथि), बदि (बहुल-कृष्ण-दिन, कृष्णपक्ष का दिन अर्थात् तिथि) आदि तथा अंग्रेज़ी एन्० सी० ओ०, एस० डी० ओ०, एस० ओ० आदि इसके उदाहरण हैं।

(बोलते समय प्रयत्न-लाभ की दृष्टि से मन बहुधा आगे की ध्वनियों पर दीढ़

जाता है और इसके कारण तरह-तरह के ध्वनि-विपर्यय भाषा में आ जाते हैं। सामान्य रीति से नीचे लिखे प्रकार देखे गए हैं।

(१) परस्पर-विनिमय (metathesis) जिन पदों में स्, र या ल् की ध्वनि रहती है उनमें विशेष रूप से यह देखा गया है। यह विनिमय कभी दो ध्वनियों में ही होता है और कभी संपूर्ण अक्षरों में। और यह परिवर्तन पहले-पहल बच्चों और अज्ञों की बोली से आरंभ होता है और नियंत्रण न होने पर टिक जाता है। सं० नारिकेल तथा नालिकेर, हिंदी के नखलज (लखनज), डूबना (बूड़ना), कुलफ़ी (कुफ़ली), अरमूद (अमरूद), चिह्न > चिन्ह, मतबल (मतलब), नहाना < हनाना, तकुआ < कतुआ, बसक (बकस), जवेली (जलेबी), और सस्कृत का वल्मीक (वैदिक वम्री, वम्र) तथा अंग्रेज़ी थर्ड (थ्रिड्ड), ऑक्स (ऑस्क), वॉप्स (वॉस्प), अवे० वफ्र (स० वप्र) > फा० बर्फ़ इसी के उदाहरण हैं। दो तीन ध्वनियाँ यदि पास ही पास लगातार आवें तो इस भूल की सभावना अधिक रहती है। बचपन में बहुधा इस प्रकार के वाक्यों के उच्चारण का अभ्यास खिलवाड़ में ही हो जाता है, उदाहरणार्थ—

तौ तचतइ तचत तौ तचिहैं।

(२) ध्वनि लोप या अक्षर-लोप (syncope & haplogvy)—जब दो समान ध्वनियाँ या समान अक्षर पास ही पास आते हैं तब प्रयत्न-लाघव में अन-जान में ही उनमें से एक का लोप हो जाता है, यथा सं० राज्ञा < राजन् + आ (राजन् + आ), सं० जहि < जहीहि, सं० मधुघ < मधुदुघ, सं० वृथा < वृत + था, पा० अप्पतिस्सवासो < अप्पतिस्सववासो, अवे० बिलइया < बिलालिआ < विडालिका, तथा अ० एटीन (eighteen < eahtatiene.)।

(३) समीकरण (assimilation)—जब दो किञ्चित् विभिन्न ध्वनियाँ पास-पास आती हैं तो प्रयत्न-लाघव से वह दोनों सम हो जाती हैं। यह समीकरण दो प्रकार का होता है—(क) जब मस्तिष्क एक ध्वनि पर आधा ही ठहरा था तभी अगली ध्वनि आ धमकी और उसने पिछली ध्वनि को सम कर लिया, अथवा (ख) मस्तिष्क एक ध्वनि पर जमा हुआ है और उसी समय आगे आने वाली ध्वनि का आभास आ गया तब पिछली ध्वनि ही आगे आने वाली ध्वनि को अपनी-सी कर लेती है। इस प्रकार जब परवर्ती ध्वनि पूर्ववर्ती के समान हो जाय तो उसे पुरोगामी समीकरण (progressive assimilation) और जब पूर्ववर्ती ध्वनि परवर्ती के समान हो जाय तो उसे पश्चगामी समीकरण (regressive assimilation) कहते हैं। किसी शब्द में इन दो समीकरणों में से कौन-सा होगा

पह बात प्रायः सदा ही उन दोनों ध्वनियों के आपेक्षिक बल पर निर्भर होती है और बलवती ध्वनि सदा निर्बल को दबा देती है। उदाहरणार्थ—

(क) पुरोगामी—सं० लग्न>प्रा० लग्ग, स्त्रुणोति, दष्टम्, सं० अग्नि>प्रा० अग्गि।

(ख) पश्चगामी—सं० भक्त>प्रा० भत्त, सं० सर्प>प्रा० सप्प, सं० वल्कल>प्रा० वक्कल, सं० चतुष्क>प्रा० चउक्क, सं० दुग्ध>प्रा० दुद्ध, सं० असूया>प्रा० उसूया, सं० इक्षु>प्रा० उक्खु, हि० मार डाला>माडाला, हि० चोर ले गया>चोल्ले गया, हि० उँगली<सं० अगुलि।

उच्चारण की सुविधा की दृष्टि से और कई प्रकार के प्रयत्न-लाघव देखे गए हैं। जब हम कोई उच्चारण क्रम से करते हैं और उस क्रम में बीच में कोई अवयव विषम बैठता है तब उसको भी क्रम में सम कर लेने की प्रवृत्ति होती है यथा गिनती गिनते समय तैंतालीस और पैतालीस के बीच के विषम चौआलीस का चौतालीस हो जाना, अथवा तिरपन और पचपन के बीच चौअन का चौपन हो जाना समझ में आता है।

(४) विषमोकरण (aissimilation) कभी-कभी पार्ववर्ती सम ध्वनियों के उच्चारण में असुविधा जान पड़ती है तब प्रयत्नलाघव के लिए उनको विषम (परस्पर भिन्न) कर लेते हैं, यथा सं० पक्क>प्रा० पिक्क, सं० मुकुट>प्रा० मउड>हि० मौर, सं० मुकुल>प्रा० मउल>हि० बौर; श्रथ् धातु से सं० शब्द श्रिथिर बनना चाहिए पर उससे * श्रिथिल के द्वारा शिथिल हुआ।

(५) संयुक्ताक्षरों के बोलने में विशेष प्रयत्नशील रहने की ज़रूरत होती है जिस असुविधा को हटाने के लिए मन अपने आप उस संयोग को, बीच में और कोई ध्वनि झाकर, दूर कर देता है और दो व्यंजनों के संयोग को दूर करने के लिए एक छोटा-सा स्वर ला धरता है। संस्कृत से प्राकृतों में विकास होते समय इस प्रवृत्ति के बहुतेरे उदाहरण मिलते हैं, सं० रल्ल>प्रा० रदल्ल, सं० कृष्ण>प्रा० कसण्ण; इसी प्रकार भक्त>भगत्त, इन्द्र>इन्दर, प्रसाद>परसाद। संस्कृत शब्दों का पंजाबी लोगों के मुख से उच्चारण आज भी इसके बहुत से उदाहरण उपस्थित करता है। इस प्रकार दो व्यंजनों के बीच स्वर रख देने को स्वरभक्ति (anaptyxis) कहते हैं। दो संयुक्त ध्वनियों के बीच में स्वर ही नहीं, कभी-कभी व्यंजन (बहुधा ह् या न्) भी ले आते हैं यथा हि० तैरना का उच्चारण तहेरना, प्रा० वृक्क>हि० बाका, सं० दर्शन>प्रा० दत्सन>प्रा० दसन।

(६) बोलते समय आरम्भ में ही कोई ऐसी ध्वनि आ जाती है या संयुक्ताक्षर आ

जाता है जिसके उच्चारण में कठिनता मालूम होती है तब उस शब्द के पूर्व ही कोई स्वर अनजान ही आकर सहायता करता है। स्त, स्त्र, स्न आदि संयुक्ताक्षर प्राकृत काल से ही उच्चारण में दुख देते रहे हैं; इसी कारण प्राकृत का इत्थी<सं० स्त्री मिलता है। आज भी स्त्री, स्नान, स्कूल, स्टेशन को हम इस्त्री, अस्नान, इस्कूल, इस्टेशन कहते हैं और पंजाबी भाई स्वरभक्ति का सहारा लेकर सरणाण, सकूल, सटेशन बोलते हैं। र ध्वनि भी शब्द के आरंभ में कठिन प्रतीत होती है, इसी लिए कुछ लोगों के उच्चारण में राम का अराम सुनाई देता है यद्यपि वे यही समझते हैं कि हम राम ही कह रहे हैं। सुविधा के इस प्रयोग को अग्रगम (prothesis) कहते हैं।

बोलते समय एक ही विचार के वाचक दो शब्द कभी-कभी एक साथ मस्तिष्क में उद्बोधित हो जाते हैं और परिणाम-स्वरूप दोनों के सम्मिश्रण से (जिसमें एक का आग्रह और दूसरे का अंतिमांश होता है) एक नया ही शब्द बन जाता है। प्राकृत देक्स् - <दिसइ तथा पेक्स्इ के मेल से, अव० फिन<फिर और पुनि के मेल से, पा० दुवे और उभय के मेल से दुभय आदि रूप उदाहरण हैं।

जिस प्रकार समानार्थक दो शब्दों के सम्मिश्रण से नया ही शब्द बन जाता है उसी प्रकार वाक्य में दो वैकल्पिक विन्यासों के कारण नया ही भ्रौत विन्यास हो जाता है। प्राकृत (बोलचाल की) भाषाओं में बहुधा इसके उदाहरण मिलते हैं। सकर्मक, अकर्मक प्रयोगों तथा कर्तृवाच्य कर्मवाच्य आदि के व्यवहार में यह भूल अधिकारा में देखी जाती है। गुलत परसर्ग के प्रयोग में भी यही बात मूल में है। उदाहरणार्थ—
पा० तुर्हेहि खादितब्बाहारतो दव्वा खादेय्याथ (ससजातक)।

हि० हमने गए (हम गए), हम देखे (हमने देखा), हम लकड़ी तोरी (हमने लकड़ियां तोड़ी)।

विदेशी शब्दों के अंगीकार करने में जो परिवर्तन स्वाभाविक रीति से हो जाते हैं वे भी प्रयत्न-लाघव के कारण ही होते हैं। गरीब>गरीब, सिग्नल>सिंगल, प्वाइंट्ज़्मैन>पैटमन, वक्त>बखत, टाइम>टेम, गार्ड>गारद, हॉस्पिटल्>अस्पताल, फ़ा० रास्ता>अव० रस्ता, फ़ा० बस्ती>अव० बहत्ती आदि इसी के उदाहरण हैं। हिंदू-विश्वविद्यालय का आर्ट्स् कालेज इसके-तांगे वालों के मुख से आठ कालेज हो गया और बाद को जो सायस् कालेज बना उसका नाम उच्चारण की शुद्धता स्वरूप आठ कालेज के बहान पर नौ कालेज बन गया। प्रयाग में युनिवर्सिटी को प्रायः तांगे वाले अनवरसिटी कहते हैं। पूर्व काल के स्वदेशी शब्द भी २२ काल में तत्कालीन शब्दों के मेल-जोल में बदल से जाते हैं, अवध की अपठ

गाने वालियों के मुख से मंगलाचार की जगह मंगलाचारि सुना गया है क्योंकि चारि (संख्यावाचक) शब्द पूर्व-परिचित था ।

संस्कृत भाषा की संधियों के प्रायः सभी नियम सुविधा अर्थात् प्रयत्न-लाघव के द्वारा ही भाषा में आए होंगे । हर भाषा के कोष में थोड़े-बहुत विदेशी शब्द पूर्ण रूप से घुली-मिली अवस्था में रहते हैं ।

आठवां अध्याय ध्वनियों का वर्गीकरण

प्राचीन काल से ही ध्वनियों के प्रायः दो वर्ग चले आए हैं—स्वर और व्यंजन और स्वर से तात्पर्य है उस ध्वनि से जो स्वतः बिना किसी अन्य ध्वनि की सहायता के बोली जा सके और अक्षर बनाने की सामर्थ्य रखती हो, तथा व्यंजन वह ध्वनि है जिसका स्वतः उच्चारण न हो सके और स्वयं स्वर की मदद के बिना अक्षर न बना सके। स्वर और व्यंजन के यह लक्षण भी प्राचीन काल से व्याकरणों में चले आए हैं।

ध्वनि-विज्ञान के आधुनिक अनुसंधान से पता चला है कि स्वर और व्यंजन के यह लक्षण सर्वांश में ठीक नहीं। व्यंजन का भी स्वतः, बिना किसी स्वर की सहायता के, उच्चारण संभव है यह प्रयोगों से सिद्ध हो चुका है। स, ल् आदि अकेली ध्वनियों को यदि हम सावधानी से बोलें तो बिना स्वर की किंचित् भी मात्रा लाए इन्हें बोल सकते हैं; यह और बात है कि इन अकेली ध्वनियों का कोई अभिप्राय न हो। और संयुक्त व्यंजन अक्षर भी बना सकते हैं, यथा अंगरेज़ी के गॉ-डन् (garden) और बॉ-ट्ल (bottle) शब्दों के द्वितीय अक्षरों (डन् और ट्ल्) में कोई स्वर नहीं है तब भी वे अक्षर बन गए हैं। इनमें न् और ल् वर्णों ने अक्षर बनाने में सहायता दी है।

ध्वनि-विज्ञान के अनुसार स्वर वह सघोष ध्वनि है जिसके उच्चारण में श्वास-नालिका से आती हुई श्वास धारा-प्रवाह से अबाध गति से मुख से निकलती जाती है और मुख-विवर में ऐसा कोई संकोच नहीं होता कि किंचिन्मात्र भी संघर्ष या स्पर्श हो। सानुनासिक स्वरों में श्वास की कुछ मात्रा नासिका-विवर से भी अबाध गति से निकलती रहती है। शेष सभी ध्वनियां व्यंजन हैं। व्यंजन वह सघोष या अघोष ध्वनि है जिसके मुख-विवर से निकलने में पूर्ण रूप से अथवा कुछ मात्रा में बाधा उत्पन्न होती है। इस प्रकार स्वर और व्यंजन के बीच का स्थूल भेदक लक्षण श्वास की गति का अबाध या सबाध होना है। किन्हीं-किन्हीं व्यंजनों में और उनके तद्रूप स्वरों में भेद की भित्ति बहुत अल्प है। वैदिक पूर्व भाषा में छः अंतःस्थ ध्वनियां थीं जो शब्द में अपने स्थान के अनुसार ही स्वर या व्यंजन की संज्ञा पाती थीं। उस


समय व्यंजन रूप में यह *य्, र्, ल्, व्, म्, न्* थीं और स्वर रूप में *इ, ऋ, लृ, उ* तथा स्वर *म्* और स्वर *न्* थीं। वैदिक तथा उत्तरकालीन संस्कृत में अंतिम दो स्वर (*म्* और *न्*) विलुप्त हो गए और इनके स्थान पर *अ* का आदेश हो गया, उदाहरणार्थ *गम्* और *मन्* धातुओं के क्त प्रत्ययात् रूप *गत (ग् + अ + त् + अ)* और *मत (म् + अ + त् + अ)* बनते हैं पर होने चाहिए थे (*ग् + म् + त् + अ*) और (*म् + न् + त् + अ*)। इन स्वर *म्* और *न्* की ध्वनि संभवतः उन *म्* और *न्* स्वरो की-सी रही होगी जो अगरेज़ी आदि भाषाओं में आज कल भी स्वर का काम देते हैं। संस्कृत के बाक़ी चार अन्तःस्थ स्वरो में से भी *लृ* और *कुछ* समय बाद *ऋ* का भी लोप हो गया। *य्* और *व्* व्यंजन रूप में बहुत कमज़ोर पड़ गईं। सारांश यह कि वाक्य की ध्वनियों में *कुछ* का स्वरत्व या व्यंजनत्व वाक्य की ध्वनियों में उनके विशेष स्थान पर ही निर्भर है।

स्वरों के उच्चारण में जीभ का कोई न कोई भाग थोड़ा या बहुत ऊपर को उठता है और इसके अनुसार स्वरों में अग्र, मध्य और पश्च का भेद किया जाता है। फिर श्वास के निकलने के लिए मुख आपेक्षिक दृष्टि से बहुत या कम खुलता है, इस दृष्टि से स्वरों की संज्ञा, विवृत, अर्धविवृत, अर्धसंवृत, तथा संवृत होती है। ध्वनि-विज्ञान में चार अग्र स्वर और चार पश्च स्वर मूलरूप माने गए हैं—

अग्र

मध्य

पश्च



संवृत (१ और ८) उच्चारण की वह आदर्श अवस्था है जिसमें जिह्वा का अग्र भाग ऊँचे से ऊँचा उठ सकता है और स्वरत्व कायम रहता है, इससे ज़रा भी

ऊँचा उठा कि स्पर्श या संघर्ष उत्पन्न होकर व्यंजनत्व प्राप्त हो जायगा। विवृत (४ और ५) उच्चारण की वह अवस्था है जिसमें मुख-विवर अधिक से अधिक खुल सकता है, इस से अधिक की संभावना नहीं। अर्धसंवृत (२ और ७) और अर्धविवृत (३ और ६) संवृति और विवृति के क्रम से इनके बीच की अवस्थाएँ हैं। विभिन्न भाषाओं के स्वरों का विवरण देने के लिए यह आठ स्वर आदर्श माने गए हैं और जिस प्रकार किसी गाव में सरकारी (सर्वे) नाप विभाग द्वारा कुछ खूटे गाड़ दिए जायँ और उनकी दूरता और निकटता का उल्लेख करके प्रत्येक गृहस्थ अपने अपने घर का निश्चित स्थान बता सकता है कि अमुक खूटे से इतने गज़ पूरब, पच्छिम, उत्तर, दक्खिन में स्थित है, इसी प्रकार इन मूल स्वरों के उल्लेख से विशिष्ट भाषाओं का वैज्ञानिक अध्ययन करने वाले विद्वान उन भाषाओं के स्वरों का विवरण दे सकते हैं। उदाहरण के लिए हिन्दी का ई स्वर संवृति में मूल स्वर नं० १ से कुछ कम है और उसका आ स्वर मूलस्वर नं० ५ के निकट है और पश्चस्वर है न कि अग्रस्वर।

अग्रस्वरों के उच्चारण में ओठ प्रायः न० ४ से लेकर नं० १ तक उत्तरोत्तर फैलते ही जाते हैं और पश्चस्वरों के उच्चारण में नं० ५ से नं० ८ तक अधिकाधिक गोलाकार होते जाते हैं। पर जर्मन, फ्रेंच आदि भाषाओं में ऐसे भी स्वर हैं जिनके अग्र होते हुए भी उच्चारण में ओठ गोलाकार होते हैं और पश्च होने पर भी उच्चारण में ओठ कोनों की तरफ फैलते हैं।

व्यंजनों का वर्गीकरण स्थान और प्रयत्न के भेद के कारण होता है। स्वर यन्त्र में उत्पन्न घोष के कारण व्यंजन सघोष और अघोष कहे जाते हैं। सघोष व्यंजन के भी दो भेद हैं—पूर्ण सघोष, अपूर्ण सघोष। पूर्ण सघोष वह व्यंजन होता है जिसके उच्चारण में जिस समय जिह्वा उस स्थान पर पहुँच जाती है जहाँ से उस व्यंजन का उच्चारण होता है उस समय से जब तक उस व्यंजन का उच्चारण समाप्त नहीं होत तब तक बराबर घोष जारी रहता है और अपूर्ण सघोष व्यंजन में बराबर जारी नहीं रहता, उच्चारण के आदि भाग, मध्य भाग या अन्त भाग में होता है। उदाहरण के लिए अंगरेज़ी की ब् अपूर्ण सघोष है (क्योंकि इसके उच्चारण के अन्तिम भाग में ही घोष रहता है) और हिन्दी की पूर्ण सघोष।

स्थान के अनुसार व्यंजन द्वयोष्ठ्य (पू आदि), दन्तोष्ठ्य (व्), दन्त्य (त आदि), बन्धु (श्), सान्द्र्य (कठोर तालु वाले ट् आदि उत्तर भारत के), मूर्धन्य (दक्षिण भारत के ट् आदि), कंठ्य (कोमल तालु वाले क आदि), अलिङ्गीय (ग्ल्), उपालिङ्गीय (pharyngeal) अरबी बड़ी है और ऐन ह्, अ), तथा स्वरकण्ठ स्थानीय (ह्) होते हैं। इनके भी सूक्ष्म भेद किए जा सकते हैं। उदाहरण के लिए

दाँतों के अग्र, मध्य और पश्च भाग के स्पर्श के अनुसार अग्रदन्त्य, मध्यदन्त्य और पश्चदन्त्य होते हैं।

प्रयत्न के अनुसार व्यंजनों के स्पर्श (क् आदि), संघर्षी (स् आदि), स्पर्श-संघर्षी (च् आदि), पार्श्विक (ल्) लोडित (र्), उच्चिस (ड्) आदि भेद होते हैं। इनमें से भी बहुतों के सूक्ष्म प्रभेद हा सकते हैं। उदाहरणार्थ स्पर्श व्यंजनों के वहिः-स्फोटात्मक (जैसे हिंदी के) अतः स्फोटात्मक (सिधी की ज्, ब्) तथा उत्क्षेपात्मक प्रभेद होते हैं। प्रथम में श्वास स्पर्श हटते ही फट् से बाहर निकल जाती है, द्वितीय में बाहर निकलने के पूर्व श्वास को अंदर की ओर चूसने का-सा भाव होता है और तृतीय में एकत्रित की हुई श्वास को ढकेल फेकने का सा भाव होता है। क्लिक ध्वनिया भी विशेष प्रयत्न से दंत, वर्त्स, तालु आदि स्थानों पर उच्चारण की जाती हैं। हिंदी आदि भारतीय भाषाओं में इनका प्रयोग करुणा आदि भावातिरेक को व्यक्त करने के लिए होता है पर अफ्रीका आदि कुछ विदेशों में भाषा में उनका उसी प्रकार प्रयोग होता है जैसे अपनी भाषाओं में स्पर्श आदि ध्वनियों का।

स्थानभेद का विचार करते समय नासिका का भी उल्लेख अभीष्ट है। स्पर्श व्यंजनों में दन्त्य आदि के उच्चारण में जब कुछ श्वास नाक से भी निकलती है तब न, म, ण आदि सानुनासिक व्यंजनों का उच्चारण होता है। इस प्रकार ब और म के उच्चारण में केवल इतना भेद है कि ब् के उच्चारण में सम्पूर्ण श्वास मुख से ही निकल जाती है और म् के में कुछ भाग नाक से भी निकल जाता है। प्राचीन भारतीय भाषाविज्ञानियों के अनुसार, अनुस्वार का स्थान केवल नासिका बताया गया है। यह ध्वनि आधुनिक भारतीय भाषाओं में नहीं मिलती जहां हम इसका संकेत लिखते हैं वहां उच्चारण में कोई न कोई पंचमाक्षर उपस्थित रहता है। प्राचीन भाषा के विषय में ऐसा अनुमान होता है कि शब्द की ध्वनियों के मौखिक उच्चारण के उपरांत नासिका-विवर से शेष श्वास स्वतंत्र (और आपेक्षिक दृष्टि से पूर्वापर ध्वनियों से असंबद्ध) रूप से निकलती थी और यही अनुस्वार था।

य् और व् के दो रूप भाषाओं में मिलते हैं एक तो पूर्ण व्यंजन रूप जो शब्द के आदि में या किसी अन्य व्यंजन के उपरांत आता है और दूसरा श्रुतिरूप जो दो स्वरों के बीच में (यथा गया, हुवा) विशेष कर क्रमशः इकार और उकार के उपरांत आता है। इनका श्रुतिरूप बहुत थोड़ी मात्रा का होता है। यदि यह ध्वनियां कहीं दो व्यंजनों या व्यंजन और स्वर के बीच में आवे तब तो तद्रूप स्वर (इ और उ) का रूप ग्रहण कर लेती हैं। साहित्यिक का वास्तविक उच्चारण साहित्यिक ही है अन्य कल नहीं और इसी प्रकार यदि कोई शब्द धात्वक बनता तो उसका उच्चा-

रण धातुक ही होता और कुल्ल नहीं ।

प्राचीन भाषाविज्ञानियों ने स्पर्श व्यंजनों के दो भेद और माने हैं—अल्प-प्राण और महाप्राण । आपेक्षिक दृष्टि से ही अल्पता और महत्ता का प्रश्न है । ऐसा जान पड़ता है कि उस समय क्, ग् आदि का एक साधारण प्राण के साथ उच्चारण था और एक अधिक प्राणशक्ति के साथ । आज भी अगरेज़ी आदि भाषाओं में जहा महाप्राणत्व बलाघात के रूप में प्रकट होता है बलाघातयुक्त क् ध्वनि ख् सी सुनाई देती है, जैसे खात्र (Cai) और खाट (Cart) में । प्राचीन संस्कृत की ख्, घ्, ठ्, ड् आदि ध्वनिया इसी प्रकार की महाप्राणत्व प्राप्त ध्वनिया रही होगी । उत्तर काल में तो भारतीय भाषाओं में ख्, घ् आदि ध्वनिया केवल संयुक्त ध्वनिया (क्+ह्, ग्+ह्) हो गईं और म्ह्, न्ह्, ल्ह्, र्ह्, ड्ह् (ड्ह्+ह्) आदि संयुक्त ध्वनियों की श्रेणी में आ गईं ।

इस स्थान पर एक बात का और विचार कर लेना चाहिए । ध्वनियों के उच्चारण में कभी-कभी एक मुख्य स्थान होता है और साथ ही साथ युगपत् एक गौण स्थान भी हो सकता है । स्वरो के विवरण में हम देख चुके हैं कि अग्र स्वरों के उच्चारण में प्रायः ओठों का फैलना गौण रूप से मौजूद रहता है । इसी प्रकार व्यंजनों के उच्चारण में भी मुख्य स्थान कोई एक हो और गौणरूप से अन्य स्थान भी सहायता करता रहे । ऐसी अवस्था में ध्वनि का व्यक्तित्व अनुकरण रहेगा, वह संयुक्तत्व को प्राप्त हुई नहीं कही जा सकती । उदाहरण के लिए, वैदिक पूर्व आर्य-भाषा में ओष्ठ्य गौणत्व प्राप्त कवर्ग और तालव्य गौणत्व प्राप्त कवर्ग के पृथक् पृथक् अस्तित्व का अनुमान किया जाता है । संस्कृत के वय्याकरण चवर्ग को स्पर्श वर्ण मानते आए हैं और पद-रचना में क् और च् का व्यत्यय (पाक-पचिति; जलयुक्-जलयुचौ) बराबर देखा जाता है । आधुनिक भाषाओं के उच्चारण में चवर्ग की ध्वनियां स्पर्श-संघर्षी हैं, केवल स्पर्श नहीं । इस विषमता की उपस्थिति में ऐसा अनुमान होता है कि वैदिक भाषा का चवर्ग कवर्ग का ही तालव्य गौणत्व प्राप्त रूप था जिसमें च् आदि का स्पष्ट उच्चारण क् आदि के साथ य् की अल्पाति अल्प श्रुति मिश्रित होता होगा ।

नवां अध्याय

ध्वनियों के गुण

मात्रा, सुर और बलाघात—यह तीन ध्वनियों के गुण कहलाते हैं। मात्रा काल की उस मात्रा का नाम है जो किसी विशेष ध्वनि के उच्चारण में लगती है। व्यवहार की दृष्टि से मात्रा ह्रस्व, और दीर्घ होती है। स्वरतन्त्रियों के तनाव के कारण सुर उत्पन्न होता है और साधारण रीति से सुर उच्च, नीच और सम कहा जाता है। किसी विशेष ध्वनि पर वाक्य अथवा पद की अन्य ध्वनियों की अपेक्षा, उच्चारण में अधिक प्राण शक्ति लगाना बलाघात कहलाता है।

भाषा की प्रत्येक ध्वनि के बोलने में कुछ न कुछ समय लगता है। प्राचीन भारतीय भाषाविज्ञों ने केवल स्वरों की ही मात्रा का उल्लेख किया है और उनकी ह्रस्व, दीर्घ और ऋत संज्ञाएँ की हैं। एक मात्रिक ह्रस्व, द्विमात्रिक दीर्घ और त्रिमात्रिक प्लुत कहलाते थे। सामान्यरूप से प्लुत स्वरों का भाषा में प्रयोग नहीं होता था, पुकारने आदि में वह काम में आते थे। अन्य दोनों का प्रयोग प्रचुर मात्रा में प्राप्त है। आधुनिक अनुसन्धानों से इतना और मालूम हुआ है कि व्यंजनों के उच्चारण में भी काल की मात्रा की नाप हो सकती है और यहाँ भी ह्रस्व दीर्घ आदि संज्ञाओं का व्यवहार किया जा सकता है, उदाहरणार्थ पका में क् ह्रस्व और पका में क् दीर्घ, कसक में स् ह्रस्व और कस्स में स् दीर्घ है। व्यंजन का दीर्घत्व लिखाई में द्वित्व से व्यक्त किया जाता है। वस्तुतः देखा जाय तो हिन्दी में स्वरों की अपेक्षा व्यंजनों को ह्रस्व दीर्घ कहना अधिक उपयुक्त होगा क्योंकि उल्लिखित ह्रस्व और दीर्घ स्वरों (अ आ अथवा इ ई आदि) में स्थानभेद पर्याप्त है किन्तु ह्रस्व और दीर्घ (क् क्क् आदि) व्यंजनों में स्थान-भेद बिल्कुल ही नहीं है, केवल उच्चारण में लगने वाले समय की मात्रा में ही भेद है। ह्रस्व ध्वनि में दीर्घ ध्वनि की अपेक्षा ठीक ठीक आधा ही समय लगता है, यह समझ बैठना भूल होगी। एक ही शब्द में एक ही ध्वनि दो विभिन्न स्थानों पर आने से ही मात्रा में भिन्न होगी। शब्द के अन्त में आने वाला स्वर बहुधा उसी शब्द में प्रयुक्त अन्य स्थानीय उसी स्वर से मात्रा में कम होता है। काला शब्द का उदाहरण ऊपर दिया चुका है। पटवर्धन शब्द में प ट व तीनों के स्वर ह्रस्व कहे जाते हैं पर ट के अ की अपेक्षा प का अ और उसकी भी अपेक्षा व का

अ मात्रा में अधिक है। संयुक्त व्यंजनों अथवा दीर्घ व्यंजन के पूर्व आने वाला स्वर मात्रा में दीर्घ होता है चाहे लिखाई में ह्रस्व ही अंकित किया जाय। स्पर्श ध्वनियों की अपेक्षा संघर्षों ध्वनियां मात्रा में दीर्घ होती हैं। बजाघात प्राप्त करके भी ध्वनि मात्रा में दीर्घ हो जाती है।

जब ह्रस्वत्व दीर्घत्व का ठीक ठीक आधा नहीं होता और ह्रस्व ध्वनि लिखाई में ह्रस्व होती हुई भी उच्चारण में दीर्घ हो सकती है तब ह्रस्व और दीर्घ संज्ञाओं का व्यवहार किस प्रकार साध्य है? इसका उत्तर यही है कि हर भाषा का व्यवहार करने वाला जहा भाषा की अन्य बातें सीखता है वहां अपनी भाषा के ह्रस्व-दीर्घ के भेद को भी हृदयगम करता रहता है और किसी विशेष शब्द में अकार की मात्रा ३० इकाई, आकार की ४० इकाई होते हुए भी एक ही वाक्य में ३० इकाई के आकार के प्रयोग को ऊपर लिखे हुए ३० इकाई के अकार से भिन्न समझ लेगा। ऐसा भेद करना वह अपनी भाषा के प्रवाह से जानता है।

वर्तमान लिपियों में मात्रा को अंकित करने का कोई विशिष्ट साधन नहीं है, वर्णों की आकृति में (अ, आ; इ, ई; उ, ऊ) ही दीर्घत्व दिखाने के लिए अंतर कर दिया जाता है—दीर्घत्व का कोई विशेष संकेत या चिह्न नहीं। ध्वनि विज्ञानियों ने, रोमन लिपि में वर्णों के आगे विसर्ग का सा संकेत (:) लगाकर दीर्घत्व का और केवल एक बिंदु (·) लगाकर अर्धदीर्घत्व का निर्देश किया है। अन्य विद्वानों ने वर्णों के ऊपर बेंड़ी पाई (—) लगाकर दीर्घत्व को व्यक्त किया है। देवनागरी आदि भारतीय लिपियों में यह दोनों उपाय उपयुक्त साबित न होंगे यह स्पष्ट है।

वीणा सितार आदि संगीत के साधनों में हम देखते हैं कि तारों के तानने और ढीला करने से संगीत के स्वरों में विभिन्नता पैदा होती है। यही हाल स्वरतन्त्रियों का है। उनके तानने और ढीला होने से सुर उत्पन्न होता है। सुर केवल (स्वर आदि) ऐसी ध्वनियों में संभव है जिनमें घोष हो क्योंकि जब स्वरतन्त्रियां निष्क्रिय पड़ी होंगी तब उनमें तनाव या ढीलेपन का सवाल ही नहीं उठता। साधारण रीति से सुर के तीन भेद किए जाते हैं, उच्च, नीच और सम। तनाव को अधिकता देना उच्च, उसे कम करना नीच और उसे एक बराबर की अवस्था में रखना सम सुर का लक्षण है और क्रमशः

इन तीन संकेतों से आधुनिक ध्वनिविज्ञानियों द्वारा व्यक्त किया जाता है। वैदिक ग्रन्थों के उदात्त, अनुदात्त और स्वरित भी सुर के ही भेद थे। इसी प्रकार ग्रीक भाषा के त्रेब, अक्यूट आदि भेद भी स्वर से संबंध रखते थे।

आर्य भाषाओं में सुर का कभी बहुत महत्त्व नहीं रहा, हाँ इन्द्रशत्रु-ध्वनि में

अस्थान सुर के प्रयोग से दैत्यों का नाश हो गया यद्यपि वे देवों का नाश करने चले थे, यह कथा पुराण में प्रसिद्ध ही है। वर्तमान काल में आर्य भाषाओं में सुर का प्रयोग केवल मनोरोग अथवा भावातिरेक, विधि, निषेध, प्रश्न, स्वीकृति, सन्तोष, विस्मय आदि को व्यक्त करने के लिए होता है, अर्थ में विभिन्नता नहीं आती। हिंदी की भोजपुरी बोली में वाक्य के अन्तिम भाग में सुर का प्रयोग होता है, अन्य बोलियों में प्रयोग स्पष्ट नहीं दिखाई पड़ता। चीन और अफ्रीका की भाषाओं में सुर का अधिक मात्रा में प्रयोग होता है और सुरभेद से अर्थभेद हो जाता है, उदाहरण के लिए चीनी भाषा में 'ब' शब्द में धीर सुर होने से उसका अर्थ होता है महिला, उच्च होने से उसी 'ब' का उमेठना और तीक्ष्ण होने से अर्थ होता है राजा का कृपा-पात्र। अफ्रीका की फूल नाम की भाषा में 'मिवरत' का अर्थ होगा मैं मार डालूंगा यदि अन्तिम अ का वही सुर हो जो वाक्य की शेष ध्वनियों का है। किन्तु यदि उसी अ का सुर अन्य ध्वनियों की अपेक्षा उच्च हो तो उसी वाक्य का निषेधात्मक (मैं नहीं मारूंगा) अर्थ होगा। चीनी भाषा में आठ प्रकार का सुर वर्तमान है, ऐसा माना जाता है। फेरी लगाकर कपड़ा बेचने वाला चीन देश निवासी जब हिंदी बोलने का प्रयत्न करता है तब उसके उच्चारण में सुर के उदाहरण अनायास ही सुनाई पड़ते हैं।

बलाघात का प्रयोग आर्य भाषाओं (विशेषकर यूरोप की अँगरेज़ी आदि) में प्रचुर मात्रा में मिलता है। हिंदी विद्वानों ने कभी-कभी इसको स्वराघात की संज्ञा दी है किन्तु सुर से इसकी विभिन्नता रखने तथा इसका स्वरूप ठीक ठीक व्यक्त करने के लिए बलाघात शब्द ही अधिक उपयुक्त है। यह पद अथवा वाक्य में किसी विशेष ध्वनि अथवा ध्वनि-समूह पर अपेक्षाकृत अधिक प्राणशक्ति का व्यय करने से पैदा होता है। देवनागरी लिपि में इसे अंकित करने का कोई विशेष संकेत नहीं है, पर रोमन में जिस अक्षर या ध्वनि पर बलाघात हो उसके उपरान्त ऊपर की ओर 'चिह्न लगा कर व्यक्त किया जाता है, अन्तर-राष्ट्रीय ध्वनि विज्ञान-परिषद् (International Phonetics Association) की प्रथा के अनुसार बलाघात प्राप्त ध्वनि या अक्षर के पूर्व ज़रा ऊपर की ओर खड़ी पाई (|) लिखकर बताया जाता है।

बलाघात किस ध्वनि या अक्षर पर हो और कितना यह अलग अलग भाषाओं के अलग अलग प्रवाह के अनुसार प्रचलित है। पर सामान्य रूप के यह कहा जा सकता है कि अघोष ध्वनियों पर सघोष ध्वनियों की अपेक्षा कुछ अधिक बलाघात होता है।

ध्वनियों के गुणों का महत्त्व प्रत्येक भाषा का अलग अलग होता है, साधारण

रीति से कोई भी भाषा तीनों का बराबर मात्रा में प्रयोग नहीं करती। हिन्दी में मात्रा (काल) का, अंगरेज़ी में बलाघात का और चीनी में सुर का महत्त्व है और इन भाषाओं में इन गुणों का व्यतिक्रम अर्थ का अनर्थ कर सकता है। उदाहरण के लिए मरना, मारना; पिटना पीटना; सुर सूर में अर्थभेद मात्राभेद के ही कारण है।

यह गुण भाषाओं के महत्त्वपूर्ण अङ्ग हैं। यदि कोई ध्वनियों का ठीक उच्चारण करता हुआ भी गुणों के उच्चारणों में गलतियाँ करे तो उस भाषा के समझने में बड़ी दिक्कत हो जाती है। विदेशियों द्वारा निज भाषा के उच्चारण की असफलता का अनुभव प्रायः सभी करते हैं।

प्रत्येक भाषा में (काल की) मात्रा छन्दः शास्त्र के लिए, सुर संगीत शास्त्र के लिए तथा बलाघात वाग्मिता (विशेष कर रंगमंच पर की) के लिए उपयोगी होता है।



दसवां अध्याय

संयुक्त ध्वनियां

वाक्य में ध्वनियों के समूह का ही प्रयोग होता है। किसी विदेशी भाषा को सुनकर हम केवल इतना बता सकते हैं कि वाक्य यहां से आरम्भ हुआ और यहां अन्त हुआ। यह भी इसलिये कि प्रत्येक वाक्य के उपरान्त हर आदमी थोड़ी देर के लिए रुकता है। पर वाक्य के भीतर शब्दों और अक्षरों को अलग अलग जमाकर रखना, विदेशी भाषा क्या, निज भाषा में भी तब तक संभव नहीं जब तक मनुष्य ने उस भाषा का अध्ययन न किया हो। किसी अपठ आदमी से कहा जाय कि तुम इतने धीरे धीरे बोलो कि सब शब्द और अक्षर अलग अलग ही रहें तो निश्चय है कि वह इस आदेश का पालन न कर सकेगा।

ऊपर हम देख चुके हैं कि प्रत्येक भाषा में इस सृष्टि के अनन्त ध्वनि भंडार में से कुछ परिमित सख्या की ध्वनियों का प्रयोग होता है। और यह वाक्य में भिन्न भिन्न संयोगों में उपस्थित होती हैं। व्यंजन और स्वर परस्पर आते रहते हैं। पर कौन कौन व्यंजन एक साथ आ सकते हैं और कौन कौन स्वर, यह हर एक भाषा अपने आप निश्चित करती है। उदाहरण के लिए, संस्कृत में कई व्यंजन तो पास पास रह सकते थे (जैसे कात्स्न्य, घाष्ट्य में) पर दो स्वर एक साथ नहीं रहने पाते थे, सन्धि के नियमों के अनुसार या तो बीच में कोई व्यंजन आ जाय (जैसे गो + एषणा = गवेषणा, पौ + अकः = पावकः) या दोनों मिलकर एक हो जायँ (कुसुम + अर्वालिः = कुसुमावलिः, गज + इन्द्र = गजेन्द्र)। पर प्राकृत काल में प्रायः इसकी उलटी ही स्थिति आ गई। दो से अधिक व्यंजन एक साथ आने ही न पाते थे (दंष्ट्रा > दाढा) और आते भी तो शब्द के मध्य में, आदि और अन्त में नहीं; नहीं तो बहुधा एक ही व्यंजन (ह्रस्व या दीर्घ) एक साथ रहता था। पर संस्कृत की प्रथा के विपरीत एक से अधिक स्वर एक साथ पास पास रह सकते थे (रोउरं, अन्तेउरं, वप्पइराआ)। इस प्रकार भाषा यही केवल निश्चय नहीं करती कि कौन कौन से ध्वनियों के संयोग वह ग्रहण करेगी बल्कि यह भी कि उनको कहां स्थान देगी।

सामान्य रूप से हम कह सकते हैं कि भाषा में सघोष और अघोष स्पर्श ध्वनियां साथ नहीं आने पाती। यदि ऐसे संयोग की संभावना होती है तो वे दोनों समीकरण

को प्राप्त होती हैं (वाक् + पटु = वाक्पटु, वाक् + जाल = वाग्जाल)। दो महाप्राण ध्वनियाँ एक साथ उच्चारण में नहीं आती, एक अल्पप्राण कर दी जाती है। सघोष अल्पप्राण स्पर्श सघोष ही महाप्राण के साथ आ सकता है और अघोष अघोष के साथ। पंचमाक्षर सघोष अघोष दोनों के साथ आ सकते हैं और इसी प्रकार अंतस्थ वर्ण भी। श्, ष्, स् ऊष्म वर्णों के साथ अघोष स्पर्श ध्वनि ही आ सकती है, सघोष नहीं। सघोष ह् के साथ सघोष स्पर्श और अघोष के साथ अघोष स्पर्श आते हैं। संस्कृत में म्, न्, ह्कार के उपरंत आते थे, प्राकृत और आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं में पूर्व (ब्रह्मा > ब्रम्हा, बरम्हा; चिह्न > चिन्ह, चीन्ह)।

जब दो स्वर पास पास आते हैं तो उनके स्पष्ट उच्चारण के लिए बीच में ज़रा रुकना होता है, यथा वप्इराआ के उच्चारण में अ और इ तथा आ और आ के बीच में यदि रुका न जाय तो अ + इ का उच्चारण ऐ हो जाय और आ + आ का आ। कभी-कभी न रुकने से बीच में र्थ या व् भ्रंति आ जाती है (राआ > राया)। किन्हीं दो स्वरों का यदि अलग-अलग स्पष्ट उच्चारण न करके एक साथ उच्चारण किया जाय तो दोनों के इस संयोग को मिश्र स्वर कहते हैं। ऐसी अवस्था में जिह्वा एक स्वर के उच्चारण-स्थान से एक साथ दूसरे स्वर के उच्चारण-स्थान को पहुँच जाती है और ऐसे समय में संभावना यही होती है कि दोनों स्वरों के व्यक्तित्व में कमी होकर, एक संमिश्रित स्वर का उच्चारण हो। उच्चारण के लिए पड़सा शब्द के अ इ स्वरों में अ का उच्चारण प्रथम आता है। इसका स्थान मध्य (पश्च की ओर थोड़ा हटा हुआ) और प्रयत्न प्रायः अर्धविवृत है, तथा इ का स्थान अग्र और प्रयत्न संवृत और अर्धसंवृत के बीच का है। अब इन दोनों को एक साथ बोलने में जिह्वा अ के स्थान से तुरत हट कर जाना चाहती है और इ तक पहुँचना चाहती है पर बीच में अग्र और मध्य स्थान ग्रहण करके प्रायः अर्धविवृत प्रयत्न से ही उच्चारण कर देती है। परिणामस्वरूप मिश्र स्वर ऐ (मूल स्वर ऐ से भिन्न) दोनों के स्थान पर सुनाई पड़ता है। मिश्र स्वर में जिन दो मूल स्वरों से वह बना है उन दोनों का व्यक्तित्व कुछ न कुछ रहता है, यदि प्रथम का व्यक्तित्व प्रबल हुआ तो उसे, दूसरे स्वर के व्यक्तित्व की हीनता के कारण अवनायक मिश्र स्वर (Falling diphthong vowel) कहते हैं और दूसरा प्रबल व्यक्तित्व वाला है तो उसे उच्चायक मिश्र स्वर (Rising diphthong vowel) कहते हैं। पैसा, कैसा, पौना, देओँचा आदि उच्चायक मिश्र स्वर के उदाहरण हैं तथा देउता, नेइया आदि अवनायक मिश्र स्वर के।

इस जगह हमें मूल स्वर और मिश्र स्वर के परस्पर अंतर का विचार कर लेना

चाहिए। मूल स्वर में जिह्वा एक स्थिति में आरंभ से अंत तक रहती है और इसी लिए स्वर का एकरस उच्चारण होता है, मिश्र स्वर में जिह्वा दो स्थितियां ग्रहण करती है, एक स्थिति में उच्चारण आरंभ होता है और दूसरी में उसका अंत होता है, इस कारण वह एकरस नहीं रहता। उदाहरण के लिए वर्तमान भारतीय आर्य-भाषाओं में ए और ओ सकेतों द्वारा व्यक्त की हुई ध्वनियां मूल स्वर हैं, इनका उच्चारण एकरस होता है। संस्कृत में यह मिश्र कही जाती हैं, इससे प्रायः निश्चय ही समझना चाहिए कि उस समय का उच्चारण वर्तमान उच्चारण से भिन्न (संभवतः मिश्र ए और औ) रहा होगा।

संयुक्त ध्वनियों के छोटे से छोटे समूह को अक्षर कहते हैं और अक्षर की ध्वनियों का एक साथ (अति सन्निकटता) में उच्चारण होता है। प्राचीन भाषा विशेष का विचार था कि स्वर ही अक्षर बनाने में समर्थ होता है और जितने व्यंजन उसके साथ लिपटे हों उनको साथ लेकर वह अक्षर कहलाता है। पर ऊपर हम देख चुके हैं कि म्, न् भी अक्षर बनाने में समर्थ हैं।

बोलते समय हमारे ध्वनियंत्र से ध्वनियों का प्रवाह-सा निकलता है। उस प्रवाह को अक्षरों में विभक्त करना भाषाविज्ञानी का कर्तव्य है। बहुधा लिखाई के ढंग से हम लोगों को भ्रम हो जाता है, विशेष कर देवनागरी आदि अक्षरात्मक लिपियों में। पापा, माशा, क्षिप्र, रस्सा में प्रायः पा। पा, मा। शा, क्षि। प्र और र। स्सा इस प्रकार अक्षर-विभाग किया जायगा। पर उच्चारण पर थोड़ा भी ध्यान देने वाला क्षिप्र और रस्सा का अक्षर विभाग क्षिप्। र और रस्। सा करेगा; पा। पा और मा। शा को वह वैसा ही छोड़ देगा। परन्तु भाषाविज्ञानी और गहराई में जाता है। रस्सा के उच्चारण में स्पष्ट मालूम होता है कि दीर्घ स् का कुछ भाग प्रथम अक्षर में और कुछ द्वितीय अक्षर में जाता है। इसी प्रकार कुत्ता की त् का कुछ भाग प्रथम अक्षर में और कुछ द्वितीय में। स् में तो यह विभाजन समझ में आ सकता है क्योंकि स् संघर्षी वर्ण है और उसका उच्चारण धारारूप (continuity) में होता है, पर त् के विषय में कठिनाई है। उसका उच्चारण तो स्फोटिक है। उसमें श्रोत्रेन्द्रिय को स्फोट ही सुनाई पड़ता है, एक अविभक्त रूप में। धारा का आप विभाजन कर सकते हैं, मानसिक ही सही पर स्फोट का विभाजन कैसे किया जाय? त् प् आदि स्फोटिक ध्वनियों के उच्चारण में तीन अवयव होते हैं— जिह्वा द्वारा (स्पर्श) उच्चारण-स्थान की प्राप्ति (अर्थात् उस तक पहुँचने का प्रयत्न), उस स्थान पर कुछ काल तक स्थिति और फिर उस स्थान से झटके के साथ हटना। इसमें से अंतिम अवस्था ही हमें सुनाई देती है। कुत्ता, कुम्पा, छका, बटा आदि की त्, प्, क्, ट् का

अंतिम अवयव (स्फोट) दूसरे अक्षर के साथ जाता है और प्रथम अवयव (प्राप्ति) प्रथम अक्षर के साथ; द्वितीय अवयव क्षणिक अवस्थिति (मौन) इन दोनों को अलग अलग कर देती है। इसी प्रकार क्षिप्र की पूरी प् न क्षि के साथ है न र् के साथ। उसका प्रथम भाग प्रथम अक्षर के साथ और तृतीय, द्वितीय अक्षर के साथ जायगा। दन्हीं उदाहरणों के अनुसार पापा और माशा में भी अक्षर विभाजन करना चाहिए। माशा की श् का कुछ भाग प्रथम अक्षर में और कुछ द्वितीय में जायगा। पापा की दूसरी प् का प्रथम अवयव प्रथम अक्षर में शामिल होगा और तृतीय द्वितीय में। प् का द्वितीय अवयव विभाजक रहेगा। यह भाषा के प्रवाह के अनुकूल ही विभाजन हुआ। वाक्यों का परस्पर पृथक्करण हम दो वाक्यों के बीच के मौन से ही तो करते हैं। इसी आदर्श पर वाक्यांशों का भी विभाजन होना चाहिए। वाक्य के भीतर भी थोड़ा बहुत रुकना होता है यद्यपि वह वाक्यांत से रुकने से, आपेक्षिक दृष्टि से, कम होता है और इसी प्रकार दो अक्षरों के बीच में भी अल्पाप्ति अल्प रुकना पड़ता है। इस रुकने का स्थान उन दो अक्षरों के बीच की मौन स्थिति (स्पर्श वर्णों का द्वितीय अवयव) या स्वरत्व (Sonority) की अल्पता होती है। स्वरत्व की अधिक मात्रा स्वरों में, उससे कम अंतस्थों में, फिर संघर्षा वर्णों में और कम से कम स्पर्श वर्णों में होती है। इस प्रकार प्रवाह में आई हुई ध्वनियों का विभाजन किया जा सकता है। भाषण में हमें निरंतर स्वरत्व का उत्थान और पतन सुनाई पड़ता है, इसमें स्वरत्व की अल्पता उसी प्रकार दिखाई देती है जैसे दो पहाड़ियों के बीच की बगड़ (तराई)। जैसे बगड़ दो पहाड़ियों के अलग-अलग अस्तित्व को जताती है उसी प्रकार स्वरत्व की अल्पता दो अक्षरों की सीमा निर्धारित करती है। जैसे दो बगड़ों के बीच के भाग को हम पहाड़ी कहते हैं, उसी प्रकार दो अल्प स्वरत्व वाली ध्वनियों के बीच के ध्वनि-समूह को हम अक्षर कहते हैं।

यदि हम किसी ध्वनिसमूह की दो ध्वनियों के, बीच में उन दोनों से कम स्वरत्व रखने वाली ध्वनि के होने के कारण, पृथक्त्व का अनुभव करते हैं तब हम निश्चय पूर्वक कह सकते हैं कि वे दो ध्वनियां अलग-अलग दो अक्षरों की हैं।

इतना ध्यान रखना चाहिए कि स्वरत्व की मात्रा का ज्ञान अन्य ध्वनियों की तुलना की अपेक्षा पर निर्भर रहता है

ग्यारहवां अध्याय

ध्वनि-विकास

ऊपर भाषा के विकास पर विचार करते हुए हम देख चुके हैं कि भाषा के प्रत्येक अवयव, ध्वनि, अर्थ, वाक्यविन्यास आदि का विकास परिवर्तन के रूप में बराबर होता रहता है और इसका मूल कारण प्रयत्न-लाभ है। ध्वनियों के परिवर्तन में यह कारण विभिन्न प्रकार से काम करता रहता है और सहसा यह कह देना कि अमुक ध्वनि अथवा अमुक ध्वनि-गुण का उच्चारण सहल है और अमुक का कठिन, ज़रा मुश्किल बात है। ध्वनियों की सरलता और कठिनाई भाषा के प्रवाह पर निर्भर है। हिन्दी वालों के लिए थ, द, ज, आदि संघर्षी सघोष अथवा अघोष ध्वनियाँ जितनी ही कठिन हैं, उतनी ही अगरेज़ी वाले के लिए हमारी दन्त्य त्, थ, द्, ध् अथवा फ़ारसी वाले को हमारे ख्, भ्, थ्, घ्, आदि महाप्राण। हिन्दी में ही बोलियों के अनुसार, किसी को चन्दन की जगह चन्नन और अँधारी (अँधेरी) की जगह अन्हारी सहल मालूम पड़ता है तो दूसरे को इसके विपरीत जोन्हय्या की जगह जोधय्या और कन्हय्या की जगह कँधय्या अधिक सहल है। वैदिक भाषा भाषी जिस ऋ को अनायास स्वाभाविकरूप से बोल सकते थे, उन्हीं के उत्तराधिकारी वर्तमान भारतीयों में इस ध्वनि का शुद्ध उच्चारण करने वाला तलाश करने पर भी नहीं मिलता। हिन्दी की कुछ पच्छिमी बोलियों में दो स्वरों के बीच में आनेवाला हकार गायब होता दिखाई देता है (रहता > रैता) तो कुछ अन्य बोलियों में हकार आता हुआ नज़र आता है (तैरता > तैह्रता)। इस प्रकार कवि के शब्दों में शब्दब्रह्म हम लोगों से खिलवाड़-सा करता दिखाई देता है।

ध्वनिविकास बहुत धीरे धीरे मन्दातिमन्द गति से चलता रहता है। मंस्कृत का अग्निः आज आग के रूप में दीखता है। इसके बीच के रूप अग्गी, अग्गि, आगि, आदि मिलते ही हैं। परन्तु अग्निः और अग्गी के बीच में न जाने कितनी सदियाँ लगी होंगी। और फिर अन्तिम ई का ह्रस्व इ और उससे फिर लोप हो जाना यह भी कम समय का द्योतक नहीं। यदि ई की कालमात्रा ४० इकाई रही होगी तो उसको शून्य तक पहुँचने में कई सौ वर्ष लगे होंगे। इस प्रकार का ध्वनिविकास अपने आप मनुष्य-समुदाय के अनजान में ही हुआ करता है। यदि जान बूझ कर

होता तो भाषा के समझने में दिक्कत होती और लोग इस को रोकते। यह अनायास अपने आप होता रहता है और बहुत धीरे धीरे होने के कारण ही मालूम नहीं पड़ता। मालूम तो तब होता है जब भाषा-विज्ञानी बैठकर उस भाषा के विकास का अध्ययन करता है, तब वह इस परिवर्तन पर दृष्टि डालता है।

ध्वनि-विकास शनैः शनैः और अनजान में तो होता ही है वह एक सुसंगठित मनुष्य-समुदाय में सर्वत्र व्यापक होता है। यह नहीं कि वह समुदाय के दस व्यक्तियों या परिवारों में तो हो रहा हो और शेष अछूते छूट गए हों। ध्वनि-विकास की विभिन्नता मनुष्य-समुदाय की सुश्लिष्टता की कमी की द्योतक होती है। यदि दो स्वरों के बीच में आने वाली त् ध्वनि का महाराष्ट्री प्राकृत में लोप और शौरसेनी में द् आदेश मिलता है तो इतना निश्चय समझना चाहिए कि इन दोनों प्राकृतों के बोलने वाले भिन्न-भिन्न प्रदेशों में रहते थे और एक में उपर्युक्त परिवर्तन की गति तीव्र थी और दूसरे समुदाय में मन्द। संस्कृत गतः का स्थानापन्न ब्रज में गओ और खड़ी बोली (हिन्दुस्तानी) में गया भी प्रदेश और मनुष्य-समुदाय की विभिन्नता ही बताता है। यह ध्वनि-विकास किसी की नक़ल करने का परिणाम नहीं होता क्योंकि वैसे अवस्था में कुछ लोग ही तो नक़ल करते, सभी न करते न कर पाते और परिवर्तन में विभिन्नता दिखाई पड़ती। और फिर नक़ल अनजान में तो होती नहीं।

ध्वनि की वाक्य अथवा शब्द में जो परिस्थिति होती है उसके अनुसार ही उसका विकास होता है। शब्द के आदि में है, मध्य में है या अन्त में, आगे पीछे समान ध्वनियाँ हैं या असमान, स्वयं स्वर है या व्यंजन, अनुनासिक है या केवल मौखिक इत्यादि बातों का ध्यान देना पड़ता है। संस्कृत के स्नान, सप्त, वत्स, सब में स् है पर प्राकृत में इन शब्दों के उत्तराधिकारी णहाण, सत्त, वच्छ मिलते हैं और एक ही ध्वनि स् के तीन रूप (ह्, स्, छ्) अलग अलग स्पष्ट दिखाई पड़ते हैं। संस्कृत के ततः, कति, भवन्ति के प्राकृत रूप तओ, कइ, होन्ति हैं और यहां भी परिणाम की विभिन्नता नज़र आती है। इससे यह स्पष्ट है कि एक ही ध्वनि की विभिन्न परिस्थितियों के अनुसार विभिन्न विकास होता है। पर बिस्कुल ही एक ही परिस्थिति में केवल एक ही विकास होना चाहिए। यदि शब्द के आदि का अन्य व्यंजनो से अस्युक्त संस्कृत का स् शौरसेनी प्राकृत में ज्यों का त्यों वर्तमान रहता है तो सभी शब्दों में उस परिस्थिति में वर्तमान रहना चाहिए (सप्त > सत्त, सर्प > सप्प, सीमा > सीवा, सुर > सुर, सूत > सूअ, सेवते > सेवइ आदि)। दो स्वरों के मध्य का -त्स्- यदि वत्स में च्छ् के रूप में परिणत होता है तो मत्स्य > मच्छ, उत्सव > उच्छव में भी। उत्सव का रूप यदि उत्सव भी मिलता हो तो उत्सव को किसी अन्य बोली

से आया हुआ समझना चाहिए या परिस्थिति की विभिन्नता खोजनी चाहिये। इसी प्रकार अवधी में शब्द की मध्यवर्ती क्ष् माछी (<माँछाका) में छू के रूप में और आँखी (<अँक्षि) और ममाखी (<मधुमक्षिका) में खू के रूप में मिलती है तो या तो परिस्थिति की विभिन्नता होनी चाहिए या इनमें से एक (छू अथवा खू) रूप किसी दूसरी बोली से आया है। परिस्थिति की अभिन्नता में एक मुश्किल भाषा में किसी ध्वनि का केवल एक ही विकास समान रूप से जहाँ जहाँ उस बोली का क्षेत्र है सर्वत्र होता है।

यह ध्वनिविकास पूर्व पीढ़ियों के बोलने वालों के उच्चारण से नियत किया हुआ एक निश्चित दिशा की ओर बढ़ता रहता है। टवर्ग का उच्चारण उत्तर भारत में पाणिनि के समय में मूर्धा स्थान से होता था और आज वर्त्स स्थान के ठीक ऊपर से होता है। जिह्वा जो यह सम्पूर्ण कठोर तालु का क्षेत्र पार कर लाई यह सतत उसके आगे बढ़ने से ही हुआ है। ऐसा संभव नहीं कि जिह्वा ने एक दो पीढ़ियों तक तो आगे पग धरा हो और तब पीछे चली गई हो और फिर दो चार पीढ़ियों तक पीछे जाकर बाद को फिर आगे बढ़ना शुरू किया हो। एक ओर इन स्पर्श व्यंजनों को आगे बढ़कर उच्चारण करने का जो सिलसिला जारी हुआ वह आज तक जारी है। टवर्ग में ही नहीं कवर्ग और तवर्ग में भी जिह्वा के इस आगे बढ़ने के झुकाव की गवाही मिलती है। अस्तु, ध्वनिविकास पूर्व उच्चारण से निश्चित किए हुए मार्ग से मूक गति से वृशंवद भृत्य की तरह चलता रहता है।

ध्वनिविकास की इस निश्चित, नियत गति के कारण ही ध्वनिपरिवर्तन के नियम निर्धारित किए जाते हैं और हम यह कह सकते हैं कि अमुक भाषा से अमुक भाषा में ध्वनिविकास इन नियमों के अनुसार हुआ है। अथवा उस विकास की परिस्थितियों का सूक्ष्माति सूक्ष्म विश्लेषण कर उनको निश्चित शब्दों में व्यक्त कर देना ही नियम बना देना है। शब्द के आदि का परन्तु व्यंजन से असंयुक्त संस्कृत का प सब प्राकृतों में प ही रहता है यह एक ध्वनि-नियम है। यह सब प्राकृतों में व्यापक है। शब्द के आदि का संस्कृत य प्राकृतों में ज हो जाता है यह भी एक ध्वनि-नियम है पर यह सब प्राकृतों पर लागू नहीं, मागधी में य ही रहता है। और लट्टी (<यष्टि) में लू हो जाना जो अपवाद दिखाई पड़ता है उसकी परिस्थिति की विभिन्नता दूढ़नी चाहिये। इस प्रकार ध्वनिविकास के नियम कोई अधिक व्यापक, कोई कम व्यापक होते हैं। संस्कृत के शब्दों के आदि का स् शौरसेनी प्राकृत में स् ही रहता है पर आदि का होते हुए भी न या मू के परवर्ती होने पर हू हो जाता है और स्थानविपर्यय भी कर लेता है (स्नान > गहाण. स्म: > ग्हो)। इस प्रकार एक

नियम जो भाषा भर में व्यापक मालूम होता था वह परिस्थितियों के अनुकूल संकुचित हो गया। संस्कृत के एक ही शब्द मध्ये के माँझ, मँह, माँ में आदि कई रूप हिन्दी बोलियों में मिलते हैं और यह अनेक-रूपता काल अथवा देश की भिन्नता के कारण ही हो सकती है। फिर पग पग पर भाषा अपनी पूर्वकालीन अथवा समकालीन भाषाओं से नए नए शब्द ग्रहण करती रहती है और इस प्रकार एक ही पुराने शब्द के अनेक विकास एक ही बोली में नज़र आते हैं।

ध्वनिविकास के यह नियम भूतकाल के बारे ही में हमें जानकारी प्राप्त कराते हैं और इस प्रकार किसी भाषा का पूर्ववर्ती भाषा से विकास निर्धारित करते हैं पर इस वर्तमान भाषा के भविष्य के बारे में कुछ नहीं बताते। संस्कृत के दो स्वरों के मध्यवर्ती क्, ग्, त्, द्, स्पर्श वर्ण, ह्रस्व मात्रा वाले, वर्तमान भारतीय आर्य भाषाओं में लुप्त हैं, पर संस्कृत के कुछ संयुक्त व्यंजन प्रथम दीर्घ व्यंजन (क्, ग्, त्, द्, आदि) में परिवर्तित होकर आज ह्रस्व स्वरूप में (पका, मांग, पाती, सूद आदि में) वर्तमान हैं। क्या इनकी भी भविष्य में संस्कृत के क्, ग्, त्, द् की-सी गति होगी? इस प्रश्न का उत्तर साहसी भाषा-विज्ञानी भी नहीं दे सकता। जो विकास होता आया है उसकी प्रवृत्ति उसी मार्ग पर होगी, बस इतना भर बतलाया जा सकता है। टवर्ग के उच्चारण में अथवा कवर्ग और तवर्ग के उच्चारण में जिह्वा जो आगे को बढ़ती आई है वह बढ़ती रहेगी, बस ऐसी प्रवृत्ति का निर्देशमात्र भाषाविज्ञान कर सकता है। इसके आगे क्या होगा नहीं कहा जा सकता। और कौन जाने यदि परिस्थिति भिन्न हो गई और उत्तरभारत में ऐसी जाति ने यहां के निवासियों को ऐसा छाप लिया जिसकी प्रवृत्ति उच्चारण में जिह्वा को पीछे ले जाने वाली हो तो क्या जाने उस प्रभाव से सदियों से आई हुई यह प्रवृत्ति कुंठित हो जाय !

इस प्रकार ध्वनिविकास के नियम को अटल कहना और उसकी भूतविज्ञान आदि के नियमों से तुलना करना उचित नहीं। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का जो सिद्धांत खोज निकाला वह सब कालों और देशों में व्यापक है। भाषा-विज्ञानी द्वारा ढूँढा हुआ ध्वनिविकास का नियम नियत देश और नियत काल के विषय में ही लागू होता है। भूतकाल के एक निश्चित जनसमुदाय की निश्चित भाषा की निश्चित परिस्थिति में ही ध्वनिविकास के नियम की अटलता है, इतना ध्यान रखना चाहिए।

ध्वनिविकास के इन नियमों की जानकारी से हमें भाषा का विकास समझ पड़ता है और उस भाषा से सम्बद्ध पूर्ववर्ती अथवा वर्तमान भाषाओं के अध्ययन में सुगमता होती है, यही इन नियमों की उपयोगिता है।

ध्वनिविकास से कभी कभी परिस्थिति के अनुसार बिल्कुल नई ध्वनि भाषा

में आ जाती है, जैसे मसूरी आदि स्थानों पर गोर्खा कुलियों (दाइयों) के उच्चारण में ज् (आज > आज़)।

ध्वनिविकास के परिणाम-स्वरूप कभी ऐसे शब्द जो विभिन्न ध्वनियों के और विभिन्न अर्थ के थे, समान ध्वन्यात्मक हो जाते हैं पर अर्थ विभिन्न ही रहता है, उदाहरणार्थ— काज, काज; काम, काम; हार, हार; पैना, पैना; गाड़ी, गाड़ी; खोया, खोया; गया, गया (तीर्थ विशेष); जुआ (यूका), जुआ (युग), जुआ (घूत); खाना, खाना (खाना); जाना, जाना (मालूम किया); सं० भक्त, भक्त; सैन्धव, सैन्धव; गौः, गौः; प्रा० अस्स (अस्य), अस्स (स्यात्), अस्स (अश्व); प्रा० कइ (कवि), कइ (काति), कइ (कपि)।

इस प्रकार के समान ध्वनि वाले किन्तु विभिन्न अर्थ का बोध कराने वाले शब्द प्रायः प्रत्येक भाषा में होते हैं और जब तक प्रकरण के अनुसार उनके द्वारा भ्रम की कोई संभावना नहीं होती, उनको कोई छेड़ता नहीं और वे ज्यों के त्यो भाषा में वर्तमान रहते हैं। पर यदि उनके प्रयोग से भ्रम होने लगता है तो फिर उस भ्रम को दूर करने के लिए उपाय किए जाते हैं। भ्रम की संभावना तभी होती है जब एक ही प्रकरण में दोनों का प्रयोग हो सकता हो। उदाहरण के लिए हिन्दी का बड़ा शब्द है। इसका प्रयोग क्रम में बड़ा या आयु में बड़ा दोनों अर्थों में होता है। यदि छोटे बच्चे देवदत्त के दो भाई उस से बड़े हैं एक रामदत्त और दूसरा यशदत्त और रामदत्त यशदत्त से अवस्था में तो बड़ा है पर क्रम में छोटा है तब देवदत्त को रामदत्त को बड़े दादा और यशदत्त को छोटे दादा कहने में उलझन होती है। वह साक्षात् देखता है कि यशदत्त रामदत्त से है तो (क्रम में) बड़ा पर कहलाता है छोटा। उम्र की बात उस समय उसकी समझ में नहीं आती। इस प्रकार की विषम परिस्थिति को सरल करने का उपाय यही है कि क्रम की या अवस्था की बड़ाई छोटाई के लिए अलग अलग शब्द रक्खे जायँ। या तो जेठा शब्द से अवस्था की बड़ाई सूचित की जाय या लम्बा शब्द से क्रम की। संस्कृत का सन्ध्या शब्द जो सबेरे शाम (प्रातः सन्ध्या, सायं सन्ध्या) दोनों अर्थों में प्रयुक्त होता था, भ्रम के कारण ही केवल अब शाम (सन्ध्या, संझा, सांझ) के अर्थ में प्रयोग में आता है। अंग्रेजी में सन् शब्द (son, sun) दो अर्थों में आता है—बेटा और सूरज। भ्रम की संभावना है क्योंकि सबेरे दोनों उठते (उगते) हैं। इसीलिए अब बेटा का बोध कराने वाले सन् शब्द के लिए ब्वाय (boy) या लैड (lad) शब्द का बोलचाल की भाषा में प्रयोग होने लगा है। बार बार की व्याख्या के भ्रम की अपेक्षा दो में से एक अर्थ का बोध कराने वाले शब्द के लिए किसी भिन्न ध्वन्यात्मक शब्द का प्रयोग आ जाना अधिक स्वाभा-

विक है। सुरप्रधान ज्ञीनी आदि भाषाओं में समानध्वन्यात्मक पर भिन्नार्थ-बोधक बहुत से शब्द होते हैं और उनका विभेद सुर की विभिन्नता से ही किया जाता है। इसी प्रकार बलाघात-प्रधान भाषाओं में बलाघात द्वारा।

सन्धि आदि के कारण भाषा में आया हुआ ध्वनि-विकार कभी-कभी अस्थान भी आ जाता है। उदाहरणार्थ—प्राकृत भाषाओं में संस्कृत के अंतिम व्यंजन का लोप पाया जाता है (सम्यक्>सम्मा, यावत्>जाव) किन्तु एव के पूर्व यदि वही शब्द आवे तो उस व्यंजन का पुनर्जीवन (आदेश के रूप में) हो जाता है (यावदेव>जाव-देव)। पर सम्मदेव (<सम्यक् एव = सम्यगेव) में-द- का अस्तित्व है जो अस्थान है क्योंकि-ग-होना चाहिए था। प्रत्यक्ष ही यह जावदेव के दृष्टान्त पर हुआ है। इसी प्रकार पा० उसभोरिव (वृषभः इव = उसभो इव) अरिखिवादि के साथ अस्थान सादृश्य के कारण प्रयोग में आया है। संस्कृत भाषा में ही ब-व, स-श के विकल्प की नींव भी कुछ ऐसे ही कारणों पर निर्भर रही होगी।

सादृश्य के अस्थान में प्रयोग करने के उदाहरण पंडितमन्य व्यक्तियों के मुख से बहुधा सुनाई पड़ते हैं। संस्कृत न जानने वाले 'विद्वान्' इच्छा को इक्षा, शाप को श्राप और बन्धन को वन्धन बोल कर अपनी पंडिताई का परिचय देते हैं। शाप का श्राप तो कई सदियों से प्रचलित पुराना रूप है। इसी का विकसित सराप, सरापब रूप श्रवधी में चलता है, शाप तो कभी का गायब हो गया। बहुतेरे प्रण, गल्प और संगठन को संस्कृत के शब्द समझते हैं। इससे यह मालूम होता है कि यह अस्थान सादृश्य वाले शब्द कुछ व्यक्तियों की भूल की सनक तक ही सीमित नहीं रहते, भाषा में वस्तुतः व्यापक रूप में आ जाते हैं।

पूर्वकालवर्ती स्वदेशी भाषा के विषय में इस प्रकार के प्रयोगों के बहुतेरे उदाहरण पालि भाषा में मिलते हैं। संस्कृत के अघोष स्पर्श वर्णों का पालि के समय में सघोष वर्ण द्वारा आदेश प्रायः हो गया था पर ऐसा अनुमान है कि पालि ग्रंथ संपादकों ने अपनी पुस्तकों को प्राचीनता का आकार देने के लिए संस्कृत के अघोष वर्णों का ही प्रयोग किया। इस काम में वह बहुत से अस्थान प्रयोग कर गए। धम्मपद से ही कुछ उदाहरण यह हैं—कुसीत (<कुसीद), अलापून् (<अलाबून्) पाचेति (<प्राजयति), पिथीपति (<पिधीयते)।

विदेशी भाषा के शब्दों के, इस प्रकार के अनर्थ प्रयोग के, भी प्रचुर उदाहरण मिलते हैं। नवाबी शहर लखनऊ को लखनऊ कह कर लोग समझते हैं कि हम ठीक नाम ले रहे हैं। जवाब को ज़वाब, रवाज को रवाज़, जिगर को ज़िगर, आदि कहने वालों की भी कमी नहीं है।

जिस प्रकार पूर्ववर्ती भाषाओं अथवा विदेशी भाषाओं के अज्ञानवश अस्थान गलत प्रयोग होते हैं उसी प्रकार वर्तमान भाषाओं और बोलियों के भी। अकसर देखा गया है कि किसी चुनाव के लिए खड़ा हुआ नगरवासी जब देहात में सभाओं में बोलता है तब निजत्व स्थापित करने के लिए वह ग्रामवासियों की बोली बोलने का उद्योग करता है। उसके इस प्रकार के उद्योग से उसे वोट भले ही मिल जायँ पर वह गाँव में हँसी दिल्ली के लिए अपनी भाषा के रूप में काफ़ी सामग्री छोड़ जाता है।

ऊपर लिखे सारे प्रयोग वक्ता के अज्ञान से होते हैं। पर कभी कभी मनुष्य अपनी भाषा से खिलवाड़ करता है और शब्दों को बिगाड़ कर बोलता है। यह प्रयोग जानकर, विनोद आदि के लिए होते हैं और कभी कभी कोई कोई भाषा में टिक जाते हैं।

कवि भी भाषा को अपनी कल्पना का अपर्याप्त माध्यम पाकर शब्दों के नए रूपों का प्रयोग करता है। इनमें से भी कुछ भाषा में स्थिर स्थान पा जाते हैं। |



बारहवां अध्याय

पदरचना

ऊपर हम देख चुके हैं कि भाषा का अवयव वाक्य है, अथवा भाषा वाक्यों का समूह है। वाक्य में ध्वनियों का समूह रहता है। इस ध्वनि-समूह के भी छोटे छोटे समूह बनते हैं, एक तो उच्चारण की सुविधा के अनुसार और दूसरे अर्थ-व्यंजकता की सुविधा के अनुसार। पहली श्रेणी के समूहों की जानकारी ध्वनिविज्ञान से प्राप्त होती है और दूसरी की पद-रचना-विज्ञान के द्वारा। दूसरी श्रेणी के समूहों को शब्द या पद कहते हैं। पूरे वाक्य की प्रतिमा मस्तिष्क में रहती है और यही ध्वनि-समूह द्वारा मुख से निकलती है और इन ध्वनियों के द्वारा ही अन्य मनुष्य हमारे मस्तिष्क में स्थित विचारों को समझ सकते हैं। ध्वनियों का प्रतिबिम्ब भी मस्तिष्क में रहता है। पर शब्दों का अस्तित्व इतने निश्चित रूप से वहां नहीं रहता, तब भी अन्तःकरण में कहीं न कहीं इनका रूप भी रहता है जहां से इनके रूप बनते बिगड़ते रहते हैं।

कभी कभी वाक्यात्मक प्रतिमा मस्तिष्क में कुछ रहती है और उच्चारण कुछ हो जाता है। पम्प में हवा भर दो आदि वाक्य इसी के उदाहरण हैं। अथवा सामने खड़ी हुई सावित्री को पुकारना चाहें और उसे पुकारें सरोजिनी (इसी को साहित्य शास्त्री गोत्रस्खलन कहते हैं)। लिखी हुई चीज़ पढ़ने में इस प्रकार की भूलें अनायास ही हो जाती हैं। उसका कारण यह होता है कि प्रयत्न-लाघव के लिए बहुधा हम पूरे शब्द न पढ़कर उसके अंशमात्र से शब्द का अस्तित्व प्राप्त कर आगे बढ़ जाते हैं। इस जल्दी में भूल हो जाना कोई अचरज की बात नहीं। यही जल्दी अथवा कभी कभी मस्तिष्क की शिथिलता उच्चारण की भूलों की मूल में रहती है।

वाक्य में कभी कभी एक ही पद रहता है और बहुधा कई। पर वाक्य में चाहे जितने पद रहें, उसका ग्रहण समष्टि-रूप से होता है। वाक्यार्थ ग्रहण करते समय हमारा मन प्रत्येक ध्वनि या प्रत्येक शब्द (पद) पर नहीं रुकता। परन्तु वाक्य का विश्लेषण करने पर हमें पता चलता है कि उसमें दो तत्त्व मिले रहते हैं—कुछ ध्वनिया अर्थतत्त्व का बोध कराती हैं और अन्य उन अर्थतत्त्वों के परस्पर सम्बन्ध का। यह सुन्दर रचना तलसीदास की है, इस वाक्य में सुन्दर, रचना, तलसीदास

यह विशिष्ट अर्थोद्बोधक ध्वनि समूह हैं। इनसे हमारे दिमाग में उपास्थित निश्चित विचारों का बोध होता है। बाक्री के यह, की और है शब्द कोई विशिष्ट अर्थ नहीं बताते, केवल रचना और तुलसीदास का परस्पर सम्बन्ध जतलाते हैं। यह शब्द किसी विशेष रचना का निर्देश करके उससे वक्ता के निकटस्थ होने की सूचना देता है, की, तुलसीदास और रचना का परस्पर कर्तृत्व कृति सम्बन्ध स्थापित करती है और है उस रचना के वर्तमान अस्तित्व और उस सम्बन्ध के वर्तमानत्व की सूचना देता है।

अर्थतत्त्व (Semanteme) से अभिप्राय भाषा के उन अंशों से है जो अर्थ अथवा विचार का उद्बोध कराते हैं और सम्बन्धतत्त्व (Morpheme) से तात्पर्य उन अंशों से है जो अर्थतत्त्व द्वारा व्यक्त किए हुए विचारों के परस्पर सम्बन्ध की सूचना देते हैं।

किसी भी भाषा का अध्ययन करने से पता चलता है कि मनुष्य समुदाय में विचारों को व्यक्त करने की कुछ धाराएं बन जाती हैं जो प्रवाहरूप से चलती रहती हैं और जिनमें सामाजिक परिस्थितियों के अनुसार हेरफेर होता रहता है। संस्कृत बोलने वालों की विचारधारा एक प्रवाह से चल रही थी जिस का ज्ञान हमें संस्कृत के वाक्यों के विश्लेषण से होता है, पालि आदि उत्तरकालीन भाषाओं की धीरे धीरे बदलती गई पर प्रवाह अलुण्ण रूप से आधुनिक आर्य भाषाओं तक मिलता है। यह प्रवाह चीनी भाषा द्वारा व्यक्त हुए प्रवाह से अथवा अरबी भाषा द्वारा व्यक्त किए गए प्रवाह से बहुत भिन्न है। अंगरेज़ी के प्रवाह से भी काफी भिन्न है, पर भेद की वह मात्रा नहीं जो चीनी या अरबी से है।

विचारधारा का यह प्रवाह सम्बन्धतत्त्वों को प्रकट करने के ढंग से मालूम होता है। हर भाषा का यह ढंग जुदा जुदा होता है। विविध भाषाओं का अध्ययन करके भाषा-विज्ञानियों ने सम्बन्धतत्त्व को व्यक्त करने के नीचे लिखे प्रकार बताया है।

(१) सम्बन्धतत्त्व अलग शब्द ही हो सकता है। उदाहरणार्थ—संस्कृत के इति, एव, अपि, च, परं आदि हिन्दी के से, का, के, में, पर, और तब, जब, जहां तहां आदि। सभी सर्वनाम-शब्द सम्बन्धतत्त्व ही प्रदर्शित करते हैं। कभी कभी दो शब्द वाक्य में सम्बन्धतत्त्व जतलाते हैं और इनका स्थान भिन्न रहता है, जैसे हि० यदि...तो, न...न, यद्यपि...तथापि।

(२) सम्बन्धतत्त्व अर्थतत्त्व में ही जोड़ दिया जाता है, इस प्रकार वह उसी शब्द का अंग बन जाता है। यह शब्द के आदि, मध्य अन्त में कहीं भी हो सकता है, उदाहरणार्थ सं० में लङ् और लुङ् में आदि में अ-(अगच्छन्, अगमत्, अचोरयत्, अचचुरत्) जो भूतकाल की क्रिया का द्योतक हो गया अथवा अ(अकुर्वन्, अगच्छन्,

अपाणिपादः) जो क्रियाओं और संज्ञाओं में निषेध का सूचक हो गया; मध्य में -अ (गम्यते, हस्यते, चौर्यते) भाववाच्य अथवा कर्मवाच्य का द्योतक, अथवा -अय -यय- (करति-कारयति, स्नाति-स्नायति) जो प्रेरणा की सूचना देने लगा; अन्त में -स्य, -स्मिन् (रामस्य, सर्वस्मिन्) आदि विभक्त्यर्थक, शतृ, -क (गच्छत्, गत) आदि क्रिया के काल भाव आदि के द्योतक । इसी प्रकार हिन्दी का निषेधात्मक अ, प्रेरणा र्थक -वा- (करना करवाना), स्त्रीप्रत्यय -आनी, -आइन (पंडितानी, पंडिताइन) आदि विभक्त्यर्थक -हि, -र (घरहि, दुआरे) आदि इसी के उदाहरण हैं । सामी भाषाओं में इस उपाय का अवलम्बन प्रचुर मात्रा में किया जाता है । वहाँ अर्थतत्त्व तीन व्यंजनों द्वारा उद्बोधित होता है और प्रायः सभी शब्द उनके आगे पीछे बीच में कुछ ध्वनियों (विशेष कर स्वरों) को जोड़ कर बनते हैं, जैसे व् ल् द् इन तीन की इसी क्रम की समष्टि का अर्थ पैदा करना होता है, इसी से वालिद, वल्द, तवल्लुद आदि शब्द बनते हैं; इसी प्रकार क्, त्, ल् की समष्टि से क्रातिल, क्तल, मक्तूल, क्तल, कुतिल, यक्तुलु, क्तिल, क्तिताल, क्रातल, क्, त्, व् से किताब, कुतुब, कातिब, मक्तुब, तक्तुब, कतबत आदि ।

(३) अर्थतत्त्व की ध्वनियों में कुछ परिवर्तन कर देने (एकाध का लोप करके उसके स्थान पर दूसरी बिठा देने) से भी सम्बन्धतत्त्व का बोध कराया जाता है, उदाहरणार्थ संस्कृत में भृङ्ग (सींग) -शार्ङ्ग (सींग का बना हुआ), पुत्र-पौत्र, हिन्दी में पिटना-पीटना, कटना-काटना, मरना-मारना, बकरा-बकरी, पोथा-पोथी, फूला-फूली आदि ।

(४) अर्थतत्त्व की ध्वनियों में ध्वनिगुण (मात्रा, सुर या बलाघात) का भेद उपस्थित कर देने से भी सम्बन्धतत्त्व का बोध हो जाता है, जैसे अंगरेज़ी में बलाघात के ही द्वारा शब्द क्रिया है या संज्ञा इसका बोध होता है 'कन्डक्ट (संज्ञा) कन् 'डक्ट (क्रिया) ('Conduct-Con'duct), 'रे-कॉर्ड (संज्ञा) रे-'कॉर्ड (क्रिया) ('Record-Be'cord) । चीनी और अफ़्रीकी भाषाओं में सुर के द्वारा निषेध आदि का बोध होता है । अफ़्रीकी भाषा फ़ुल के एक वाक्य का उदाहरण ध्वनिगुण के अध्याय में ऊपर दिया गया है ।

(५) जैसे गाने में दक्षिण विराम, अथवा वाक्यों के बीच का विराम पर्याप्त राव का बोधक होता है, वैसे ही किसी अर्थतत्त्व में ध्वनियों को जोड़कर या उनमें परिवर्तन करके जब रूपों की भेदी बनती है तब अर्थतत्त्व में कोई विकार न उत्पन्न करना और उसको ज्यों का त्यों छोड़ देना भी सम्बन्धतत्त्व का द्योतक हो सकता है । दिक पूर्व और उत्तर-कासीन संस्कृत भाषा में किसी किसी संज्ञा का अविभक्त रूप (पात्, सरित्, जलमुक्, वरिष्क, मशः) प्रथमा एकवचन का द्योतक होता

था। हिन्दी में धातु का अविकृत रूप (कर, चल, जा, खा) क्रिया के आशय का बोधक होता है।

(६) अर्थतत्त्व का वाक्य में अथवा वाक्यांश में स्थानमात्र ही कभी कभी सम्बन्धतत्त्व का बोधक होता है। उदाहरणार्थ हिन्दी में राम गीत गाता है; गीत अच्छा लगता है इन दो वाक्यों में गीत शब्द का वाक्य में स्थान ही उसके कारक का बोधक है। समास में तो शब्द के स्थान पर बहुत कुछ निर्भर रहता है। मल्लग्राम (पहलवानों का गांव) और ग्राममल्ल (गाव का पहलवान), राजपुत्र (राजा का लड़का) और पुत्रराज (लड़कों में राजा, श्रेष्ठ) आदि प्रयोगों में अपेक्षाकृत प्रथम या द्वितीय स्थान ही सम्बन्धतत्त्व को जतलाता है।

इस तरह सम्बन्धतत्त्व को प्रकट करने के विभिन्न उपाय होने के कारण भाषाओं की रचना की भिन्न भिन्न शैलियाँ मालूम पड़ती हैं। किसी किसी भाषा में अर्थतत्त्व और सम्बन्धतत्त्व इस ढंग से मिला हुआ रहता है कि एक ही शब्द दोनों तत्त्वों का पूर्णरूप से बोधक होता है। प्राचीन आर्य और सामी भाषाएँ अधिकांश में इसी ढंग की हैं। इनमें सम्बन्धतत्त्व को बताने के लिए स्वरक्रम (गुण, वृद्धि आदि ablaut), आदि, मध्य या अन्त में प्रत्यय लगाना, ध्वनियों में कुछ लोप, आदेश आदि कर देना—इत्यादि उपाय काम में लाए गए हैं। कुछ अन्य भाषाओं में सम्बन्धतत्त्व के अंश अलग ही शब्द रहते हैं, जैसे चीनी भाषा में सम्बन्धतत्त्व वाले शब्दों को रिक्त और अर्थतत्त्व वालों को पूर्ण कहते हैं। दोनों का अस्तित्व अलग अलग रहता है। अफ्रीका की कुछ (बांटू आदि) भाषाओं में एक ही सम्बन्धतत्त्व को व्यक्त करने के लिए एक से अधिक शब्द रहते हैं। कुछ भाषा-परिवारों (फ्रीनी-उग्री या तुर्की-तारतारी) में सम्बन्धतत्त्व अर्थतत्त्व के साथ जुड़ा रहता है परन्तु उसका अस्तित्व इतना प्रत्यक्ष होता है कि बिना अर्थतत्त्व को जरा भी छोड़े हुए उसको अलग कर सकते हैं। कोई भी भाषा ऊपर लिखे उपायों में से केवल एक ही का अवलम्बन नहीं करती। इनमें से एक उपाय की प्रचुरता देखकर ही हम कह देते हैं कि अमुक भाषा अमुक उपाय का अवलम्बन करती है। हिन्दी ही को ले लीजिए। आर्य भाषा होने के कारण बहुत से शब्दों में सम्बन्धतत्त्व अर्थतत्त्व से जुड़ा हुआ अभिन्न रूप से दिखाई देता है, किन्तु इस अभिन्नता की मात्रा संस्कृत से कम है। चीनी भाषा की तरह इसमें सम्बन्धतत्त्व को बतलाने के लिए विभक्त्यर्थक आदि अलग ही अस्तित्व रखने वाले शब्दों की संख्या है और सो भी कम नहीं। बांटू भाषा की तरह कुछ प्रयोगों (यदि तो आदि) में एक से अधिक शब्द सम्बन्धतत्त्व का बोध कराते हैं। बहुत से ऐसे शब्द हैं जिनमें फ्रीनी या तुर्की भाषा की तरह सम्बन्धतत्त्व

का अंश बिना अर्थतत्त्व को छोड़े अलग ही भलकता है ।

अर्थतत्त्व और सम्बन्धतत्त्व का परस्पर भेद समझ लेने पर भी शब्द क्या है यह सवाल हल नहीं होता । संस्कृत के व्याकरणों ने शब्द के प्रयोग को पद की संज्ञा दी है । ध्वनियों का समूह ही शब्द माना गया है । यदि उसमें प्रत्यय जोड़कर उसे वाक्य में व्यवहार के योग्य कर लिया जाय (और जिस प्रक्रिया से उसमें अर्थ को उद्बोधित करने की सामर्थ्य आ जाय) तो उसे पद कहते हैं । यही पाणिनि द्वारा दिए गए पद के लक्षण (सुप्तिङन्तं पदम्) का अभिप्राय है । व्याकरण की दृष्टि में जब तक प्रकृति में प्रत्यय नहीं जुड़ता तब तक उसके अर्थ का कोई बोध नहीं होता है और इसीलिए ऐसे पदों में यहां तक कि (नीचैः आदि) अव्ययो में भी जिनमें कुछ भी विकृति नहीं आती, उसे प्रत्ययों की कल्पना करनी पड़ी है और उन प्रत्ययों के तात्कालिक लोप की । तथापि सिद्ध शब्द के लिए पद शब्द का प्रयोग और असिद्ध के लिए केवल शब्द का प्रयोग करके दोनों का भेद रखना उचित है । किसी किसी भाषा में पद ही पूरा वाक्य होता है अथवा वाक्य ही पूरा पद होता है । एस्किमो ऐसी ही एक भाषा है । बाटू में हम देख ही चुके हैं कि दो शब्दों को मिलाकर ही सम्बन्धतत्त्व-बोधक पद का बोध होता है । चीनी भाषा में कभी कभी एक से अधिक शब्द मिलाकर ही अर्थतत्त्व का बोध होता है । उदाहरणार्थ इ + फु (वस्त्र), फु + च्शा (पिता) । इन दो दो शब्दों के समूह को ही पद कह सकते हैं । कहीं कहीं यह दो शब्द वाक्य में अलग अलग एक दूसरे से दूरस्थित रह सकते हैं । फ़ेच भाषा का न पा (नहीं) उदाहरण है (ज न ले पा व्यू—मैं ने नहीं देखा) । इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए पद का नीचे लिखा लक्षण ठीक मालूम होता है—

“पद उस ध्वनि या ध्वनिसमूह को कहते हैं जिसका वाक्य में भाषा की परम्परा के अनुसार सम्बन्धतत्त्व, अर्थतत्त्व अथवा उन दोनों के अर्थ का बोध कराने के लिए प्रयोग होता है । यदि ध्वनि-समूह है तो एकत्र और कभी कभी अनेकत्र भी उसके अंशों की स्थिति रह सकती है” ।

हर भाषा में उसकी परम्परा के अनुसार ही पद का विशिष्ट लक्षण करना पड़ेगा । पर साधारण रीति से उपर्युक्त लक्षण सभी भाषाओं के पदों के लिए उपयुक्त होगा ।

पद का लक्षण कर देने पर, शब्द के विषय में भी कुछ कहना ज़रूरी है । ऊपर कह ही चुके हैं कि शब्द पद की उस अवस्था का नाम है जब उसमें अर्थ का उद्बोध नहीं हुआ । परन्तु सामान्य रूप से उसमें अर्थ निहित रहता है । ध्वन्यात्मक शब्द और व्याकरणात्मक शब्द में यह अन्तर है कि ध्वन्यात्मक शब्द एक साथ उच्चा-

रण में आता है। सुविधा के अनुसार उसमें एक ही व्याकरणात्मक शब्द (जैसे नीचैः प्रविशति में) एकाधिक व्याकरण-शब्द (अभिष्ट) अथवा एक व्याकरण-शब्द और द्वितीय का कुछ अंश (पुत्रः अस्माकं = पुत्रोऽस्माकं) हो सकता है। व्याकरणात्मक शब्द में अर्थ का बोध कराने की, विशिष्ट भाषा की परम्परा से, शक्ति रहती है। जब ध्वनियों के किसी समूह में व्याकरण के प्रयोग के अनुसार अर्थ के बोध कराने की शक्ति होती है तब उसे शब्द की संज्ञा देते हैं।

तेरहवां अध्याय

पदविकास

ऊपर कह चुके हैं कि भाषा का अवयव वाक्य है। हमें सम्पूर्णा वाक्य से अर्थ का बोध होता है। हमारा अनुभव प्रथम वस्तुओं और जीवों पर केन्द्रित होता है, फिर गुणों पर। वस्तुओं से भिन्न, अलग से गुण का बोध धीरे धीरे जैसे जैसे अनुभव बढ़ता जाता है, होता जाता है। वाक्य द्वारा उद्बोधित अर्थ का विश्लेषण प्रत्येक भाषा में किन्हीं धाराओं में होता है जो स्वाभाविक और सर्वसाधारण हो जाती हैं। आज हम हिन्दीभाषी लोग कर्ता के लिंग के अनुसार क्रिया में भी लिंग रखते हैं, यह हमारे लिए सर्वसाधारण और स्वाभाविक सी बात है। हमारी भाषा इसी धारा में चली आई है, जिस धारा का विकास संस्कृत, प्राकृत अपभ्रंश के क्रम से स्पष्ट दिखाई पड़ता है। पर कर्ता के अनुसार क्रिया में लिंग का भेद करना अंगरेज़ी या बंगाली में नहीं होता—इन भाषाओं की स्वाभाविक धारा इस बारे में हमारी से बिल्कुल विपरीत है। इसी प्रकार जिन भाषाओं का हमारी भाषा से जितनी दूर का सम्बन्ध है उनकी धाराएँ उतनी ही भिन्न होंगी। इन धाराओं का विश्लेषण व्याकरण द्वारा होता है। विशिष्ट सम्बन्ध-तत्त्वों द्वारा ही इन धाराओं का निर्धारण होता है। इस प्रकार शब्द का रूप ही इन धाराओं का निरूपण करता है, यदि शब्द के रूप की विभिन्नता नहीं है तो समझना चाहिये कि वह धारा नहीं है। संस्कृत में विशेष्य के लिंग के अनुसार विशेष्य का लिंग होता था—(सुन्दरः पुरुषः, सुन्दरी स्त्री, सुन्दरं कमलं) परन्तु आज हिन्दी में अधिकांश विशेष्यों में लिंग का भेद नहीं होता (सुन्दर पुरुष, सुन्दर स्त्री, सुन्दर कमल), जैसा कि रूप की अभिन्नता से स्पष्ट है और जिनमें है भी (मोटा आदमी, मोटी औरत) वहां भी मिट जाने के लक्षण दूर से दिखाई पड़ रहे हैं। यदि किसी भी सम्बन्धतत्त्व द्वारा लक्षित रूप विभिन्न न हो तो समझ लेना चाहिए कि वह धारा उस भाषा के इतिहास में या तो थी ही नहीं या थी तो विलुप्त हो गई। संस्कृत में आशीलिङ् और विधिलिङ् के लिए जुदा जुदा रूप थे, प्राकृत काल में इनकी एकरूपता हो गई। और आज हिन्दी में इनकी तथा प्राचीन आज्ञा (लोट्) के रूपों की एकरूपता पाई जाती है। बच्चा सुली रहे (आशीवाद), वह विछौने से उठकर मुँह धोए (विधि), वह खाना खाए (आज्ञा), और यदि वह बीमार पड़े (संकेत)

इन सब प्रयोगों में क्रिया के रूप के लिए एक ही सम्बन्धतत्त्व है। ऐसी दशा में हम कह सकते हैं कि हिन्दी में आशीर्वाद आदि के लिए विभिन्न धाराएँ नहीं हैं। इस प्रकार इन व्याकरण-सम्बन्धी धाराओं का अध्ययन विशिष्ट भाषा के सम्बन्ध में ही और सो भी उसके इतिहास के किसी विशिष्ट समय के बारे में ही हो सकता है।

लिङ्ग, वचन, कारक (कर्तृत्व, कर्मत्व, करणत्व आदि), पुरुष (उत्तम, मध्यम, अन्य), काल (भूत, वर्तमान, भविष्य), प्रश्न, निषेध आदि के भाव सम्बन्ध-तत्त्वों द्वारा जतलाए जाते हैं। जिन भाषाओं में इनमें से कुछ के लिए अलग सम्बन्धतत्त्व नहीं हैं उनके विषय में निश्चयात्मक रूप से हम कह सकते हैं कि उन भाषाओं में सोचने विचारने की वे धाराएँ नहीं हैं। इस जगह पर इन सम्बन्धतत्त्वों द्वारा निर्दिष्ट धाराओं के इतिहास पर विचार कर लिया जाय।

लिंग

व्याकरण के अनुसार शब्दों में तीन लिंग मिलते हैं—पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। परन्तु इस लिंग का नैसर्गिक पुरुषत्व और स्त्रीत्व से कोई सम्बन्ध नहीं। संस्कृत में स्त्रीवाचक शब्द सभी लिंगों (दाराः पुं०, स्त्री, महिला स्त्री०, कलत्रं नपुं०) में मिलते हैं। संस्कृत, हिन्दी, अरबी, फ्रेंच आदि भाषाओं में अचेतन पदार्थों को जतलाने वाले शब्द कोई पुल्लिंग होते हैं तो कोई स्त्रीलिंग, जैसे—पानी के लिए संस्कृत में वारि, जल आदि नपुं० पर अपस स्त्री०, हिन्दी में बाट (स्त्री०) रस्ता (पुं०), डगर (स्त्री०), मार्ग (पुं०) अरबी में किताब (स्त्री०) मौत (स्त्री०)।

मुंडा भाषाओं में पुल्लिंग और स्त्रीलिंग का भेद नहीं है। जहा भेद जतलाने की जरूरत होती है वहां फ़ारसी की तरह नर और मादह के लिए शब्द जोड़कर लिंग-भेद किया जाता है, जैसे आडिया कूल् (बाघ), एंगा कूल् (बाघिन)। संज्ञाओं के चेतन और अचेतन यह विभाग मिलते हैं। द्राविड़ भाषाओं में संज्ञाओं के दो भेद पाए जाते हैं—उच्चजातीय और जातिहीन, तथा फ़ारसी की तरह पुरुष और स्त्री सूचक शब्द जोड़कर पुल्लिंग और स्त्रीलिंग का भी भेद कराया जाता है। अंग्रेज़ी में अचेतन पदार्थों पर भी कभी कभी पुरुषत्व और स्त्रीत्व का आरोप जान भ्रूष कर किया जाता है; उस भाषा में सूर्य-वाचक शब्द सन् (sun) पुं० और चन्द्र-वाचक शब्द मून् (moon) स्त्री० होता है, शिप (जहाज़) (ship) और ट्रेन (train) स्त्री० होते हैं। इस प्रकार भाषाओं में लिंग के बारे में बड़ी विभिन्नता है।

यदि अचेतन पदार्थों के लिए सदा नपुंसकलिंग और चेतन जीवों में पुरुषों के लिए पुल्लिंग और स्त्रियों के लिए स्त्रीलिंग होता तो बात युक्तसंगत होती। पर अधिकतर बात इसके विपरीत है। इसका क्या कोई कारण है? प्रश्न के तीन

भाग हैं—(क) पुरुष के लिये स्त्रीलिंग शब्द क्यों, अथवा स्त्री के लिए पुल्लिंग शब्द क्यों ?, (ख) चेतन के लिये नपुं० शब्द क्यों और (ग) अचेतन के लिये पुं० और स्त्री० शब्द क्यों ? वर्तमान भाषाओं के लिंग को हम खोजते खोजते पुरानी भाषाओं तक पहुँचते हैं । हिन्दी का पुल्लिंग और स्त्रीलिंग का प्रयोग अपना इतिहास वैदिक संस्कृत तक पाता है । गुजराती और मराठी में का स्वल्पावशिष्ट नपुंसकलिंग भी संस्कृत तक पहुँचता है । इसी प्रकार अन्य भाषाओं के बारे में भी कह सकते हैं । आदि भाषाओं के विषय में विचार करना है ।

(क) पुरुष के लिए स्त्री० शब्द और स्त्री के लिए पुं० शब्द का प्रयोग, तब संभव है, जब पुरुष में स्त्री के कोई विशिष्ट गुण, विशेष परिस्थिति में, देखे गए होंगे और स्त्री में पुरुष के गुण; तभी विपरीत लिंग का प्रयोग हुआ होगा । संस्कृत का स्त्रीवाचक पुं० दाराः शब्द शायद स्त्री के गृहप्रबन्ध के कौशल को देखकर ही पुं० हुआ होगा ।

(ख) चेतन के लिए नपुं० शब्द का प्रयोग, संभव है, कि कुछ अचेतनत्व देखकर ही प्रयोग में आया होगा । संस्कृत का स्त्रीवाचक नपुं० कलत्र शब्द शायद इस बात का द्योतक है कि स्त्री और सामग्री की तरह पिता के घर से पति के घर पहुँचा दी जाती थी ।

(ग) अचेतन के लिए पुं० या स्त्री० का प्रयोग अचेतन पदार्थों में जीवन की कल्पना करने से ही संभव हुआ होगा । अग्निवाचक संस्कृत के पावक, अग्नि, दहन आदि शब्द शक्ति और प्रकाश आदि गुणों को जतलाते हैं । शत्रो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पीतये आदि मन्त्र में जलवाचक अपसु शब्द का स्त्री० में प्रयोग उसके सुख, शान्ति देने के गुण का द्योतक है ।

जहां कोमलत्व, शान्ति आदि की कल्पना की जाय वहां स्त्रीलिंग का प्रयोग और जहां वीरत्व अोज आदि की कल्पना हो वहां पुल्लिंग प्रयोग युक्तिसंगत जान पड़ता है । और किसी भाषा में यदि एक बार इस तरह का प्रयोग कुछ शब्दों में चल पड़ा तो दूसरों में भी होकर भाषा का स्वाभाविक अंग बन जाता है । वर्तमान भाषाओं में जहां लिंग-भेद है वहा से उसे हटाने की या ज़रा भी उसे छेड़ने की यदि ज़रा भी बात की जाती है तो उस भाषा के बोलने वालों को बुरा लगता है । अपने आप दूर हो जाय तो कोई बात नहीं ।

वचन

संसार की वर्तमान अधिकांश भाषाओं में एकवचन और बहुवचन को व्यक्त करने का प्रबन्ध है । लिथुएनियन में अत्र भी द्विवचन अवशिष्ट मिलता है । अफ्रीका की कुछ भाषाओं में त्रिवचन के भी रूप मिलते हैं । द्विवचन और त्रिवचन के अस्तित्व

व से वह न समझना चाहिए कि जिन भाषाओं में यह है उनके बोलने वाले दो या तीन से आगे की गिनती नहीं जानते थे। संसार में जीव और वस्तुएँ एक और अनेक दिखाई देती हैं। इसलिए एकवचन और बहुवचन को व्यक्त करने के लिए भाषाओं में साधन होना स्वाभाविक ही है। द्विवचन का आविर्भाव किन्हीं वस्तुओं को समान और साथ साथ देखने से हुआ होगा, जैसे दो पैर, दो हाथ, दो आँखें, दो कान अश्विनौ आदि। धीरे २ निरन्तर साथ रहने वाली पर भिन्न वस्तुओं अथवा जीवों के लिए भी इस वचन का प्रयोग होने लगा। इन्द्राग्नी, मित्रावरुणौ, द्यौवापृथिवी, पितरौ आदि प्रयोग इसीके उदाहरण हैं। और फिर द्विवचन सर्वसाधारण प्रयोग में आ गया। संस्कृत में द्विवचन था, पर पालि और बादवाली आर्य भाषाओं से वह गायब हो गया। उसके लोप का कारण यही हो सकता है कि द्विवचन की स्वतन्त्र सत्ता का उसके विस्तृत व्यवहार के कारण कोई उपयोग नहीं दिखाई पड़ा। किन्हीं दो वस्तुओं का बोध कराने के लिए संख्यावाचक दो का प्रयोग करके अनेकवाचक बहुवचन को लाकर काम चल गया। इसी प्रकार जिन भाषाओं में त्रिवचन का व्यवहार है वहाँ किन्हीं वस्तुओं को तीन के समूह में देखना और उसे विशेष रूप से व्यक्त करना आवश्यक समझा गया होगा।

इन वचनों के अतिरिक्त भाषाओं में व्यक्ति और समूह को अलग अलग व्यक्त करने के भी साधन मौजूद रहते हैं। वैदिक संस्कृत में कई प्रयोग ऐसे मिलते हैं जिनमें संज्ञा बहुवचन में है और क्रिया एकवचन में। ऐसे स्थलों में बहुवचन से केवल समूह का बोध होता है। बाद को समूहवाचक बहुत से शब्द बन गए; गए पुराना शब्द है। द्वितय, त्रितय, चतुष्टय आदि भी समूहवाचक हैं। हिंदी के जोड़ा जोड़ी, गंडा (४), पंजा (५), दर्जन, कोड़ी आदि शब्द इसी श्रेणी के हैं। और साहित्यशास्त्री तो विशेष समूहों की संख्या को व्यक्त करने के लिए— वेद, रस, ऋषि, वसु, रुद्र, आदित्य आदि कितने ही शब्दों का प्रयोग करते हैं। किसी समूह की कल्पना करके अनेक समूहों की भी कल्पना हो सकती है, इसी कारण समूहवाचक शब्द एकवचन या बहुवचन में हो सकते हैं।

काल

काल का विचार आज जितना स्पष्ट जान पड़ता है उतने स्पष्ट रूप से पूर्व समय की भाषाओं में नहीं व्यक्त पाया जाता। संस्कृत के भूतकाल के लिए तीन रूप (अनवलन, परोक्ष और लज्जान्ब) मिलते हैं। उनमें क्रिया के समाप्त होने की भावना अधिक निहित है, भूतकाल की कम, और वह काम आज से पहले खत्म हुआ, या ईर के पूर्ववर्ती समय में जिसके वक्त ने अपनी आँखों नहीं देखा, इत्यादि भावों की

विवेचना पर ज़ोर रहता था। वर्तमान भाषाओं की काल-प्रक्रिया को यदि सूक्ष्म दृष्टि से देखें तो पता चलता है कि वर्तमानकाल के रूप तो असन्दिग्ध और सुस्पष्ट हैं, अन्यो के नहीं। उदाहरण के लिए भविष्य को ही ले लीजिए। अंगरेज़ी में इसको व्यक्त करने के लिए अलग रूप नहीं—धातु में कोई वर्तमान-कालिक इच्छावाचक विल् (will), शल्ल (shall) अन्य धातु जोड़ कर ही इसका बोध कराया जाता है। फ्रेंच में भी भविष्य और भूत के रूपों में विलक्षण घालमेल है। हिंदी में तो खड़ी-बोली का भविष्यकाल वर्तमान और भूतकाल के रूपों को जोड़ कर ही बनाया जाता है। जायगा में दो अश हैं जाए—<याति (जाता है) और -गा<गत (गया)। यह -गा (-गी, -गें) अंश वर्तमान-कालिक अन्य धातु-रूपों के बाद जुड़ा मिलता है। अ्रवधी आदि बोलियों में, जाब, जाइब, जइवे आदि रूप प्राचीन कृत्य रूपों पर निर्भर हैं जिनका तात्पर्य था ‘.....चाहिये.....होगा’। ब्रज आदि में जइहै, जाई आदि रूप प्राचीन (संस्कृत) भविष्य से धीरे-धीरे विकसित हुए हैं पर संस्कृत में ही धातु और वर्तमानकाल के प्रत्ययों के बीच में -स्य- जोड़कर ही तो भविष्य का बोध कराया जाता था न।

इसी प्रकार भूतकाल का बोध भी पक्की नींव पर नहीं है। हिंदी में (तथा अन्य भारतीय आर्य भाषाओं में भी) इस काल का बोध निष्ठा पर अवलम्बित है जो केवल किसी काम के पूरे होने का बोध कराती थी—काल का नहीं। यदि वर्धा गया तो महात्मा जी के अवश्य दर्शन करूँगा आदि प्रयोगों में भूतकाल का बोधक गया भविष्य की बात कहता है।

मनुष्य के जीवन में वर्तमान ही निश्चित है, “कल की राम जाने”। भूत की भी वही बात निश्चित है जो अपने अनुभव में आई हो। इसी प्रकार भाषा में भी अधिक स्थिर रूप वर्तमान काल के ही होना स्वाभाविक है अन्यो के अपेक्षाकृत अस्थिर।

प्रेरणार्थक आदि

संस्कृत में क्रिया में काल के ऊपर अधिक ज़ोर न था, किन्तु क्रिया के प्रकार पर स्पष्ट ज़ोर दिया जाता था। कर्ता स्वयं क्रिया करता है या उसे कोई करने को प्रेरित करता है—इन दोनों के लिए अलग अलग (गच्छति, गमयति) रूप थे। किसी काम को करने की इच्छा करने के लिए जुदा रूप (जिगमिषति), बार बार या खूब करता है तो भिन्न ही रूप (देदीयते—बार बार देता है या खूब देता है) इत्यादि। आज हिन्दी आदि आधुनिक आर्य भाषाओं में विचार की यह धाराएँ समाप्त सी हो गई हैं। यदि इन विचारों को प्रकट करने की ज़रूरत होती है तो अलग अलग शब्दों से इनका बोध

होता है न कि उसी धातु के विभिन्न रूपों से। इनमें से केवल प्रेरणार्थक के रूप मिलते हैं, करना—करवाना, पढ़ना—पढ़ाना आदि। अंगरेज़ी में प्रेरणार्थक का भी भाव क्रिया के भिन्न रूपों से न जतला कर प्रेरणा का अर्थ बतलाने वाली किसी धातु (कॉज़्-cause, मेयक् make) के प्रयोग द्वारा सिद्ध करते हैं। संस्कृत के बहुत से, इस प्रकार के भिन्न रूपों द्वारा जतलाए हुए, प्रयोग आज हिन्दी में दो या अधिक शब्दों के जोड़ से जतलाए जाते हैं; मैं जाना चाहता हूँ, मैं खूब खाता हूँ, मैं चलता रहा, मैं चल पड़ा, मैंने खाया, मैं खा गया, मैंने खा डाला, मैं खा चुका आदि प्रयोगों में विचार की जो बारीकी सुस्पष्ट है वह शब्दों द्वारा प्रकट नहीं की जा सकती। संस्कृत इन्हीं में से बहुतों को क्रिया के ही भिन्न भिन्न रूपों से प्रकट करती थी।

संस्कृत की धातुएँ व्याकरणों द्वारा दस भागों में बांटी गई हैं, एक गण की धातुओं के रूप दूसरी से आशिक रूप से भिन्न हैं—किन्हीं धातुओं के बाद ही तुरन्त तिङ् प्रत्यय लग जाते हैं (अद् + मि), कुछ के उपरान्त तिङ् के पूर्व कुछ जुड़ता है (वप् + अ + ति, विद् + य + ते, कृ + णो + ति, पूज् + अय + ति आदि), कुछ धातुओं में धातु की ध्वनियों में ही कुछ परिवर्तन हो जाता है (रुध् + ति = रु + ण ध् + ति = रुणद्धि)। किसी धातु का रूप अभ्यास प्राप्त करता है (हु + ति = जुहु + ति = जुहोति)। रूप की इस विभिन्नता की तह में विचारधारा की कोई विभिन्नता रही होगी, ऐसा अनुमान करना युक्ति-संगत है। संभव है कि जिन धातुओं को अभ्यास प्राप्त होता है उनसे पहले २ बार बार किए जाने वाली क्रिया का ही बोध होता रहा हो; जुहोति (आहुति देता है) में बलि (आहुति) बार-बार ही देवता को समर्पित की जाता थी। यद्यपि आज इस विभिन्नता के इतिहास की खोज करना असंभव सा है तथापि भाषाविज्ञानी का विचार इस बात पर स्थिर है कि रूप-विभिन्नता के साथ विचारधारा की विभिन्नता अवश्य रही होगी।

वाच्य

संस्कृत में तीन प्रयोग या वाच्य होते हैं—कर्तृ, कर्म और भाव, यदि किसी वाक्य में कर्तृत्व पर जोर होता है तो कर्तृवाच्य, कर्म पर तो कर्मवाच्य और क्रिया के भाव पर हो तो भाववाच्य। कर्तृवाच्य में कर्ता स्वयं काम करता दिखाई देता है। कृष्ण भक्तों का उद्धार करते हैं इस वाक्य में कृष्ण का कर्तृत्व स्पष्ट है, किन्तु भक्तों का उद्धार किया जाता है इस वाक्य में उद्धार पर जोर है चाहे कृष्ण करें या राधा, या राधेश्याम। इसी प्रकार स्वयं नहीं चला, चला नहीं जाता, आदि प्रयोगों में क्रिया द्वारा बतलाए हुए भाव पर जोर है, किससे नहीं खाया जाता या क्या नहीं खाया जाता अथवा किससे नहीं चला जाता इस पर नहीं। इन-तीनों

प्रयोगों के लिए संस्कृत में धातुओं के अलग अलग रूप पाए जाते थे। पर आगे चल कर कर्मवाच्य और भाववाच्य का प्रयोग भिन्न रूपों से न बतलाकर संयुक्त क्रिया द्वारा सिद्ध किया गया। उद्धार किया नहीं जाता, खाया नहीं जाता, चला नहीं जाता आदि वाक्यों में प्रधान क्रिया को जा का सहयोग प्राप्त है और इसी संयोग से कर्मवाच्य और भाववाच्य का बोध कराया गया है। कर्तृवाच्य सकर्मक अकर्मक दोनों तरह की धातुओं के रूपों में संभव है, कर्मवाच्य केवल सकर्मक धातुओं में और भाववाच्य अकर्मक में ही। गुरु शिष्य को पढ़ाता है इस प्रयोग में ऐसा नहीं कि केवल गुरु ही काम कर रहा हो शिष्य नहीं, क्योंकि यदि शिष्य सावधान न हो तो गुरु क्या खाक पढ़ा पाएगा। पर इस प्रयोग में कर्तृत्व का प्रयोग इसलिए है कि कर्ता का भाग प्रधान है शिष्य का गौण। चौकीदार चोर को पीटता है इस वाक्य में सम्पूर्ण कर्तृत्व कर्ता का ही है, कर्म की न सहायता है न सहयोग, विरोध भले ही हो। इस प्रकार सकर्मक धातुओं का प्रभाव कर्म पर अवश्य पड़ता है, अकर्मक धातुओं में वह कर्ता तक ही सीमित रहता है। कुछ भाषा-विज्ञानियों ने कुछ सकर्मक धातुओं के कर्तृत्व के विषय में सन्देह किया है, जैसे देखना। उनका कहना है कि देखने की क्रिया में कर्ता कुछ नहीं करता, उसके दीदे पर सामने की चीज़ की छाया पड़ती है और उसे बेवस देखना पड़ता है, इसी प्रकार सुनना है। पर यदि गहराई से विवेचन किया जाय तो बात ऐसी नहीं है। यदि हमारा अन्तःकरण क्रियाहीन हो तो सामने की ही वस्तु न दिखाई पड़े और निकटतम शब्द भी न सुनाई पड़े। इसलिए इन धातुओं के बारे में कर्तृत्व उतना ही निश्चित है जितना अन्यो में।

पद

संस्कृत में धातुएँ दो भागों में बँटी थीं— परस्मैपद और आत्मनेपद। इस विभाग की तह में क्रिया के फल का विभाग था; यदि क्रिया का फल कर्ता को स्वयं मिले तो आत्मनेपद और यदि दूसरे को तो परस्मैपद। उदाहरण के लिए यजमानः यजते और ऋत्विक् यजति। पहले में आत्मनेपदी क्रिया है दूसरे में परस्मैपदी। क्रियाओं का ठीक ठीक इस अर्थ में प्रयोग उत्तरोत्तर घटता गया और पालि आदि प्राकृत भाषाओं में पदों के अनुसार क्रिया की रूप-विभिन्नता लुप्त ही हो गई। ✓

वृत्ति mood

संस्कृत, ग्रीक, लैटिन आदि प्राचीन भाषाओं में आशीलिङ्, विधिलिङ्, आश्च आदि विभिन्न वृत्तियों के लिए भिन्न भिन्न रूप थे किन्तु हिन्दी आदि वर्तमान भाषाओं में यह विभिन्नता नहीं पाई जाती। अंगरेज़ी में व्याकरणों में यद्यपि कई वृत्तियों का

उल्लेख मिलता है तब भी भाषा में अब बहुधा वर्तमान काल के रूपों से ही सभी का बोध कराया जाने लगा है।/

विभक्ति

संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण के विभिन्न रूपों को विभक्ति कहते हैं। संस्कृत में सात विभक्तियाँ प्रथमा से सप्तमी तक हैं और सम्बोधन के लिए प्रथमा का ही अधिकांश में प्रयोग होता था, केवल एकवचन में अन्तर होता था। यदि उसको भी अलग विभक्ति मानें तो आठ होंगी। इन विभक्तियों का अगल अलग उपयोग होता था जिसका बड़ा यथार्थ और सुन्दर विवेचन पाणिनि की अष्टाध्यायी में मिलता है। इन सात विभक्तियों के स्थान पर पालि, प्राकृत और अपभ्रंश को पार करके हिन्दी में आज दो ही मिलती हैं—एक विकारी और एक अविकारी, अर्थात् एक ऐसी जिसका मूल रूप ज्यों का त्यों रहता है और दूसरी जिसमें कुछ विकार होता है, उदाहरणार्थ—

अविकारी	विकारी
पूत, गाय	पूतों, गाएँ गायों
घोड़ा	घोड़े, घोड़ों
कोई कौन	किस
मैं	मुझ, मेरा
तुम	तुम्हें, तुम्हारा

खड़ी बोली में व्यंजानान्त संज्ञा (लिखाई में अकारांत संज्ञा) का एकवचन में कोई विकारी रूप नहीं होता पर ब्रज अवधी आदि में इनमें से कुछ संज्ञाओं का एकवचन में भी होता है (जैसे घर-घरहि, घरइ, दुआर-दुआरे)। सर्वनामों के प्रायः सभी बोलियों में दो विकारी रूप मिलते हैं, एक पुरानी षष्ठी विभक्ति का स्थानापन्न और दूसरा अन्य विभक्तियों के लिए। अंगरेज़ी की भी ऐसी ही स्थिति है। जर्मन के सर्वनामों में पुरानी सम्प्रदान विभक्ति का भी अवशेष मिलता है। पालि भाषा में संस्कृत की सभी विभक्तियाँ पाई जाती हैं, केवल षष्ठी और चतुर्थी के प्रयोग में अस्थिरता दिखाई पड़ती है, कभी षष्ठी की जगह चतुर्थी और चतुर्थी के स्थान पर षष्ठी। महाराष्ट्री आदि के समय तक चतुर्थी विलुप्त हो गई और अन्य विभक्तियों के स्थान पर षष्ठी का प्रयोग कुछ बढ़ गया। अपभ्रंशों के समय तक ध्वनि-विकास के सहयोग से रूप-विभक्तता और कम हो गई और थोड़ा-थोड़ा परसगों का प्रयोग दिखाई देने लगा। और आज हिंदी की अधिकांश संज्ञाओं में केवल दो ही रूप दिखाई देते हैं—एक अविकारी, दूसरा विकारी। विभक्तियों के अर्थ का बोध परसगों द्वारा होता है। विकारी रूप बहुधा बहुवचन का होता है और लक्ष्य ऐसे दिखाई पड़ते हैं कि बहुवचन का विकारी

रूप वहाँ भी प्रयोग में आने लगेगा जहाँ अब अविकारी आता है। खड़ी बोली में हम कहते हैं—पूत आया, पूतको प्यार करो, पूत आए, पूतों को प्यार करो। पर अवधी की कुछ बोलियों में पूतन आए, पूतन क पिआर करा खूब प्रचलित है।

जब विभक्तियों के लिए अलग-अलग रूप मिलते हों तब निश्चय समझना चाहिए कि विचारधारा में इनके द्वारा व्यक्त किए गए भावों की विभिन्नता थी। इन विभक्तियों के हास के अनुपात से इस विचारधारा का भी हास समझना चाहिए। आज इन विभक्तियों के स्थान पर परसगों का प्रयोग प्रचलित है और इनमें भी अपादानत्व और करणत्व (से) तथा संबंधत्व और सम्प्रदानत्व और कर्मत्व (को, का, की) में भी विशेष भेद नहीं। इस सब से यही नतीजा निकलता है कि संज्ञाओं के विषय की वह बारीकी जो संस्कृत बोलने वाला बर्तता था हम नहीं बर्तते।

कारक

विभक्तियों के क्रिया के साथ संबंध को कारक कहते हैं; यदि किसी क्रिया के साथ किसी विभक्ति का संबंध न हो तो उस विभक्ति को कारक न कहेंगे—जैसे षष्ठी विभक्ति का प्रयोग एक संज्ञा या सर्वनाम का दूसरी संज्ञा या सर्वनाम के साथ संबंध जोड़ने के लिए ही होता था, इसी से संबंध कारक नहीं माना जाता।

संबंध-तत्त्वों द्वारा व्यक्त की गई और व्याकरण द्वारा लक्षित इन धाराओं का जितनी ही सूक्ष्मता से हम विचार करते हैं उतना ही यह स्पष्ट होता जाता है कि यह धाराएँ न तो नैसर्गिक अर्थात् स्वभाव-सिद्ध ही हैं और न किन्हीं तार्किक सिद्धांतों पर निर्भर। मनुष्य-समाज कहाँ, कब किन परिस्थितियों में इन धाराओं को बनाता बिगाड़ता रहता है यह निश्चय-पूर्वक नहीं कहा जा सकता। संस्कृति की दृष्टि से किसी सु-संस्कृत जनसमुदाय में ऐसी धाराएँ वर्तमान रह सकती हैं जो साधारण रीति से अनावश्यक प्रतीत हों। उदाहरण के लिए आर्य भाषाओं में अचेतन पदार्थों का लिंग-भेद है। संसार की भाषाओं के विकास का अध्ययन करके भाषा-विज्ञानी इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि हमारी विचारधारा क्रमशः स्थूल से सूक्ष्म की ओर बढ़ रही है। संभव है कि यह बात इस समय ठीक हो। हम देख ही चुके हैं कि विशेष को देख कर सामान्य और गुणी को देख कर गुण का अनुभव होता है। काली, लाल, सफ़ेद, छोटी बड़ी तरह-तरह की गायों को देख कर ही हमारे दिमाग में गाय का सामान्य रूप बनता है। तरह-तरह की चीज़ों में सफ़ेद रंग को देख कर ही हमें सफ़ेदी का निश्चित रूप मालूम होता है। पहले हम घी, आटा, भाजी आदि का तौलना देख कर ही बात तौलना सीखते हैं, घर जलना देखकर ही जी जलता है, मिर्च आदि

सामान्य भाषाविज्ञान

की कड़ुआइट का अनुभव पाकर ही कड़ुई बात को त्याग देते हैं। शकर आदि की मिठास का मज़ा चखकर ही मीठी बात करते हैं। इन उदाहरणों से स्पष्ट है कि हम स्थूल से सूक्ष्म की ओर जा रहे हैं। पर इतना निश्चय समझना चाहिए कि जब सूक्ष्मता की सीमा पहुँच जायगी तब फिर स्थूलता की ओर बढ़ेंगे। यही सृष्टि का क्रम है और बही विकास का मूलमंत्र।

सूक्ष्म की ओर जाने से यह न समझना चाहिए कि यदि किन्हीं भाषाओं में किन्हीं अंशों में धाराओं की स्थूलता पाई जाती है तो वे भाषाएँ असभ्य जन-समुदायों की हैं। वचन का विवेचन करते हुए ऊपर कह चुके हैं कि द्विवचन या त्रिवचन के अस्तित्व से यह न समझना चाहिए कि लिथुएनी या अफ्रीकी बोलने वाले दो या तीन ही तक गिन सकते हैं। यदि संस्कृत में काल की निश्चित अभिव्यक्ति पर जोर न था तो यह न सोचना चाहिए कि प्राचीन आर्य दार्शनिक को काल का ज्ञान ही न था। कुछ असभ्य जातियों में भिन्न भिन्न वृक्षों के लिए शब्द तो हैं पर सामान्य वृक्ष के लिए कोई शब्द नहीं, अथवा भिन्न भिन्न कीड़ों के लिए शब्द हैं पर सामान्य कीड़े के लिए नहीं। संभव है कि यह वृक्ष और कीड़े की सूक्ष्मता तक न पहुँच पाए हों पर और चीज़ों में सभ्य कहलाई जाने वाली जातियों की अपेक्षा अधिक सूक्ष्मता को पहुँच चुके हों।

ध्वनियों के विकास का विचार करते समय ऊपर हम देख चुके हैं कि भाषा में कुछ ध्वनियाँ लुप्त होकर अपना स्थान दूसरी ध्वनियों को देती रहती हैं। यही बात इन धाराओं पर लागू है। पुरानी धाराएँ बिगड़ती हैं और नई आती रहती हैं। जैसे सृष्टि के अनन्त ध्वनि-भंडार में से कोई भाषा ध्वनियों की परिमित संख्या ही व्यवहार में लाती है, इसी प्रकार धाराओं में से भी भाषा परिमित ही संख्या ग्रहण करती है।

भिन्न भिन्न भाषाओं में भिन्न भिन्न धाराएँ होती हैं। चीनी भाषा में षष्ठीविभक्ति के वज़न की कोई चीज़ नहीं। उसमें सम्बन्धत्व का बोध वाक्य में पदों के क्रमिक स्थान से होता है और यह क्रम भी संस्कृत का ठीक उलटा। जितनी ही एक भाषा से दूसरी की दूरी है उतनी ही इन धाराओं की दूरी। और इस दूरी के अनुपात से ही एक भाषा के भावों विचारों को दूसरी में प्रकट करने की मुश्किल बढ़ती घटती रहती है। किसी को संस्कृत और बंगाली का ज्ञान हो तो उनके ग्रन्थों का हिन्दी में आसानी से अनुवाद कर सकता है। अंगरेज़ी से हिन्दी में अनुवाद करना अपेक्षा-दृष्टि से इत्थादा कठिन है, भिन्न परिवार वाली अरबी या चीनी आदि से और भी कठिन। इस मिर्च में बिल्कुल मिर्च नहीं है, मैने खा डाला, मैं गिरा और मैं गिर गया, मैं आ गया और मैं आ पहुँचा आदि हिन्दी के वाक्यों का अंगरेज़ी में क्या कोई सन्तोष

जनक अनुवाद कर सकेगा ? मुझ से दवात गिर पड़ी का मुहाविरदार अँगरेज़ी में अनुवाद होता है—**आइ ड्रॉप्ट द इंकपॉट (I dropped the inkpot)** पर क्या अँगरेज़ी के इस वाक्य से दवात के गिरने में मेरी असमर्थता और इस घटना के अकस्मात् हो पड़ने का आभास मिला ? मेरा सिर चकरा रहा है को अँगरेज़ी में कैसे व्यक्त किया जाय ?

हर भाषा में अलग अलग कुछ ऐसी अपनी धाराएँ होती हैं जिनको उस भाषा को बोलने वाला ही समझता है । दण्डी ने काव्यादर्श में अलंकारों का विवेचन करते हुए एक स्थान पर उदाहरण रूप कहा है—

इच्छुक्षीरगुडादीनां माधुर्यस्यान्तरं महत् ।

तथापि न तदाख्यातुं सरस्वत्याऽपि शक्यते ॥

अर्थात् गन्ना, दूध गुड़ आदि की मिठास में परस्पर बड़ा फ़र्क है पर उसको सरस्वती भी शब्दों द्वारा नहीं व्यक्त कर सकती । ठीक ऐसी ही बात इन विभिन्न विचार-धाराओं की है, कौन चित्रकार उसे तूलिका पर उतारे, कौन कवि उसे शब्दों में लावे और कौन तानसेन उसे सरगम पर चढ़ावे ।

भाषा की यह धाराएँ संगठित समाज से ही उठती हैं और जब किसी विशेष धारा से समाज कुछ कठिनाई का अनुभव करता है तब उस में अनायास और अनजान में परिवर्तन हो जाता है । प्रयास की बचत के लिए जहाँ एक ओर रूप-विभिन्नता के विरुद्ध और एक-रूपता की ओर मनुष्य निरन्तर बढ़ता रहता है वहाँ साथ ही साथ विभ्रम को दूर रखने और स्पष्टता को कायम रखने के लिए रूपों की अनेकता भी चली चलती है । सृष्टि की प्रत्यक्ष एकता और अनेकता के समान इन धाराओं की भी एकता और अनेकता साथ साथ रहती हैं । इस सम्बन्ध में जो बात ध्वनि-विकास में देखी गई वही पद-विकास में भी झलकती है ।

चौदहवां अध्याय

पदव्याख्या

व्याकरणों ने पदों के कई भेद बताए हैं। ग्रीक व्याकरणों में इस प्रकार के दस पद बताए गए हैं, किंतु अधिकांश में यह विभाग केवल व्याकरणों की ही चीज़ है। इसी प्रकार अन्य प्राचीन भाषाओं के व्याकरणों ने पदों का विभाग किया है। इन सब में संस्कृत व्याकरणों द्वारा की गई पदव्याख्या सबसे अधिक युक्तिसंगत मालूम पड़ती है।

पदों में कुछ अव्यय होते हैं और बाकी अन्य। अव्यय भी कई प्रकार के होते हैं—विस्मयादिबोधक, समुच्चयादिबोधक, उपसर्ग, परसर्ग आदि।

विस्मयादिबोधक अव्यय अन्य पदों से भिन्न होते हैं, उनका वाक्य से कोई संबंध नहीं होता, और ये अलग ही मनोराग का बोध कराते हैं। धिक्, हा, आः, छिः धत् आदि विशेष विशेष मनोरागों की ही अभिव्यक्ति करते हैं। कभी कभी इन अव्ययों में ऐसी ध्वनियाँ होती हैं जो उस भाषा के अन्य शब्दों में नहीं मिलतीं, जैसे किसी करुण दृश्य को देखकर सहसा हम लोगों के मुँह से .च् .च् .च्...की ध्वनि निकलती है। किसी को डाटते समय भी हम विशेष ध्वनि करते हैं। इन सब का वाक्य की अन्य ध्वनियों से कोई संबंध नहीं होता यह स्पष्ट है।

समुच्चयादिबोधक (और, पर, बल्कि आदि), परसर्ग (को, से, का, में, पर आदि), उपसर्ग (प्र, परा आदि) विशेषकर अर्थतत्त्वों का संबंध ही बताते हैं, किसी अलग अर्थ का बोध नहीं कराते। केवल उपसर्ग ही धातु के अर्थ में कुछ विकृति उत्पन्न कर देता है और उस दशा में वह धातु के अनुसार ही विकार प्राप्त करता है। अँगरेज़ी का पद आर्टिकल् (Article) भी अब अव्यय है यद्यपि वह विशेषण से निकला है। क्रियाविशेषण अव्यय हैं पर वह विशेषण से ही निकले हैं, विशेषण की बातें इन पर लागू होती हैं। सर्वनाम शब्द यद्यपि विकारी हैं तथापि यह केवल संबंधतत्त्व का बोध कराते हैं, किसी अर्थतत्त्व का नहीं—यह, वह, मैं, तू, कौन, कोई, जो आदि ऐसे ही शब्द हैं। अंत में विचारार्थ बचते हैं—संज्ञा, विशेषण और क्रिया।

विशेषण और संज्ञा में विभेद की जड़ बहुत नाज़ुक है। प्राचीन आर्यभाषा

में दोनों का विकास साथ साथ पाया जाता है और अधिकांश में उनका समान रूप मिलता है। वैदिकभाषा में सुर-विभिन्नता से ही मालूम होता है कि अमुक शब्द संज्ञा है या विशेषण। आधुनिक भाषाओं में भी संज्ञा के स्थान पर केवल विशेषण ही आ जाता है, जैसे *आम मीठे भी होते हैं और खटे भी, पर मीठे मीठे ही है और खटे खटे अथवा अच्छे लड़के आए और बुरे भी, अच्छों को मिटाई मिली और बुरों को डाट फटकार*। इस प्रकार विवेचना करने पर अंत में संज्ञा और क्रिया दो ही मुख्य भेद स्थिर से दिखाई देते हैं। क्या इनमें कोई मौलिक भेद है ?

कुछ भाषाओं में संज्ञा और क्रिया में मौलिक भेद रहा है, आर्य-भाषाएँ इनमें प्रमुख हैं। आर्य-भाषाओं की पद रचना में संज्ञा के लिए प्रत्यय एक प्रकार के (संस्कृत के सुप्) और क्रिया के लिए दूसरे (संस्कृत के तिङ्) होते हैं। पर सामी भाषाओं में प्रत्ययों के विषय में इस प्रकार का कोई निश्चयात्मक भेद होने का कोई प्रमाण नहीं है। उदाहरणार्थ अरबी में ऊन प्रत्यय पुल्लिंग बहुवचन बनाता है और क्रिया के पुल्लिंग मध्यमपुरुष और अन्यपुरुष का अपूर्णकाल भी। फ़ीनी-उम्री भाषाओं की संज्ञा और क्रिया की रचना में इतनी समानता है कि हम यह कह सकते हैं कि इन दोनों को अलग अलग परख लेना असंभव है। उदाहरण के लिए वोगुली (Wogulian) में *मिनी* (वह जाता है), *अलि* (वह मारता है) शब्द क्रिया हैं और *पुरि* (लेना) *उरि* (पकड़ना) संज्ञाएँ—इन सब में एक ही प्रत्यय इ जुड़ा है। सुदूर पूर्व की भाषाओं में संज्ञा और क्रिया की भेदहीनता ही मौलिक अंश है। चीनी भाषाओं में एक ही शब्द वाक्य में अपने स्थान के अनुसार संज्ञा या क्रिया समझा जाता है। उदाहरण के लिए *लओ लओ, येओ येओ* (बुद्धों की ओर वृद्धोचित व्यवहार करना और बच्चों की ओर बालोचित) इस वाक्य में दोनों पदों में एक संज्ञा हैं और एक क्रिया। चीनी वय्याकरण अपने अर्थतत्त्व वाले शब्दों में भी क्रिया-पदों को जीवित और संज्ञा तथा विशेषण को मृत मानते हैं और एक ही जीवित पद केवल सुरभेद से मृत हो जाता है। अंगरेज़ी में भी बलाघात के भेद से शब्द संज्ञा या क्रिया समझा जाता है। पर उसमें संज्ञा और क्रिया का भेद विशिष्ट रहता है। इस प्रकार चीनी में सर्वत्र और अंगरेज़ी में कुछ शब्दों के वाक्य में व्यवहार से ही यह पता चल सलता है कि अमुक शब्द संज्ञा है या क्रिया।

भाषाओं में क्रिया और संज्ञा का स्पष्ट भेद न भी हो तो भी क्रियात्मक (व्यापारात्मक) वाक्य और संज्ञात्मक वाक्य का भेद स्पष्ट रहता है। व्यापारात्मक वाक्य में व्यापार पर ही जोर रहता है। ऐसा वाक्य काल, अवधि, कर्तृ संबद्ध अथवा कर्मसंबद्ध व्यापार का ही निर्देश करता है, उदाहरणार्थ *खाए, गाना सुनो, चले गए, बस*

हो गया आदि। संज्ञात्मक वाक्य में संज्ञा को ही मुख्य मान कर क्रिया उसके साथ विशेषण के रूप में रहती है, जैसे यह मकान नया है, दौडता हुआ घोड़ा, पुस्तक-पाठक हो जाइए आदि।

संस्कृत में महाभारत के प्रणयन के समय से ही तिङंत पदों के प्रयोग के स्थान पर शतृ, शानच्, क्त, क्तवत् आदि प्रत्ययों में अंत होने वाले पदों को अधिक काम में लाने की प्रथा चल पड़ी थी। इसी से समझना चाहिए कि व्यापारात्मक वाक्य का स्थान संज्ञात्मक वाक्य लेने लगा था। क्रिया पदों के ऋग्वेद में के प्रयोग की यदि भगवद्-गीता आदि उत्तरकालीन ग्रंथों से तुलना की जाय तो पता चलता है कि उत्तरोत्तर हास होता गया है और आज आधुनिक आर्य भाषाओं की क्रियाएँ तो अधिकांश में पुराने शतृ और क्त प्रत्ययों में अंत होने वाले पदों के विकसित रूप हैं। तुम कहौं रहे (क् य्यमुषिताः), तू कहौं रहा (क् त्वमुषितः), तू कहौं रही (क् त्वमुषिता) आदि उदाहरणों में क्रिया संज्ञा (या सर्वनाम) के अनुसार विशेषण सी बनकर अपना रूप बदलती है पर तिङंत रूपों में ऐसा नहीं होता था। इन उदाहरणों से व्यापारात्मक वाक्य का स्थान संज्ञात्मक वाक्य ग्रहण कर रहा था—इतना स्पष्ट है।

इसी प्रकार से केल्टी भाषा में तुमंत (Infinitive) रूपों ने तिङंत रूपों को दूर भगा दिया। वैदिक संस्कृत में तुमन्त शब्द में उसी प्रकार विभक्तियाँ लगती थीं, जिस प्रकार संज्ञाओं में।

तुमंत और क्तादि प्रत्ययों में अंत होनेवाले पदों को अंशतः संज्ञा और अंशतः क्रिया समझना चाहिए। इनमें प्रत्यय तो संज्ञा की तरह लगते हैं और भाव क्रिया का व्यक्त होता है, जैसे—

खाना 'खाने में' संकोच न करना चाहिए।

खाना 'खाते' समय कोई कोई मौन रहते हैं।

खाना 'खाया हुआ' आदमी संतोष का अनुभव करता है।

इन वाक्यों में खाने, खाते, खाया पदों के संज्ञा के समान रूप हैं पर इनके द्वारा जतलाया हुआ भाव क्रिया का है।

यदि संज्ञाओं का अर्थ की दृष्टि से विश्लेषण क्रिया जाय तो पता चलता है कि मूल रूप से उनमें क्रिया छिपी हुई है। भोजन, रोदन, हास, भजन, भक्ति, पूजा, बंध-मोक्ष आदि शब्दों में ही नहीं, बल्कि अन्यो में भी, जैसे—

साधन—ऐसी वस्तु जिससे कुछ सिद्ध किया जाय (करण)।

नंदन—श्लुष करनेवाला (पुत्र)।

घाव—(घात) चोट लगा हुआ स्थान।

सर्प—रेंगनेवाला कीड़ा ।

दंत, रदन—फाड़नेवाली चीज़ (दाँत) ।

गुणवाचक (उजलापन, रँग आदि) संज्ञाएँ क्रियापदों से बनी हुई नहीं मालूम होतीं, परंतु यदि इनकी भी चीरफाड़ की जाय तो पता चलेगा कि यह भी अपने भाई बिरादरों (अन्य संज्ञाओं) से भिन्न नहीं । उजलापन बना है उजला (उज्ज्वल) विशेषण से जिसके संस्कृत के रूप में उज्ज्वल् क्रिया है जिसका अर्थ है 'बूब चमकना' और इसी प्रकार रँग में रज् धातु है । यदि इसी प्रकार किसी भाषा की संज्ञाओं को उनके मूल रूप तक पहुँचाया जाय तो उनकी तह में क्रिया ही मिलेगी । संस्कृत के व्याकरणों ने इस प्रकार का विश्लेषण करके धातुकोष तय्यार किया है और उसी पर संस्कृत के शब्द-समूह की इमारत खड़ी की है । और इसी के आधार पर मैक्समूलर ने भाषा के उद्गम का विचार करते हुए यह संकेत किया था कि आदिम मनुष्य धातुएँ बोलता था । धातुओं तक सब संज्ञाओं को पहुँचाने का प्रयत्न तब उपहासास्पद हो जाता है जब व्यक्तियों के यदृच्छा नामों को अथवा विदेशी संज्ञाओं को भी अपनी धातुओं पर अवलंबित करने की कोशिश की जाती है—उणादिसूत्रों में कई जगह ऐसी ही भूल दिखाई पड़ती है । पर संभवतः यह बात सिद्धान्तरूप से ठीक है कि हमारे अधिकांश शब्द किन्हीं धातुओं पर आश्रित हैं और यह धातुएँ ही हमारे अर्थ-तत्त्वों की मूलरूप हैं । हमारी शब्दावली दिमाग में बिखरी बिखरी ऊट पटांग पड़ी नहीं रहती—वह सजाई हुई, विभागों में क्रायदे से रक्खी हुई है, जब ज़रूरत पड़ी तब उस स्थान से निकल कर प्रयोग में आ गई और काम निबट जाने पर फिर अपने स्थान पर जाकर जम गई ।

इस प्रकार हमने देखा कि हम आर्यभाषा-भाषियों को जो संज्ञा और क्रिया में मौलिक भेद मालूम होता है, वह वस्तुतः मौलिक नहीं । क्रिया संज्ञा से मिली हुई है और संज्ञा विशेषण से । यदि कोई मौलिक भेद तो नहीं पर अपेक्षाकृत अधिक स्थिर भेद किसी भाषा में हो सकता है तो वह है संबंधतत्त्व और अर्थतत्त्व का भेद । नहीं तो शब्द एक है ।

पन्द्रहवां अध्याय

पदविकास का कारण

पदविकास पर विचार करते हुए, ऊपर हम देख चुके हैं कि पदों के व्यवहार में निरंतर दो प्रवृत्तियां साथ साथ काम करती रहती हैं—एक तो पदों की एकरूपता लाने की और दूसरी अनेकरूपता कायम रखने की।

पुरानी से पुरानी भाषाओं के रूपों का विश्लेषण करने से मालूम होता है कि ऐसी कोई भाषा नहीं जिसमें व्याकरणों के नियमों के अपवाद न मिलें। इस से यही नतीजा निकलता है कि पदों की एकरूपता और अनेकरूपता की यह प्रवृत्तियां भाषा के पुरातन अंग हैं। जैसे ध्वनिविकास के कारण भाषा में अन्तर्हित हैं वैसे ही पदविकास के भी। अंतर केवल इतना है कि ध्वनिविकास सर्वसाधारण और संपूर्ण जनसमुदाय पर होता है, पदविकास में अपवाद रह जाते हैं। पदविकास को पदों की अपेक्षा रहती है, ध्वनिविकास को नहीं। ध्वनिविकास शब्दों की परतंत्रता में नहीं रहता।

प्रयास की बचत के लिए पदों के रूपों में एकता लाने की प्रवृत्ति बराबर काम करती रहती है। संस्कृत में अकारांत संज्ञाओं की संख्या बहुत बड़ी है, इस कारण स्वाभाविक ही था कि संस्कृत बोलने वाले के मस्तिष्क में अकारांत संज्ञा के रूप अधिविस्थिरता जमा लें और दूसरे (इकारांत, उकारांत, व्यंजनांत) अपेक्षाकृत कम स्थिर रहें। इसी कारण प्राकृतों में जहाँ पुत्रस्स (<पुत्रस्य), सब्वस्स (<सर्वस्य) आदि रूप पाए जाते हैं वहाँ उन्हीं के वजन पर अग्गिस्स (संस्कृत अग्नेः के स्थान पर), वाउस्स (वायोः के स्थान पर) और हिमवंतस्स (हिमवतः के स्थान पर) भी मिलते हैं। प्रत्यक्ष ही इन रूपों के विकास में एकरूपता लाने की प्रवृत्ति दिखाई देती है। संस्कृत में कुछ धातुओं का कहीं एक रूप (जैसे गच्छ्) और दूसरी जगह दूसरा रूप (गच्छ् के स्थान पर गम्) मिलता है, पर प्राकृतों में बहुधा इन दोनों की जगह एक ही (संस्कृत गमिष्यति के स्थान पर पालि गच्छस्सति)। इसी प्रकार संस्कृत में भ्वादिगण व धातुओं का बाहुल्य है और प्राकृत काल में अन्य गणों की धातुओं के रूप उन्हीं अनु रूप ढले मिलते हैं, जैसे—गृह्णाति-गृह्णन्ति के लिए गृह्णाति-गृह्णन्ति। हिंदी में बोलियों में इस एकरूपता की प्रवृत्ति के बहुत से उदाहरण दिखाई देते हैं, जैसे पढ़

से प्रेरणार्थक पड़वाना, झालना का अकर्मक डलना, करना का भूतकाल में करा (किए के स्थान पर) इत्यादि, अथवा राजा का विकारी रूप राजे ।

एकरूपता लाने की यह प्रवृत्ति सादृश्य मूलक है ; दिमाग में बहुत से सदृश रूप जमे हुए हैं, दो चार असदृश रूप क्रायम रखने से दिमाग पर बोझ पड़ता है; स्वाभाविक ही है कि यह बोझ हल्का किया जाय । नपुंसकलिग की संज्ञाओं का रूप अपभ्रंश काल में पुल्लिग के अनुरूप मिलता है—पुत्तु, नरु, देवु आदि के वज्रन पर फलु भी । हिंदी में संबोधन बहुवचन के लिए -ों में अंत होने वाला रूप (पूतो, लड़कियो, बहुओ, राजाओ आदि) और विकारी विभक्ति के लिए -ों वाला (पूतो, लड़कियों, बहुओं, राजाओं आदि) स्टैंडर्ड है । पर इधर संबोधन-रूप के स्थान पर विकारी विभक्ति का रूप बहुधा (पं० जवाहरलाल नेहरू की स्पीचों में विशेष रूप से) सुनाई पड़ता है और संभावना यही जान पड़ती है कि संबोधनवाला रूप गायब हो जायगा । अपेक्षा की दृष्टि से भाषा में उसका प्रयोग कम था ही ।

यह सादृश्य जैसे गणित में काम करता है प्रायः उसी प्रकार पदविकास में । गणित में हम देखते हैं कि

	४ का जो	भाग १ है	वही
	८ का	भाग २ है ।	
उसी प्रकार जैसे	पुत्तं	पुत्तेण	
	अन्तं	अन्तेण	
			वैसे ही
	गच्छन्तं	गच्छन्तेण	
	हिमवन्तं	हिमवन्तेण	

यहाँ गच्छन्तेण की (गच्छता के स्थान पर) और हिमवन्तेण की (हिमवता के स्थान पर) सिद्धि हुई है । विभिन्नता का लोप और एकरूपता का आगम इसी आदर्श पर भाषा में होता रहता है, गणित और भाषा-विकास में अन्तर इतना ही है कि गणित का नियम सर्वत्र व्यापक है, पद-विकास का नहीं । पद-विकास में भाषा की स्पष्टता क्रायम रखने के लिए सर्वत्र एकरूपता नहीं लाई जा सकती । किस रूप में अपेक्षाकृत दिमाग में अधिक स्थिरता है और किस में कम यह बात हम परिणाम देखकर ही ज्ञान पाते हैं; गणित में वह वस्तु पूर्वसिद्ध है । भाषा में जहाँ एकरूपता की प्रवृत्ति काम करती है वहाँ साथ ही साथ विभ्रम दूर रखने के लिए भिन्नरूपता भी चलती रहती है । इस लिए कैसे निश्चयपूर्वक कहा जा सके कि अमुक रूप रहेगा या बदल जायगा । जहाँ दिमाग का बोझ हल्का करने के लिए एकरूपता लाना जरूरी समझा

जाता है वहां साथ ही साथ बहुत से विभिन्न अर्थों (पद-संबंधों) के लिए यदि एक ही रूप हुआ तो भ्रान्ति उत्पन्न होगी और दिमाग को थकान लगेगी। यही कारण है कि समान एकरूपता नहीं आने पाती।

सादृश्य द्वारा एकरूपता पहले पहल बच्चों की भाषा में सुनाई पड़ती है। सुबोध बालक कर नहीं पाता, खा नहीं पाता, चल नहीं पाता आदि के वजन पर आरंभ में पा नहीं पाता बोलता है, और उसका बाप चचा मुस्कराकर इस प्रयोग को पा नहीं सकता कहकर सुधार देता है। इसी प्रकार करा का किया, पड़वाना का डालना, डलना का पड़ना आदि रूप भी बच्चों से आरंभ होकर शुद्ध किया गया होगा पर इन पिछले प्रयोगों में स्थिरता की मात्रा इतनी कम थी कि वे न बच सके, और उधर पा सकना प्रयोग में स्थिरता की अधिक थी कि शुद्धीकरण काम कर गया और पा नहीं पाता न टिक सका।

सादृश्य जिन रूपों को नहीं मिला पाता उन्हीं को वय्याकरण अपवाद, अनियमित या सबल का नाम देते हैं और जो इस सादृश्य का शिकार बन जाते हैं उन्हें वे निर्बल या नियमित कहते हैं। कारण यही है कि सबलता ही अस्तित्व कायम रखने में सहायक होती है। यह सबलता प्रायः प्रयोग की बहुलता से आती है; यदि कोई रूप बार २ प्रयोग में आता है तो संभावना है कि वह टिक जाय, चाहे अपने माय के रूपों से वह भिन्न ही क्यों न हो। आर्य भाषाओं की सहायक क्रिया √ अस् (होना) के रूप इसके उदाहरण हैं। अन्य क्रियाओं की अपेक्षा यह इतना ज्यादा काम में आती है कि जहां और क्रियाएँ रूप बदल कर नियम के अन्दर आ गईं यह अपना रूप (ध्वनिविकास का पालन करती हुई भी) पदविकास के प्रतिकूल वातावरण में भी कायम रख सकी (है—था)। इसी प्रकार जाने का अर्थ बताने वाली जा धातु का भूतकाल का रूप गया स्थिर है, यद्यपि अन्य क्रियाओं में वर्तमान और भूत के रूपों में समानता है (खाना-खाया, पीना-पिया आदि)।

सादृश्य के खिलवाड़ से कौन रूप रहा और कौन गायब होगा इस बात का विचार हर एक रूप के बारे में अलग २ करना होगा और कुछ ही रूपों का विचार करके इतना स्पष्ट हो जायगा कि इस खिलवाड़ की माया विचित्र है। सादृश्य के प्रत्येक उदाहरण को युक्तिपूर्वक सिद्ध करने के लिए बड़ा परिश्रम आवश्यक है और जरा सी असावधानी से भाषाविज्ञानी के भ्रमजाल में पड़ जाने की संभावना है। कभी कभी अपवादस्वरूप सबल रूप नियम में आगए हुए निर्बल रूपों पर ऐसा प्रभाव डाल देते हैं कि निर्बल रूप ही सबलों का अनुकरण कर अपवाद से हो जाते हैं।

सादृश्य से एकरूपता आ जाने पर स्पष्टता के लिए नए रूपों की सृष्टि होती


सत्रहवां अध्याय

भाषा की गठन

भाषा का लक्षण देखते समय हम जान चुके हैं कि यदि वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाय तो प्रति मनुष्य की बोली दूसरे मनुष्य की बोली से भिन्न है क्योंकि यह निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता कि वह ध्वनियों का उच्चारण ठीक ठीक उसी स्थान और प्रयत्न से करता है जिससे दूसरा, और उसके दिमाग में शब्दार्थ बिल्कुल वही है जो दूसरे के। दूसरी ओर संसार की सभी भाषाएँ एक ही प्रयोजन सिद्ध करती हैं— मनुष्य के मनोभावों और विचारों को व्यक्त करना। इस दृष्टि से सभी एक हैं। इस वैज्ञानिक एकत्व और अनेकत्व के बीच, व्यवहार की दृष्टि से, संसार की सभी भाषाओं की सत्ता है। संसार के निवासयोग्य सभी स्थानों, मैदानों, वनों, पर्वतों, में मनुष्य बसते हैं। यदि हम एक स्थान से दूर तक बराबर चले जायँ तो हमें धीरे धीरे उच्चारण, पदरचना और शब्दसमूह की भिन्नता भूलकती जायगी और जब एक स्थान की वाणी की दूसरी, दूर की जगह की बोली से तुलना करेंगे तो काफ़ी अंतर दिखाई पड़ेगा। जनसमुदाय जितना ही संगठित होगा उसकी भाषा भी उतनी ही गठी हुई सुश्लिष्ट होगी, और समाज की ज़ंजीर जितनी ही ढीली होगी, भाषा के अंगों में उतनी ही विभिन्नता होगी। तुलनात्मक दृष्टि से, एक परिवार की बोली दूसरे परिवार की बोली से कुछ न कुछ अंशों में भिन्न होगी ही, यद्यपि वह भिन्नता हमें प्रत्यक्ष न दिखाई दे। कई परिवारों द्वारा बने हुए गाँव की बोली, आपेक्षक दृष्टि से, दूसरे गाँव की बोली से कुछ बातों में जुदा होगी। पर एक ही गाँव में भिन्न भिन्न परिवारों की बोलियों में भिन्नता के कण मौजूद हैं। पुरोहित जी शीघ्रबोध, सत्यनारायण की कथा, विष्णु सहस्रनाम आदि से परिचित हैं तो कुछ न कुछ देवपूजा करते ही होंगे और कुछ न कुछ संस्कृत के वायुमंडल से शब्दों को उद्धृत कर अपने घर में बोलते ही होंगे। पटवारी साहब उर्दू में कागज़ात रखते रखते कुछ उर्दू फ़ारसी के शब्दों का प्रयोग करते ही होंगे और यदि “सम्य” समाज में बैठने का अभ्यास होगा तो उनका शीन क़ाफ़ भी दुरुस्त होगा। यदि पास पड़ोस के शहर से मुल्ला जी गाँव में कभी कभी आते होंगे तो वहाँ के मुसलमान निवासी दीन और अस्लाह का थोड़ा बहुत ज्ञान रखते ही होंगे। गाँव का एकाध नौजवान यदि शहर में चपरासी आदि के पद को सुशोभित करता

होगा तो वह भी निश्चय ही अपने दफ्तर से दस पांच अंगरेज़ी शब्द लाकर गांव वालों पर रोब गाँटिगा ही। इसी प्रकार भिन्न भिन्न संपर्कों से विभिन्न शब्दों और उच्चारणों के आने की संभावना बनी ही रहती है। इस सब के होते हुए भी हम कह सकते हैं कि गांव की बोली एक है। पर इस एकत्व के पीछे भिन्नत्व के बीज अगोचर रूप से उपस्थित हैं।

निकटस्थ ग्राम-समुदाय की वाणी को बोली का नाम दिया जाता है; उसके भीतर के सूक्ष्म भेदों की अवहेलना करने पर ही यह नाम देना संभव है। पड़ोस के दूसरे ग्राम-समुदाय की बोली कुछ इससे भिन्न होगी, उसके बाद वाले की कुछ और भिन्न। यदि इन तीन ग्रामसमुदायों के नाम क, ख और ग हों और क की विशेषताएँ य र ल व श हों तो ख की विशेषताएँ इससे कुछ भिन्न होकर शायद र ल व श ष होंगी और ग की य ल व श ह। बहुधा ऐसा होता है कि एक बोली की कुछ विशेषता दूसरी या तीसरी निकटस्थ बोली में न मिलकर चौथी या पांचवीं में मिल जाती है। इन विशेषताओं के चक्र ऐसे हैं जिनकी परिधियाँ एक दूसरे को काटती रहती हैं।



अवधी की बोलियों में मध्यमपुरुष एकवचन सर्वनाम लखीमपुरी में तुड़ है और सीतापुरी में भी तुड़ है पर इसी का संबंधसूचक विशेषण लखीमपुरी में तौर है तो सीतापुरी में कुछ अंशों में त्वार है। उन्नाव की बोली में भी त्वार है। साथ ही अनिश्चय-वाचक सर्वनाम, लखीमपुरी और सीतापुरी दोनों में कोड़ है पर उन्नाव की बोली में कोऊ। अशोक के शिलालेखों में से पिट्ट-का रूप शङ्खाङ्गड़ी, मनसेहरा में

पितु, पिति मिलता है, यही कालसी घौली और जौगढ़ में, पर भ्रातृ- का श० म०- में भ्रतु-भत-और का० धौ० जौ० में भाति- मिलता है। पर वृद्ध- का श० में बुढ-, म० में वुध्र, वध्र, कालसी में बुध और धौ० जौ० में बुढ-।

शब्दों की विभिन्नता रहते हुए भी जब तक पदरचना की और उच्चारण की विभिन्नता न आवे तब तक यही समझना चाहिए कि बोली एक है। किसी गांव में दूर के गांव से आई हुई बहू, संभव है, कुछ दिन अपने मायके के दो चार विशेष प्रयोग करे, निकरब की जगह निकसब, अलग की जगह बड़बड़, अथवा पदरचना के भी, जाड़ की जगह जान, गवा की जगह गआो आदि प्रयोग भी लावे, पर जब तक इस तरह के भिन्न प्रयोग कुछ व्यक्तियों तक ही सीमित रहेंगे और बाक़ी गांव के लोग एक तरह के प्रयोग करेंगे तब तक गांव की बोली एक ही समझी जायगी। किंतु यदि यही विभिन्नता कुछ परिवारों में सिक्का जमा लेती और गांव का एक भाग इस प्रकार बोलता और दूसरा दूसरी तरह तो हम कह सकते कि दोनों भागों की बोलियों में भिन्नता है। किसी प्रदेश की वाणी को बोलियों में बांटने का सिद्धांत यही है कि जहा बहुतेरी विशेषताएँ एक साथ मिलती हैं वह एक बोली, और भिन्नता के अनुपात से विभिन्न बोलियां।

बहुधा बोलियाँ किसी भाषा के अंतर्गत होती हैं। भाषा उनमें से कोई प्रमुख बोली ही होती है जो अपनी अंतर्गत बोलियों से कुछ अंशों में (विशेषताओं में) भिन्न या अधिकांश में समान होती है। अवधी के अंतर्गत, लखीमपुर, सीतापुर, लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली आदि बहुत से ज़िलों की बोलियाँ हैं। इन ज़िलों की बोलियों के अंतर्गत स्वयं और अधिक सीमित क्षेत्र में काम करने वाली बोलियाँ हैं। पड़ोस में ब्रज है जो शाहजहाँपुर, पीलीभीत में और हरदोई के कुछ भाग में बोली जाती है। उसकी भी इन ज़िलों की बोलियों के अंतर्गत, आपेक्षिक दृष्टि से, सीमित क्षेत्र में काम करने वाली बोलियाँ हैं। अवधी के जिलों की बोलियों की परस्पर विभिन्नता, आपेक्षिक दृष्टि से, एक ज़िले के भीतर की आपस की विभिन्नता से कुछ कम होगी। और अवधी और ब्रज की परस्पर विभिन्नता प्रत्येक ज़िलों की बोलियों की विभिन्नता से अधिक होगी। इन दोनों की हिंदुस्तानी से भी विभिन्नता है। उसका वही स्थान है जो ब्रज या अवधी का। और यह तीनों ही हिंदी के अंतर्गत हैं। हिंदी को हम भाषा कहते हैं और हिंदुस्तानी, ब्रज और अवधी को उसकी बोलियाँ। और हिंदी सचमुच वास्तविक निजी रूप में है क्या? केवल हिंदुस्तानी बोली-समूह की एक बोली जो किन्हीं कारणों से प्रमुख हो गई है और जिसकी प्रमुखता ब्रज और अवधी ने स्वीकार कर रखी है।

किसी बोली की प्रमुखता के विभिन्न कारण होते हैं जिनमें राजनीतिक प्रमुखता

विशेष है। जिस विशेष प्रदेश का राजा होगा और जो बोली बहू बोलता होगा, वही बोली प्रधान समझी जायगी। हर आदमी यही कोशिश करेगा कि राजा और उसके कर्मचारियों से वही बोली बोले। हिंदी खड़ी बोली के फैलने का यही मुख्य कारण हुआ। कई सदियों तक दिल्ली के आसपास राज्यशासन रहा। वहाँ की बोली को जो पृष्ठपोषण मिला, वह ब्रज और अवधी को नहीं मिल सका। आखिर में इन दोनों को खड़ी बोली की प्रधानता स्वीकार करनी पड़ी।

राजनीतिक प्रभुता के अलावा साहित्यिक श्रेष्ठता भी किसी बोली को प्रधान बनाने में सहायक होती है। जिस समय ऋग्वेद की ऋचाएँ बनीं, उस समय आर्य लोगों के जय्ये परस्पर कुञ्ज न कुञ्ज विभिन्न बोलियाँ बोलते रहे होंगे। उस समय सामाजिक संगठन इतना सुश्लिष्ट होना जितना आज है संभव नहीं था; आर्य टोलियों में बैठे थे। ऐसी परिस्थिति में जिन ऋषियों ने इन ऋचाओं का निर्माण किया वे तत्कालीन समाज में प्रमुख समझे जाने लगे और उनकी बोली प्रधान। वैष्णव मत के कृष्ण संप्रदाय के केंद्र मथुरा वृंदावन बने और वहाँ पराजित हिंदू जनता को कुछ शांति मिली। वहाँ की धार्मिक प्रधानता से ब्रजभाषा को प्रोत्साहन मिला और वह साहित्यिक माध्यम होकर कई सदियों तक उत्तर भारत में ही नहीं, महाराष्ट्र और बंगाल में भी अपना प्रभाव जमा सकी। जायसी और तुलसीदास ने अवधी को प्राधान्य दिया। लंदन की अँगरेजी बोली ही इंग्लैंड में माननीय समझी जाती है।

साहित्य के अलावा, किसी जनगण का प्रभाव भी भाषा को प्रधान बना सकता है। कहीं पर के मारवाड़ी यदि प्रभुत्व प्राप्त कर लें और उनके कहने सुनने पर जनता चलने लगे तो उनकी भाषा का विशेष प्रभाव जनता पर पड़ेगा। अथवा पुरोहित वर्ग भी विशेष प्रभाव डाल सकता है। सारांश यह कि भाषा की प्रधानता सभ्यता की शक्ति पर होती है, वह सभ्यता या संस्कृति चाहे जिस रूप की हो।

भाषा और बोली में क्या अंतर है ? दोनों शब्द वाणी के ही द्योतक हैं, आपेक्षिक दृष्टि से एक का क्षेत्र सीमित है, दूसरी का विस्तृत। बोली भाषा के अंतर्गत है भाषा बोली के अंतर्गत नहीं। ध्वनिग्राम (Phoneme) और ध्वनियों में जो अंतर है, वही अंतर भाषा और बोली में है। एक ही भाषा की दो बोलियों को परस्पर समझने में अपेक्षाकृत कम कठिनाई होती है, दो भाषाओं को समझने में ज्यादा। जब दो बोलियों में परस्पर अंतर की विशेषताएँ इतनी अधिक हों कि उनको समझने में दिक्कत हो तो उन दो बोलियों को दो विभिन्न भाषाओं के अंतर्गत समझना चाहिये।

राजनीतिक, साहित्यिक आदि कारणों से जो बोली एक समय प्रमुख हो कर भाषा का रूप धारण कर लेती है वही कालांतर में दूसरी बोली की बोली बन सकती

है। अ्रवधी और ब्रज अ्रव केवल बोली रूप में हैं, पर पिछली कई सदियों तक वह स्वतंत्र भाषा का रूप रखे रहीं। महाराष्ट्री, शौरसेनी, मागधी, अ्रधमागधी आदि प्राकृत साहित्यिक भाषाएँ जिन विशिष्ट प्रदेशों की वाणियाँ होकर भाषाएँ दिखलाई पड़ीं, खास उन्हीं प्रदेशों के अपभ्रंश भी बाद को साहित्यिक महत्व प्राप्त कर सके हों, ऐसी बात नहीं है।

जैसे व्यक्तियों के आपस के व्यवहार के कारण व्यक्तिगत विशेषताओं की अ्रव-हेलना कर बोली अ्रना रूप धारण करती है उसी तरह विभिन्न बोली बोलनेवालों के आपस के व्यवहार के कारण ही भाषा बनती है। बोली वाणी-संबंधी नियमों के अनु-कूल स्वभाव से ही बनती और विकसित होती रहती है। उसके बनने बिगड़ने पर किसी विशेष व्यक्ति का विशेष प्रभाव नहीं पड़ता। पर राजनीतिक, साहित्यिक आदि कारणों से बनी हुई भाषा पर व्यक्तियों का विशेष असर होता है। साहित्यिक भाषा पर यह बात विशेष रूप से लागू होती है। एक सफल साहित्यिक अपनी रचनाओं के द्वारा अलक्षित संख्या वाले लोगों की भाषा पर प्रभाव डाल देता है। एक लब्ध-प्रतिष्ठ आचार्य भाषा गढ़ देता है। स्वाभाविक रीति से बोलियों का विकास मूलरूप से सामाजिक संगठन पर निर्भर रहता है, और उसी संगठन की मात्रा उन बोलियों की सीमाएँ निर्धारित करती है। पर राजनीतिक आदि कारणों से व्यवहार में आई हुई भाषाओं की सीमा राज्य-विभागों आदि के अनुकूल पड़ती है। महाभारत काल से जो जनपद उत्तर भारत में स्थापित थे, बहुत समय तक उन्हीं के अनुकूल बोलियों की स्थिति रही। इधर अंगरेज़ी राज्य द्वारा स्थापित सूबों के कारण इन की सीमाओं में अन्तर पड़ गया है। मुग़ल आदि राज्यों के समय किन्हीं सूबा सरकारों की सीमाएँ सौ सबा सौ साल भी निश्चित नहीं रहीं इस लिए उन सीमाओं का महत्त्व नहीं सा दिखाई पड़ता है।

कोई बोली इस तरह भाषा बनकर जब छिन्न भिन्न होती है तो उसका कारण यही होता है कि जिस सामाजिक संगठन ने एक सूत्र में बांध रक्खा था वही बिखर गया। शौरसेनी प्राकृत के प्रधान बनने का कारण उस प्रदेश की प्रधानता रही होगी, राजनीतिक अथवा साहित्यिक, और शौरसेन अपभ्रंश तथा ब्रजभाषा द्वारा वह प्रधानता कायम रही। पर इधर, विशेषकर राजनीतिक कारणों से, खड़ी बोली ने प्रभुता कायम करली और ब्रज की प्रधानता खत्म हो गई। वर्तमान बंगला साधुभाषा के रूप के बनने में कलकत्ता केन्द्र का विशेष प्रभाव रहा है। मराठी पर पूना केन्द्र की काफ़ी गहरी छाप है। आजकल की साहित्यिक गुजराती पर महात्मा गांधी और उनके अनुयायियों का काफ़ी असर है। इस तरह हर भाषा के बनने बिगड़ने में विशेष परि-

स्थितियां रहती हैं, और वह राजनीतिक केन्द्र से, साहित्यिक केन्द्र से अथवा किसी और प्रकार के केंद्र से फैलना आरंभ करती है।

जब किसी प्रदेश की बोली स्टैंडर्ड होकर भाषा का रूप धारण कर लेती है तब आस पास की बोलियां अपनी छोटी छोटी विशेषताएं खो बैठती हैं और उसी में शामिल हो जाती हैं। ऐसा भी होता है कि स्टैंडर्ड बोली भी अपनी छोटी छोटी विशेषताएं छोड़ देती है। इटली में रोमन की लैटिन भाषा जब स्टैंडर्ड हुई तो रोम के आसपास की बोलियों को हड़प कर गई। कलकत्ता की साधुभाषा ने आस पास की बंगला बोलियों में विशेष 'साधुता' का पुट भर दिया है। केन्द्र की बोली से दूर की बोलियां जो उसके अंतर्गत होती हैं उनकी एक आध विशेषताएं केंद्र की उस स्टैंडर्ड बोली में आना चाहती हैं। खड़ी बोली को पंजाबी के मुख से जब सुनते हैं तब हमने करना है आदि प्रयोग कानों में आते हैं और जब भोजपुरी के मुख से तब हम आम खाए। जब तक खड़ी बोली सतर्क रहेगी तब तक यह प्रयोग भाषा में शामिल न हो सकेंगे। पर यदि उच्चकोटि के लेखकों के मान्य ग्रंथों में ऐसे प्रयोग आ गए तो 'पंजाबीपन', 'पुरबियापन' आदि कह कर उनकी उपेक्षा की जायगी।

बोलियां स्वाभाविक रीति से विकसित होती रहती हैं पर स्टैंडर्ड भाषा, बोलचाल से दूर रहने के कारण, प्राचीन रूप धारण किए रहती है और जितना ही उसका क्षेत्र बढ़ा होता है उतना ही प्राचीनता का अंश अधिक होने की संभावना होती है। साथ ही जितना विस्तृत क्षेत्र होता है उतनी ही छिन्न भिन्न होने की संभावना रहती है। खड़ी बोली का जो साहित्यिक रूप आज प्रचलित है, उसमें और दिल्ली मेरठ, बिजनौर, मुज़फ्फरनगर आदि जिलों की वर्तमान-कालिक बोली में काफी अंतर पड़ गया है। यदि उसी प्रदेश के कलाकार जीती जागती बोलचाल की भाषा का प्रभाव उस पर न ला सके तो खड़ी बोली की प्राचीनता बढ़ती ही रहेगी। यह भी देखा गया है कि खड़ी बोली के काशी प्रयाग आदि दूर की जगहों के लेखकों के ग्रंथों में, बोलचाल की खड़ी बोली के प्रभाव के बाहर होने के कारण, प्राचीन प्रयोगों की अधिकता रहती है और संस्कृत और फ़ारसी के शब्दों का, तद्भव रूपों की उपेक्षा, अधिक व्यवहार।

स्टैंडर्ड भाषा की प्राचीनता लेख-बद्धता के कारण भी विशेष कायम रहती है। संस्कृत को उसके ग्रंथों ने ही स्थिर कर रखा है। खड़ी बोली के रूप की गठन पूर्व बने हुए ग्रंथों पर ही ढलती चलती है। आज जब साहित्यिक ब्रज का चलन नहीं है तब भी सूरदास और केशवदास की भाषा ही दोचार ब्रजभाषा-भक्त कवियों की रचनाओं को रास्ता दिखाने का काम करती है।

स्टैंडर्ड भाषा की प्राचीनता रहने पर भी, और विस्तृत क्षेत्र रहने पर भी, कुछ वर्तमान-कालिक प्रभाव उस पर पड़ता ही है। बाण, माघ, भारवि की की तुलना एक ओर कालिदास के ग्रंथों से और दूसरी ओर राजशेखर, श्रीहर्ष अथर्ववेद के ग्रंथों से, विश्लेषण की दृष्टि से, की जाय तो उन ग्रंथकारों के तत्काल-भाव की झलक दिखाई पड़ेगी। अभी तीस साल पहले के खड़ी बोली के ग्रंथों में तो आजकल के प्रयोगों से भिन्नता दिखाई पड़ेगी। अब करें की जगह करें, की जगह पड़ेगी, जाए, जावे की जगह जाय व्यवहार में मिलते हैं।

यदि लेखबद्धता न भी सुलभ हो तब भी सम्प्रदाय से भाषा में प्राचीनता कायम होती है। गिनती और पहाड़े, पठबा, अद्वा, सवइया अद्इया आदि में, अथवा द्व कथाशों में प्राचीनता स्मृति के साधन द्वारा सुरक्षित सम्प्रदाय से ही स्थिर ही है। वेद की भाषा को प्राचीनकाल में क्रमपाठ, धनपाठ, जटापाठ आदि साधनों द्वारा सुरक्षित रक्खा गया। सूत्रशैली जिस प्रकार विचारों की रक्षा ही उसी तरह छंद भाषा को कायम रखने में बड़ी मदद करता है।

स्टैंडर्ड भाषा और साहित्यिक लेखबद्ध भाषा में भी आपस में अंतर होना संभव बहुधा रहता है। आजकल खड़ी बोली प्रायः उत्तर भारत के सभी नगरों में के व्यवहार का साधन बन गई है पर इसका साहित्यिक भाषा (उर्दू या हिंदी) ही अंतर पड़ गया है। हिंदी और उर्दू साहित्य के वर्तमान आचार्य महानुभावों से रिये और फिर उनकी रचनाओं को पढ़िए, अंतर प्रत्यक्ष रूप से मालूम पड़ेगा।

लेखबद्ध साहित्यिक भाषा विशिष्ट भाषा होती है। सदियों तक साधारण व्यक्ती भाषाएँ प्राकृतों और अपभ्रंश रहे पर संस्कृत विशेषरूप से साहित्यिक भाषा आज भी मलयदेश के निवासी कोई आर्य भाषा नहीं बोलते पर उनकी साहित्यिक भाषा कवि में संस्कृत शब्द और शब्दांश बहुतायत से मिलते हैं। साहित्यिक की अपेक्षा सामान्य व्यवहार की स्टैंडर्ड भाषा का तल नीचा सा रहता है। कारण यही है कि स्टैंडर्ड भाषा का व्यवहार सभी करते हैं पर साहित्यिक भाषा में और पाठकों तक सीमित रहती है। पठन पाठन के सर्वसाधारण होने पर भी एक भाषा उस तल तक न आ सकेगी क्योंकि ग्रंथकार हमेशा ही ऊपर के तल में। यह ग्रंथकार ही साहित्यिक भाषा बनाया करते हैं।

लेखबद्ध साहित्यिक भाषा, भाषा के विकास की एक मंजिल मात्र है। उससे भाषा की मंजिल ही मालूम होती है, अन्य कुछ नहीं। जिस तरह किसी नदी के ऊपर किसी जगह बर्रुँ जम जाय, तो ऊपर तो बर्रुँ की तह रहेगी पर नीचे से पानी बहता रहेगा और आगे बढ़ता जायगा, उसी तरह जनसाधारण की

बोलचाल की भाषा अबाधगति से विकसित होती रहती है पर साहित्यिक भाषा रुक जाती है। और जब इस साहित्यिक भाषा से अबाधगति से विकसित भाषा का बहुत अंतर पड़ जाता है तब वह मनुष्य-समाज अन्य साहित्यिक भाषा बना लेता है। भारतीय आर्य भाषाओं में इस बात के बहुत उदाहरण मिलते हैं। वैदिक साहित्यिक भाषा जब लोक-भाषा से अधिक भिन्न हो गई तब ईसा के पूर्व सातवीं आठवीं सदी में उत्तर-वैदिक संस्कृत भाषा साहित्य में लाई गई जिसको पाणिनि के समय में कठोर नियमों से जकड़ा गया। पर लोक-भाषा बढ़ती ही रही और हमें प्रचुर प्रमाणाँ द्वारा मालूम होता है कि गौतम बुद्ध के समय में संस्कृत और आर्यों की लोक-भाषा में इतना अंतर पड़ गया था कि बुद्ध भगवान ने न केवल इतना ही किया कि स्वयं संस्कृत से भिन्न भाषा में अपने धर्म का प्रचार किया बल्कि अपने अनुयायियों को अपनी अपनी बोली (पालि निरुत्ति) में धर्म सीखने की अनुमति दे दी। इसका नतीजा यह हुआ कि संस्कृत का जो साहित्यिक क्षेत्र में एकलुत्र राज्य था वह खत्म हो गया और उस से भिन्न भाषाएँ क्षेत्र में आ गईं। इसी के फलरूप हमें जैन धर्मग्रन्थ अर्धमागधी (आर्ष) प्राकृत में और बौद्ध ग्रन्थ मागधी प्राकृत (पालि) में मिलते हैं। अशोक ने धर्म का प्रचार संस्कृत में न करके प्राकृत में ही किया। इन प्राकृतों का, देश में बाद को साहित्यिक रूप पाने वाली महाराष्ट्री, शौरसेनी, मागधी और अर्धमागधी से काफ़ी अंतर है। और तो और अश्वघोष के खंडित नाटकों में जो शौरसेनी प्राकृत मिलती है वह भी ऊपर वाली शौरसेनी से कुछ भिन्न और पहले की है। राजशेखर (ई० १० वीं शताब्दी पूर्वार्ध) के समय तक प्राकृत साहित्य में व्यवहार में आती थी, यद्यपि दंडी (सातवीं शता० उत्तरार्ध) के समय से ही अपभ्रंशों का साहित्य में प्रयोग होने लगा था। इसका मतलब यही है कि दंडी के समय तक साहित्यिक रूप धारण किए हुई शौरसेनी आदि प्राकृतों और उस समय बोली जाने वाली भाषाओं के बीच में काफ़ी अंतर पड़ गया था। अपभ्रंशों का हेमचंद्रसूरि (१२वीं श० ई०) के समय तक ही नहीं, विद्यापति (१४वीं श० ई०) के काल तक बोल बाला रहा। पर सिद्धों के बौद्ध गान और दोहा (प्रायः १०वीं श० ई०) की भाषा की समीक्षा करने से पता चलता है कि अपभ्रंश अपना स्थान खो रहे थे और आधुनिक आर्यभाषाएँ प्रयोग में आने लगी थीं। इन उदाहरणों से सिद्ध होता है कि साहित्यिक भाषा सदा एक ही नहीं रह सकती और जितना ही उसका बोलचाल की भाषा से फ़र्क होगा उतना ही उसका क्षेत्र सीमित होता जायगा।

विशिष्ट भाषा

जनसाधारण की भाषा और साहित्यिक भाषा के अतिरिक्त, विशिष्ट जन-

समुदाय की विशिष्ट भाषा भी हो सकती है, जैसे कानूनी भाषा, पुरोहिती भाषा, वणिकश्रेणि-भाषा, सांसियों की भाषा, विद्यार्थी-भाषा आदि। इस तरह की विशिष्ट भाषा का व्यवहार विशेष जनसमुदाय अपने आपस के काम काज में विशेष रूप से करता है। इस प्रकार की विशिष्ट भाषा किसी न किसी जीवित लोकभाषा के आश्रय पर ही टिकी रहती है और उससे अन्तर अधिकांश में केवल शब्दावली का ही होता है। हिन्दी की कानूनी भाषा में आज कल फ़ारसी अरबी तथा अँगरेज़ी के बहुतेरे शब्द हैं, पुरोहिती भाषा में संस्कृत के, विद्यार्थी-भाषा में अँगरेज़ी के। सांसिये और दबूड़े बोलते गो कि हिन्दी ही हैं तब भी उनकी भाषा में कुछ शब्द और मुहाविरें ऐसे होते हैं जो उनके ख़ास हैं और जिन्हें जनसाधारण नहीं समझ सकते।

विकृत बोली

विशिष्ट जनसमुदायों में ही शब्दों को तोड़, मरोड़ कर बोलने की प्रथा भी चल पड़ती है। ऐसे शब्द जनसाधारण के शब्दों के ही विकृत रूप होते हैं। हँसी मज़ाक़ खेलकूद, गाने बजाने आदि में पहले पहल इनका प्रयोग होता है और फिर इनका क्षेत्र बढ़ जाता है। शब्द ही नहीं, विशेष मुहाविरें भी चल पड़ते हैं; बोलने वाले जानते हैं कि हम बिगाड़ कर बोल रहे हैं, तब भी शब्दों के इस बिगाड़ने में एक प्रकार के आनंद का अनुभव होता है। बाँह की जगह बाँहिया, पाँव की जगह पाँया का व्यवहार इसी तरह ब्रजभाषा में आया होगा। वर्तमान काल में गाल को गल्लू, हाथ को हत्थी, हत्थू कहने का रवाज शहरों में सुन पड़ता है।

विकृत बोली की जड़ ख़ास ख़ास पेशे वालों या बिरादरियों में पड़ती है, और यदि उस पेशे वाले या बिरादरी वाले लोगों का जनसाधारण में प्रभाव हुआ तो वे विकृत शब्द जनसाधारण की भाषा में भी आकर घर कर लेते हैं।

रहस्यात्मक प्रभाव

विशिष्ट भाषा और विकृत बोली में ही ज़्यादा तर, वाणी पर कुछ रहस्यात्मक प्रभाव पड़ने आरंभ होते हैं। सम्मान और श्रद्धा के पात्र के लिए अन्यपुरुष की क्रिया का प्रयोग अथवा भवत्, आप, रउवाँ आदि सर्वनामों का प्रयोग इसी रहस्य का उदाहरण है। अँगरेज़ी में भी इसी तरह राजा रानी ने अपने कर्मचारियों को अन्य-पुरुष में संबोधित करने की प्रथा चलाई जो संभवतः इस विचार से उठी कि कर्मचारी परमेश्वर के अंश राजा रानी की बराबरी कैसे कर सके; और आज अँगरेज़ी में जो मेमो अफ़सरों की ओर से कर्मचारियों को ही नहीं प्रजाजन को भी भेजे जाते हैं उनमें बहुधा अन्यपुरुष का प्रयोग देखा जाता है। स्त्रियाँ जो अपने पति का या बड़े लड़के का नाम नहीं लेती अथवा शिष्य गुरु का नाम नहीं लेता, वहाँ भी विशेष आदर ही

जड़ मे है और साथ ही साथ शायद यह भावना कि कहीं नम लेने से अनिष्ट न हो जाय। इस प्रकार के रहस्य की मात्रा एक बार उठ कर अधिक व्यापक हो सकती है। करीब नाम की जंगली जाति में पुरुष वर्ग करीब बोली बोलता है और स्त्रियां अरो-वक बोलती हैं। दोनों में काफ़ी भेद है।

वर्गों की सामाजिक श्रेष्ठता या हीनता के कारण भी रहस्यात्मक भेद पैदा हो जाता है। जावा के मूल निवासियों में रवाज है कि उच्च वर्ग के लोग नीच वर्ग वालों से न्गोको बोली बोलते हैं और नीच वर्ग वाले उनसे क्रोमो मे बोलते हैं। पूर्वी अफ़्रीका में मसाई जाति में पुरुषवर्ग आयु के अनुसार दो विभागों में बँटा रहता है, और खाने की कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन का दूसरा वर्ग व्यवहार नहीं करने पाता और इसलिए उन चीज़ों के नाम भी नहीं ले सकता। पारसियों के धर्मग्रन्थ अवेस्ता की भाषा में एक ही वस्तु का बोध कराने के लिए कुछ जोड़ी के शब्द हैं—एक दैव (देव) और दूसरे अहुर (असुर)। इनमें से एक भले और ईश्वररचित सृष्टि के पदार्थों के लिए और दूसरे बुरे और शैतान के बनाए हुए पदार्थों के लिए प्रयोग में आते हैं। पारसी धर्म में अच्छे और बुरे के बीच जो घोर विरोध प्रतिपादित किया गया है उसी का, इस प्रकार का दो तरह का प्रयोग परिणाम है। इन जोड़ी के शब्दों में आँख आदि शरीर के सभी अंगों के लिए तथा और भी पदार्थों का बोध कराने वाले शब्द हैं। यहां अपने देश में ही भोजपुरी बोली में यदि ब्राह्मण आदि ऊँची जाति के मनुष्य के बारे में कुछ कहा जाय तो क्रिया का एक रूप हागा और यदि चमार आदि के लिए तो दूसरा।

व्याकरण द्वारा भाषा का जो रूप प्रतिपादित किया जाता है, क्या भाषा का वही असली रूप है? व्याकरण भाषा का विश्लेषण कर उसको तरह तरह के पदों में बाँट देती है। उसके संज्ञा, विशेषण, कारक आदि पद नियत स्थान पर आने चाहिए। पर क्या सचमुच स्वाभाविक रीति से बोली हुई बोलचाल की भाषा में ऐसा होता है? इस सवाल पर विचार करते हुए हमें अपने ध्यान में यह बात अवश्य रखनी चाहिए कि बोलनेवाला और सुनने वाला दोनों साख्य के कर्ता की तरह उदासीन नहीं हैं; जो भी बात कही और सुनी जाती है उसमें उनका कुछ न कुछ निजत्व है। जब शाम को गप शप करते समय दूर देश चीन, जापान, रूस, जर्मनी की लड़ाई के बारे में हम बात-चीत करते हैं, उस समय भी हम उदासीन होकर नहीं, संसार के भविष्य और अपने स्वर्णयुग की आकांक्षा का पुट लेकर ही बोलते सुनते हैं। अँगरेज़ों के विरुद्ध जो हम खार खाए बैठे हैं वह उनकी बड़ी से बड़ी जीत को लघु और उनकी छोटी से छोटी हार को बड़ा आकार प्रदान कर देता है। रूस और चीन के साथ स्वाभाविक सहानुभूति रख

कर भी, अँगरेजों के साथ इन देशों की मित्रता के कारण हम लोगों की सहानुभूति में कुछ उदासीनता आ जाती है। ठीक ऐसी ही बात दिन प्रतिदिन घटित होने वाली घटनाओं के बारे में है। हमारी वाणी के हर वाक्य में हमारा विचार ही नहीं हमारा मनोभाव भी प्रकट होता है। सुग्रीव ने बालि को मार गिराया इसी वाक्य को सुग्रीव के पक्ष वाले एक ढंग से और बालि के पक्ष वाले दूसरे ढंग से कहें सुनेंगे। तात्पर्य यह कि हम जो बोलते हैं उसको निरीह, उदासीन होकर नहीं, उसमें अपना भी कुछ रहता है। यह अपनापन बहुधा आकार और इंगित से प्रकट होता है पर साथ ही साथ व्याकरण-सिद्ध नियमों में हेर फेर कर और विस्मयादिसूचक शब्दों से भी। अथवा बलाघात, सुर, मात्रा, द्रुत अथवा विलम्बित गति से भी मनुष्य अपनी अनुमति, नाराज़गी, शावाशी, करुणा, संतोष, अचरज आदि के मनोभाव प्रकट करता है। किसी वाक्य का पूर्ण अभिप्राय, केवल उसके पदों और उनके संबंध को जान कर ही नहीं मालूम किया जा सकता। वाणी द्वारा व्यक्त तात्पर्य का बाक़ी हिस्सा ऊपर लिखे अनुसार आकार, इंगित आदि से समझ पड़ता है। पर इस बाक़ी हिस्से की विवेचना करना भाषा-विज्ञानी का काम नहीं, यह काम मनोविज्ञानी का है और उसका प्रदर्शन करना, चित्रकार, मूर्तिकार आदि का है। भाषाविज्ञानी के कार्यक्षेत्र की सीमा तो वाणी ही है। जहाँ तक वाणी में ही कुछ हेरफेर करने से मनोरंग आदि की अभिव्यक्ति होती है, वहाँ तक भाषाविज्ञानी का ही काम है।

लिखित भाषा और बोलचाल की भाषा में विशेष अंतर यह है कि बोलचाल में छोटे छोटे जुमले दो, तीन चार पदों के होते हैं पर लिखित भाषा में अपेक्षाकृत लंबे वाक्य होते हैं। बोल चाल में वाक्यों को जोड़ने के लिए समुच्चयादि-बोधक अव्ययों का प्रयोग होता है, लिखित भाषा में वाक्य के अंश एक दूसरे पर आश्रित रहते हैं। लिखित भाषा में पदों का क्रम व्याकरण के अनुसार रखना होता है, बोल चाल में वही क्रम उलट पुलट जाता है।

बच्चे की बोली एक एक दो दो पदों से शुरू होती है। वह जो चीज़ चाहता है उसी का नाम लेता है, जो देखता है उसी का नाम लेता है। धीरे धीरे ही वह बड़े वाक्यों को बोलने का अभ्यास कर पाता है आरंभ में उसकी वाणी में पद-क्रम के नियम का उल्लंघन ही मिलता है। उसकी भाषा में प्रायः संज्ञा का व्यवहार संबोधन में (अम्मा !) और क्रिया का आज्ञा (दो, लो आदि) में मिलता है। वह अन्य पदों का व्यवहार करना धीरे धीरे सीखता जाता है।

भाषा के उगदम पर विचार करते हुए हम देख चुके हैं कि किसी विशेष जाति और विशेष भाषा में परस्पर समवाय संबंध नहीं होता। एक जाति वाला परिस्थिति के

अनुसार दूसरी भाषा सीख कर उसका व्यवहार करने लगता है। किसी विशेष की मनोवृत्ति भी उसकी भाषा से नहीं झलकती। कभी कभी कोई कोई भावुक कह बैठते हैं कि अमुक भाषा में हमारी जातीय आत्मा है, अमुक में नहीं। पर भाषाविशानी को जहा तक मालूम है किसी भाषा में किसी जाति की आत्मा नहीं मिलती भाषा के विश्लेषण से केवल इतना मालूम होता है कि उसका प्रवाह कैसा है, वियोगावस्था को जा रहा है या संयोगावस्था को, धाराएँ कौन कौन सी हैं और पूर्व की तुलना करके उनमें क्या क्या अंतर दिखाई पड़ता है। यदि यही किसी जाति राष्ट्र की आत्मा है तो ठीक, नहीं तो भाषा की आत्मा आदि का हमें कुछ पता न संगठित जन-समुदाय के विचारों की एक सामान्य एकता होती है और वही भाषा व्यक्त हुआ करती है, इतना अवश्य है। धर्म, कला आदि की अपेक्षा जन-समुदाय में भाषा का सूत्र ज़्यादा दृढ़ होता है। यही उसका मूल्य है।

इक्कीसवाँ अध्याय

आर्येतर भारतीय परिवार

पूर्ववर्ती अध्यायों में संसार की उन भाषाओं का थोड़ा सा विवरण दिया गया है, जो अपने देश की नहीं हैं। अपने यहाँ आर्य, द्राविड़, मुंडा (आस्ट्री) तथा तिब्बती-चीनी परिवारों की भाषाएँ भारतीयों द्वारा बोली जाती हैं। आबादी की १९३१ की रिपोर्ट के अनुसार भारत और ब्रह्मदेश (तब तक ब्रह्मा को अंगरेज़ सरकार ने हमसे जुदा नहीं किया था) दोनों में मिलाकर एशिया के अन्य देशों, तथा अफ्रीका और यूरोप के महाद्वीपों की भाषाओं के बोलने वाले केवल ६½ लाख से भी कम थे। और ये अधिकतर, भारतीय नहीं, भारत में शासन, व्यवसाय आदि तरह-तरह के कामों के लिए टिके हुए विदेशी ही थे।

तिब्बती-चीनी भाषाएँ बोलने वालों की संख्या डेढ़ करोड़ के कुछ ऊपर है। इन भाषाओं का अस्तित्व प्रायः ब्रह्मदेश और तिब्बत भूटान में है। ऊपर चीनी परिवार की भाषाओं का विचार करते समय इनका उल्लेख किया जा चुका है। भारत में इस शाखा की भाषाएँ जहाँ तहाँ आसाम के उत्तरी और पूर्वी भाग में बोली जाती हैं; इनके बोलने वाले जंगलों और पहाड़ों पर रहते हैं। इनकी बोलियों का अध्ययन हाजसन आदि विदेशी विद्वानों ने किया है। नागा बोलियाँ प्रमुख हैं। विशेष विवरण ग्रियर्सन साहब के सर्वे में मिलेगा।

ऊपर प्रशांत महासागर की भाषाओं का विचार करते समय मलाया-पापुआ-शिया भाषाओं का उल्लेख आया है। इनका हिंदी-चीन की मोन-ख्मेर और भारत की खासी और मुंडा भाषाओं से संबंध है। मोन-ख्मेर जाति किसी समय हिंदी-चीन को जीत कर उस पर राज्य करती थी। अब तो थाई देश, ब्रह्मदेश और भारत के कुछ जंगली भागों में ही इनके बोलने वाले, आदि निवासियों के रूप में, रहते हैं। भारत में केवल आसाम के पूर्वी प्रदेश में इनके बोलने वाले पाए जाते हैं। और आसाम में ही मोन-ख्मेर भाषाओं से संबद्ध खासी, खासी पहाड़ियों पर, बोली जाती है। यह चारों ओर से तिब्बती-चीनी से घिरी हुई है। सदियों से यह मोन-ख्मेर भाषाओं से दूर पड़ गई है। तब भी इसकी शब्दावली और वाक्यविन्यास दोनों की मोन ख्मेर से गहरी समानता है। मोन-ख्मेर और खासी के अलावा, अपने देश के एक विस्तृत भाग के जंगली

प्रदेशों में मुंडा भाषाभाषी रहते हैं । इन भाषाओं का थोड़ा अधिक विवरण देना जरूरी है—न केवल इस नज़र से कि इनके बोलने वाले काफ़ी बड़े भूभाग में फैले हुए हैं, बल्कि इस विचार से भी कि इनका इस देश की अन्य प्रमुख (आर्य, द्राविड़) और अप्रमुख (तिब्बती-चीनी) भाषाओं पर विशेष प्रभाव पड़ा है । मोन-ख्मेर, खासी और मुंडा शाखाओं को मिलाकर आस्ट्री-एशियाई परिवार की भाषाओं के बोलने वालों की संख्या अपने देश में करीब ५३½ लाख है । जनसंख्या, साहित्य, सभ्यता आदि के हिसाब से आर्य (२५३ करोड़) और द्राविड़ (७६ करोड़) से इनका कोई मुकाबिला नहीं ।

मुंडा

नाम—मुंडा शब्द इस भाषा-परिवार की एक भाषा मुंडारी का है और उसका अर्थ है 'मुखिया, ज़िमींदार' । मैक्समूलर ने पहले पहल इन भाषाओं को द्राविड़ परिवार से भिन्न समझा और उन्होंने इनको मुंडा नाम दिया । इसके पूर्व इनको कोल कहते थे । पर यह शब्द अनुपयुक्त है, क्योंकि कोल जाति के अंतर्गत ओराओं भी हैं जो द्राविड़ी भाषा बोलते हैं । इसके अलावा संस्कृत में कोल शब्द का अर्थ 'सुअर' है, जिसका प्रयोग अपने ही निजी देशवासियों के प्रति करना अनुचित भी है । संथाली का कालहा (लोहार), हिंदी के कोरी, कलार, कलवार, करवल आदि इसी से संबद्ध हैं । कन्नड़ में कल्लर का अर्थ 'चोर' है ।

क्षेत्र—मुंडा भाषाएँ विशेष रूप से छोटा नागपुर में बोली जाती हैं । इसके अलावा मध्यभारत, मध्यप्रदेश और उड़ीसा के कुछ ज़िलों में और मद्रास के गंजाम ज़िला में, तथा पच्छिमी बंगाल और बिहार के पहाड़ी और जंगली प्रदेशों में भी मुंडा भाषा-भाषी रहते हैं । इसके अतिरिक्त हिमालय की तराई में बराबर बिहार से लेकर शिमला पहाड़ी तक ये लोग पाए जाते हैं । मध्यप्रांत और मद्रास में इनके चारों ओर द्राविड़ भाषाएँ हैं और उत्तर भारत में आर्य । ऐसा अनुमान है कि आदि मुंडा भाषाभाषी भारत में सर्वत्र फैले थे । बाद को आने वाले द्राविड़ और आर्य जनसमुदायों ने इनको खदेड़ भगाया और इन्होंने जंगलों और पहाड़ों की शरण ली । हताश इन्होंने ऐसे पेशे अपनाए जिनका सभ्य समाज से संघर्ष न था । और इनमें से जो जनगण तेज़ और सरकश थे, उन्होंने डाका चोरी आदि करके बसर करना आरंभ किया । मुंडा जाति की ही एक शाखा 'शबर' थी जिसका उल्लेख रामायण, कादंबरी आदि ग्रंथों में मिलता है ।

प्रभाव—मुंडा भाषाएँ आकृति में योगात्मक अस्मिष्ट हैं । इनकी कुछ विशेषताओं का प्रभाव आर्य और द्राविड़ भाषाओं पर स्पष्ट है । तिब्बती-चीनी पर पड़े हुए

प्रभाव का उल्लेख ऊपर आ चुका है। मुंडा में क्रियारूपों का बाहुल्य है। भोजपुरी, मगही और मैथिली, इन बिहारी बोलियों में क्रिया की जटिलता, मुंडा के ही प्रभाव का परिणाम जान पड़ती है। उत्तम-पुरुष वाची सर्वनाम के बहुवचन के दो रूप, एक वक्ता के साथ वाच्य (मध्यमपुरुष) को शामिल करके और एक उसको न शामिल करके भी मुंडा के प्रभाव से आए जान पड़ते हैं। जैसे हिन्दी की बोली माखवी में हम हाट जायँगे और अपन हाट जायँगे में भेद है और वह यह कि पहले वाक्य में हाट जाने वालों में जिस से बात कही जा रही है वह शामिल नहीं और दूसरे में वह शामिल है। कोड़ियों में चीजों को गिनना भी मुंडा भाषाओं का ही स्पष्ट प्रभाव है।

भाषाएं—संथाली और मुंडारी भाषाओं का थोड़ा बहुत अध्ययन किया जा चुका है। इनके अलावा हो, कूकू, सबर आदि बोलियां भी हैं। शिमला की तरफ कनाचरी बोली जाती है। संथाली, मुंडारी आदि चार-पाँच को मिलाकर सामान्य नाम खेरवारी देते हैं। मुंडा की कुल सात बोलियां हैं, और समस्त आस्ट्री परिवार की इस देश में उन्नीस।

ध्वनिसमूह—मुंडा में स्वर, सघोष तथा अघोष और अल्पप्राण और महाप्राण व्यंजन मौजूद हैं। महाप्राणत्व की मात्रा आर्य-भाषाओं की अपेक्षा अधिक मालूम पड़ती है क्योंकि आर्य-भाषाओं के ऐसे शब्द जिनमें महाप्राण हैं, यदि वे मुंडा में ले लिए गए हैं तो वे ही यहां अल्पप्राण हो गए हैं। हिन्दी के सभी स्वर, स्पर्श वर्ण (पाँचों वर्ग), य र ल व, ङ, स, ह मुंडा में पाए जाते हैं पर इनके अलावा एक प्रकार के अर्धव्यंजन क, च, त, प भी हैं जिनका उच्चारण अपने व्यंजनों से भिन्न है। इनके उच्चारण में पहले अंदर को सांस खींची जाती है, तब स्पर्श होता है और फिर स्फोट। इस स्फोट में साँस कभी-कभी नासिका-विबर से भी निकल जाती है। संथाली के किसी शब्द के आदि में संयुक्त व्यंजन नहीं आता। द्रव्यत्तर शब्दों में यदि अंताक्षर दीर्घ और उसके पहले वाला ह्रस्व हो तो बलाघात अंतिम अक्षर पर ही होता है, नहीं तो उसके पहले वाले पर।

व्याकरण—संज्ञा, क्रिया आदि शब्द-विभाग नहीं दिखाई पड़ता। शब्दार्थ प्रकरण के अनुकूल जान पड़ता है। सम्बन्ध-तत्त्व का बोध अधिकतर अन्तयोग और मध्य-योग से होता है, तथा अम्यास का भी सहारा लिया जाता है। उपसर्ग भी जोड़े जाते हैं। उदाहरणार्थ—अ-(प्रेरणार्थक) को सैन (जाना) में जोड़कर असैन (ले जाना), इसी प्रकार अ-नुँ (पिलाना); -य- (समूहवाचक) जोड़कर मंभी (मुखिया) से मपंभी (मुखियागण), अषवा -य- (परस्परवाचक) जोड़कर दल् (मारना) से दपल् (आपस में मारना-पीटना), -ऊ- (समनिहारार्थक) जोड़कर आल् (लिखना) से अकाल् (अब

लिखना)। मुंडा के शब्द एक २ वस्तु और भाव का बोध कराने के लिए पर्याप्त हैं परन्तु सामान्य भाव का बोध कराने वाले शब्दों की कमी है।

प्रकरण से ही पदविभाग का पता चलता है। एक ही शब्द-रूप संज्ञा, विशेषण, क्रिया आदि का, ज़रूरत के अनुरूप, काम दे देता है। विभक्तियों का बोध परसर्गों से कराया जाता है। लिंग का बोध मूल शब्द में पुरुषवाचक या स्त्रीवाचक शब्द जोड़कर कराया जाता है, जैसे—आडिया कूल (बाघ), एंगा कूल (वाघिन)। कोड़ा (लड़का), कूड़ी (लड़की) आदि शब्दों में लिंग-भेद दिखाई पड़ता है; पर ऐसे प्रयोगों की नितांत कमी है और स्पष्ट है कि यह आर्य-भाषाओं का प्रभाव है। चेतन और अचेतन का भेद अवश्य उपस्थित है।

इन भाषाओं में तीन वचन होते हैं। खेरवारी में द्विवचन का प्रत्यय कीन या कीड है और बहुवचन का को या कू, जैसे—हाड़ (आदमी), हाड़-कीन (दो आदमी), हाड़-को (कई आदमी)। परसर्ग काफ़ी हैं—तै (को, में, करणवाचक से), रै (में, बीच में), लगित लगत (लिए), खान खाच (से अपादानवाचक), ठान ठाच (निकट)। संबंधवाचक परसर्ग चेतन संबंधी होने पर रैन और अचेतन होने पर अक, अड, रेअक, रेअड आदि होता है और हिन्दी के विपरीत संबद्ध के अनुसार न बदल कर संबंधी के अनुसार बदलता है।

संथाली के संख्यावाची शब्द मिट् (१), बरेआ (२), पैआ (३), पोनेआ (४), माड़ा (५), तुरूड़ (६), एआए (७), इडाल (८), आरै (९), गैल (१०), इसि (२०) हैं। ऊपर की संख्याएँ बीसियों से गिनी जाती हैं (पोन इसि—=०, पै इसि—=६०)। दस और बीस के बीच में खन (अधिक) या कम (न्यून) को जोड़कर काम चलाया जाता है, जैसे—गैल खन पोनेआ (१४), बरेआ कम बरिसि (१८)।

पुरुषवाचक सर्वनामों में भी द्विवचन और बहुवचन के हम और अपन के वज़न के दो-दो रूप हैं। आदरवाचक (आप आदि) और संबंधवाचक (जो, जिस आदि) के वज़न के कोई सर्वनाम मुंडा भाषाओं में नहीं मिलते।

क्रिया ऐसी कोई अलग चीज़ नहीं। वही शब्द जो एक जगह संज्ञारूप आया है अन्यत्र क्रियारूप हो सकता है। मरड (बड़ा), हाड़ अ मरड अ (आदमी बड़ा है), हैं (हाँ) और उसमें केत परसर्ग जोड़कर हैं केत अ (हाँ कहा)। यह अ किसी क्रिया या व्यापार की भावात्मकता का बोधक है, और कुछ नहीं। क्रिया के रूप प्रत्यय जोड़कर सिद्ध होते हैं। किंतु जब तक यह अ न जुड़े तब तक क्रिया का वास्तविक अस्तित्व नहीं प्रकट होता। उदाहरण के लिए, दल्-केत (मारा) का अर्थ दल्-केत-अ से ही सिद्ध होगा। संशयात्मक क्रियाओं में यह अ नहीं जुड़ता, जैसे, लजुक-अलो-

ए दग (यदि पानी न बरसे) में यह अ नहीं जोड़ा गया। सहायक क्रिया के रूप, क्रियारूपों और भावात्मक अ के बीच में डाल दिए जाते हैं। धातु का अभ्यास दो तरह किया जाता है, (क) पूरी धातु को दुबारा लाकर, या (ख) धातु के प्रथम दो वर्णों को दुहरा कर। प्रथम का अभिप्राय उस धातु द्वारा निर्दिष्ट क्रिया का बार बार करना और दूसरे का उसी क्रिया को खूब करना होता है, जैसे दल् (मारना) से दल्-दल् (बार बार मारना) और ददल् (खूब मारना)। विशेषकर स्वर से आरंभ होने वाली धातुओं में या बह्त्तर धातुओं में -क- बीच में जोड़कर समभिहार (पौनःपुन्य या मृशार्थ) का बोध कराया जाता है, जैसे—अगु (ले जाना), अक्नु (बार बार ले जाना या खूब ले जाना)। परस्पर क्रिया का बोध -प- को बीच में जोड़कर और प्रेरणार्थक का अंत में -ओची लगाकर किया जाता है। इन प्रक्रियाओं के अलावा इन भाषाओं में क्रिया का एक विशेष रूप होता है जिससे हिंदी के सुन रक्खो, ले रक्खो आदि प्रयोगों का अभिप्राय प्रकट होता है, अर्थात् ऐसी क्रिया जिसका भविष्य में कुछ काम पड़े, जैसे—अंजम-कक्-मा (सुन रक्खो)।

पुरुष के अनुसार क्रिया में रूप-विभिन्नता नहीं होती। पर चेतन पदार्थों के विषय में पुरुषवाची सर्वनाम अंत में जोड़ दिए जाते हैं। क्रिया-रूप में प्रत्यय जोड़ कर उन सभी कालों और वृत्तियों का बोध कराया जाता है जो प्रायः संस्कृत और हिंदी में मिलती हैं। इनके अतिरिक्त और भी कई प्रयोग हैं।

मुंडा भाषाओं में अव्यय स्वतंत्र शब्द हैं जिनका अलग ही अर्थ है, जैसे—मैन-खन (लेकिन) का तात्विक अर्थ है 'यदि तुम कहो'।

मुंडा भाषाओं का द्राविड़ी भाषाओं से मौलिक अंतर है। द्राविड़ी में अर्ध-व्यंजन-सी कोई चीज नहीं। संज्ञाओं का विभाग मुंडा में चेतन-अचेतन का होता है, द्राविड़ी में विवेकी अविवेकी का। मुंडा में गिनती बीस के क्रम से होती है, द्राविड़ी में आर्य की तरह दस के क्रम से। मुंडा में तीन वचन होते हैं, द्राविड़ी में दो। मुंडा में मध्यविन्यस्त प्रत्यय होते हैं, द्राविड़ी में नहीं।

द्राविड़ी

नाम—भारत में क्या जनसंख्या और क्या साहित्य सभी बातों के विचार से द्राविड़ी भाषाओं का यदि गौरवस्थान है तो केवल आर्य भाषाओं से। द्रविड़ शब्द संस्कृत द्रविड का रूपांतर है। इसी शब्द का पालिरूप दमिळ महावंस में तथा यही जैन प्राकृत ग्रंथों में मिलता है। वराहमिहिर ने द्रमिड शब्द का प्रयोग किया है। ग्रीक ग्रंथों में डमरिक, डिमिरिक शब्द मिलते हैं। तमिळ शब्द दविड़ का ही अन्य रूप है।

संबंध—मुंडा भाषाओं से द्राविड़ भाषाओं की विभिन्नता ऊपर दिखाई गई है। आर्य भाषाओं से भी ये प्रायः हर एक बात में भिन्न हैं। इनकी अस्थिर योगतमक अवस्था है। उराल-अल्ताई भाषाओं में जैसी स्वर-अनुरूपता मिलती है, वैसी यहाँ भी दिखाई पड़ती है। इसको मुख्यरूप से ध्यान में रखकर कुछ विद्वानों ने इनका उराल-अल्ताई परिवार से संबंध जोड़ने का प्रयत्न किया है। मोहन ज दाड़ो की खुदाई के बाद तो द्राविड़ी, सुमेरी और मोहन ज दाड़ो की सभ्यता को एक सूत्र में बाँधने की भी कोशिश हुई है। और यह भी प्रयत्न हुआ है कि आस्ट्रेलिया की आस्ट्री भाषाओं से इनका संबंध जोड़ा जाय। इस अंतिम वाद को उपस्थित करनेवाले विद्वानों का विचार है कि प्रागैतिहासिक काल में 'लेमुरी' महाद्वीप मौजूद था जो आज भारतीय महासागर के नीचे पड़ गया है। और इसी पर इस भाषासमुदाय के बोलनेवालों के पूर्वज रहते थे। यदि यह अनुमान ठीक हो तो मडागास्कर द्वीप से लेकर प्रशान्त महासागर के द्वीपों तक की भाषाओं का एक ही संबंध समझ में आ सकता है। ऐसी दशा में उराल-अल्ताई या सुमेरी से द्राविड़ी का कोई भी संबंध नहीं ठहर सकेगा और यह विचार कि आर्यों की तरह द्राविड़ जनसमुदाय भी भारत में पश्चिमोत्तर दिशा से आये और ब्राहुई भाषाभाषी उनकी अंतिम शाखा हैं, यह भी युक्तिसंगत न रहेगा। पर द्राविड़ी का आस्ट्री से संबंध होना स्वयं बालू की भित्ति पर खड़ा है क्योंकि जैसा ऊपर दिखा चुके हैं दोनों में काफ़ी भिन्नता है।

भाषाएँ—द्राविड़ी की कुल १४ भाषाएँ हैं। भाषा-विज्ञानी इनको चार वर्गों में बाँटते हैं—(क) द्राविड़, (ख) मध्यवर्ती, (ग) आन्ध्र (तेलगू) और (घ) पश्चिमोत्तरी (ब्राहुई)। नीचे हर एक वर्ग की जन-संख्या दी जाती है—

(क) द्राविड़	४ करोड़ १५ लाख
(ख) मध्यवर्ती	३६ लाख
(ग) आन्ध्र	२ करोड़ ६४ लाख
(घ) पश्चिमोत्तरी	२० लाख

इनका अन्वंतर वर्गीकरण इस तरह किया जाता है—

द्राविड़	{	तामिल	{	तामिल
		कन्नड़		मलयालम
		तुळु	{	टोडा
		कोडगु		कोडा
		टोडा		

मध्यवर्ती	}	गोडी	}	कुख
		(श्रोराश्रो)		कुख
		कई (कन्धी)		माल्टो
		कोलामी		
आन्ध्र		तेलगू		
पश्चिमोत्तरी		ब्राहुई		

✓**तामिल**—यह मद्रास प्रान्त के दक्खिन-पूर्वी भाग में और सिंहल (लंका) के उत्तरी भाग में बोली जाती है। इसके उत्तर में तेलगू और पच्छिम में कन्नड़ और मलयालम हैं। समस्त द्राविड़ी भाषाओं में यही प्रमुख है। इसका साहित्य ८वीं सदी तक का मिलता है। बोलियों में परस्पर समानता बहुत अधिक है। स्टैंडर्ड भाषा के दो रूप हैं, शेन और कोडुन। शेन सभ्य समझी जाती है। कोडुन प्रायः बोलचाल की है। तामिल की मयिप्रवाळं नाम की एक साहित्यिक शैली है जिसमें संस्कृत शब्दों की प्रचुरता है और साथ ही साथ तामिल शब्द भी खूबसूरती से पिराए हुए हैं। तामिल साहित्य बहुत उच्चकोटि का है और बंगाली, हिन्दी, मराठी आदि आर्य-भाषाओं का समकक्ष है।

✓**मलयालम**—तामिल की ही एक शाखा समझी जाती है, यह तामिल से ९ वीं सदी में अलग हुई। इसका क्षेत्र भारत का दक्खिन-पच्छिमी कोना है। लक्षद्वीप में भी यही भाषा बोली जाती है। शब्दावली संस्कृतप्रचुर है, पर इस भाषा के मुसल्मान भाषी (मोपला) इस संस्कृत-बहुल-भाषा का प्रयोग नहीं करते। द्रावकोर और कोचिन राज्यों की संरक्षा में मलयालम साहित्य खूब फूला-फला और उन्नत हुआ है और प्राचीनता में १३ वीं सदी तक जाता है।

✓**कन्नड़**—मैसूर की भाषा है। इसमें भी अच्छा ज्ञासा साहित्य है। लिपि तेलगू से मिलती है, पर भाषा तामिल से। पद्य की भाषा में कृत्रिमता अधिक है। कई बोलियां हैं। इसके लेख ५वीं सदी तक के पुराने मिलते हैं। समस्त द्राविड़ी भाषाओं में यही सब से पुराने हैं।

तुळु का क्षेत्र बहुत परिमित है। भाषा सुखी हुई है पर कोई साहित्य नहीं। कोडगु, कन्नड़ और तुळु के बीच की है। टोडा और कोटा नीलगिरि पहाड़ पर रहने वाले जंगली लोगों की बोलियां हैं।

मध्यवर्ती समुदाय की भाषाएँ प्रायः जंगली जातियों की हैं। ये मध्यभारत में, तथा बरार से लेकर उड़ीसा और बिहार तक फैली हुई हैं। बंगाल के राजमहल

ज़िले में भी एक जगह गंगातट पर इनका निवास है। इन बोलियों में कोई साहित्य नहीं। इनके बोलने वाले प्रायः सब के सब द्विभाषा-भाषी होते हैं क्योंकि आसपास के आर्य भाषा-भाषियों से निरन्तर सम्पर्क रहता है। आर्य-भाषाओं की छाप इतनी गहरी पड़ रही है कि इनमें से कुछ छोटी-छोटी टोलियों की बोलियां मर-ची रही हैं और संभव है कि आगे पीछे समाप्त ही हो जायं।

गोंड—यह मध्यवर्ती वर्ग में सब से प्रमुख है। गोंड हिंदी प्रान्त में पाये जाते हैं। कुरुख (ओराओ) को मूलरूप से कर्णाट प्रान्त का बताया जाता है जो बाद को बिहार उड़ीसा में छा गई। इसी की एक बोली मास्टो है। कुरुख भाषा-भाषियों का निवासस्थान वही है जो मुंडा का है। दोनों परस्पर एक दूसरे की भाषा समझते-बुझते हैं, और कुछ जन-समुदाय एक छोड़कर दूसरी बोलने लगे हैं। कूई (कोन्धी) का तेलगू से संबंध है। इसके बोलने वाले उड़ीसा के जंगलो में रहते हैं। कोलामी का क्षेत्र बरार के पश्चिमी जिलों में है, और संबंध तेलगू से। यहां वह आर्यपरिवार की भीली भाषा से सम्पर्क में है और लुत-सी हो रही है।

आंध्र प्रांत की भाषा तेलगू बड़े महत्व की है। वर्तमान हैदराबाद रियासत के प्रायः आधे भाग की जनता की भी यही भाषा है। तेलगू भाषा-भाषी बड़े वीर और सभ्य रहे हैं। मुगल राज्यकाल में बराबर यह उत्तर भारत में सैनिकरूप से आते रहे। हिंदी में *तिलंगा* शब्द सैनिक का पर्यायवाची है। द्राविड़ी भाषाओं में तेलगू बोलने वालों की संख्या सब से अधिक है। इस भाषा का साहित्य १२वीं सदी तक का मिलता है। आधुनिक साहित्य भी बहुत अच्छा और तामिल की टकर का है। संस्कृत से बहुतेरे शब्द तेलगू में स्वाभाविक रीति से ले लिए गए हैं। इस शब्दावली के कारण बंगाली, हिंदी आदि आर्यभाषाओं से इसका अन्य द्राविड़ी भाषाओं की अपेक्षा घनिष्ठ संबंध है। भाषा में बड़ा माधुर्य है; इसके मुक्काबिले में तामिल कर्णा-कट्टु मालूम देती है।

बलोचिस्तान के बीच में चारों ओर से ईरानी भाषाओं से और एक कोने में सिंधी से घिरी हुई द्राविड़ी परिवार की ब्राहुई भाषा है। इसके बोलने वाले सभी मुसल्मान हैं, और मातृभाषा की विभिन्नता से शादी ब्याह आदि सामाजिक व्यवहार में कोई अंतर नहीं पड़ता। परिणामस्वरूप ब्राहुई भाषा-भाषी ईरानी भाषा (बलोची या पर्तो) भी मातृ-भाषा सरीखी बोलते हैं। इस भाषा का इस परिस्थिति में टिका रह जाना अचरज की ही बात है।

नोट—द्राविड़ी परिवार की भाषाओं के उच्चारण में शब्द के अंतिम व्यंजन के उपरोक्त एक अतिलघु अकार जोड़ दिया जाता है। तामिल में -क, -श, -त, -य, -ङ,

के उपरांत अतिलघु उकार सुन पड़ता है। कन्नड़ और तेलगू में सभी शब्द स्वरांत होते हैं और अंतिम व्यंजन के बाद -उ बोला जाता है। पर बोलचाल की तेलगू और कन्नड़ में यह -उ नहीं सुनाई पड़ता, जैसे, साहित्यिक ते० गुर्रमु (घोड़ा), बोलचाल वाली में गुर्रम्। इन भाषाओं में उराल-अस्ताई भाषाओं की-सी स्वर-अनुरूपता भी पाई जाती है। सभी भाषाओं में और विशेषकर तामिल में यह प्रवृत्ति है कि किसी शब्द के आदि में सघोष व्यंजन नहीं आ सकता, और शब्द के मध्य में आने वाला अकेला व्यंजन या अनुनासिक व्यंजन के बाद आने वाला व्यंजन सघोष होना चाहिए। इसी प्रवृत्ति से सं० दंत तामिल में तंदम् हो जाता है। यही प्रवृत्ति तिब्बती-चीनी में भी पाई जाती है।

संज्ञाओं का विभाग विवेकी और अविवेकी में किया जाता है अथवा इन्हीं को उच्च-जातीय और नीच-जातीय कह सकते हैं। पुंलिंग-स्त्रीलिंग का भेद, ज़रूरत होने पर, नर और मादह के बोधक शब्दों को जोड़कर दिखाया जाता है। अन्यपुरुषवाची सर्वनामों में ही पुं० स्त्री० भेद पाया जाता है और ये विशेषणों तथा संज्ञाओं में लिंग-भेद करने के लिए जोड़े जाते हैं। ब्राहुई में यह लिंगभेद नहीं पाया जाता।

दो वचन होते हैं। विभक्तियां परसर्ग जोड़कर बनती हैं। पर ये परसर्ग संज्ञा के विकारी रूपों के अनंतर आते हैं, अविकारी के बाद नहीं। विशेषणों के रूप नहीं चलते। गिनती आर्य भाषाओं की तरह दस पर निर्भर है। कुछ विद्वानों का मत है कि भारत में जो सोलह पर निर्भर (रुपए आने की) गिनती पाई जाती है, वह भी द्राविड-स्रोत की है।

उत्तमपुरुषवाची सर्वनाम में हम और अपन के वचन के दो रूप बहुवचन में होते हैं। संबधवाची सर्वनाम नहीं होता। कुरुख के ये सर्वनाम हैं—एँन्, (मैं) एम् (हम), नीन् (तू), नीम् (तुम), तान् (स्वयं एकवचन), ताम् (स्वयं बहुवचन)।

बहुत से शब्द संज्ञा और क्रिया दोनों होते हैं, जैसे, ता० कोन (राजा), कोन-एन (मैं राजा हूँ)। कर्मवाच्य के अलग रूप नहीं होते। सहायक क्रिया से उसका बोध कराया जाता है। क्रिया के रूपों में पुरुष का बोध कराने के लिये पुरुषवाची सर्वनाम जोड़े जाते हैं। काल होते हैं, निश्चित और अनिश्चित; निश्चित भूत और निश्चित भविष्य तथा अनिश्चित वर्तमान या अनिश्चित भविष्य। क्रिया के निषेधात्मक रूप भावात्मक से भिन्न होते हैं। तिङन्त रूपों की जगह कृदंत रूपों का अधिक प्रयोग होता है।

प्रभाव—भारत में आर्यों के आने के समय यहाँ मुंडा और द्राविड पहले से ही बसे हुए थे। प्रोफ़ेसर चटर्जी के मत के अनुसार मुंडा जाति के लोग कश्मीर तक फैले

हुए थे। वह कश्मीर के और भी पच्छिम में बोली जानेवाली बुद्धशास्त्री को आस्ट्री परिवार का समझते हैं। शिमला की पहाड़ी पर तक मुंडा की एक शाखा तो वर्तमान है ही। इसी प्रकार द्राविड़ भाषाओं का भी इस देश में आर्यों के प्रवेश के पहले प्रचार था। जब आर्य इनके सम्पर्क में आए होंगे तो स्वाभाविक ही है कि उनकी भाषा पर इनका प्रभाव पड़ा होगा। दुर्भाग्य से द्राविड़ी के बहुत पुराने लेख या ग्रंथ नहीं मिलते, नहीं तो परस्पर सम्पर्क के परिणाम का अध्ययन अधिक स्पष्ट हो जाता। तब भी भाषाविज्ञानियों का अनुमान है कि भारतीय आर्य शाखा में मूर्धन्य ध्वनियों का अस्तित्व और र और ल का व्यत्यय द्राविड़ी प्रभाव के ही कारण से है। परसर्गों का अस्तित्व और सो भी संज्ञा और सर्वनाम के विकारी रूप के बाद द्राविड़ प्रभाव को ही जतलाता है। हिंदी आदि भाषाओं के चेतन पदार्थवाची कर्म का अचेतन कर्म से भेद (राधा ने कृष्ण को सराहा पर राधा ने मुरली चुराई) भी द्राविड़ प्रभाव के कारण समझा जाता है। अन्य आर्य-भाषाओं की तुलना में भारतीय शाखा में कृदंत रूपों का तिङन्त की अपेक्षा अधिकाधिक प्रयोग भी इसी का द्योतक है। यह उत्तरोत्तर बढ़ता गया। छिटनी ने ऋग्वेद की क्रियाओं की तुलना भगवद्गीता की क्रियाओं से की है और इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि भगवद्गीता में तिङन्त रूपों का प्रयोग ऋग्वेद की अपेक्षा दसवां हिस्सा ही रह गया है। इसी प्रकार वर्तमान आर्य भाषाओं का सहायक क्रियावाला कर्मवाच्य तथा भविष्यकाल के रूप भी द्राविड़ी प्रभाव के ही परिणाम मालूम पड़ते हैं। शब्दावली का जो परस्पर आदान-प्रदान हुआ है, वह स्पष्ट ही है।

अगले अध्याय में आर्य-भाषाओं का विवेचन किया जायगा।



बाईसवां अध्याय आर्य परिवार

इस परिवार की भाषाएँ मुख्य रूप से हमारे देश के अधिकांश में, ईरान में, आर्मीनिया में, प्रायः सारे यूरोप महाद्वीप में, सकल अमरीका महाद्वीप में तथा अफ्रीका के दक्खिन-पच्छिमी कोने में और आस्ट्रेलिया में बोली जाती है। बोलने वालों की संख्या, क्षेत्रविस्तार, साहित्य आदि सभी बातों को देखते हुए इस परिवार का संसार के भाषापरिवारों में सर्व-प्रमुख स्थान है। वस्तुस्थिति तो यह है कि इसी परिवार की कुछ भाषाओं के तुलनात्मक अध्ययन से भाषाविज्ञान का आविर्भाव हुआ।

नाम—इस परिवार का नाम सबसे पहले इंडोजर्मनिक पड़ा। पिछले दो सौ वर्षों से जर्मन विद्वान बराबर इस विज्ञान के अध्ययन में लगे रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट देखा कि यह परस्पर संबद्ध भाषाएँ एक ओर पूर्व दिशा में भारत (हिन्द) में बोली जाती हैं और दूसरे पच्छिम ओर पर जर्मनी में (ब्रिटेन आदि जर्मनी के पच्छिम वाले देशों में अंगरेज़ी, डच आदि जर्मनी शाखा की ही हैं)। स्वाभाविक ही या कि उन्होंने इनका नाम इ०ज० रख दिया। पर आयरलैंड और वेल्ज़ में बोली जाने वाली केल्टी शाखा की भाषाएँ जर्मनी शाखा की नहीं थीं इसलिए इ०ज० नाम अनुपयुक्त समझा गया और इंडो-केल्टिक सुझाया गया। यह नाम बिल्कुल न चल सका। परिवार की मुख्य भाषा संस्कृत के कारण संस्कृतिक भी सोचा गया, पर इस निश्चय के कारण कि संस्कृत सभी का आदिश्रोत नहीं है, यह छोड़ दिया गया। इंग्ली संप्रदाय के अनुसार सामी, हामी के वज़न पर हज़रत नौह के तीसरे बेटे जैफ़ के नाम पर जैफ़ाइट भी रखने का विचार हुआ पर यह भी आगे न बढ़ सका। इनके अलावा दो नाम और पेश किए गए, आर्य और इंडोयूरोपियन। इंगलैंड, फ्रांस आदि देशों के विद्वानों ने इ०यू० नाम पसंद किया और इसी का व्यवहार करते हैं। उनका कहना है कि भारत और यूरोप इन्हीं दो महादेशों में यह भाषाएँ गौरव को पहुँचीं इसलिए यह नाम ठीक है। पर जर्मनी वाले अब भी इ०ज० शब्द का ही प्रयोग करते हैं; उनका विश्वास है कि इ०ज० नाम का वहिष्कार उस नाम की अनुपयुक्तता के कारण इतना नहीं हुआ है जितना जर्मनी नाम तक के द्वेष के कारण। आर्य शब्द के व्यवहार के विरुद्ध यूरोप के विद्वान दो तर्क उपस्थित करते हैं।

(१) इस नाम से इस परिवार की भाषाओं और उनके बोलने वालों की जाति का समकक्षत्व होता है अर्थात् यह भ्रम होता है कि इस परिवार की भाषाओं के बोलने वाले आर्यजाति के हैं। (२) आर्य शब्द का व्यवहार इस परिवार की शाखा हिंद-ईरानी के लिए अधिक उचित है क्योंकि इन दोनों देशों वाले अपने को आर्य कहते हैं और इस शब्द का निरंतर प्रयोग अपने साहित्य में पाते हैं। पहला तर्क बिल्कुल लचर है। यदि सामी हामी आदि भाषाओं के नामों से सामी आदि जातियों के विषय में भ्रम नहीं पैदा होता तो आर्य नाम से ही क्यों होने लगा? दूसरे तर्क में कुछ सार है। अवश्य ही भारत और ईरान में आर्य शब्द, परम्परा से मौजूद है और हम उसका गौरव भी मानते हैं। ईरान ने तो उस गौरव का प्रत्यक्ष प्रमाण फारस शब्द को त्याग कर और ईरान < अइराण < आर्याणाम् को प्रयोग में लाकर दे दिया है। पर हिंद-ईरानी के लिए आर्य शब्द का प्रयोग बहुत उचित नहीं। अन्य शाखाओं के नाम उन देशों के नाम पर रखे गए हैं जिनमें वे मुख्य रूप से उपस्थित हैं। इसलिए जब तक भारत और ईरान को प्राचीन आर्य देश न स्वीकार किया जाय, तब तक इस नाम के बारे में क्यों दूसरी नीति बर्ती जाय? और आज यूरोप में भी आर्य शब्द का गौरव माना जा रहा है। हिटलर उसी का दम भरता है। जर्मनी में प्राचीन आर्य चिह्नों (स्वस्तिक आदि) की पूजा होती है। इसके अलावा इंडोयूरोपियन नाम बड़ा भारी है। आर्य छोटा है और उच्चारण-सुगम, सामी हामी, चीनी, बाटू, आदि की तरह। इसीलिए जेस्पर्सन ने भी इसे पसन्द किया है। हमारी समझ में हमें सम्पूर्ण परिवार के लिए आर्य, हिंद-ईरानी शाखा के लिए हिं० ई० और ईरानी के लिए ईरानी तथा भारतीय के लिए भारतीय या भारतीय-आर्य शब्दों का यथासमय व्यवहार करना चाहिए। साथ ही साथ हमें यूरोपीय विद्वानों द्वारा किए गए आर्य, इ०यू० और इ०ज० नामों के अर्थ पर भी ध्यान रखना चाहिए।

आदिम भाषा

इस परिवार की प्राचीन और अर्वाचीन भाषाओं का सूक्ष्म अध्ययन कर के, यह कल्पना की जाती है कि इन भाषाओं का मूल स्रोत कोई आदिभाषा रही होगी। संस्कृत, अवेस्ती, ग्रीक और लैटिन के सब से पुराने लेखों द्वारा इन भाषाओं का जो स्वरूप मिलता है उससे ही इस आदिभाषा की कल्पना हो सकी है। इन भाषाओं की परस्पर तुलना की गई, और फलस्वरूप यह मालूम हुआ कि आदिम आर्य-भाषा में अमुक अमुक ध्वनियाँ रही होंगी, अमुक-अमुक सन्धि-नियम रहे होंगे, संज्ञा सर्वनाम आदि के रूप इस प्रकार चलते होंगे, क्रिया के ये रूप रहे होंगे, इत्यादि। कुछ उदाहरणों से यह स्पष्ट होगा।

संस्कृत पितर, ग्रीक पतेर, लैटिन पतेर, अंगरेज़ी फ़ौदर, अथवा सं० ग्री० प्रो, लै० प्रो, गाथी फ़्रा, या सं० नपात्, लै० नेपोस् अं० नेपयू आदि शब्दों को देखकर यह अनुमान किया गया कि आदिम भाषा में प् ध्वनि रही होगी। इन उदाहरणों से मालूम होता है कि सं० प् = ग्री० प् = लै० प् = जर्मन समूह वाली भाषाओं में फ़्। यही ध्वनि-नियम बना। पर शीघ्र ही देखा गया कि, सं० स्पश, लै० स्पेक्स् से ही सम्बद्ध प्राचीन जर्मन भाषा में स्पेहोन् शब्द है और अंगरेज़ी में स्पाइ। निश्चित किया हुआ ध्वनि-नियम गड़बड़ा गया क्योंकि इन जर्मनी भाषाओं में के शब्दों में सं० प्, फ़् के समकक्षन मिलकर प् मिली, और उसमें संशोधन की ज़रूरत पड़ी। इसी तरह सं० भ् (भरामि), = ग्री०, फ़् (फ़ेरो), = लै० फ़् (फ़ेरो) = अं० ब् (बेयर) की बराबरी सिद्ध हुई, और आदिम भाषा में भ् के अस्तित्व का अनुमान किया गया पर सं० बन्ध् और अं० बाइंड की तुलना से सं० ब्, अं० ब् के बराबर मालूम पड़ी यद्यपि अन्य उदाहरणों से सं० भ् की बराबरी अं० ब् से और सं० ब् की बराबरी अं० प् के साथ सिद्ध होती थी। कुछ और उदाहरणों की समीक्षा करके अन्तिम निश्चय यह हुआ कि अंगरेज़ी आदि जर्मनी भाषाओं की ब् आदिम की भ् के ही बराबर है, जहाँ संस्कृत की ब् अं० की ब् के बराबर दिखाई देती है, वहाँ निश्चय ही आदिम भाषा में भ् रही होगी जो बाद को संस्कृत के निजी नियमों के कारण इस में ब् हो गई, इसी से सं० बन्ध् के आदिम भाषा के स्वरूप *भेन्ध् की कल्पना हुई। इसी तरह पहले इस आदिम भाषा में अ, इ, उ (ह्रस्व) और आ ई उ (दीर्घ) मूलस्वरों की कल्पना की गई थी, पर बाद को यह निष्कर्ष निकला कि सं० और अवेस्ती में के अ के समकक्ष लै० ग्री० में तीन स्वर अ, एँ, ओँ मिलते हैं। वह तीनों आदिम भाषा में रहे होंगे जो हि० ई० में एक रूप (अ) में पाए जाते हैं। इस प्रकार परस्पर तुलना से निर्धारित आदिम भाषा का स्वरूप कल्पित ही है, अनुमान-सिद्ध; इसके बारे में निश्चयपूर्वक यह कह देना कि उस आदिभाषा में फ़लाँ शब्द की जोड़ी का फ़लाँ रूप था, यह कहना असंगत है। हम केवल इतना कह सकते हैं कि तुलनात्मक अध्ययन से हम अनुमान करते हैं कि अमुक रूप रहा होगा। परन्तु इतना निश्चित-प्राय है कि यह आदिम भाषा अवश्य वर्तमान थी और इसी की शाखाओं के रूप में हमें प्राचीन और अर्वाचीन भाषाएँ प्राप्त हैं।

ध्वनियों—प्राचीन भाषाओं की तुलना-स्वरूप जो आदिम भाषा निश्चित की गई है, उसकी नीचे लिखी ध्वनियाँ थीं।

कवर्ग—(१)	क'	ख'	ग'	घ'
(२)	क॒	ख॒	ग॒	..
(३)	क्व	व	क्व	क्व

तवर्ग—	त्	थ्	द्	घ्		
पवर्ग—	प्	फ्	ब्	भ्		
ऊष्म—		स्				
अन्तःस्थ (व्यंजन)	य्	र्	ल्	व्	न्	म्
„ (स्वर)	इ	ऋ	लृ	उ	ऌ	ॠ
स्वर (मूल ह्रस्व)	अ	ए	ओ			
„ (मूल दीर्घ)	आ	ए	ओ			
„ (मिश्र ह्रस्व)	अइ	अलृ	अऋ	अउ	अन्	अम्
	एइ	एऋ	एलृ	एउ	एन्	एम्
	ओइ	ओऋ	ओलृ	ओउ	ओन्	ओम्
„ (मिश्र दीर्घ)	आइ	आऋ	आलृ	आउ	आन्	आम्
	एइ	एऋ	एलृ	एउ	एन्	एम्
	ओइ	ओऋ	ओलृ	ओउ	ओन्	ओम्
„ उदासीन		ऋ	(०)			

प्रथम श्रेणी के कवर्ग का उच्चारण तालुस्थान की गौण सहायता से किया जाता था और संभवतः क्य् ख्य् ग्य् घ्य् सा रहा होगा। द्वितीय श्रेणी का उच्चारण वस्तुतः कंठ्य था जो अपने (वर्तमान हिन्दी के) कवर्ग से उच्चारण से भिन्न था और अरबी क़ आदि के समान। तृतीय श्रेणी के उच्चारण में ओठों की गौण सहायता ली जाती थी, इन के उच्चारण में कवर्ग ध्वनि मुख्य और व् ध्वनि बहुत ही अल्प और गौण रहती थी। ऊष्म स् यदि दो स्वरों के बीच में आती थी तो उसका उच्चारण सघोष (ज्) होता था। अनुनासिक ध्वनियाँ व्यंजनरूप में म् और न् ही थीं, पर अनुमान किया जाता है कि प्रथम श्रेणी के कवर्ग वर्णों के पूर्व न् का उच्चारण व् और बाक़ी दो के पूर्व ङ् होता होगा। यही न् और म्, शब्दों में विशेष स्थान पर आने की अवस्था में स्वर-रूप न् मु हो जाते थे। इसी प्रकार य् र् लृ व् भी शब्द में अपनी स्थिति के अनुकूल स्वररूप (इ उ ऋ लृ) धारण कर लेते थे। आदिम भाषा के मु न् की जगह संस्कृत में अ मिलता है। आदिम भाषा में यह अन्तःस्थ वर्ण तीन प्रकार से प्रयोग में आते थे—

(क) व्यंजनरूप—(१) जब अन्तःस्थ वर्ण शब्द के आदि में किसी स्वर या स्वररूप से प्रयुक्त हुए अन्तःस्थ वर्ण के पूर्व आता था, या (२) दो स्वरों के बीच में होता था, या (३) किसी व्यंजन और स्वर के बीच में आता था, या (४) स्वर और उदासीन स्वर के बीच में आता था।

(ख) मिश्रस्वर के द्वितीय भाग के रूप में; यह अवस्था तब होती थी जब अन्तःस्थ वर्ण स्वर और व्यंजन के बीच में आता था ।

(ग) स्वररूप—(१) जब शब्द के आदि में, किसी व्यंजन के पूर्व आता था या (२) जब वह दो व्यंजनों के बीच में आता था । इनके अलावा (३) कुछ विशेष परिस्थितियों में शब्द के आदि वाला अन्तःस्थ वर्ण उसके बाद में स्वर होने पर भी, स्वयं स्वर हो जाता था । संस्कृत में अन्तःस्थ वर्णों की यह तीन तरह की स्थिति प्रायः वैसी ही बनी हुई मिलती है, जैसी आदिम आर्य भाषा में थी; उदाहरणार्थ— (क) यज्, युवा, इयाज, मध्य, (ख) एति, वेद, गौः, अवोचम्, (ग) इदम्, दिक्, उक्तम्, श्रुतम्, ऋक्षः, मृतम्, वृकः (ज० वुल्फ) पृथुः (ग्री० प्लतुस्), शतम् (लै० केन्डम्), गतम्, मतिः (ज० मुन्स्), हतम् ।

इतना ध्यान रखना चाहिए कि इ, उ, ऋ, लृ मूल रूप से स्वर न थे किन्तु स्वर-स्थानीय अन्तःस्थ वर्ण ।

उदासीन स्वर का ठीक उच्चारण आदिम भाषा में क्या था इसका पता नहीं । यूरोप के विद्वान् इसको इवा (Schwa) कहते हैं । संस्कृत और अवेस्ता में इसको हम -इ- रूप में पाते हैं (पिता, जनिता) । यही उदासीन स्वर, यदि स्वर रूप से प्रयुक्त अन्तःस्थ वर्ण और तदनन्तर प्रयुक्त अन्तःस्थ वर्ण दोनों के बाद आता था, तो यह उदासीन स्वर और इसके पहले वाला अन्तःस्थ दोनों मिलकर दीर्घ अन्तःस्थ स्वर हो जाता था जिसके हमें संस्कृत में ई, ऊ, ऋ रूप मिलते हैं, और दीर्घ मृ नृ के स्थान पर आ मिलता है ।

आदिम भाषा में दो या अधिक व्यंजन एक साथ आ सकते थे, पर दो वा अधिक मूलस्वर (अ, आ, ए, ओ, औ) एक साथ नहीं । अन्तःस्थ वर्ण (स्वर या व्यंजन के रूप से) अन्य व्यंजनों या स्वरों के साथ में आ सकते थे । सानुनासिक स्वरों (अँ, आँ, ईँ आदि) का अभाव था । समीकरण आदि सन्धि-नियम भी अस्तित्व में थे । उदाहरणार्थ, दो स्पर्श वर्णों के बीच का ऊष्म वर्ण (स्), इधर उधर के स्पर्श वर्ण का रूप लेता था (*अपस्त > अत; संस्कृत अभक्त, जग्धि, चष्टे, षड्भिः आदि रूपों में दो स्पर्श वर्णों के बीच में पड़े हुए स् ज् की तर्रूपता पाई जाती है); अथवा स्पर्श वर्ण और ऊष्म वर्ण के बीच में आने वाला स्पर्श वर्ण अपना अस्तित्व खो बैठता था (सन्नन्त धातु रूपों, भिक्ष्-, धिक्ष्-, दिप्स्- में इसके उदाहरण मिलते हैं); यदि दो महाप्राण वर्ण पास पास आते थे तो पहला अप्लप्राण हो जाता था (सं० दधार, बभार, जघान आदि उदाहरण हैं) । सामान्यतः दो व्यंजनों के संयोग में, यदि दूसरा सञ्चोष हो तो दोनों सञ्चोष और यदि दूसरा अञ्चोष हो तो दोनों अञ्चोष हो

जाते थे (सं० युक्त, दित्सा, विड्भिः आदि उदाहरण हैं) ।

पदरचना—आदिम आर्य भाषा के पद में तीन अंश हो सकते थे— धातु, पूर्वप्रत्यय (Suffix), परप्रत्यय (Termination सुप् तिङ्) । इन अंशों में से धातु तो प्रतिपद में अवश्य होती थी, और बहुधा परप्रत्यय भी परन्तु पूर्वप्रत्यय एक या अनेक संख्या में धातु और परप्रत्यय के बीच में रह सकते थे । उदाहरणार्थ दिश् (दिशा), भुक् (खाने वाला), मैं केवल धात्वंश है और वय्याकरणों ने ऐसे पदों में धातु के साथ सुप् प्रत्यय के अस्तित्व की कल्पना की है और फिर उसके तत्कालीन लोप की; सरित्, विद्वस्, मनस् आदि में दो अंश हैं धातु और पूर्वप्रत्यय, इनमें भी परप्रत्यय के अस्तित्व और लोप की कल्पना करनी पड़ी है । दिशः, भुजौ आदि में धातु और परप्रत्यय मौजूद हैं, और स्वप्नः, मनस्वी, गम्यमानम् आदि में तीनों अंश । आदिम भाषा में उपसर्ग (Prefixes) अर्थात् शब्द के आरंभ में धातु से पूर्व जुड़ने वाले अंश नहीं हांते थे, संस्कृत अवेस्ती, ग्रीक और आर्मीनी भाषाओं में पाया जाने वाले अ- (अगच्छत् अगमत् आदि वाला) अन्य शाखाओं में नहीं मिलता इसलिए अनुमान है कि वह आदिम भाषा में नहीं था । संस्कृत के प्र, परा आदि उपसर्ग संज्ञा वाले शब्द वस्तुतः स्वतन्त्र पद थे और प्राचीन (वैदिक) संस्कृत में उनकी स्थिति क्रिया से दूर भी रह सकती थी । आदिम आर्यभाषाओं में मध्य-विन्यस्त-प्रत्यय (Intixes) भी प्रायः नहीं थे । केवल रुधादि गण में धातु की ध्वनियों के बीच में कुछ मध्यविन्यस्त प्रत्यय सा दीखता है (जैसे रुध् = रुग्ध्) । सारांश यह कि आदिम भाषा के पद में बहुधा धातु और परप्रत्यय दो अंश होते थे, और यदि उन दो के बीच में कुछ आ सकता था तो पूर्वप्रत्यय, एक या अनेक ।

पद के इन तीन अंशों में से कोई भी एकाक्षर या अनेकाक्षर हो सकता था, किंतु किसी भी अंश में एक से अधिक मूलस्वर (अ ए ओ, आ ए औ) नहीं हो सकते थे । हाँ एक ही अंश में एक मूलस्वर के साथ उदासीन स्वर या अन्तःस्थ स्वर रह सकता था । धातु का सादा रूप या अभ्यास-प्राप्त रूप पदों में आता था । अभ्यास करने में पूरी धातु या उसका थोड़ा अंश दुहराया जाता था । इसके अलावा धातु के स्वरक्रम के अनुरूप कई रूप हो सकते थे, उदाहरणार्थ संस्कृत के कृत, करति, कारयति इन तीन पदों में से पहले में धातु का स्वर केवल अन्तःस्थ (ऋ) है मूल नहीं, दूसरे में ह्रस्व मूलस्वर है और उसके साथ अन्तःस्थ, और तीसरे में दीर्घ मूलस्वर और उसके साथ अन्तःस्थ । धातु का कौन रूप पद में प्रयोग में आएगा, इस बात का निर्णय उसके बाद आने वाले पूर्वप्रत्यय को देख कर किया जा सकता है । उदाहरणार्थ कर्त्वाचक-त्त्च् (*तेर्) प्रत्यय के पूर्व धातु का पूर्ण रूप आता था

(कर्ता, नेता, श्रोता) किंतु निष्ठा-क्त (*तो) प्रत्यय के पूर्व धातु का संक्षिप्त रूप (कृत, नीत, श्रुत)। पद के तीन अंशों में से उसी अंश में कुछ विकार हो सकता था जो परप्रत्यय के तुरंत पहले हो, उसके पूर्व के अंश स्थिर रहते थे, उदाहरणार्थ जनि-ता, जनिता-रम्, जनि-त्रा, जनि-तुः आदि में जनि-स्थिर है, विकार केवल -तृच् प्रत्यय में हो सका है जो परप्रत्यय के पूर्व है। इसी प्रकार जिगमिषुः, जिगमिषवः जिगमिषुरा आदि रूप भी उदाहरण हैं। संस्कृत के व्याकरणों ने पूर्वप्रत्यय के दो विभाग किए हैं, कृत् और तद्धित। कृत् केवल वे पूर्वप्रत्यय हैं जो धातु के अनन्तर ही आते हैं और तद्धित वे जो कृदन्त आदि सिद्ध रूपों के बाद। जिनको यहाँ परप्रत्यय की संज्ञा दी गई है उन्हें संस्कृत व्याकरण सुप् तिङ् कहते हैं। इनमें से सुप् कृदन्त या तद्धितान्त शब्दों के बाद और तिङ् (क्रियार्थ) धातु के अनन्तर आए हैं। परप्रत्यय आदिम भाषा में विभिन्न रूप का होता था, कोई केवल एक स्वर, कोई केवल एक व्यंजन, कोई केवल अन्तःस्थ, कोई एकाक्षर या द्व्यक्षर या कोई केवल शून्य। संज्ञा के बाद लगने वाले परप्रत्यय क्रिया वाले परप्रत्ययों से बिल्कुल भिन्न पाए गए हैं, इससे सिद्ध होता है कि आदिम आर्यभाषा में संज्ञा और क्रिया में मौलिक भेद था। संज्ञा और क्रिया दोनों में तीन वचन (एक, द्वि, बहु) थे। क्रिया में तीन पुरुषों का भेद था। आदिम भाषा में संज्ञा की आठ विभक्तियाँ थीं और तीन लिंग। नपुंसकलिंग का भेद केवल प्रथमा, द्वितीया और संबोधन विभक्ति में था, अन्यत्र उसके रूप पुल्लिंग के ही होते थे। आदिम भाषा की क्रिया में काल की विचारधारा गौण थी, क्रिया किस प्रकार की गई और उसका फल कैसा था और किसको मिला इत्यादि बातों का ज़्यादा ध्यान था।

संज्ञा (विशेषण और सर्वनाम सहित) और क्रिया के अलावा आदिम भाषा में क्रिया-विशेषण, उपसर्ग और समुच्चयादि बोधक अव्यय थे। इन सब के रूप स्थिर मिलते हैं। पर अनुमान है कि ये सब भी पहले विकारी रहे होंगे, धीरे-धीरे अविकारी हो गए। वैदिक संस्कृत में स्वस्तये, स्वस्तिना आदि रूप मिलते हैं, उत्तरकालीन संस्कृत में स्वस्ति अव्यय हो गया; वैदिक संस्कृत में तुमन्त शब्द की विभक्तियाँ होती थीं, उत्तरकालीन में वह अव्यय रूप ही मिलता है। आदिम भाषा के पद पर सामान्य नज़र डालने से भी इतना पता चल जाता है कि उसमें अर्थतत्त्व और सम्बन्धतत्त्व का पूरा घाल-मेल था, अधिकांश शब्दों में दोनों को अलग करके रख देना टेढ़ी खीर है। इससे सिद्ध है कि आदिम आर्यभाषा श्लिष्ट योगात्मक अवस्था की थी।

आदिम आर्यभाषा में तीन बातें और थीं, समास, स्वर-क्रम और सुर। सुर के अलावा बलाघात का भी अनुमान किया जाता है। सुर पद के किसी भी (बाद,

पूर्वप्रत्यय या परप्रत्यय) अंश में हो सकता था। दो या अधिक पदों का समास कर के अन्तिम पद को छोड़ कर बाक़ी के पदों से परप्रत्यय का अंश उड़ा दिया जाता था। पदरचना में स्वर-क्रम बड़ी सहायता करता था। आदिम आर्यभाषा के तीन मूल (अ, ए, ओ, ह्रस्व और दीर्घ आ, ए, ओ) के स्थान पर संस्कृत में केवल अकार ह्रस्व और दीर्घ) मिलता है, इससे स्वरक्रम के समझने में कठिनाई पड़ती है। पर संस्कृत में स्वयं गुण और वृद्धि के रूप में एक प्रकार का स्वरक्रम मौजूद है। आदिम भाषा में स्वरक्रम के मुख्य स्वर थे एँ ओ। ग्रीक और लैटिन में तीनों मूलस्वर पाए जाते हैं। ग्रीक पदों में एँ वर्तमानसूचक और ओँ भूतकाल सूचक है। आदिम भाषा में मूलस्वर वर्तमानसूचक पदों में और शून्य (मूल-स्वर राहित्य) भूतकाल-वाची पदों में रहता था; बिभर्ति भृतः, दधामि हितः, तिष्ठसि स्थितः आदि उदाहरण हैं। स्वरक्रम के अनुसार ही श्रु (*क्'लु) के ये विभिन्न रूप मिलते हैं—

आदिम	संस्कृत	आदिम	संस्कृत
क्'लेउ-	श्रो-(त्र)	क्'लोव्-	श्रव् (अः)
क्'लेव्-	श्रव्-(अः)	क्'लोउ-	
क्'लेउ-	(अ-) श्रौ-(षीत्)	क्'लोव्-	
क्'लेव्	(अ-) श्राव्-(इ)	क्'लु	श्रु-(त)
क्'लोउ-	(सु) श्रो-(थ)	क्'लव्	(शु-) श्रु-(वुः)

आदिम भाषा का पद स्वयं अपना सम्बन्ध अन्य पदों से सूचित कर देता था, इसलिए समास के अलावा अन्यत्र पदक्रम का महत्त्व नहीं के बराबर था। ऋग्वेद में नपुंसक बहुवचन के साथ एकवचन की क्रिया बहुत स्थलों पर आई है, ग्रीक भाषा में भी नपुंसक बहुवचन के साथ एकवचन ही की क्रिया के लगाने का नियम है। इस से जान पड़ता है कि ऐसे स्थलों पर बहुवचन केवल एक समूह का ही द्योतक होता था।

सिंहावलोकन करने से आदिम आर्यभाषा में, श्लिष्ट योगात्मक अवस्था, पर-प्रत्ययों का बाहुल्य और उनके द्वारा संबंध-तत्त्व का बोधन, पद के तीन अंश, धातु का अभ्यास, उपसर्ग और मध्य-प्रत्यय का अभाव, समास, स्वरक्रम और सुर, ये मुख्य लक्षण दिखाई पड़ते हैं।

मूल निवासस्थान—वर्तमान और प्राचीन आर्यभाषाओं की विशानी तुलना से ही आदिम आर्यभाषा की पुनः रचना हुई है। अनुमान है कि उस समय जब वह सुसंगठित भाषा के रूप में थी और उसकी बोलियों में परस्पर मार्के के कोई मेदक लक्षण नहीं पैदा हुए थे तब आर्यभाषा-भाषी किसी एक स्थान पर रहते थे। यह

स्थान कौन था इस सवाल को हल करने के लिए विविध विद्वानों ने विविध वाद उपस्थित किए हैं। भारतीय आर्यग्रन्थों में कहीं यह उल्लेख नहीं मिलता कि आर्य कहीं बाहर से आए। भारतीय आर्य की कल्पना में अपने देश के अलावा स्वर्ग, पाताल, देवलोक आदि का अस्तित्व अवश्य था। देवताओं का निवास मेरु पर्वत पर था, वहाँ प्रकाश और सुख का सर्वदा अस्तित्व और अन्धकार तथा दुःख का नितान्त अभाव रहता था। भारतीय आर्य प्राचीनता के पुजारी थे, उनको पितरों पर उतनी ही श्रद्धा थी जितनी देवों पर। संभव है कि इस देवभूमि और पितृभूमि की कल्पना में आर्यों के आदि देश की झलक हो। भारतीय विचारधारा के अनुसार आर्यों के आदि देश का प्रतिबिम्ब संभवतः उनकी आदि सृष्टि की कल्पना में भी छिपा हुआ हो। कहते हैं कि मनुष्य का प्रथम सृजन त्रिविष्टप (तिब्बत) में हुआ। जो हो, मेरु पर्वत का हमें पता नहीं, तिब्बत मालूम है। वैदिक संहिताओं में पुरानी ऋचाओं में सप्तसिन्धु प्रदेश का और उनकी अपेक्षा अर्वाचीन ऋचाओं में और पूरब के प्रदेशों का उल्लेख मिलता है। इसी आधार पर सर्वश्री श्रविनाशचन्द्र दास और सम्पूर्णानन्द ने भारत के ही उत्तरी भाग को आर्यों का आदि देश माना है। स्वर्गीय लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने कुछ ऋचाओं के भारी-भारी दिन और रात तथा उषा-काल के वर्णन के आधार पर उत्तरी ध्रुव प्रदेश को आर्यों का आदि देश ठहराया था।

आदिम आर्यभाषा, संस्कृत, अवेस्ती (तथा प्राचीन फ़ारसी), ग्रीक, जर्मनी, लैटिन, केल्टी, स्लावी, बाल्टी, आर्मीनी, अल्बेनी, तोझारी और हिटाइट इन सभी भाषाओं का आदि स्रोत समझी जाती है। इसलिए आदि आर्य भाषा-भाषियों के तथा उनके मूलस्थान के विषय में विचार करते समय इन सब का ध्यान रखना चाहिए और न केवल भारतीय आर्यों का। इन सब को उचित महत्त्व देकर कुछ यूरोपीय विद्वानों ने कुछ सुझाव पेश किए हैं। आज से प्रायः सौ साल पहले मैक्समूलर ने मध्य एशिया को मूल स्थान माना था। पर उनकी धारणा के विरोध में तुरन्त ही वाद उपस्थित किए जाने लगे और एशिया में नहीं बल्कि यूरोप में ही कहीं मूलस्थान माना जाने लगा। यूरोप के पूर्वी हिस्से का कोई प्रदेश (हंगेरी और रूस के बीच का प्रदेश, पूर्वी या दक्खिनी रूस, उत्तरी जर्मनी, स्कैंडीनेविया, पोलैंड, लिथुएनिया आदि) आर्यों का आदिदेश था यह वाद बहुत दिनों से चला आ रहा है। अपने देश को आर्य-मूलस्थान साबित कर देने से देश-प्रेम और स्वजाति-प्रेम की कुछ अनुचित अधिकता भी किसी-किसी वाद की तह में दिखाई पड़ती है। इतिहास में आर्य जाति का आविर्भाव अन्व्यों (मिश्री, सुमेरी, अक़दी, असीरी, चीनी आदि) की अपेक्षा अर्वाचीन है। अनुमान है कि आदिम आर्यों का प्रथम संपर्क उत्तरी मेसोपोटैमिया

की तत्कालीन सभ्य जातियों से, ईसा के पूर्व तेईसवीं या बाईसवीं सदी में हुआ; ईसा पूर्व २००० वर्ष के आस-पास उनकी स्थिति मेसोपोटैमिया में पाई जाती है। प्रायः १४०० ई० पू० के बोगाज़कोई लेख में आर्यों का प्रथम सर्वथा स्पष्ट उल्लेख है। इस में मितानी जाति के शासक वर्ग मर्यन्नि (स० मर्य), तथा इन्द्र (इन्द्र), मित्तर (मित्र), उरुवन (वरुण), अरुन (अरुण) और नासातिय (नासत्य) देवताओं का नाम आता है। इससे स्पष्ट है कि एशिया माइनर में उस समय आर्य जाति की कोई शाखा उपस्थित थी और इसी से प्रसिद्ध विद्वान सर्जी के इस वाद को कि एशिया माइनर ही आर्यजाति का मूल-निवासस्थान था काफ़ी बल मिलता है। आदिम आर्य भाषा के शब्दों की सुमेरी आदि अन्य भाषाओं की तुलना और परस्पर आदान-प्रदान से यह निष्कर्ष उचित मालूम पड़ता है कि हमें आदि देश की खोज यूरोप में न करके कहीं एशिया में ही करनी चाहिए। इस सम्बन्ध में प्रो० सुनीतिकुमार चटर्जी ने ब्रैंडे-स्टाइन के वाद को श्रेय दिया है। ब्रैंडेस्टाइन का मत है कि उराल पर्वत का दक्खिनी प्रदेश ही आदिम आर्यों का मूल-निवासस्थान था।

वीराः—इस मूल-निवासस्थान पर रहने वाले सुसंगठित आर्यों को भाषाविज्ञानियों ने *वीरोस् नाम दिया है। सं० वीर, लै० उईर, जर्म० वेर, प्राचीन आइरी फ़ेर, ये सब शब्द एक ही मूल-शब्द के उत्तरकालीन रूप हैं। ये वीर संभवतः अपना आदि निवासस्थान छोड़ने के पूर्व एक ही जाति के थे; गोत्र आदि के रूप में इनकी टोलियां रही होगी। उराल पर्वत के दक्खिन में विशाल मैदान हैं; यहीं पर अश्व जंगलों में पाया गया। वीरों ने उसे शिक्ता देकर पालतू बनाया और यही उनके वाहन का साधन बना। अनुमान है कि यहीं पर वीरों की एक शाखा जो बाद को ईरान और भारत के आर्यों के पूर्वजों के रूप में थी, रहती रही और शेष पच्छिम की ओर जाकर पोलैंड में पहले पहल बस गए। पर यह भी संभव है कि ईरानी और भारतीयों के पूर्वज आर्य, तथा हिट्टाइड शाखा के पूर्वज दक्खिन में काकेशस पहाड़ और मेसोपोटैमिया पहुँचे और वहाँ से ईरान। और ईरान से एक शाखा भारत के सप्तसिंधु प्रदेश में आ गई। यह सब ईसा पूर्व २५००—२००० में हुआ होगा, ऐसा अनुमान है।

वीरों की सब से बड़ी खूबी अश्व था। इसके महत्त्व का जो वर्णन ऋचाओं में है वह गाय का नहीं। इसको लेकर जब वीर पच्छिम और दक्खिन की ओर बढ़े होंगे तब उनके सामने अन्य जातियों का ठहरना असंभव हो गया होगा। मेसोपोटैमिया आदि में उस समय बैल (उच्चा), ऊँट और गदहे का इस्तेमाल था। ये चोड़े के मुक्काबिले में ठहर नहीं सके।

ब्रैंडेस्टाइन महोदय का मत है कि वीर सूखी चट्टानों वाली पहाड़ियों पर रहते

थे । वहां हरे भरे जंगल नहीं थे; ये केवल कुछ गुल्म और बांभ आदि के वृक्ष । जंगली रीछ, ऊदविलाव, भेड़िया, लोमड़ी, खरगोश, चूहा आदि कुछ जानवरों से वीर लोग अभिज्ञ थे । पालतू जानवरों में घोड़ा, भेड़, बकरी, कुत्ता, सुअर और गाय से परिचय था । गाय उन्हें सुमेरी जाति से मिली । सुमेरी में गाय के लिए गुद् शब्द है । इसी से आर्य *ग्वाउस् शब्द का संबंध है । कुछ चिड़ियों और मछली आदि जल-जनुओं को भी जानते थे । पूरव वाली शाखा अपने नए निवासस्थान में ई० पू० १५०० तक भली प्रकार बस गई थी । पच्छिम वाली शाखा पोलैंड में बसी और उसके कुछ समुदाय बल्कान पहाड़ियों पर होते हुए ग्रीस पहुँचे और यहा तथा आस-पास के देशों में वे ई० पू० १००० तक अच्छी तरह बसे पाए जाते हैं ।

वीरों के विषय में विद्वानों का अनुमान है कि पशुपालन और शिकार इनकी जीविका के मुख्य साधन थे । खेती बारी इन्होंने दक्खिन के प्रदेशों में आकर इन प्रदेशों के तत्कालीन मनुष्यों से सीखी । तभी इन्हें गाय और बैल का महत्व मालूम हुआ । इनके मूलस्थान में फलों के वृक्ष भी न थे । फलों का अधिकाधिक प्रयोग भी इन्होंने इन्हीं जातियों से सीखा । वीरों में समाज का संगठन पितृ-प्रधान था । बहु-विवाह की प्रथा न थी । कई कुल मिलकर गोत्र बनता था । इनका दिमाग ऊँचे दर्जे का था । संगठन अच्छा था । स्त्री पुरुष के परस्पर व्यवहार में यथेष्ट समय था । स्त्री जाति का समुचित आदर था । कन्या का विवाह पिता, बड़े भाई आदि की इच्छा और आशा से होता था; स्वेच्छा से नहीं । धर्म के क्षेत्र में, इनको अलक्षित दैवी सत्ता पर विश्वास था और इसकी विविध देवशक्तियों के रूप में कल्पना की गई थी । पृथ्वीलोक के परे द्यौलोक दैवी शक्तियों का निवासस्थान था । द्यौः पिता, सविता, पृथिवी, उषा आदि देवताओं की संख्या परिमित ही थी, मिश्री और सुमेरी जातियों की तरह इनके देवी-देवता बहुतेरे न थे । स्पष्ट ही है कि इस तरह के सुसंगठित और संयमी, शरीर, मन और आत्मा के दृष्टपुष्ट वीर जहां भी गए वहां अपनी शक्ति की स्थापना कर सके और अपनी वाणी का प्रभुत्व अन्य वाणियों पर स्थापित कर सके ।

शाखाएँ

आदिम आर्यभाषा की शाखाएँ कब फूट निकलीं इसका निर्णय कर पाना असंभव है । अनुमान है कि संगठित अवस्था में भी इसकी बोलियाँ रही होंगी । भिन्न भिन्न बोलियों वाली टोलियाँ (गोत्र) मूलस्थान से, अलग अलग कोई किसी समय, कोई कुछ बाद, कोई उसके भी बाद चल निकली होंगी । मूलस्थान से हट आने पर अन्य भाषा-भाषियों के सम्पर्क से इनकी भाषा में विकार की गति किसी-किसी स्थिति में प्रबल और किसी में क्षीण रही होगी । जब इस नज़र से हम आर्य भाषाओं पर विचार

करते हैं तो संस्कृत आदिम भाषा के सब से अधिक निकट मालूम पड़ती है। यद्यपि तीन मूल स्वर (अ, ए, ओ) इस में एक रूप (अ) में मिलते हैं और मृ नू के स्थान पर भी अ पाया जाता है तब भी अन्य ध्वनियों की और पदरचना की आदिम भाषा से पर्याप्त समानता कायम रही है। आधुनिक आर्य भाषाओं का विवेचन करने से हमें पता चलना है कि सभी शाखाओं में विकास की एक ही गति नहीं रही है। उदाहरणार्थ फ़ारसी, विभक्तियों और लिंगभेद की दृष्टि से बहुत कुछ आदिम भाषा से दूर हट आई है, अपेक्षाकृत जर्मन नज़दीक है। लिथुएनी में अभी कुछ बरस पहले तक द्विवचन मौजूद था, यद्यपि अन्य सभी भाषाओं में वह कभी का समाप्त हो चुका।

प्रसिद्ध जर्मन विद्वान श्लाइखर ने आदिम भाषा से, शाखाओं की दूरी के अनुपात से, कब कौन शाखा अलग हुई इसका हिसाब लगाया था। उनका अनुमान था कि स्लावी-जर्मनी भाषाएँ एक तरफ़ अलग हुईं और दूसरी ओर ईरानी-हिंदी-ग्रीक-इटाली-केल्टी। पहली की बाद को शाखाएँ हुईं, और दूसरी की एक ओर ईरानी-हिंदी शाखा जा पड़ी और दूसरी ओर ग्रीक आदि अलग-अलग हो गईं। वर्तमान भाषाओं की स्थिति देखकर इस प्रकार निश्चयपूर्वक कह देना नितांत असंगत है क्योंकि यदि शाखाएँ बिना अन्य भाषाओं के सम्पर्क में आएँ हुए स्वतन्त्र रूप से विकसित होतीं तब तो ऐसे निष्कर्ष पर पहुँचना ठीक होता, परंतु भाषा के विकास की परिस्थिति बड़ी जटिल होती है। कितने ही अंदरूनी और बाहरी कारण आकर उपस्थित हो जाते हैं जो अनुमान के क्षेत्र को बिस्कुल संकुचित कर देते हैं।

पदरचना के हिसाब से हिट्टाइट, आदिम आर्यभाषा के निकट है पर ध्वनि-समूह, वाक्य-विन्यास और शब्दावली की दृष्टि से उस से दूर है। समय की नज़र से वह आदिम आर्य से अन्यों की अपेक्षा निकट है; तब भी अंतर बहुत अधिक है, इसी कारण से विद्वानों का मत है कि हिट्टाइट आदिम की समकक्ष रही होगी, सन्तान नहीं।

आर्य भाषाओं की परस्पर तुलना करके, पहले उनको दो समूहों में बाँटा जाता है, एक का नाम केन्डुम् और दूसरे का सतुम्। ऊपर (पृ० १५८ पर) आदिम भाषा की ध्वनियों पर विचार करते समय हम ने देखा है कि प्रथम श्रेणी के कवर्ग का उच्चारण तालव्य गौण सहायता से होता था। ये कवर्ग ध्वनियाँ कुछ भाषाओं में तो स्पर्श वर्ण रह गई हैं, लेकिन अन्य कुछ में संघर्षी या स्पर्श-संघर्षी हो गई हैं। केन्डुम् (centum) एक भाषा-समूह की प्रतिनिधि भाषा लैटिन का शब्द है और सतुम् दूसरे समूह की प्रतिनिधि ईरानी का। नीचे कुछ उदाहरण दिये जाते हैं।

आ० आ०	ग्रीक	इटाली	केल्टी	जर्मनी	स्लावी	वाल्टी	ईरानी	भार०
*कमुतोम्	हेकटोन	केन्दुम्	कैन्ट	हंडेड	सुतो	सिम्तस्	सतम्	शतम्
*कलवासक्लो	ओस्	इन्क्लुतुस्	क्लु-		स्लोवो		स्वः	श्रवः
*वाइकोस्	ओइकोस्	वीकुस्				विएस्		वेश
*गोनु	गोनु	गेनु		नी (Knee)		जानू	जानु	
*गेनोस्	गेनोस्	गेनुस्		किन्		जनु	जनुः	
*वेघ	ओकोस्	वेहित्		वगेन्		वेज़्	वज़ैति	वहति

केन्दुम् और सतम् समूहों का परस्पर एक और भेदक लक्षण है। आदिम भाषा के कवर्ग की तृतीय श्रेणी के उच्चारण में ओठों की गौण सहायता ली जाती थी। इस गौण सहायता का अवशेष केन्दुम् भाषाओं में अब भी मौजूद है पर सतम् भाषाओं में उस का लोप हो गया है। उदाहरण के लिए नीचे कुछ शब्दों को देखा जाय।

आ० आ०	ग्रीक	इटाली	जर्मनी	भारतीय	ईरानी
*क्वातेरोस्	पोतेरोस्		व्हेदर	कतरः	
*क्विद्	ति	क्विद्	विहट्	चिद्	
			उईउओस्	क्रीउस्	जीवः
*ध्वोर्मास्		फोर्मुस्	वार्म्	धर्मः	जीवो

प्रसिद्ध भाषाविज्ञानी ऐस्कोली ने १८७० ई० में केन्दुम् और सतम् भाषाओं का विभेद स्पष्टरूप से विद्वन्मडली के सामने रखवा था। कुछ समय तक केन्दुम् पच्छिमी शाखा और सतम् पूर्वी शाखा समझी जाती रही पर बीसवीं सदी के आरंभ में तोल्लारी निकल पड़ी जो मध्य एशिया की होते हुए अर्थात् पूरब में स्थिति रखते हुए भी केन्दुम् शाखा की है क्योंकि उसमें कवर्ग की प्रथम श्रेणी संघर्षी वर्णों में परिणत पाई जाती है, यद्यपि तृतीय श्रेणी के कवर्ग से विकसित ध्वनियों में ओष्ठ्य उच्चारण का अभाव है। इसलिए पूर्वी और पच्छिमी शाखाएँ समझना असंगत है। इस द्विधा विभाग के अनुसार केल्टी, जर्मनी, इटाली, ग्रीक, हिट्टाइट और तोल्लारी केन्दुम् भाषाएँ हैं तथा अल्बेनी, स्लावी, वाल्टी, आर्मीनी, और हिद-ईरानी सतम् हैं।

यह बात निश्चय-पूर्वक नहीं कही जा सकती कि केन्दुम् और सतम् का भेद आदिम भाषा में बोली-स्वरूप मौजूद था या नहीं और यदि था भी तो आज जो शाखाएँ इनके अंतर्गत हैं उन्हींके मूलरूपों (विशिष्ट बोलियों) में ही था या और कहीं। आरंभ से ही यह द्विधा विभाग मान लेना असंगत बात होगी। उदाहरणार्थ जर्मनी और आर्मीनी दोनों शाखाओं में आदिम ब्, द्, ग् का क्रमशः प्, त्, क् रूप पाया जाता है पर इससे दोनों में आदि काल के किसी संबंध की कल्पना कर बैठना निर्मूल है।

केल्टी

इस शाखा की भाषाएँ आज से दो हजार साल पहले आयरलैंड, ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस के कुछ भाग, बेल्जियम, स्विट्ज़रलैंड, जर्मनी, स्पेन, इटली, ग्रीस आदि यूरोप के विस्तृत क्षेत्र में बोली जाती थीं। पर अब ये आयरलैंड, स्काटलैंड, और इंग्लैंड के वेल्ज़ और कार्नवाल प्रदेशों में ही पाई जाती हैं। आयरलैंड में जब तक अंगरेज़ों का प्रभुत्व रहा तब तक अंगरेज़ी सर्वे सर्वा रही, पर देश की स्वतन्त्रता के साथ-साथ देश की अपनी भाषा आइरी (गैली) भी फिर काम में आने लगी है। गैली का साहित्य ई० पाँचवीं सदी तक का पाया जाता है।

केल्टी के प्रायः दो वर्ग माने जाते हैं प केल्टी और क केल्टी। प्रथम में आदिम क्व् प् रूप में (*पेंक्वे < पम्) और दूसरे में क रूप में (कोइक्) पाया जाता है।

केल्टी की इटाली शाखा से काफ़ी समानता है, प्रायः उसी प्रकार की जैसी भारतीय और ईरानी की परस्पर है।

इटाली

इस शाखा की प्राचीन भाषाओं में से लैटिन अब भी वर्तमान है। इसी से रोमांस भाषाएँ (स्पेनी, पुर्तगाली आदि) निकली हैं। पर लैटिन की समकक्ष अन्य प्राचीन भाषाएँ इस शाखा में रही होंगी। कुछ लेखों से पता चलता है कि ओस्की और उम्ब्री भाषाएँ इसवी पहली सदी तक वर्तमान थीं। इन दोनों में आदिम क् क्व् > प् हो जाता है, लैटिन में क् रहता है (स० अश्वः, लै० एँकुउस्, ओ० एँपो)

लैटिन रोम की भाषा थी और रोमन साम्राज्य के साथ-साथ सारे यूरोप में फैली। इसके लेख २५० ई० पू० तक के मिलते हैं। यह साम्राज्य कई सदियों तक कायम रहा। उस समृद्धिकाल में कुछ देशों में वहाँ की देशी भाषाओं को परास्त कर के यही वहाँ की भाषा बन बैठी। साम्राज्य के छिन्न-भिन्न होने पर केन्द्र से सम्पर्क शिथिल पड़ गया और इन विभिन्न देशों की लैटिन भाषाओं ने अलग-अलग स्वतन्त्र भाषाओं की सत्ता प्राप्त कर ली। पर साहित्यिक लैटिन बराबर साहित्य और धर्मकृत्यों में, संस्कृत की भाँति, काम में लाई जाती रही और आज भी रोमन कथैलिक सम्प्रदाय की धार्मिक भाषा है। लैटिन में ग्रीक की तरह का रूप-बाहुल्य नहीं है, पर प्राचीनता की प्रचुर सामग्री तब भी मौजूद है। नीचे लिखी आधुनिक भाषाओं का विकास लैटिन से ही हुआ है।

इटाली—इटली, सिसिली, सार्डीनिया और कार्ज़िका में बोली जाती है। वर्तमान इटली राज्य की राजभाषा है। ६६४ ई० तक के लेख मिलते हैं।

रुमानी—रुमानिया, ट्रांसिल्वेनिया और ग्रीस के कुछ प्रदेश में बोली जाती है। इस पर स्लावी और तुर्की का बहुत अधिक प्रभाव पड़ा है। साहित्य १६वीं सदी से आरम्भ होता है।

प्रोवेंशल—फ्रांस के दक्खिनी हिस्से में ११वीं-१३वीं सदी में बोली जाती थी और अब भी एक छोटे से प्रदेश में वर्तमान है। गठन में इटाली और फ्रेंच के बीच की है। ११वीं सदी तक का साहित्य मिलता है।

फ्रेंच—फ्रांस की भाषा है। ८४२ ई० तक पुराने लेख मिलते हैं। पेरिस की बोली ही राजभाषा बनी और राजनीतिक प्रभाव के कारण पिछली सदी तक समस्त यूरोप की आधुनिक संस्कृति की भाषा बनी रही।

पुर्तगाली—पुर्तगाल की भाषा है। १२वीं सदी तक पुराना साहित्य है।

स्पेनी—स्पेन की भाषा है। इसका भी साहित्य १२वीं सदी तक का मिलता है।

पुर्तगाल और स्पेन के यहूदियों की एक विशिष्ट भाषा सेफ़ार्डी है। इसका ढाँचा स्पेनी है पर अन्य बहुतेरी बातें सामी।

इटली, पुर्तगाल, स्पेन, फ्रांस आदि के साम्राज्य के साथ-साथ इन देशों की भाषाएँ अमरीका और अफ्रीका के इन देशों के उपनिवेशों में जाकर फैली हैं।

ग्रीक

इस शाखा के अन्तर्गत प्राचीनकाल में ही बहुत सी बोलियाँ थीं। इनमें ई० पू० ७वीं ८वीं सदी तक के लेख मिलते हैं। होमर के महाकाव्य इलियड और ओडेसी तो ई० पू० १००० के माने जाते हैं। प्राचीन बोलियों में ऐटिक और डोरिक प्रधान थीं। जो बोली कई बोलियों के क्षेत्र में सर्वसामान्य भाषा की सत्ता प्राप्त कर सकी उसे कोइनी (Koine) कहते थे। ऐटिक सर्वसामान्य भाषा के रूप में ई० पू० चौथी सदी से आगे बराबर काम में लाई जाने लगी। परिष्कार-स्वरूप अन्व बोलियाँ मर-मरा गईं। आधुनिक ग्रीक इसी ऐटिक से विकसित हुई है और ग्रीस में तथा पास के समुद्रों के द्वीपों में और आस-पास के देशों में यत्र-तत्र बोली जाती है।

ग्रीक और संस्कृत की तुलना करने पर बहुतेरे समान लक्षण पाए जाते हैं। ग्रीक में मूल स्वर संरक्षित पाए जाते हैं, संस्कृत में मूल व्यंजन। दोनों में सुर है। संस्कृत में विभक्ति-रूप सम्पूर्णा पाए जाते हैं, ग्रीक में खंडित। दोनों में अव्ययों का बाहुल्य है। समास और द्विवचन दोनों में हैं। दोनों में परस्मैपद और आत्मनेपद है। लकारों की समृद्धि संस्कृत में अधिक है पर ग्रीक में निष्ठा, तुम्, पूर्वकालिक क्रिया आदि की।

प्राचीन इतिहास से थूशी, फ़िज़ी और मैसेडोनो भाषाओं का भी पता चलता है। ये ग्रीक और आर्मीनी के बीच की रही होंगी। फ़िज़ी आर्मीनी के सन्निकट समझी जाती है।

जर्मनी

इस नाम के अंतर्गत अंगरेज़ी, जर्मन, डच आदि वर्तमान सभ्य यूरोप की कई भाषाएं आती हैं। 'जर्मनी' शब्द का सर्व प्रथम प्रयोग केल्टों द्वारा मिला है जो प्रायः ई० पू० पहली सदी का है और अनुमान है कि उन्होंने इस शब्द का प्रयोग 'पड़ोसी' के अर्थ में किया है। इनके एक ओर केल्ट और दूसरे ओर स्लाव जाति के लोग थे। निश्चय है कि ईसा के दो चार सदी पूर्व ही इस शाखा में विभिन्न बोलियाँ हो गई थीं। इस शाखा का दूसरा नाम ~~जर्मनी~~ भी है। ट्यूटन शब्द से जर्मन, इंगलिश आदि सभी जातियों का बोध होता है। जर्मनी के उत्तरी भाग की भाषा के कुछ लेख रूनी लिपि में खुदे हुए ई० तीसरी सदी के मिलते हैं। यह लिपि इनकी निजी थी और ग्रीक और रोमन से भिन्न। इसके अलावा ~~जर्मनी~~ बोलियों में बिशप उल्फ़िलस (३११-३८१ ई०) कृत इंजील का अनुवाद भी मिलता है। यही इस शाखा की सब से पुरानी सामग्री है। इस प्राचीन सामग्री के आधार पर, आरंभ से ही इस शाखा की अंतर्गत भाषाओं के तीन समूह हो जाते हैं, उत्तरी, पूर्वी और पच्छिमी।

उत्तरी समूह की प्राचीन नास या प्राचीन स्कैंडीनेवी के लेख तीसरी सदी से षठी सदी तक के मिलते हैं। ११वीं सदी से दो शाखाएं फूट निकली मालूम होती हैं, (क) पच्छिमी स्कैंडीनेवी जिसमें आइसलैंड की भाषा आइसलैंडी और नार्वे की भाषा नार्वेजी हैं और (ख) पूर्वी स्कैंडीनेवी जिसमें स्वीडन की भाषा स्वीडी और डेनमार्क की डेनी आती हैं। आइसलैंड के एङ्गा नाम के गीत (१२००-१३५० ई० के) संसार भर में प्रसिद्ध हैं।

पूर्वी समूह की प्राचीन बोली गाथो का उल्लेख हो चुका है। इसके अलावा कई और थीं। ये सब अब केवल साहित्य में ही मिलती हैं। पच्छिमी समूह के अंतर्गत तीन शाखाएं हैं, (क) इंगलिश-फ़ीज़ी, (ख) जर्मन और (ग) डच।

इंगलिश-फ़ीज़ी के अंतर्गत दो भाषाएं हैं, अंगरेज़ी और फ़ीज़ी। फ़ीज़ी बोलने वाले लोग हालैंड में और जर्मनी के उत्तर-पच्छिमी भाग में रहते हैं। इनकी बोली के ग्रंथ १३वीं सदी तक के पुराने मिलते हैं। फ़ीज़ी गठन में अन्य जर्मनी भाषाओं की अपेक्षा अंगरेज़ी से सर्व-निकट है।

अंगरेज़ी का नाम इंगलिश इसके बोलने वाले एंगेल (Angel) जाति के कारण पड़ा। सैक्सन, जूट आदि अन्य सहकारी जातियों के साथ इन्होंने ब्रिटेन पर

पूर्वी ६ठी सदी में धावा किया और यहाँ के निवासियों को परास्त करके उनपर अपनी भाषा का आरोप किया। अंगरेज़ी भाषा के सर्वप्रथम लेख, धर्म ग्रंथों की टीका के रूप में ७वीं सदी तक के मिलते हैं। अंगरेज़ी के, गठन आदि विकास के अनुकूल, तीन काल निर्धारित किए जाते हैं—(क) प्राचीन, प्रायः ११वीं सदी के अंत तक, (ख) मध्य, १५वीं सदी तक और (ग) आधुनिक प्रायः १५०० ई० से इधर। अंगरेज़ी की ही कई बोलियाँ हैं (उत्तरी Put पट् दक्खिनी पुट्), पर १६वीं सदी से ही लन्दन और उसके आस-पास की बोली को राजभाषा का श्रेय मिलता रहा है और आज यही प्रमुख है। अंगरेज़ी आज बीस पच्चीस करोड़ मनुष्यों की बोली है, ब्रिटिश साम्राज्य और अमरीकी साम्राज्य के साथ साथ यह सब तरफ फैली है। इंग्लैंड की और अमरीका की भाषाओं में विशेष अंतर है, प्रायः इतना कि बोली से ही, बोलने वाला अमरीका निवासी है या इंग्लैंड का रहने वाला यह बात जानी जा सकती है। अन्य भाषाओं के क्षेत्रों में फैलने के कारण इंगलिश के विभिन्न रूपान्तर हो गए हैं। चीनी मनुष्य की अंग्रेज़ी को हमारे साहब लोग पिङ्गिन इंगलिश और हमारी को बाबू इंगलिश कहते हैं। आधुनिक अंगरेज़ी गठन में सीधी सादी है और प्रायः अयोग्यवस्था आकृति की ओर जा पड़ी है। उसके सीखने में जो कठिनाई है वह इस कारण से कि उसका अक्षर-विन्यास बड़ा दोष-पूर्ण है, लिखते कुछ है और पढ़ते कुछ। इस दोष को मिटाने का कुछ प्रयास अमरीका में हुआ है पर बहुत सफल नहीं हो पाया। अपने प्रसार के कारण अंगरेज़ी आज संसार की प्रमुख भाषा मानी जाती है। अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार और राजनीति में अब इसका सर्वत्र प्रयोग होता है और इस क्षेत्र में इसने पिछले तीस चालीस साल में फ्रेंच को हटा भगाया है।

जर्मन—इस समूह की बोलियों का विभाग हाइ (उच्च) जर्मन और लोउ (निम्न) जर्मन के रूप में ८वीं सदी के आरंभ से ही मिलता है। हाइ बोलियाँ दक्खिनी और पर्वतीय प्रदेश की हैं और लोउ उत्तरी की जो अपेक्षाकृत ऊँचाई में कम है। यह विभाग व्यंजनों के एक भेदक विकास के कारण किया जाता है। प्राचीन जर्मन के प्, ट्, क् यदि दो स्वरों के मध्य में या शब्द के अन्त में किसी स्वर के बाद स्थित हों तो हाइ जर्मन में उनके स्थान पर क्रम से फ् (फ्फ्), स् (स्स्) और ह् (ख् ch) हो जाते हैं। लोउ जर्मन (और अंगरेज़ी जो इस विकास के पूर्व ही यहाँ से ब्रिटेन जा पड़ी थी, उस) में यह नहीं होता। उदाहरणार्थ

हाइ जर्मन	श्लैफ़ेन्	लैसेन्	ज़ाइखेन्
इंगलिश	स्लीप्	लेट	टोकेन्

इसी प्रकार प्राचीन जर्मन के शब्द के आदि में या किसी व्यंजन के उपरान्त स्थित

ए, ट्, क्, के स्थान पर हाइ जर्मन में क्रम से प्फ, ट्स् (ज़्) और क्स् हो जाते हैं, यह विकास भी लोउ जर्मन और अगरेज़ी में नहीं मिलता। उदाहरणार्थ

हाइ जर्मन	प्फुंड्	ज़ेह्न	स्किनउ
इंगलिश	फॉउण्ड्	टेन्	नी (क्नी)

जर्मन भाषाओं के व्यंजनों के इस विकास को द्वितीय ध्वनि-परिवर्तन कहते हैं। पहला ध्वनि-परिवर्तन कई सदी पहले हो चुका था। इसका उल्लेख आगे किया जायगा। प्रायः ११०० ई० तक की हाइ जर्मन को प्राचीन काल की, तब से १५५० ई० वाली तक को मध्य-काल की, और इधर वाली को आधुनिक कहते हैं। आधुनिक काल में ही साहित्यिक और राजकीय जर्मन का विकास हुआ है। आधुनिक जर्मन भाषा-भाषियों की संख्या आठ करोड़ से ऊपर है। जर्मनी के अलावा पास पड़ोस के चेको-स्लोवैकिया, स्विट्ज़रलैंड, बेल्जियम आदि राज्यों में जर्मन भाषा-भाषी बहुत लोग हैं। जर्मन भाषा में विज्ञान और दर्शन सम्बन्धी बड़ा ऊँचा साहित्य है। इसकी तुलना संसार का और कोई साहित्य नहीं कर सकता। जर्मन लोग अपनी भाषा को ड्यट्स् स्प्रैच (देव भाषा) कहते हैं।

डच भाषा मुख्य रूप से हालैंड की भाषा है और इधर १६वीं सदी से लग कर आज तक बराबर इसकी उन्नति होती आई है। बेल्जियम की भाषा इस से बहुत भिलती जुलती है।

जर्मनी शाखा की सभी भाषाओं पर सामूहिक रूप से विचार करने पर पता चलता है कि ये सभी, आर्य परिवार की अन्य शाखाओं की भाँति, श्लिष्ट योगात्मक अवस्था से अयोगात्मक होती जा रही हैं, कोई कम कोई ज़्यादा। जर्मन की अपेक्षा अंगरेज़ी ज़्यादा अयोगात्मक हो गई है। सभी में बलाघात महत्त्वपूर्ण स्थिति को पहुँच गया है। आदिम आर्य में सुर था, इस शाखा में इसका अवशेष केवल स्वीडी में पाया जाता है। अन्यत्र सब भाषाओं में बलाघात है और सो भी प्रत्यय पर नहीं चाल्वंश पर।

जर्मनी शाखा का एक बड़ा महत्त्वपूर्ण लक्षण उसके कुछ ध्वनि-नियमों के रूप में है। इन नियमों में सर्व प्रमुख ग्रिम-नियम है। सन् १८१९ में जेकब ग्रिम नामक विद्वान ने ड्यट्स् ग्रैमैटिक नाम की जर्मन भाषा की व्याकरण प्रकाशित की। तीन साल बाद १८२२ में उन्होंने इस पुस्तक का दूसरा संस्करण निकाला। इस संस्करण में उन्होंने जर्मन भाषा-सम्बन्धी चन्द ऐसे नियम स्पष्ट और विशद रूप से विद्वानों के सामने रखे जिनसे जर्मन भाषा के विकास के समझने में बड़ी आसानी हुई। इन नियमों का संकेत कई साल पूर्व प्रसिद्ध डेनी विद्वान रैस्क ने भी किया था। पर इनका

स्पष्ट अभिधान ग्रिम ने ही किया, इसलिए ये ग्रिम के नाम से प्रसिद्ध हुए।

ग्रिम-नियम के अनुसार जर्मनी शाखा में ये परिवर्तन हुए—

(क)	आदिम आर्य भाषा के	क्	त्	प्	के स्थान पर क्रम से ख् (ह्), थ्, फ्।					
(ख)	"	"	ग्	द्	ब्	"	"	क्	त्	प्
(ग)	"	"	घ्	घ्	भ्	"	"	ग्	द्	ब्

कुछ उदाहरणों से यह बात स्पष्ट होगी —

आदिम	संस्कृत	ग्रीक	लैटिन	गाथी	अंगरेज़ी
*करद्	श्रद्-(घा)	कद्-	कोर्-द्	खैटों	हॉर्ट्
*त्र्येस	त्रि	त्रेइस्	त्रेस्	थ्रेइस्	थ्री
*पोद्	पाद्	पोउस्	पेम्	फ़ोडस्	फ़ुट
*गनेोस्	जनुः	गेनोस्	जेनुस्	कुनि	किन्
*देक	दश	डेक	डेकेम्	तइहुन्	टेन्
*स्तुब्			लूत्रिकुस्		स्लिप्
*घन्स्	हंसः	खेस्	अन्सेर्	गन्स्	गूज्
*मधु	मधु	मथु	मेदू		मीड्-
*भेरो	भरा-मि	फ़ेरो	फ़ेरो	बइर्	बेयर्

ग्रिम द्वारा प्रतिपादित इस ध्वनि-नियम से जर्मनी शाखा के शब्दों में के अधिकांश व्यंजनों का समाधान हो गया, पर ग्रिम ने स्वयं अनुभव किया था कि तब भी बहुतेरे अपवाद रह जाते हैं। इन में से एक अपवाद यह था कि जहाँ अधिकांश आदिम ब् द् की जगह इस शाखा में क्रम से प् त् मिलते हैं, वहाँ गाथी बिउद बाइन्द दान्स् आदि शब्दों में आदिम ब् और द् की जगह ब् द् ही पाए जाते हैं, प्, त् नहीं। इस अपवाद का समाधान हमें ग्रैसमन नामक, संस्कृत और ग्रीक भाषाओं के प्रसिद्ध विद्वान ने किया। इन्होंने प्रतिपादित किया कि संस्कृत और ग्रीक के एक स्वकीय नियम के अनुसार, यदि आदिम भाषा में धातु के आदि और अन्त दोनों स्थानों पर महाप्राण ध्वनि थी तो इन दो भाषाओं में, एक महाप्राण के स्थान पर अल्पप्राण कर दी जाती थी। इस प्रकार गाथी बिउद (सं० बोध्-), बाइन्द (सं० बन्ध्-) और दान्स् (सं० दम्-) के आदिम भाषा के रूप *भेउध्-, *भेन्ध्- और *धोभ् की कल्पना की गई। संस्कृत और ग्रीक दोनों, आदिम भाषा की सर्वप्राचीन प्रतिनिधि हैं; इस बात से यह भी विचार उठा कि संभव है कि आदिम भाषा की ही दो अवस्थाएँ रही हों, (१) जब धातु में दो महाप्राण रह सकते थे, और (२) जब धातु में एक ही महाप्राण संभव था। ग्रैसमन द्वारा प्रतिपादित इस विवेचन को ग्रैसमन-नियम कहा जाता है।

ग्रिम-नियम के अनुसार आदिम क, त्, प् की जगह जर्मनी शाखा में ख् (ह्), थ्, फ् मिलनी चाहिए, पर कुछ शब्दों में क्रम से ग्, द्, ब् मिलती हैं। इस अपवाद का समाधान कार्ल वनर ने किया, और इसलिए इस ध्वनि-नियम को वनर-नियम कहते हैं। इस के अनुसार, यदि इन ध्वनियों के पूर्व वाले अन्तःस्थ वर्ण पर सुर हो तब तो ग्रिम-नियम के अनुसार क्, त्, प्, ख् (ह्), थ्, फ् हो जायेंगे, अन्यथा ये क्रमशः ग्, द्, ब् हो जायेंगे और स, र् हो जायगी। उदाहरणार्थ—

आदिम	संस्कृत	ग्रीक	लैटिन	गाथी	अँगरेज़ी
*युवन्कुस्	युवशः		युवेन्कुस्	युग्-स्	यंग्
*कमुतोम्	शतम्		केन्डम्	हुन्द	हँड्ड
	लिम्पा'मि	लिपरेओ	लिप्पुस्	बि-लाइब	बेलाइफ्
*सेसन्	सप्त	सेस'	सेप्टेम्	सिबुन्	सेवेन्
	स्नुषा	नूउस्	नुरुस्		स्नोरु

अनुमान है कि ऐसे उदाहरणों में विकास का क्रम क्, त्, प् > ख्, थ्, फ् > घ्, ध्, भ् > ग्, द्, ब् रहा होगा।

ग्रिम आदि विद्वानों द्वारा प्रतिपादित इस विकास को ही जर्मनी शाखा का प्रथम ध्वनि-परिवर्तन कहते हैं। द्वितीय का विवेचन ऊपर किया जा चुका है। यह प्रथम परिवर्तन ईसवी सन् के पूर्व की सादियों में हो चुका था, द्वितीय प्रायः ६०० ई० से आरंभ होकर ८०० तक पूरा हुआ।

✓ तोख्तारी

इस सदी के आरम्भ में कुछ जर्मन विद्वानों ने मध्य एशिया के तुफ़ान प्रदेश में अनुसन्धान किया था। अन्य सामग्री के साथ-साथ उन्हें भारतीय लिपि में लिखे कुछ ऐसे ग्रन्थ मिले, जिनकी भाषा अब तक की ज्ञात भाषाओं से भिन्न थी। पढ़ने पर यह आर्य परिवार के केंडुम वर्ग की साबित हुई। इस पर उराल-अल्ताई भाषाओं का भी प्रभाव पड़ा है। स्वरों की जटिलता कम हो गई है और स्वर-मात्रा छोड़ दी गई है। सन्धि के कुछ नियम संस्कृत के से हैं। सर्वनाम और संख्यावाची शब्द निश्चित रूप से आर्य हैं। आठ विभक्तियाँ हैं। क्रिया के रूपों में जटिलता है। शक जाति की एक शाखा की यह भाषा थी। इस शाखा ने ई० पू० दूसरी सदी में मध्य एशिया में साम्राज्य स्थापित किया था।

✓ अल्बेनी

इसके लेख १७ वीं सदी ई० से पुराने नहीं मिलते। बहुत दिनों तक इसको स्वतन्त्र शाखा की सत्ता नहीं दी गई थी। पर ध्वनि-समूह और गठन दोनों से इसको

स्वतन्त्र सत्ता देनी पड़ी। यह अल्बेनिया की भाषा है और बोलने वाले केवल करीब १५ लाख हैं।

हिट्टाइट

बोग्राज़कोई में कीलाक्षर लेखों में एक भाषा ऐसी मिली है जो पदरचना की दृष्टि से निश्चय ही आर्य परिवार की है। संज्ञा की लुः विभक्तियाँ, शतृ रूपों के समान रूप, सर्वनामों की समानता और क्रिया के पुरुषों और वचनों में रूप-विभिन्नता सभी बातें आर्य होने की पोषक हैं। शब्दावली अवश्य अधिकांश में मेल नहीं खाती और ध्वनि-सामंजस्य की भी चूल कहीं कहीं, बैठती नहीं पर इस भेद का कारण यही हो सकता है कि यह भाषा विषम परिस्थिति में पड़ गई थी। हिट्टाइट केन्दुम वर्ग की भाषा है। हिट्टाइट जाति का उल्लेख ऊपर किया गया है।

बाल्टी

बाल्टी शाखा के अन्तर्गत तीन भाषाएँ हैं, प्रशियाई, लिथुएनी और लैटी। प्रशियाई अब जीवित भाषा नहीं है, पहले यह प्रशिया नाम के जर्मनी के एक प्रदेश में बोली जाती थी। वहाँ अब जर्मन बोली जाती है। प्रशियाई साहित्य में १५वीं १६वीं सदी की कुछ पुस्तकें हैं। इन्हीं से हमें इस भाषा का ज्ञान प्राप्त होता है।

लिथुएनी का भी साहित्य १६वीं सदी से पुराना नहीं मिलता पर इसका विकास इतने धीरे धीरे हुआ है कि इसके विविध रूपों की तुलना चौथी सदी की गाथी से कर सकते हैं। इसमें ग्रीक की तरह सुर अब भी विद्यमान है। द्विवचन के रूप भी हैं। यह लिथुएनिया राज्य की भाषा है जिसने पिछले महासमर में स्वतन्त्रता प्राप्त की थी और अब रूसी (सोविएत) राष्ट्रसंघ में शामिल हो गया है।

लैटी लैट्विया राज्य की भाषा है। यह भी रूस में जा मिला है। इसका भी साहित्य १६वीं सदी के पहले का नहीं मिलता। यह भाषा लिथुएनी की अपेक्षा अधिक विकसित है।

स्लावी

बाल्टी और स्लावी शाखाओं में परस्पर काफ़ी समानता है, विशेषकर संज्ञा के रूपों की और शब्दावली की। इसलिए कभी २ दोनों शाखाओं को मिलाकर बास्टो-स्लावी कहते हैं। भाषाविज्ञान के अध्ययन की दृष्टि से इन सब में लिथुएनी ही प्रमुख है जिसका उल्लेख ऊपर हो चुका है।

स्लावी शाखा के तीन विभाग किए जाते हैं, दक्खिनी, पूर्वी और पच्छिमी। दक्खिनी विभाग के अन्तर्गत बल्गेरिया की भाषा बल्गेरी, और यूगो-स्लाविया की सर्बो-क्रोटी हैं। बल्गेरी में ९वीं सदी का इंग्लिश का अनुवाद मौजूद है। स्लावी शाख

का यही सब से प्राचीन ग्रन्थ है। आधुनिक बल्गेरी प्रायः अयोगावस्था की है और शब्दावली में बहुतेरे शब्द तुर्की, ग्रीक, रुमानी आदि भाषाओं से आगए हैं। बल्गेरी-भाषियों की संख्या कोई ३० लाख है। सर्बोक्रोटी का साहित्य इधर पिछली सदी में ही बना है। बोलने वालों की संख्या करीब एक करोड़ के है।

पूर्वी विभाग का साहित्य ११वीं सदी तक का मिलता है। इसके अन्तर्गत कई भाषाएँ हैं। प्रायः १२वीं सदी तक एकरूप थीं। ये सब रूसी भाषाएँ हैं और उस महादेश के विभाग के अनुसार लघुरुसी, श्वेतरूसी, और महारूसी कहलाती हैं। लघुरुसी (या रुथेनी) प्रायः तीन करोड़ जनता की भाषा है और दक्खिनी रूस (उक्रेन) में बोली जाती है। श्वेतरूसी श्वेतरूस नाम के अर्थात् पश्चिमतम प्रदेशों में बोली जाती है। महारूसी को कभी-कभी केवल रूसी कहते हैं। यह रूस के प्रधान नगर मास्को से फैली और अब संसार की प्रमुख भाषाओं में से है। बोलने वालों की संख्या दस करोड़ से ऊपर है। समस्त रूस की सामान्य और राजकीय भाषा होना इसने १८ वीं सदी से आरंभ किया।

पच्छिमी विभाग के अन्तर्गत चेकोस्लोवाकिया की भाषा चेक और पोलैंड की पोली हैं। चेक के बोलने वाले करीब अस्सी नव्वे लाख हैं, पोली के करीब दो करोड़। चेक का साहित्य १३वीं सदी से और पोली का १४वीं से आरंभ होता है।

✓ आर्मीनी

आर्मीनी भाषा भाषियों की संख्या कोई पचास लाख है। आर्मीनिया का ईरान से घनिष्ठ सम्बन्ध रहा है, ५वीं सदी ई० तक ईरान का ही युवराज आर्मीनिया का राजा होता था। इस भाषा में दो हजार से ज़्यादा फ़ार्सी शब्द हैं, अरबी काकेशी आदि के भी हैं पर इतने अधिक नहीं। इन्हीं कारणों से बहुत दिनों तक आर्मीनी केवल ईरानी की शाखा मात्र समझी जाती रही। पर गम्भीर अध्ययन के फल-स्वरूप इसकी सत्ता स्वतन्त्र शाखा के रूप में स्थापित हो गई है। संभवतः इसकी स्थिति बाल्टो-स्लावी और हिन्द-ईरानी के बीच की है। मेसोपोटैमिया के और काकेशस पर्वत के दक्खिनी भाग और काले सागर के दक्खिनी किनारे के बीच में स्थित प्रदेश की यह भाषा है। आर्मीनी भाषा की सब से पहली पुस्तक, इंजील के शुभ संवाद (गॉस्पेल्) का ६वीं सदी में किया हुआ अनुवाद है। इस पुस्तक की भाषा ६वीं से भी दो तीन सदी पूर्व की मानी जाती है। बोलियों में सर्व-प्रमुख स्तम्भूल की बोली है।

बाक़ी बची हिन्द-ईरानी। इसका विवेचन अगले अध्याय में किया जायगा।

तेईसवां अध्याय

हिन्द-ईरानी शाखा

आर्य-परिवार की यह शाखा कई कारणों से महत्वपूर्ण है। इसी में आर्यजाति का प्राचीनतम साहित्य मिलता है। ऋग्वेद संहिता को विविध विद्वान् ३००० ई० से १५०० ई० पू० तक रखते हैं। अवेस्ता ५०० ई० पू० का ग्रन्थ समझा जाता है। इन दो के मुक्राविले में केवल ग्रीक भाषा वाले, होमर के महाकाव्य (ई० पू० १०००) ही ठहर सकते हैं। अन्य शाखाओं में साहित्य निर्माण बहुत बाद को शुरू हुआ। अनुमान है कि हिन्द-ईरानी शाखा के आर्य मेसोपोटैमिया होते हुए पूरब की ओर बढ़े। ई० पू० १४वीं सदी के बोग्राज़-कोई लेख में कई आर्य गोत्रों का उल्लेख पाया जाता है। प्रायः १८०० ई० पू० तक मर्यन्नि, हरि, मन्द और कसिस नाम के गोत्रों ने बाबेर राज्य पर आधिपत्य प्राप्त करके कई सदियों तक शासन किया। कुछ गोत्र मेसेपोटैमिया में न ठहर कर और आगे बढ़ते हुए ईरान आए। इनमें परशु और मद गोत्र मुख्य थे। शक गोत्र वाले और आगे बढ़ते हुए मध्य एशिया और दक्खिनी रूस पहुँचे। इनके अलावा भृगु, भरत, मद्र, कुरु आदि गोत्र ईरान से आकर सप्तसिन्धु प्रदेश में बस गए।

हिन्द-ईरानी शाखा में परस्पर कुछ ऐसे समान लक्षण हैं जिनके कारण हम इस शाखा की भाषाओं को अन्य आर्य भाषाओं से अलग कर सकते हैं। (१) दोनों समुदायों में तीन मूल स्वरों की जगह एक अकार ही मिलता है। (२) दोनों में उदासीन स्वर की जगह इकार है। (३) अन्तःस्थ र (ऋ) ल् (लृ) का हिन्द-ईरानी में अभेद मिलता है; कभी आदिम र् (ऋ) के स्थान पर ल् (लृ), यथा लै० रुन्करे सं० लुं चामि, और कभी ल् (लृ) की जगह र् (ऋ), यथा लै० लुपुस् ग्री० लुके सं० वृकः अव० वहको। विद्वानों का विचार है कि आदिम के यह दोनों अन्तःस्थ हि० ई० में एकरूप (र्, ऋ) हो गए और बाद को जो ल् (लृ) मिलता है वह इससे परकालीन परिवर्तन हुआ। (४) इ, उ, र् और क् के बाद आने वाली स् इस शाखा में श् हो गई और यही बाद को भारतीय में ष् में परिणत हुई (सं० वरुयामि अव० वरुष्या, सं० उच्चा गा० ओक्स, सं० पितृषु ग्री० पत्रसि, सं० स्तुषा गा० स्नोरु)। (५) आदिम के प्रथम श्रेणी के कंठ्य स्पर्श हिन्द-ईरानी में में क' ख' ग' घ' से श, शह, ज, जह

में परिणत हुए। बाद को ईरानी में ये स्, ज्, ज्ह् के रूप में मिलते हैं और भारतीय में श्, ज्ह् के रूप में। (६) ओष्ठय गौण सहायता वाले कंठ्य हिं० ईं० में गौणत्व-विहीन पाए जाते हैं और यदि इनकी स्थिति इ, ए स्वरों के पूर्व थी तो ये च् छ् ज् भ् में परिणत हो गए हैं। ध्वनि-संबंधी इन भेदक लक्षणों के अतिरिक्त पद-रचना संबंधी दो बातें उल्लेखनीय हैं ; (८) एक तो स्वरान्त संज्ञाओं के बहुवचन का परप्रत्यय -नाम् और दूसरे (९) लोट् (आज्ञा) लकार के अन्यपुरुष में परप्रत्यय तु, -न्तु।

ईरानी

हिन्द-ईरानी की उप-शाखा ईरानी में काफी प्राचीन साहित्य रहा होगा। परन्तु दुर्भाग्य है कि इनके ग्रंथ दो बार जला डाले गए, एक बार सिंकदर द्वारा ३२३ ई० पू० में, और दूसरी बार अरब विजेताओं द्वारा ६५१ ई० में। प्राचीन चीजों में जो बचा है वह है पारसियों के धर्मग्रंथ स्वरूप अवेस्ता और हक़मानी बादशाहों के ६ठी सदी ई० पू० के शिलालेख। इन्हीं में प्रसिद्ध शाहशाह दारा के, बहिस्तून पहाड़ी के चट्टानों पर खुदाए हुए, संसार-प्रसिद्ध प्राचीन फ़ारसी के लेख हैं।

ईरानी और भारतीय की प्राचीन अवस्थाओं में इतना साम्य है कि एक में थोड़े से श्रावश्यक परिवर्तन कर देने से ही तुरन्त दूसरी में रूपान्तर हो जाता है। उदाहरणार्थ डा० वट्कृष्ण घोष द्वारा अनुवादित, यस्ना (१०.८) का संस्कृत रूपांतर देखें—

अव० यो यथा पुथ्म् तउरुनम् हओमम् वन्देँता मश्यो ।

सं० यो यथा पुत्रं तरुणं सोमं वन्देत मर्त्यः ।

अव० फ़ा आव्यो तनुव्यो हओमो वीसइते बएँशज़ाइ ॥

सं० प्र आभ्यस्तनृभ्यः सोमो विशते भेषजाय ॥

ईरानी और भारतीय उप-शाखाओं के मुख्य भेदक लक्षण ये हैं।

(१) स्वरों की मात्रा कहीं-कहीं ठीक नहीं बैठती, जैसे सं० ऋतुम् अव० रतुम्।

(२) अवेस्ती में स्वर समुदायों का बाहुल्य पाया जाता है, सं० ए ओ की जगह अए अओ और ऐ औ की जगह आइ आउ। (३) अवेस्ती में स्वर के अग्रागम (सं० रिणाक्ति अव० इरनखित) और बाद के अक्षर के स्वर का पूर्व के अक्षर पर प्रभाव (सं० भरति अव० बरइति) अधिक पाया जाता है। (४) ऋकार के स्थान पर अवेस्ती में अर मिलता है, या र, या अ। (५) अघोष अल्पप्राण (कृ, तृ, पृ) अवेस्ती में संघर्षी (खृ, थृ, फ़ृ) हो जाते हैं (कतुः—खतुश, सत्यः—हइशयो, स्वमः—ख्व् फ़नम्) और महाप्राण भी कभी-कभी (सखा—हख, गाथा—गाथा, कफ़म्—कफ़म्)। (६) सघोष महाप्राण (घृ, धृ, भृ) अल्पप्राण (गृ, दृ, बृ) में परिणत पाए

जाते हैं (जंघा-जंग, धारयत्-दारयत्, भूमिः—भूमि) । (७) शब्द के आदि की स, ह् (सिन्धु—हिन्दु, सप्ताह—हफ्ता) हो जाती है । (८) ईरानी में ज़, ज़ह क़ायम रह गए, भारतीय में इनकी जगह ज और ह हो गया है (जानुः—जानू, दहति दज़हैति) । (९) संस्कृत की पंचमी विभक्ति एकवचन का प्रत्यय (-आत्) जो केवल संज्ञाओं में मिलता है, अवेस्ती में सब संज्ञाओं में मिलता है (क्षत्रात्—रुथात् विशः—वीसत्, द्विषतः—त्विश्यन्तत्) । (१०) भारतीय शाखा में टवर्ग ध्वनियाँ हैं, ईरानी में बिलकुल नहीं । (११) भारतीय में लट् (वर्तमान) लकार के उत्तम पुरुष एकवचन में -मि प्रत्यय का सर्वकष प्रयोग मिलता है, ईरानी में केवल प्राचीन फ़ारसी में, सो भी जहाँ-तहाँ ही (सं० भरामि, अव० बरा, प्रा० फ़ारसी बरामिय) ।

ईरानी की दो उपशाखाएँ प्राचीन काल से ही मिलती हैं, (क) परशी (फ़ारसी) और (ख) अवेस्ती । पहली पच्छिम भाग की और दूसरी पूरब की है ।

फ़ारसी—इसमें हज़्मानी बादशाहों के लेख मिलते हैं । ये कीलाक्षरों में खुदे हुए हैं । इसी भाषा का कई सदी बाद वाला रूप पहलवी है । इसमें अवेस्ता की टीका है । इसकी एक शैली में सामी शब्दों का आधिक्य है जिसे हुज्वारेण कहते हैं, दूसरी में सामी शब्दों का नितान्त अभाव है जिसे पाज़्न्द या पार्सी कहते हैं । आधुनिक फ़ारसी का साहित्य ई० ६वीं सदी से मिलता है । आकृति में यह बहुत अयोगात्मक हो गई है और सीधी सादी है, सीखने में सहल, सुनने में मधुर । भारतवर्ष में अज़्ज-रेज़ी आधिपत्य के पूर्व कई सदियों तक यह राजभाषा रही । इसी कारण इसके बहुतेरे शब्द भारतीय भाषाओं में, विशेष कर सिन्धी, लहँदी, पंजाबी और हिन्दी में घुस आए हैं । फ़ारसी में स्वयं अरबी भाषा के एक तिहाई के करीब शब्द हैं, और बहुतेरे फ़्रेंच के भी ।

अवेस्ती—पारसी धर्म की मूल पुस्तक का नाम अवेस्ता है । इसकी भाषा को अवेस्ती कहते हैं । इस पुस्तक की टीका ज़ेन्द (पहलवी) में है, इसलिए भाषा को कभी-कभी ज़ेन्द और मूल पुस्तक को ज़ेन्दावेस्ता कहते हैं । अवेस्ता में अधिकांश में वैदिक संहिताओं की तरह सूक्त हैं । इसमें भी भाषा और भाव की नज़र से कई श्रेणियाँ हो सकती हैं, प्राचीन-तम अंश गाथाएँ हैं जिनका काल ई० पू० ७वीं सदी तक जाता है । पर अवेस्ता के कुछ अर्वाचीन अंश ईसवी सन् के बाद की दो एक सदियों के भी मालूम पड़ते हैं । पारसी धर्म के प्रचारक ज़र.शुश्न ये और देवता अहुर मज़दा । भाषा की दृष्टि से अवेस्ता प्राचीन फ़ारसी से मिलती-जुलती है, पर बोली का भेद काफ़ी है । प्राचीन ईरानी की यही सामग्री है, अवेस्ता और प्राचीन फ़ारसी के लेख ।

मध्यकालीन ईरानी की कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें कोई चालीस साल पूर्व मध्य-एशिया (तुर्किस्तान) में प्राप्त हुई थीं। इनमें से दो तीन ईसाई धर्म की हैं, शेष बौद्ध धर्म की। प्रायः ये सब ८वीं ९वीं सदी की हैं, केवल एक ईसवी सन के प्रारंभ के आस-पास की। जिस भाषा में ये हैं उसको पश्चिमोत्तर प्रदेश की ईरानी मान सकते हैं। भाषा का नाम सोगदी है, यह एक समय मचूरिया तक फैली हुई थी।

आधुनिक ईरानी में फ़ारसी के अलावा, पश्तो, बलोची और पामीरी विशेष उल्लेखनीय हैं। इनके अतिरिक्त कुर्दी आदि और बोलियाँ भी हैं। पश्तो अफ़ग़ानिस्तान और भारत के पश्चिमोत्तर प्रदेश की भाषा है। कुल बोलने वाले कोई ५० लाख होंगे, जिसमें सोलह सत्रह लाख भारतीय भाग में हैं। इसमें फ़ारसी के अनुकरण पर लिखा हुआ १६वीं सदी के इधर का साहित्य है। ग्रामगीत प्रसिद्ध हैं। बलोची बलोचिस्तान और सिन्ध के पश्चिमी हिस्से की भाषा है। इसमें कोई विशेष साहित्य नहीं। पामीरी की तराई में और हिन्दूकुश पर्वत पर सर्वत्र अधिकांश में ईरानी बोलियाँ पाई जाती हैं। इस बोली समूह को पामीरी कहते हैं। गठन में ये कैस्पियन सागर के आस-पास बोली जाने वाली ईरानी बोलियों से मिलती हैं। इनके पड़ोस में भारतीय आर्य बोलियों के बोलने वाले पूरब और दक्खिन की ओर हैं।

दर्दी

हिन्द-ईरानी शाखा की एक उप-शाखा दर्दी भाषाएँ हैं। इनका क्षेत्र पामीरी और पश्चिमोत्तर पंजाब के बीच में पड़ता है। इधर पिछले तीस-चालीस साल में इन भाषाओं को ध्यानपूर्वक देखा गया है। गठन में ये ईरानी और भारतीय आर्य के बीच की हैं, ईरानी की अपेक्षा भारतीय के अधिक निकट। अनुमान है कि हिन्द-ईरानी शाखा की जब प्रशाखाएँ होने लगीं तब, सब से पहले इन दर्द भाषाओं के मूल भाषा-भाषी अलग होकर पूरब की ओर फैले। बाद को जब भारतीय आर्यभाषा के मूल-भाषी इधर बढ़े तब दर्दी उत्तर की ओर सीमित रह गए। अपने पुराण ग्रंथों में दरद (दारद) जाति का उल्लेख मिलता है। इन्हीं को पिशाच संज्ञा भी दी गई है। भारतीय व्याकरण इनकी भाषा को स्वदेशी समझते आए हैं। पैशाची प्राकृत का विवरण प्राकृत व्याकरणों में बराबर मिलता है और इसका साहित्य भी भारतीय वाङ्मय में सदा समाविष्ट होता रहा है।

दर्दी भाषाओं के कई समूह हैं, खोवार, काफ़िरी और दर्दी विशिष्ट। समस्त दर्दी भाषाओं के बोलने वालों की संख्या १५ लाख है। खोवार समूह की प्रमुख बोली चित्राखी है। दर्दी विशिष्ट समूह की कश्मीरी और शीना उल्लेखनीय हैं। कश्मीर प्रदेश संस्कृत साहित्य का केन्द्र रहा है। कश्मीरी में साहित्य-निर्माण १४वीं सदी से

आरंभ होता है। लाल देद (लला) की कविताएँ प्रसिद्ध हैं। तब से बराबर साहित्य बनता आया है। दर्दी की अन्य किसी भाषा में कोई साहित्य नहीं।

दर्दी भाषाओं के अध्ययन से पता चलता है कि व्याकरण के प्राचीन लक्षण इसमें अन्य आधुनिक भारतीय आर्यभाषाओं की अपेक्षा अधिक सुरक्षित हैं।

भारतीय आर्य

हिन्द ईरानी की इस उप-शाखा को विवरण की सुविधा के लिए तीन भागों में बाँटा जाता है, प्राचीन युग, मध्य युग और वर्तमान युग। मोटे तौर से प्रथम का समय प्रागैतिहासिक काल से ५०० ई० पू० तक, मध्य युग का ई० पू० ५०० से १००० ई० तक और वर्तमान का १००० ई० से इधर का मानना ठीक मालूम होता है। इन तीनों का अलग-अलग विवेचन करना उचित होगा।

प्राचीन युग

तुलनात्मक भाषा-विज्ञान के अध्ययन से भारतवर्ष में आर्यों के आगमन का समय, १५०० ई० पू० के आस-पास कूता जाता है। आर्य यहाँ विभिन्न टोलियों में आकर बसते गए और यहाँ के द्रविड़, मुंडा आदि मूल निवासियों के संघर्ष से भाषा, रहन-सहन आदि में आवश्यक परिवर्तन करते रहे। प्राचीन युग की भाषा का सर्वोत्तम उदाहरण ऋग्वेदसंहिता में मिलता है।

आदिम आर्य-भाषा से ऋग्वेदीय भाषा की तुलना करने से पता चलता है कि भारतीय शाखा के स्वरों में घोर परिवर्तन हो गया है। तीन मूल स्वरों के स्थान पर एक होने के कारण ह्रस्व, दीर्घ और मिश्र स्वरों की संख्या बहुत कम हो गई है। म० न० स्वरों के स्थान पर अ और ङ (श्वा) के स्थान पर इ पाया जाता है। लृकार का प्रयोग बहुत सीमित हो गया है। व्यंजनों में कवर्ग की एक ही श्रेणी का रह जाना, चवर्ग और टवर्ग का आविर्भाव, तथा शृ, ष, ह का आगमन भी महत्व का है। पदरचना में भारतीय आर्य शाखा में आदिम आर्य का सर्वोत्तम प्रतिबिम्ब मिलता है।

ऋग्वेदसंहिता के सूक्ष्म अध्ययन से मालूम होता है कि उसके सूक्तों में जहाँ-तहाँ बोली-भेद है। प्रथम मंडल और दशम मंडल के सूक्तों की भाषा अपेक्षाकृत कुछ बाद की है। ब्राह्मण ग्रंथों, प्राचीन उपनिषदों और सूत्र ग्रंथों की भाषा क्रमशः विकसित हुई जान पड़ती है। पाणिनि के समय तक वैदिक वाङ्मय की भाषा (छन्दस्) और साधारण पढ़े लिखे जन की भाषा (भाषा) में काफ़ी अन्तर पड़ गया था। उन्होंने अपने पूर्ववर्ती वय्याकरणों का उल्लेख किया है। बुद्ध भगवान के समय तक उत्तर भारत में उदीच्य, प्राच्य और मध्यदेशीय, ये तीन भाग भाषा के विभेदों के कारण हो गए थे।

प्राचीन युग के अन्तर्गत वैदिक और लौकिक दोनों भाग आते हैं। संस्कृत शब्द से कभी-कभी दोनों भागों का और कभी केवल लौकिक का बोध कराया जाता है। दोनों में अन्तर की मात्रा अधिक नहीं है। बोली-भेद को मिटाने के लिए सब से सफल उद्योग पाणिनि का साबित हुआ। इन्होंने उदीच्य भाग की भाषा को प्रश्रय दिया। इनके समय में संस्कृत शिष्ट समाज के परस्पर विचार-विनिमय की भाषा थी। संस्कृत यह काम कई सदी बाद तक करती रही। प्राच्य प्रभाव के कारण कुछ सदियों तक संस्कृत का प्रभाव सीमित हो गया परन्तु मौर्य साम्राज्य के छिन्न-भिन्न होने पर संस्कृत भाषा ने फिर अपना आधिपत्य जमा लिया। संस्कृत का प्रथम शिलालेख रुद्र-दाम का गिरनार वाला है जिसकी तिथि ई० १५० है। अब से बराबर प्राकृतों के प्रश्रय पाने तक संस्कृत हिन्दू राज्यों की राजभाषा रही। प्रायः १२वीं सदी तक इसको राज दरबारों से विशेष प्रश्रय मिलता रहा।

संस्कृत का प्रभाव बराबर उत्तरकालीन मध्ययुग की भाषाओं पर पड़ता रहा है। क्या प्राकृते, क्या आधुनिक भाषाएँ सभी संस्कृतकोष से अनायास शब्द लेती आई हैं। भारत से बाहर, चीन, तिब्बत, हिन्द चीन, जावा, सुमात्रा, बाली, कोरिया और जापान तक इसका प्रभाव फैला है। यूरोप में जो प्रभाव लैटिन का, और अफ्रीका तथा एशिया के पच्छिमी भाग में जो प्रभाव अरबी का पड़ा है, वही अथवा उससे भी अधिक संस्कृत का एशिया के बाक़ी हिस्से पर बराबर रहा है। भारतीय आर्य इसे देववाणी कहते हैं और आज भी यह तीस करोड़ हिन्दुओं की श्रद्धा की चीज़ है। बोलचाल की भाषा न होते हुए भी आज जो श्रेय इसे प्राप्त है, वह संसार की किसी भाषा को नहीं।

साहित्य की रक्षा के लिए प्राचीन युग में जो युक्तियाँ काम में लाई गईं, वे सभ्य संसार के इतिहास में अद्वितीय हैं। श्रुति की रक्षा के लिए पदपाठ, क्रमपाठ, घनपाठ, जटापाठ आदि कृत्रिम उपायों का सहारा लिया गया। भावगरिमा की रक्षा सुत्रशैली से की गई। इन साधनों के द्वारा प्राचीन से प्राचीन भाषा की यथातथ संरक्षा हो सकी।

प्राचीन युग में भी भारतीय आर्य भाषा बराबर अन्य एतद्देशीय और विदेशी भाषाओं से ज़रूरत के अनूकूल शब्द लेती रही। इस बात की पुष्टि संस्कृत, ग्रीक, लैटिन और अवेस्ती के शब्दकोषों की तुलना से होती है। उणादि-सूत्रों से जिन शब्दों की सिद्धि की गई है उनमें से कुछ अवश्य अन्य भाषाओं से लिए हुए हैं। इस युग में इस देश में आर्य के अतिरिक्त द्राविड़, मुंडा आदि परिवारों की भाषाएँ जीती जागती, सभ्य अवस्था में थीं। उनके शब्दों का आर्य भाषा में आ जाना स्वाभाविक

ही था। आर्य भाषा श्लिष्ट योगिक आकृति की थी, उस काल की यहाँ की अन्य भाषाएँ अश्लिष्ट थीं। इस बात का भी अस्तर आर्य भाषाओं पर पड़ा और मध्य युग में हम उत्तरोत्तर श्लिष्ट अवस्था से हटने के प्रमाण पाते हैं। इसी प्रकार उच्चारण में भी प्रभाव पड़ने के सबूत मिलते हैं। किसी अन्य आर्य भाषा में मूर्धन्य वर्ण नहीं मिलते, पर भारतीय आर्य में बराबर मिलते हैं और उत्तरोत्तर इनके अनुपात की वृद्धि होती जाती है। यह सच है कि ये मूर्धन्य ध्वनियाँ दन्त्य ध्वनियों से ही विकसित हुई हैं, पर इस विकास में देश की परिस्थिति ने अवश्य सहायता की।

मध्ययुग

जो परिवर्तन प्राचीन युग में होने आरंभ हुए थे वे इस युग में अधिक बढ़े। सामान्य तुलना से पता चलता है कि इस युग के प्रारंभ में ही द्विवचन का और आत्मनेपद का हास हो गया था। विभक्तियों में षष्ठी और चतुर्थी का एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग, सज्ञा और सर्वनाम के परप्रत्ययों में परस्पर व्यत्यय, संख्यावाची शब्दों के नपुंसक लिंग के रूपों की प्रमुखता और अन्यों का उत्तरोत्तर हास, क्रिया के लकारों में लुट् (अनद्यतनभविष्य), लङ् (अनद्यतनभूत), लिट् (परोक्षभूत) और लृट् (क्रियातिपत्ति), के रूपों का प्रायः सर्वांश में अभाव और विधिलिङ् तथा आशीर्लिङ् का सर्वथा एकीकरण, क्रिया के रूपों में गणविभेद की और संज्ञा के रूपों में व्यजनान्त की जटिलता की कमी, इत्यादि लक्षण मध्ययुग के आदिकाल की ही सामग्री में मिलते हैं। यहीं ऐ औ, ऋ, लृ का अभाव और एँ ओँ (ह्रस्व) का आविर्भाव, प्रायः पश्चिमोत्तर प्रदेश को छोड़कर ष् का नितान्त अभाव और प्राच्य देश में श्, ष्, स्, के स्थान पर श् तथा अन्यत्र इनकी जगह स्, विसर्ग का सर्वत्र अभाव, संयुक्त व्यंजनों का प्रायः वहिष्कार और अनेक स्वरों की एकत्र स्थिति, ये ध्वनि सबधी लक्षण भी मिलते हैं। शब्दावली में भी देशी शब्दों की संख्या बढ़ गई है।

मध्ययुग को तीन कालों में विभाजित किया जाता है, आदि, मध्य और उत्तर। आदिकाल प्रायः ईसवी सन् के प्रारंभ तक, मध्य ५०० ई० तक और उत्तरकाल १००० ई० तक माना जाता है।

आदिकाल के अन्तर्गत पालि और अशोकी प्राकृत हैं। ऊपर प्राचीन युग में ही बोली-भेद के कारण उदीच्य, मध्य-देशीय और प्राच्य क्षेत्रों का उल्लेख किया गया है। प्राच्य क्षेत्र में अधिक परिवर्तन होना स्वाभाविक ही था। इतिहास से हमें पता चलता है कि बुद्ध भगवान ने संस्कृतेतर भाषा में अपने आर्य-धर्म का प्रचार किया। महावीर स्वामी ने भी यही किया था। इसका मतलब यह हुआ कि इन महानुभावों के समय में प्राच्य भाग (अर्थात् वर्तमान अवध और बिहार प्रान्त) में संस्कृत की

प्रतिष्ठा जनसाधारण में बहुत न थी और उनकी बोलचाल की भाषा संस्कृत से काफ़ी भिन्न हो गई थी। कोई भी प्रचारक ऐसी ही भाषा को अपनाता जो जन-साधारण की समझ में आती हो। पर यह वह अवस्था थी जब संस्कृत और ये विभिन्न बोलियाँ परस्पर समझी जा सकती थीं।

पालि को सिंहलद्वीपी मागधी कहते हैं। पालि के ग्रन्थों में भाषा के लिए मागधी शब्द का ही प्रयोग हुआ है और पालि का टीका (अर्थकथा) से भिन्न मूल-पाठ के अर्थ में। यूरोपीय विद्वानों ने पालि शब्द का व्यवहार किया है और यही श्रेय-स्कर है क्योंकि मागधी शब्द का प्रयोग मागधी प्राकृत का जिसका उल्लेख आगे किया जायगा उसके लिए सीमित रखना आवश्यक है। पालि शब्द का प्रारंभ में अशोक की प्राकृत के लिए भी प्रयोग किया गया था किन्तु अब यह हीनयान बौद्धधर्म के धर्म-ग्रन्थों की भाषा के लिए ही काम में आता है।

पालि किस प्रान्त की भाषा थी, इस प्रश्न पर विद्वानों में परस्पर बहुत वाद-विवाद होता आया है। रीज़डेविड का विचार था कि यह कोसल देश की भाषा थी, अन्यो ने इसे मगध देश की ठहराने की कोशिश की। गठन पर विचार करते हुए यह किसी पूर्वी प्रान्त की नहीं ठहरती। प्राकृतों के तुलनात्मक अध्ययन से यह पच्छिमी प्रदेश (मध्यदेश) की भाषा सिद्ध होती है और ऐसा समझा जाता है कि यद्यपि बुद्ध भगवान ने किसी प्राच्य भाषा में उपदेश किया होगा तथापि उनके निर्वाण के सौ दो सौ साल बाद समस्त ग्रन्थों का अनुवाद किसी ऐसी मध्यदेशी भाषा में हुआ जो संस्कृत के समकक्ष स्टैंडर्ड हो चुकी थी। गठन में पालि बुद्धकालीन नहीं ठहरती, काफ़ी अर्वाचीन (ई० पू० तीसरी सदी की) जान पड़ती है। जब अशोक की प्राकृत से उसकी तुलना करते हैं तब यह बात स्पष्ट हो जाती है।

पालि में बौद्धधर्म के मूल ग्रन्थ, टीकाएँ तथा काफ़ी कथा-साहित्य, काव्य, कोष, व्याकरण आदि हैं। वर्तमान-कालीन सिंहल, ब्रह्मदेश थाईदेश आदि में उसे वही गौरव प्राप्त है जो भारतवर्ष में संस्कृत को। इस साहित्य में धम्मपद, जातक आदि अमूल्य सामग्री भरी पड़ी है।

पालि भाषा के सूक्ष्म निरीक्षण से पता चलता है कि इसमें जहाँ-तहाँ बोली-भेद के उदाहरण हैं। एक ही शब्द के अनेक स्थलों पर अनेक रूप मिलते हैं। तब भी मूल में एक भाषा है। स् का सर्वत्र अस्तित्व और श् का अभाव तथा र् का अस्तित्व और ल् से भेद, आदि लक्षण इस बात को पुष्कल रूप से प्रमाणित करते हैं कि यह पच्छिमी भाषा है। त्रिष्टिक के भी सभी अंश एक समय के लिखे नहीं मालूम पड़ते। शैली का काफ़ी भेद है।

पालि ग्रन्थ भारत से सिंहल गए। पौराणिक गाथा के अनुकूल यह माना जाता है कि अशोक के पुत्र महेन्द्र ये बौद्ध ग्रन्थ वहाँ ले गए। बाद को भी आदान-प्रदान होता रहा। बुद्धघोष के समय (ई० ५वीं सदी) में भारत में केवल मूलग्रन्थों के ही रह जाने का पता चलता है। वह अर्थकथा सिंहल से लाए। वर्तमान युग में हम भारतीयों को पालि का पुनः ज्ञान यूरोपीय विद्वानों की कृपा से मिला।

पालि में कुछ लक्षण ऐसे मिलते हैं जिनसे हम यह निश्चयपूर्वक कह सकते हैं कि इसका विकास, उत्तर-कालीन संस्कृत की अपेक्षा वैदिक संस्कृत और तत्कालीन बोलियों से मानना अधिक उचित है। तृतीया बहुवचन में अकारान्त संज्ञाओं का -रभिः प्रत्यय और प्रथमा व० व० में -आस् के विकल्प में आसः, धातु (यथा गम्) और धात्वादेश (यथा गच्छ्) के प्रयोग में भेद का अभाव, अडागम (हसि = अहसीत्) का प्रायः अभाव, आदि बातें उदाहरण हैं। संस्कृत के इह के स्थान में पालि इध पाया जाता है जो वैदिक-पूर्व भाषा का अवशेष समझा जाता है।

अशोक की प्राकृत—प्रियदर्शी राजा अशोक ने अपने शासनकाल के विविध संवत्सरो में स्थान-स्थान पर स्तम्भों, चट्टानों, गुफाओं आदि में 'धर्म' के प्रचार के लिए बहुतेरे लेख खुदवाए थे। इन लेखों में 'अभिषेक से ८ वर्ष बाद, ९ वर्ष बाद, १० वर्ष बाद, आदि' शब्दों में उन लेखों का समय भी दिया हुआ है। भारत में इस प्रकार विवाद-रहित तिथि पड़े हुए न इतने पुराने लेख हैं न पुस्तकें। इसलिए इन लेखों का अद्वितीय महत्त्व है। प्रायः ये सब के सब २६२-२५० ई० पू० के हैं और भारत की सभी दिशाओं और कोनों में पाए जाते हैं। इनकी भाषा का समष्टिरूप से नाम अशोक की प्राकृत है। इन लेखों के सूक्ष्म अध्ययन से पता चलता है कि इन में उत्तर-पच्छिमी (शाहवाज़गढ़ी, मनसेहरा), पच्छिमी (गिरनार), मध्यदेशी, पूर्वी (कालसी धौली, जौगढ़) बोलियाँ हैं और दक्खिनी भी। अनुमान है कि राजधानी से अर्धमागधी के किसी रूप में लेख सब प्रान्तों में भेजा जाता था और हर प्रान्त की बोली के अनुकूल उसमें परिवर्तन कर लिए जाते थे। राजधानी से जितनी ही दूर लेख पाए गए हैं, परिवर्तन की मात्रा उतनी ही अधिक होती गई है। मध्यदेशी के कोई लेख नहीं मिलते, इससे अनुमान है कि उस समय मध्यदेश में अर्धमागधी समझी जाती थी। गिरनार के लेख संस्कृत भाषा और शौरसेनी प्राकृत के, अर्न्थों की अपेक्षा, अधिक निकट हैं।

अशोक के लेखों के अलावा और भी लेख प्राकृतों में लिखे हुए पाए गए हैं। प्रायः ये सभी मध्यकाल के गिने जाते हैं, केवल गोरखपुर झिले के सोहगौरा के लेख को प्रो० सुनीतिकुमार चटर्जी ई० पू० चौथी सदी का मानते हैं।

मध्ययुग के मध्यकाल के अन्तर्गत जैन प्राकृतों और महाराष्ट्री आदि साहित्यिक प्राकृतों आती हैं। इस काल में प्राचीन युग की भाषा से भेद की मात्रा, मध्ययुग के आदि काल से भी अधिक बढ़ गई है। संयुक्त व्यंजनों में केवल (क) अपने-अपने अनुनासिक के बाद उस-उस वर्ग का स्पर्श वर्ण, (ख) अनुनासिक या ल् के अनन्तर ह् और (ग) व्यंजन की दीर्घ मात्रा (स्स्, त्, प् आदि) बाकी बचे हैं। दो स्वरो के बीच के स्पर्श वर्ण का प्रायः लोप हो जाना मध्यकाल की विशिष्टता है (काकः > कात्रो, कति > कइ, पूपः > पूओ)। प्रो० सुनीतकुमार चटर्जी का विचार है कि व्यंजन का यह हास पहले अघोष से सघोष (क् > ग्), फिर सघोष से संघर्षी (ग् > ग्) और तब शोर की आवस्थाओं के द्वारा आया है। इन संघर्षी ध्वनियों को व्यक्त करने का ब्राह्मीलिपि में कोई साधन नहीं था इसी कारण प्राचीन लेखों में इनका व्यक्तीकरण नहीं मिलता। विद्वानों का विचार है कि जैन ग्रन्थों में जो लघु प्रयत्नतर यकार (य्) मिलता है, वह ग्, ज्, द् की संघर्षी अवस्था का ही द्योतक है। विभक्तियों में से चतुर्थी का प्रायः सर्वाश में लोप हो गया है, पंचमी का प्रयोग बहुत कम मिलता है। इसी प्रकार क्रिया में भी रूप-बाहुल्य कम होता जा रहा है।

जैन प्राकृतों में प्रमुख आर्ष (अर्धमागधी) है। इसी में श्वेताम्बर सम्प्रदाय के अंग (११) और उपांग (१२) आदि ४५ आगम ग्रन्थ मिलते हैं। जैन मत का प्रादुर्भाव उसी प्रदेश (कोसल, वाराणसी, मगध आदि जनपदों) में हुआ जहाँ बौद्ध मत का। कहा जाता है कि इनके धर्मग्रन्थ कई सौ वर्ष तक मौखिक रहे। प्रथम बार इनका संकलन चन्द्रगुप्त मौर्य के काल (चौथी सदी ई० पू०) में पाटलिपुत्र में हुआ और इनका सम्पादन पाँचवीं सदी ई० में देवर्षिगणी ने किया। अन्य ग्रन्थों की निम्नत अंगों की भाषा पुरानी है, तब भी ई० पू० चौथी सदी की भाषा किसी में नहीं मिलती। गठन में यह अर्धमागधी (शौरसेनी और मागधी के बीच की) जँचती है। श्वेताम्बर सम्प्रदाय का अन्य (कथा आदि) साहित्य महाराष्ट्री (जैन महाराष्ट्री) में है। द्विगम्बर सम्प्रदाय का साहित्य जैन शौरसेनी में है। इन दोनों का रूप आर्ष से पुराना नहीं है।

साहित्यिक प्राकृतों के नामों से प्रकट है कि ये विभिन्न प्रान्तों की लोक-भाषाएँ थीं जो समय के अनुकूल साहित्यिक पदवी को प्राप्त कर अब तक बची रह सकीं। इनमें सब से पुरानी सामग्री शौरसेनी में मिलती है।

शौरसेनी—संस्कृत के नाटकों में स्त्रीजन तथा मध्यम वर्ग के पुरुषों की भाषा बही है। इससे जहाँ यह सिद्ध होता है कि नाटक का सर्वप्रथम विकास शौरसेनी प्रान्त में हुआ वहाँ साथ ही साथ यह भी मालूम होता है कि अन्य प्राकृतों की अपेक्षा शौर-

सेनी का प्रसार अधिक विस्तृत क्षेत्र में था। अनुमान है कि यह संस्कृत की समकक्ष स्टैंडर्ड भाषा थी। इसमें ई० प्रथम सदी के लिखे हुए अश्वघोषकृत सारिपुत्तपकरण आदि तीन रूपक पाए गए हैं। इनकी भाषा उत्तर-कालीन शौरसेनी से कुछ भिन्न है पर है शौरसेनी ही। शौरसेनी का मुख्य लक्षण तवर्ग के विकास में पाया जाता है। दो स्वरो के बीच में, सं० -त्-, -थ्-, का शौ० में -द्-, -ध्- हो जाता है, और दो स्वरो के बीच की -द्-, -ध्- ध्वनियों में कोई परिवर्तन नहीं होता, जैसे, गच्छति > गच्छदि, यथा > जधा, जलदः > जलदो, क्रोधः > क्रोधो।

प्राकृतों में शौरसेनी के बाद महाराष्ट्री का नम्बर आता है। यह काव्य और विशेषकर गीति-काव्य की भाषा है। जो स्थिति ब्रजभाषा की इधर कई सदियों तक रही है, वही महाराष्ट्री की ईसवी सन् के बाद कई सदियों तक रही। संस्कृत के नाटकों में पद्य भाग यदि प्राकृत में मिलता है तो महाराष्ट्री में। इसका साहित्य बहुत ऊँचा है। हालकृत गाथासप्तशती (गाथासत्तसई) और प्रवरसेन के सेतुबन्ध (रावणवहो) काव्य के टक्कर की कोई चीज़ संस्कृत वाङ्मय में भी नहीं मिलती।

महाराष्ट्री में दो स्वरो के बीच में आनेवाले अल्पप्राण स्पर्शवर्ण का लोप और महाप्राण का ह् हो जाता था, तवर्ग का भी। ऊपर उद्धृत शब्दों के महा० रूप गच्छइ, जहा, जलओ और कोहो हैं। इस लक्षण के कारण कुछ यूरोपीय विद्वानों का विचार हुआ था कि यह काव्य की कृत्रिम भाषा रही होगी। पर निश्चय ही यह उनका भ्रम था। डा० ज्यूल ब्लाक ने मराठी का विकास महाराष्ट्री से होना साबित किया है। कालान्तर में सभी भारतीय आर्य-भाषाओं में स्वरद्वय के बीचवाले स्पर्श वर्ण गायब हो गए हैं। इससे इतना ही सिद्ध हो सकता है कि वय्याकरणों और नाटकों की शौरसेनी संभवतः उनकी महाराष्ट्री से, गठन में पुरानी है। डा० मन-मोहन घोष का विचार है कि महाराष्ट्री शौरसेनी की उत्तरकालीन शाखा है जिसे विद्वान दक्खिन ले गए।

मागधी—यह मगध जनपद की भाषा थी। नाटकों में नीच पात्रों की भाषा यही है। सिंहल आदि बौद्ध देशों में पालि को ही मागधी कहते और जानते हैं। पर इस मागधी प्राकृत से उसका कोई भी वास्तविक सम्बन्ध नहीं। मागधी के मुख्य लक्षण संस्कृत ऊष्म वर्णों के स्थान पर श् (सप्त > शत्), र् की जगह ल् (राजा > लाजा), अन्य प्राकृतों की ज् की जगह य् और ज्ज् की जगह य्य् (यथा, यासदि, अय्य, मय्य, कय्य), ण् की जगह ञ्ज् (पुञ्ज्, लञ्जो), अकारान्त संज्ञा के प्रथमा एक-वचन में -ो की जगह - (देवो > देवे) आदि हैं। ये पालि में जहाँ-तहाँ अप्रकट-स्वरूप मिलते हैं, लक्षण-रूप नहीं। मागधी प्राकृत में साहित्य नहीं मिलता, इसका

अस्तित्व व्याकरणों और नाटकों में ही है।

अर्धमागधी की स्थिति शौरसेनी और मागधी के बीच की मानी गई है। यह मुख्य रूप से जैन आदि धार्मिक साहित्य में काम में आई है। अनुमान है कि बुद्ध भगवान और महावीर स्वामी के समय में इसने यथेष्ट क्षमता प्राप्त कर ली थी। अशोक के लेखों की भी यही मूलभाषा समझी जाती है। इसमें मागधी के दो एक लक्षण, अकारान्त सज्ञा के प्र० एक० के एकारान्त रूप, जहाँ-तहाँ र के स्थान पर ल् आदि मिलते हैं, पर इसमें स् है श् नहीं।

पैशाची प्राकृत में किसी समय अच्छा ज्ञासा साहित्य रहा होगा। गुणाढ्य की बृहत्कथा इसी में थी। यह अमूल्य ग्रन्थ अब अप्राप्य है। इसके संस्कृत भाषा में किए हुए दो संक्षिप्त अनुवादों, बृहत्कथामंजरी और कथासरित्सागर, से ही बृहत्कथा के महत्त्व की सूचना मिलती है। पैशाची के लक्षण प्राकृत व्याकरणों में पाए जाते हैं। मुख्य यह है कि संस्कृत शब्दों में दो स्वरों के बीच में आनेवाले सघोष स्पर्श वर्ण (वर्गों के तीसरे चौथे) अघोष (पहले दूसरे) हो जाते हैं, जैसे, गगनं > गकनं, मेघो > मेखो, राजा > राचा, वारिदः > वारितो आदि।

इन प्रधान प्राकृतों के अलावा नाटकों में जहाँ-तहाँ अन्य कई प्राकृतों के कुछ अवतरण और व्याकरणों में उनके कुछ लक्षण मिलते हैं। मृच्छकटिक में शाकारी, ढकी और अन्यत्र शाबरी और चांडाली पाई जाती हैं। आभीरिका और अवनती का भी उल्लेख मिलता है। इनमें से प्रथम दो मागधी के ही कोई भेद हैं। शाबरी और चांडाली नामों से जातिविशेष की भाषा का भास होता है पर ये भी मागधी की ही विशेष बोलियाँ थीं। इसी तरह आभीरिका अहीर जाति की बोली रही होगी। अवनती उज्जैन की प्राकृत थी।

मध्ययुग के उत्तरकाल में ध्वनियों और व्याकरण का और भी ज़्यादा विकास पाया जाता है। संयुक्त व्यंजनों के समीकरण के कारण जो व्यंजनों का द्वित्व (दीर्घत्व) आदिकाल से प्रारंभ हुआ था और मध्यकाल में चरम सीमा को पहुँच चुका था, अब एकत्व (ह्रस्वत्व) की ओर चलने लगा (प्त, क्त > त्त > त) और प्रतिकारस्वरूप उसके पूर्व का ह्रस्व स्वर दीर्घ होने लगा। यह प्रवृत्ति आधुनिक युग में पूर्णरूप से पाई जाती है पर इसका आरंभ मध्ययुग के उत्तरकाल से ही हो गया था। प्रत्ययों की -स्स < -स्य्, -स्य् की जगह -ह् (मंतहो < मंतस्स < मन्त्रस्य, तहिं < तस्सिं < तस्मिन्) मिलता है। प्रत्ययों की -न, -ण्, -म की जगह अनुस्वार भी आ गया (राएँ < राजेण = राज्ञा, पुच्छुँ < पुच्छामि)। शब्द के अंत का दीर्घ स्वर ह्रस्व हो गया (सेवा > सेव, मानिनी > माणिणि) और -ओ, -ए का -उ, -इ (पुत्तो > पुत्तु, घरे > घरि)।

संज्ञा और क्रिया के रूपों की जटिलता और भी कम हो गई। प्रथमा और द्वितीया विभक्तियों के रूपों में निकटता आ गई (पुत्तु एक० व०, पुत्त ब० व०), इसी तरह षष्ठी और सप्तमी के एकवचन और बहुवचन में (ष० पुत्तह ए० व० पुत्तहँ ब० व०, स० पुत्तहिँ)। प्रतिकाररूप परसगों का प्रयोग जारी हुआ। क्रिया में भी प्रायः वर्तमान काल (लट्), सामान्य भविष्य (लृट्), आज्ञा (लोट्) के ही रूप पाए जाते हैं, अन्य सब लकारों के रूप गायब हो गए। भूतकाल के लिए निष्ठा का आश्रय सर्वाश में लिया जाने लगा।

उत्तरकाल की भाषा को सामान्यरूप से अपभ्रंश नाम दिया गया है। कालिदास की विक्रमोर्वशीय में अपभ्रंश के कुछ पद्य मिलते हैं। दण्डी (ई० ७वीं सदी) के समय से अपभ्रंश का काव्य में थोड़ा बहुत प्रयोग होने लगा था और यह हिंदी, मराठी आदि आधुनिक भाषाओं के प्रयोग के पूर्व तक जारी रहा। विद्यापति ठक्कुर ने जहाँ मैथिली में अपने अमरपदों की रचना की है, वहाँ साथ ही साथ कीर्तिलता सा सुंदर ग्रंथ अपभ्रंश (अवहट्ट) में लिखा है। प्राकृतसर्वस्व के रचयिता मार्कण्डेय ने अपभ्रंश का नागर, उपनागर और ब्राह्मण में विभाग किया है। नागर गुजरात का, ब्राह्मण सिन्ध का और उपनागर इन दोनों के बीच के प्रदेश का समझा जाता है। इतना निश्चय समझना चाहिए कि जिन प्रान्तों में प्राकृत बोलੀ जाती थीं उनमें ही उत्तरकाल में उस-उस प्रान्त के अपभ्रंशों का प्रयोग होने लगा। इन सब में शौरसेन अपभ्रंश का प्रयोग प्रायः समस्त भागों में साहित्यिक रूप में पाया जाता है। इसमें बड़ा अच्छा साहित्य, विशेषकर चरितों और कथाओं के रूप में, है जो धीरे-धीरे प्रकाशित हो रहा है।

मध्ययुग के उत्तरकाल तक आते-आते प्राचीन युग की भाषा से यथेष्ट भेद पड़ गया था। प्राचीन युग में कुछ परिस्थितियों में दन्त्य व्यंजन मूर्धन्य होने लगे थे, यह प्रवृत्ति उत्तरोत्तर बढ़ती बढ़ती मध्ययुग के उत्तरकाल में चरम सीमा को पहुँच गई। प्राचीन में सुर था, इसके स्थान पर बलाघात मध्ययुग के आदि काल में ही आ गया था। यह बलाघात प्रायः उपधा के अक्षर पर पड़ता था। मध्ययुग में आर्य-भाषाओं और बोलियों में परस्पर शब्दों का आदान-प्रदान होता रहा। इसका सर्वोत्तम उदाहरण संख्यावाची शब्दों में मिलता है। द्राविड़ आदि अन्य देशी भाषाओं से भी शब्द निःसंकोच लिए जाते रहे। जहाँ संस्कृत के भंडार से जब जरूरत हुई शब्द ले लिए गए और एक ही शब्द के तत्सम, अर्धतत्सम और तद्भव रूपों की प्रचुरता हो गई, वहाँ संस्कृत ने भी मध्ययुग की भाषाओं से वट, नापित, पुत्तलिका, मट, भटारक, क्वात आदि कुछ शब्द ग्रहण किए। विदेशी भाषाओं से भी आर्य-भाषाओं में बराबर

भोजे बहुत शब्द आते रहे हैं। और यहाँ की ध्वनियों की चूल बैठ जाने पर घुल मिल गए हैं। इस ध्वनि-चूल के कारण ही द्राविड़, मुंडा आदि देशी परिवारों से अथवा विदेशी भाषाओं से आए हुए शब्दों को ही हम वास्तविक आर्य शब्दों से भिन्न नहीं कर पाते। हेमचंद्र ने देशी-नाममाला में ऐसे शब्दों की सूची दी है। व्युत्पत्ति-विज्ञान के तत्त्वों का प्रयोग करके हम इनमें से कुछ को आर्य शब्दों से सम्बद्ध कर सके हैं पर बहुतेरे सचमुच आर्य नहीं हैं। यदि द्राविड़, मुंडा आदि के प्राचीन कोष होते तो सम्बन्ध खोजने में आसानी रहती। उनके अभाव में भी इस दिशा में प्रयत्न जारी है।

वर्तमान युग

भारतीय आर्य शाखा के वर्तमान युग का आरंभ प्रायः १००० ई० से माना जाता है। इस समय तक प्राचीन युग की श्लिष्ट अवस्था बदलते-बदलते श्लेष से काफ़ी दूर जा पड़ी थी और यह परिवर्तन बराबर जारी है। महत्ता की दृष्टि से आर्य परिवार की भाषाएँ प्रचान हैं। इनके बोलनेवालों की संख्या वर्तमान भारत में २५ करोड़ है, और इसके बाद आनेवाले द्राविड़ परिवार की ७ करोड़ है।

वर्तमान युग की भाषाओं में ध्वनियाँ प्रायः वही हैं जो मध्ययुग में थीं। प्राचीन युग के उधार लिये शब्दों में प्राचीन युग की विशेष ध्वनियाँ ऋ, ए, वर्तमान काल में लिखी अवश्य जाती हैं, पर इनका उच्चारण शुद्ध नहीं होता। ऋ का उच्चारण उत्तर भारत में रि (रिशि) और दक्खिन में रु (रुशि) होता है। और ए का श्। इसी प्रकार ङ संयुक्ताक्षर का उच्चारण प्रदेशभेद से र्यँ, रँ होता है, यद्यपि कुछ सुधारक र्यँ भी बोलते हैं। पूर्वी प्रान्तों में व व दोनो व और ज य दोनों ज सुनाई पड़ती हैं। संस्कृत के संयुक्ताक्षर ङयादातर श्लिष्ट समाज के उच्चारण में ठीक-ठीक उतर जाते हैं। इस युग में भारतीय भाषाओं में अरबी-फारसी से भी शब्द काफ़ी तादाद में आ गए हैं और इनमें आई हुई विदेशी ध्वनियों (क, ख, ग, ज, थ, द, फ़) के स्थान पर, प्रायः सब प्रदेशों में देशी ध्वनियों को लाकर उच्चारण किया जाता है, केवल पश्चिमोत्तर प्रदेश, सिन्ध, पंजाब और संयुक्त प्रान्त के पच्छिमी भाग में इन ध्वनियों को ठीक-ठीक बोलने की कोशिश श्लिष्ट समाज द्वारा की जाती है। पर देश में राष्ट्रीय भावना की उत्तरोत्तर वृद्धि के साथ यह प्रवृत्ति निर्बल पड़ती जा रही है।

मध्ययुग तक तीन लिंग थे पर वर्तमान में नपुंसक का प्रायः हास हो गया है, केवल गुजराती मराठी और सिंधली में उसकी थोड़ी-बहुत निशानी बाकी है। लिंग के हास का कारण शायद इस देश की पूर्ववर्ती भाषाओं का प्रभाव है। तिन्वत्-ब्रह्मी

समूह की भाषाओं में व्याकरणात्मक लिंग का अभाव ही शायद इस बात का कारण है कि बंगाली, असामी और उड़िया से लिंग-भेद गायब हो गया और नेपाली और बिहारी में थोड़ा-सा ही रह गया है। प्राणिवाचक और अप्राणिवाचक का नया भेद जिसका अस्तित्व हिंदी, मराठी, गुजराती आदि में प्राणिवाचक कर्म के बाद परसर्ग लगाने से और अप्राणिवाचक कर्म के बाद न लगाने से सिद्ध होता है, वह भी मुंडा और द्राविड़ भाषाओं के प्रभाव का ही फल जान पड़ता है।

प्राचीनयुग में सज्ञा की आठ विभक्तियाँ थीं। मध्ययुग में इनमें बराबर कमी होती गई। वर्तमानयुग में केवल दो ही रह गईं, एक विकारी और दूसरी अविकारी। सर्वनाम में अवश्य (मुझ, तुझ, उस, किस) कुछ रूपों में एक और विभक्ति बच रही है। साथ ही साथ परसर्गों का प्रयोग उत्तरोत्तर बढ़ता गया है और सर्वनाम के (मोर < मो + केर, मेरा, तेरा, हमारा, तुम्हारा) कुछ रूपों में वह सर्वनाम के रूप के साथ जा मिला है। जहाँ प्राचीनयुग में किसी सज्ञा के १७ रूप थे, वहाँ वर्तमान में तीन ही बचे हैं।

क्रिया में कर्मवाच्य के अलग रूप बिलकुल गायब हो गए। 'जाना' सहायक क्रिया से उसका काम चला लिया गया। क्रिया के अर्थों की बारीकी अब संयुक्त क्रियाओं द्वारा व्यक्त की जाती है। प्राचीनयुग की लकारों का प्रयोग उत्तरोत्तर घटता रहा। फलस्वरूप प्राचीन वर्तमान के रूप आजकल आश्चर्य काम में छाप जाते हैं और वर्तमान का बोध शतृ प्रत्यय वाले रूपों के साथ 'होना' सहायक क्रिया के रूपों को जोड़कर होता है। भूतकाल का बोध सर्वांश में निष्ठा के रूपों से और भविष्य का प्रायः कृत्य के रूपों से होता है। पुरुष-भेद भी प्रायः मिट सा रहा है (करेगा, करेंगे, था, थी, थे, थीं)। जान बीम्भ ने प्राचीनयुग की धातु के क्रिया-रूपों की संख्या ५४० बतायी है। और अबधी की एक बोली (लखीमपुरी) में किसी भी धातु के रूप अब केवल तीस-पैंतीस से अधिक नहीं हैं।

इस प्रकार प्राचीनयुग की रूप-भेद की जटिलता बहुत कुछ समाप्त हो गई और हिन्दी आदि आधुनिक आर्य भाषाएँ उसी प्रकार श्लिष्ट अवस्था से अयोगावस्था की ओर बढ़ आई हैं, जिस प्रकार यूरोप में इनकी समकालीन अंगरेज़ी, जर्मन, फ्रेंच आदि। भारतीय आर्यभाषाओं में परस्पर भेद की मात्रा भी प्रायः उतनी ही है जितनी यूरोपीय भाषाओं में परस्पर। भारत में भेद और अलगवाव मुख्य रूप से लिपि भेद के कारण दिखाई पड़ता है, यूरोप में सौभाग्य से लिपि प्रायः एक है।

भारतीय आर्यशाखा के अन्तर्गत नीचे लिखी भाषाएँ हैं। कोष्ठक में बोलने-वालों की संख्या दी गई है—

लहँदी (८६ लाख), सिन्धी (४० ला०), मराठी (२ क० ६ ला०), उड़िया (१ क० १२ ला०), बिहारी (२क० ७६ला०), बंगाली (५क० ३५ ला०), असामी (२० ला०), हिन्दी (७ क० ८४ ला०), राजस्थानी (१ क० ३६ ला०), गुजराती (१क० ६ लाख), पंजाबी (१ क० ३६ ला०), भीली (२२ ला०), पहाड़ी (२८ ला०), हबूड़ी (जिप्सी), सिंहली । कुछ सामान्य लक्षणों के कारण भाषाविज्ञानी इनको समुदायों में बाँटते हैं । लहँदी सिन्धी का पश्चिमोत्तर समुदाय, मराठी का दक्खिनी, उड़िया बिहारी, बंगाली, असामी का पूर्वी, पश्चिमी हिन्दी, राजस्थानी, गुजराती, पंजाबी, भीली का पच्छिमी और पहाड़ी का अलग समुदाय बनता है । पूर्वी हिन्दी की स्थिति भाषा की गठन के हिसाब से पच्छिमी और पूर्वी समुदाय के बीच में पड़ती है । हबूड़ी और सिंहली इस देश के बाहर गई हुई भारतीय आर्य भाषाएँ हैं ।

लहँदी—पंजाब के पच्छिमी हिस्से की तथा पश्चिमोत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग की भाषा है । पच्छिम की ओर बोली जाने वाली पश्तो से भेद करने के लिए इसको कभी-कभी हिन्दको भी कहते हैं । यह केवल बोलचाल की भाषा है । कुछ भी उल्लेखनीय साहित्य नहीं है ।

सिन्धी—सिन्ध प्रान्त की भाषा है । साहित्य अभी तक नाममात्र का है, उल्लेखनीय ग्रन्थ केवल 'शाहजो रिसालो' है । ब्राह्मण अपभ्रंश का एक लक्षण आदिम त् द् का ट् ड् हो जाना सिन्धी में मिलता है (हि० तौँबा सिं० टामो, हि० देना सिं० डिअर्यु) । सिन्धी लिपि अरबी का एक संशोधित रूप है । शब्दावली में विदेशी शब्दों की मात्रा अधिक है ।

मराठी—महाराष्ट्र प्रांत की भाषा है । अच्छा-खासा साहित्य है जिसमें उत्तर भारत की तरह संत साहित्य का अच्छा स्थान है । नामदेव और शानेश्वर उल्लेखनीय हैं । अन्य आर्यभाषाओं की अपेक्षा इसमें टवर्ग ध्वनियाँ अधिक हैं । च के अलावा च् ध्वनि भी है जिसका उच्चारण त्स होता है, इसी तरह ज के अलावा ज़ यह ज़ विदेशी ज़ से उच्चारण में भिन्न है ।

पूर्वी समुदाय की भाषाओं में कुछ सामान्य लक्षण हैं—भूतकाल की क्रिया में -ल, भविष्य में -व और लिंग का प्रायः अभाव । अ का उच्चारण हिन्दी के पूरब से ही गोल होता-होता बंगाली में जाकर ओ हो गया है ।

उड़िया—उड़ीसा प्रांत की भाषा है । इसका एक शिलालेख १२६६ ई० का मिला है । साहित्य कोई चार सौ साल पुराना है ।

बिहारी—तीन (मैथिली मगही भोजपुरी) बोलियों का समूह है । ये बिहार प्रांत में बोली जाती हैं और भोजपुरी संयुक्त प्रांत की गोरखपुर और बनारस कमिश्नरी में भी ।

मैथिली में अञ्जा झासा साहित्य है और प्राचीन साहित्य की दृष्टि से इसका महत्त्व किसी भी अन्य आधुनिक भाषा से कम नहीं। विद्यारति की कृतियाँ उल्लेखनीय हैं।

असामी—असाम प्रात की भाषा है, इसका भी साहित्यपुराना है, कोई ६०० वर्ष तक का। शंकरदेव का नाम उल्लेखनीय है। इधर असाम प्रात को स्वतंत्र सत्ता मिल गई है इसलिये आसामी का उद्धार हो रहा है। अभी तक वह बंगाली के बोझ से दबी थी।

बंगाली—बंगाल प्रान्त की भाषा है। साहित्यिक भाषा को साधुभाषा कहते हैं। इसमें संस्कृत के शब्दों की प्रचुरता है। पर उच्चारण अपना निजी है। इस कारण लिखित शब्द और बोले हुए शब्द में बहुत अन्तर पड़ गया है (जैसे लक्ष्मी—लोक्खी)। साहित्य की दृष्टि से बंगाली समस्त आधुनिक भाषाओं में सर्वोन्नत है। पुराने साहित्य में चडीदास और वर्तमान में रवीन्द्रनाथ ठक्कुर उल्लेखनीय हैं।

हिन्दी—भाषाविज्ञानी इस शब्द को एक अर्थ में इस्तेमाल करते हैं, साहित्यिक दूसरे में। यह बिहार, संयुक्त प्रान्त, हिन्दी मध्यप्रान्त, मध्य भारत, हिमालय के पहाड़ी प्रान्त तथा पंजाब की साहित्यिक भाषा है और इस प्रकार १५ करोड़ जनता की उच्च भावनाओं के व्यक्तीकरण का साधन है। गठन की दृष्टि से इसकी दो उपशाखाएँ हैं, पच्छिमी और पूर्वी। पच्छिमी के अन्तर्गत बाँगढ़ू, हिन्दुस्तानी, बुंदेली और ब्रज ये चार बोलियाँ हैं, और पूर्वी के अन्तर्गत दो, अवधी और छत्तीसगढ़ी। ब्रज और अवधी में उच्चकोटि का पुराना साहित्य है। ब्रज में सुरदास और अवधी में तुलसीदास अमर हैं। कबीर अद्वितीय हैं। हिन्दुस्तानी के दो साहित्यिक रूप हैं, हिन्दी (खड़ी बोली) और उर्दू। उर्दू की लिपि अरबी का एक संशोधित रूप है, हिन्दी की देवनागरी जिसका विकास ब्राह्मी लिपि से स्पष्ट है। उर्दू में अरबी, फ़ारसी आदि (एशियाई) विदेशी शब्दों की प्रचुरता है, हिन्दी में देशी शब्दों की। उर्दू संस्कृत के तत्सम शब्दों का वहिष्कार किए हुए हैं, हिन्दी उनको हृदय से लगाए हुए है। उर्दू का छन्द और साहित्यिक भावना विदेशी हैं, फ़ारसी की जूठन, हिन्दी की स्वदेशी।

राजस्थानी में कई बोलियाँ हैं जिनमें मारवाड़ी और मेवाड़ी प्रमुख हैं। ये राज-पूताना और मध्य भारत में बोली जाती हैं। चारण साहित्य अञ्छा है। इन बोलियों में ण ङ ध्वनियों का विशेष स्थान है, और दो स्वरों के बीच की ल का उच्चारण ङ होता है। इसी तरह मराठी और गुजराती में भी ङ है।

गुजराती—गुजरात, काठियावाड़ तथा कच्छ की भाषा है। गठन में राजस्थानी और पच्छिमी हिन्दी से बहुत मिलती है, मराठी से कम। हिन्दी के ऐ औ की जगह

यहाँ ए ओ मिलते हैं जो हिन्दी के ए ओ से ज़रा अधिक विद्युत हैं। गुजराती का त्रिकास नागर अपभ्रंश से स्पष्ट है। साहित्य अच्छा ज़ासा है। पुराने साहित्य में नर-सिंह मेहता उल्लेखनीय हैं।

पंजाबी—पंजाब प्रान्त की भाषा है। साहित्य पुराना नहीं, है पर अब पंजाबीपन की भावना से उन्नति करने लगा है। सिक्खों का 'ग्रन्थ साहब' प्रसिद्ध है।

भोज्जी—इसकी बोलियाँ राजपूताना, मध्य भारत, खानदेश आदि में रहनेवाली कुछ जंगली जातियों की हैं। इनमें कोई साहित्य नहीं।

पहाड़ी—हिमालय के निचले भाग में बोली जाती है। इसमें तीन बोली-समूह अन्तर्गत हैं मध्य (७ हजार), पूर्वी (४ ला० १३ ह०), पच्छिमी (२३ ला० २६ ह०)। पच्छिमी बोलियाँ पच्छिम में शिमला पहाड़ी तक बोली जाती हैं। मध्य में गढ़वाली और कुमाउनी हैं। कुमाउनी में थोड़ा सा साहित्य है। पूर्वी बोली नेपाली है। इसे खशकुरा या गोर्खाली भी कहते हैं। इसमें इधर सौ साल में कुछ साहित्य हो गया है। नैपाल की यही राजभाषा भी है।

हबड़ी—भारत से कुछ जातियाँ ईसवी सन् के सौ-दो-सौ बरस पहले या बाद को यहाँ से पच्छिम की ओर चल पड़ीं। ये लोग ईरान, आर्मीनिया, सीरिया, ग्रीस आदि सभी यूरोपीय देशों में, पच्छिम में वेल्ज़ तक पाए जाते हैं। इनकी भाषा की गठन भारतीय आर्य है, यद्यपि शब्दावली में अन्य भाषाओं में से बहुतेरे शब्द आ गए हैं। सैम्सन ने वेल्ज़ के इन लोगों की बोली का अच्छा अध्ययन किया है। इसमें संस्कृत के सघोष महाप्राण वर्णों की जगह अघोष मिलते हैं (घ ध भ की जगह ख थ फ)। जिप्सी लोग अपना अस्तित्व अलग ही रख सके हैं। इनका पेशा हाथ देखना और छोटी-मोटी चीज़ें बेचना है। वेल्ज़ के जिप्सी रोमानी कहलाते हैं। यह शब्द हिन्दी के डोम शब्द से सम्बद्ध है।

सिंहली—सिंहलद्वीप की, विशेषकर दक्खिनी भाग की भाषा है। यह भारत से ईसवी सन के पूर्व किसी समय, शायद सौ दो सौ बरस पूर्व, गई। इसमें महाप्राण वर्ण अल्पप्राण हो गए हैं। इसमें श ष स की जगह स है, सो भी ह में विकसित हो रहा है। अनुमान है कि सिंहली किसी पच्छिमी प्रांत (गुजरात काठियावाड़) से सिंहल गई। इसके दो एक लक्ष्य मराठी से मिलते हैं। सिंहली के आदिरूप को एल्लु कहते हैं। सिंहलद्वीप से भाषा मालद्वीप भी गई।

भारत में इस प्रकार कई भाषाएँ बोली जाती हैं। अंतर्प्रान्तीय व्यवहार के लिए अभी तक अँगरेज़ी इस्तेमाल होती रही है। पर स्वतंत्रता की मात्रा प्राप्त करते ही भारत अब अँगरेज़ी से ऊब उठा है। प्रांतीय भाषाएँ अपने-अपने प्रांत में अपना

स्वभावसिद्ध अधिकार प्राप्त कर रही हैं। इसमें बाधा उठती है, कुछ तो अँगरेज़ी राज्य के भग्नावशेष की ओर से और कुछ प्रांतों की सीमाएँ भाषाओं की सीमाओं से भिन्न होने के कारण। पर विश्वास है कि निकट भविष्य में ये बाधाएँ दूर हो सकेंगी। सभी प्रांतीय साहित्यिक भाषाओं की ओर से इस बात का उद्योग हो रहा है कि पारिभाषिक शब्दावली तैयार करके, विदेशी माध्यम (अँगरेज़ी) को तिलांजलि देकर स्वदेशी भाषा को शिक्षा की सर्वोच्च श्रेणी तक माध्यम बनाया जाय। अंतर्प्रान्तीय व्यवहार के लिए हिंदी का स्थान निश्चित और सर्वसम्मत है। पर इसका कौन-सा रूप ग्रहण किया जायगा, यह निश्चित नहीं हो पाया। कांग्रेस ने हिंदी-उर्दू के बीच का रास्ता (हिंदु-स्तानी) निकालने का उद्योग किया पर यह आगे न बढ़ पाया। सिंध, पश्चिमोत्तर प्रदेश, पंजाब कश्मीर और संयुक्त प्रान्त के थोड़े से पच्छिमी भाग की जनता को उर्दू के निकट का कोई रूप सुभीते का रहेगा और भारत के समस्त शेष भाग को साहित्यिक हिन्दी के निकट का। उर्दू के साथ उर्दू लिपि और हिन्दी के साथ देवनागरी चलती है और यह लिपि का सवाल भाषा की समस्या से अधिक टेढ़ा है। भारत की स्वतन्त्रता ही इन समस्याओं को सुनझा सकेगी।

चौबीसवां अध्याय

वाक्य-विचार

हम बहुधा कहते हैं कि भाषा वाक्यों का समूह है और वाक्य पदों का। पद के बारे में विचार करते समय हम देख चुके हैं कि वाक्य का पदों में विभाजन करना व्याकरणकार का काम है, बहुधा अशिक्षित आदमी अपने वाक्य के विभिन्न पदों को अलग अलग नहीं रख पाता। तब भी इतना निश्चय है कि मनुष्य के अन्तःकरण में पदों की अलग अलग स्थिति है, अन्यथा एक ही मनुष्य एक शब्द में विभिन्न सम्बन्ध-तत्त्व लगाकर पदों की सिद्धि न कर पाता। माना कि भाषा के स्पष्ट बाहरी रूप में पदों की अलग-अलग स्थिति नहीं है, मनुष्य पदों के समूह (वाक्य) को तो समष्टिरूप से बोलता है। लेकिन क्या अशिक्षित मनुष्य व्याकरणकार की तरह अपने वाक्यों को अलग-अलग रख सकता है? क्या वह इस बात को समझता है कि बोलते समय 'वाक्य' उसके वक्तव्य का अवयव है?

वाक्य सचमुच है क्या? बातचीत करते समय दो आदमी अलग-अलग अपने-अपने मुँह से कुछ ध्वनियों का उच्चारण करते हैं। ये ध्वनियाँ समष्टिरूप से उनके विचार की प्रतिनिधि हैं। जब एक बोलता होता है, तब दूसरा अधिकतर सुनता रहता है और जब वह बोलता है तब पहला सुनता है। पर यदि बात विवादास्पद होती है, और विचार ठंडे दिल से नहीं हो पाता तब, जब एक बोल रहा होता है, तभी दूसरा बीच में बोल उठता है, या कोई बात पूछ बैठता है। ऐसी दशा में पहला अपने वक्तव्य की धारा को बीच में रोककर, इस नई आई हुई बाधा या प्रश्न का मुकाबला करता है, या अनुनय-विनय से अथवा ज़बर्दस्ती बाधक को चुप करके अपनी बात पूरी करता है। इस तरह यह वक्तव्य या बात ही एक सम्पूर्ण अवयव है। यह वक्तव्य व्याकरणकार का एक वाक्य हो सकता है अथवा उसके कई वाक्य। जब आदमी बातचीत नहीं करता, केवल कोई वर्णन करता है या कोई कहानी कहता है तब भी उसकी बात या वक्तव्य में व्याकरणकार के बहुतेरे वाक्य रहते हैं। लेखक यही बात लेख द्वारा प्रकट करता है। अपेक्षा-दृष्टि से बातचीत की 'बात' का परिमाण छोटा और वर्णन तथा कहानी वाली 'ज्ञात' का बड़ा होता है। इस तरह भाषाविज्ञानी की दृष्टि से देखा जायतो यह 'बात' या 'वक्तव्य' ही भाषा का अवयव है,

व्याकरणकार का 'वाक्य' नहीं ।

सवाल उठता है कि क्या यह बात स्वयं सम्पूर्ण होती है ? उत्तर में हमें मानना पड़ेगा कि यदि तात्विक दृष्टि से देखा जाय तो वह सम्पूर्ण नहीं कही जा सकती । उसका, वाच्य पुरुष की पूर्वापर बातों से तथा वक्ता की भी पूर्वापर बातों से संबंध रहता है । इन सब का समष्टिरूप से विचार करने पर ही अर्थ स्पष्ट होता है । इसी तरह लेख के एक पैरा का अन्य पूर्ववर्ती और परवर्ती पैराओं से और अध्याय का अन्य अध्यायों से संबंध रहता है । प्रायः किसी पुस्तक को पढ़कर हमारे मस्तिष्क में उसका भाव समष्टिरूप से दो एक वाक्यों में रहता है । 'भाषाविज्ञान' की पुस्तक पढ़ जाने पर हमारे दिमाग में केवल यह भावना रह जाती है कि विषय का प्रतिपादन स्पष्ट हुआ है या नहीं । उसमें यदि कोई महत्वपूर्ण और अतिरोचक विवेचन होगा तो उसकी रेखा स्पष्ट रह जायगी, अन्य सब भूला हुआ अनुद्बोधित अवस्था में पड़ा रहेगा । काम पढ़ने पर बहुत संभव है कि कुछ बातों का उद्बोध हो सके, अन्यथा सम्पूर्ण पुस्तक ही का 'विषय' अति संक्षिप्त अवस्था में उपस्थित रहेगा । इस प्रकार हमारी विचारधारा की 'बात' एक छोटा अवयव मात्र है, उस वृहत्तर विचारधारा का जो हमारी दिन प्रति दिन की क्रिया है ।

मनोविज्ञानी विद्वान कहते हैं कि जब प्रातःकाल हम जगते हैं उस समय से लेकर नींद प्रारंभ होने तक हमारी मन की क्रिया एक अविच्छिन्न धारा में बढ़ती चलती है । विविध विचार उस धारा में तरंगों के समान हैं, उसी से उठते हैं उसी में विलीन हो जाते हैं । यदि कोई बात अकस्मात् हो गई जिसने उथल-पथल मचा दी तो वह उस तरंग की तरह है जो धारा में किसी चीज़ के इधर-उधर से गिर पड़ने के कारण ऊँची उठ जाती है । अपनी नित्यप्रति की क्रियाओं को करते समय हमें तत्कालीन तरंग का ही ध्यान रहता है, अन्य तरंगे भूली रहती हैं । और यदि कोई पूर्वकाल की सुखदायक तरंग है तो उसको हम बार-बार उद्बोधित करके (मानसिक) सुख लूटते रहने का व्यसन डाल लेते हैं और यदि कोई प्रबल तरंग दुःखदायक है और बार-बार विचारधारा में आ जाती है तो उसको बलात् हटा देने की कोशिश करते हैं और निर्वृत्त मनवाले उसको हटाने की मदद के लिए मादक वस्तुओं का सेवन करने लगते हैं । मनोविज्ञानियों का दावा तो यहाँ तक है कि हम जग कर विचारधारा को उसी जगह से पकड़ लेते हैं जहाँ उसे पिछली रात को निद्रा के पूर्व छोड़ा था । इसी लिए आत्मिक उन्नति की ओर अग्रसर करनेवाले साधु महात्मा यह उपदेश देते हैं कि सोने के पूर्व और जगने के तुरन्त बाद परमेश्वर का ध्यान और उसके नाम का जप करना चाहिए और स्वाध्याय में चित्त लगाना चाहिए ।

इस तरह यह निश्चय होता है कि हमारी अटूट विचारधारा में हमारी 'बात' या 'वक्तव्य' एक तरंग मात्र है, केवल एक अवयव। लिखित भाषा में इस अवयव का विश्लेषण बड़ी आसानी से किया जा सकता है। बातचीतवाली 'बात' में भी आसानी से, पर लेख की अपेक्षा कम। परन्तु मौन विचार की बात का विश्लेषण ज़रा कठिन काम है। तब भी अभ्यास करने से यह काम थोड़ी बहुत सफलता से हो सकता है। सफल व्याख्याता इस अभ्यास का आदी हो जाता है।

व्याकरणकार 'वाक्य' को सम्पूर्ण अवयव मानते हैं, पर ऊपर के विवेचन से हमको स्पष्ट यह मालूम पड़ गया कि वाक्य तो मनुष्य की 'बात' या 'वक्तव्य' का अंशमात्र है। और जब तात्विक दृष्टि से 'बात' ही सम्पूर्ण नहीं, वह विचारधारा की तरंग मात्र है, तब वाक्य क्या सम्पूर्ण होगा? और व्याकरणकार वाक्य का विचार अलग-अलग स्थिति रखने वाले पदों की समष्टि या संग्रह के रूप में करता है। वह वाक्य को सेना के स्काड के रूप में सोचता है जिसमें प्रत्येक सिपाही लाकर अपनी-अपनी जगह खड़ा कर दिया जाता है। पर वास्तविक बात है इसकी उल्टी। हम स्काड की स्थिति तात्विक पाते हैं और इन सिपाहियों की अपेक्षाकृत काल्पनिक। और कम्पनी की स्थिति स्काड की अपेक्षा अधिक वास्तविक है। इस रूपक को ऊपर बाँधते-बाँधते हम सम्पूर्ण सेना तक पहुँचते हैं जो हमारी विचारधारा का प्रतिरूप है।

हमारी यह विचारधारा कोई स्वतन्त्र सत्ता की चीज़ नहीं। इस पर हमारे सम्पर्क में आए हुए अन्य प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष मनुष्यों की विचारधाराओं का असर पड़ता है, और हमारी विचारधारा का अन्य प्रत्यक्ष मनुष्यों की विचारधाराओं पर। इस प्रकार हमारी विचारधारा स्वयं एक वृहत्तर विचारधारा का अवयव मात्र है। विचार की शक्ति तौलनेवाले विद्वान और ऋषि तो विचारधारा के प्रभाव को बहुत दूर तक पहुँचाते हैं। योगदर्शन के अनुसार अहिंसा की प्रतिष्ठा में वैरनिरोध अवश्य होता है। बुद्ध भगवान की मेत्ता (मैत्री) का प्रभाव अंगुलिमाल आदि डाकुओं पर ही सीमित नहीं था नालागिरि ऐसे प्रचंड हाथी पर भी हुआ था। ब्रह्मर्षियों के आश्रमों में सिद्धों के अर्द्धि हो जाने के बहुत से उदाहरण आर्य साहित्य में मिलते हैं, जिनको काल्पनिक कथानक कहकर सर्वथा नहीं टाला जा सकता। सच्चे धार्मिक मनुष्य को विचारधारा के अप्रत्यक्ष प्रभाव में भी विश्वास होता है, अन्यथा दूसरों के लिए की गई प्रार्थना, पूजा और जप का कोई मूल्य नहीं। और जब थोड़े-से ही अभ्यास से मेस्मरिज़म जाननेवाला आदमी दूसरों के विचारों तक पहुँच सकता है, तब विचार की अपरंपार शक्तिकी सहसा अवहेलना नहीं की जा सकती। इस प्रकार यह सिद्ध होता है कि विचार की केवल एक धारा है जिसके अवयवरूप ही व्यक्तियों की विचार-

घातों हैं। जिस प्रकार भूत-विज्ञान की आधुनिक दृष्टि सम्बन्धित्ववाद के पक्ष में है और प्रत्येक भूत का अन्यों पर वास्तविक प्रभाव बतलाती है उसी प्रकार विचार के बारे में भी ज्ञान रखना चाहिए।

इस प्रकार व्यापक दृष्टि से देखने से पता चलता है कि जब हम वाक्य को सम्पूर्ण कहते हैं तब सम्पूर्णता की विडम्बना ही करते हैं। हमारा यह कहना उसी प्रकार का है जिस प्रकार रसिक सहृदय प्रियतमा की आँख की रमणीयता में मस्त होकर उस प्रेम को सत्ता के बाँकी के अंग भूल बैठता है; या मेडिकल कालेज के चौरफाड़ के ढाल में पड़ी हुई लाश में से एक अंग को लेकर विद्यार्थी उसी के विश्लेषण की धुन में मस्त हो जाता है। हमारी भाषा हमारी विचारधारा का प्रतिरूप है और वाक्य उसका बहुत छोटा अंश है, बहुत ज़रा सा, जैसे धारा में एक बूँद।

व्याकरणकार या भाषा-विज्ञानी जब इस वाक्य को लेकर अध्ययन के लिए उसका विश्लेषण करने बैठता है तब वह सम्पूर्ण स्थिति के एक अवयव का ही अध्ययन करने बैठता है। और उस अध्ययन के द्वारा, यदि उसकी दृष्टि में व्यापकता और अनुपात का प्रमेय परिज्ञान है तो, उसे अवश्य भाषा के तत्त्वों का ज्ञान हो जायगा; उसी प्रकार जैसे बूँद की वास्तविकता जान लेने से जल का, पीपल की गदिया में से निकाले हुए एक बीज के ज्ञान से वृक्ष का अथवा नमकीन पानी के एक बूँद के चखने से नमक का।

वाक्य हमारी बात या वक्तव्य का अवयव है। एक वाक्य को हमेशा अन्य वाक्यों की परिस्थिति में देखना चाहिए। बोलचाल में बहुधा सभी भाषाओं में छोटे-छोटे वाक्य होते हैं। लिखित भाषा में अपेक्षाकृत बड़े-बड़े वाक्य होते हैं। बोल-चाल में कभी-कभी वाक्य एक ही शब्द का होता है, जैसे बातचीत में लगे हुए पात्रों से मास्टर कह पड़ता है 'पढ़ो'। पर व्याकरणकार की दृष्टि से यह वाक्य एक शब्द का नहीं है। प्रकरण के अनुकूल इसमें बहुत सी बातें ऐसी अन्तर्हित हैं जो शब्दों में प्रकट नहीं हुईं तब भी बोलनेवाला और वाच्यपुरुष सभी समझ गए। इसी प्रकार रसोई में खाते हुए बालक ने यदि केवल 'नमक' कहा तो माँ ने यही नहीं किया कि उसको नमक दे दिया बल्कि उसे यह भी ज्ञान हो गया कि किसी चीज़ में या तो उसने नमक डाला नहीं या कम डाल गई। यह सारा प्रकरण शब्दों से ही प्रकट हो यह ज़रूरी नहीं। हंगित और आकार द्वारा अधिकांश ज़ाहिर हो जाता है। अशिक्षित मनुष्य की वर्णनशैली और शिक्षित की वर्णनशैली में विशेष अन्तर हो जाता है। शिक्षित आदमी लिखित भाषा से प्रभावित होकर बड़े-बड़े वाक्य बोलता है, अशिक्षित छोटे-छोटे और स्वाभाविक। उदाहरणार्थ अवधी की गुलगुलावाली कथा का यह अंश ले—

एक राजा रहइँ अउ महतारी रहइ अउ दुलहिन रहइ । महतारी रोज़ छुपन पर्काल के भोजन बनावइ अउ अपना खाइ अउ अपने लड़िक क खवावइ । दुलहिन खातिर एक बेम्हरि कि रोटी सेंकइ । आधी रोटी अउ लोनू सबेरे देइ अउ आधी संभ्र क ।

इसी का लिखित भाषा में रूपान्तर कुछ-कुछ इस ढंग का होगा—

एक राजा अपनी माँ और स्त्री के साथ कहीं रहता था । उसकी माँ रोज़ छुपन प्रकार का भोजन बनाती, स्वयं खाती और अपने लड़के को खिलाती मगर दुलहिन को खातिर बेम्हरे की एक रोटी सेंकती । उसमें से आधी रोटी नमक के साथ सबेरे देती, बाकी आधी सन्ध्या को ।

इन दो अंशों का परस्पर अन्तर स्पष्ट है । लिखित भाषा का पहला वाक्य ग्यारह शब्दों का है, बोलचाल की भाषा में इसकी जगह तीन छोटे-छोटे वाक्य हैं, दो-दो तीन तीन पदों के ; व्याकरणकार के शब्दों में केवल कर्ता और क्रिया के । यह वाक्य आपस में समुच्चय-बोधक अउ से जुड़े हुए हैं । लिखित भाषा में समुच्चय बोधक पदों का इतना व्यवहार नहीं है । लिखित भाषा में एक वाक्य का दूसरे से सम्बन्ध भी बार-बार सर्वनामपद (उसकी, उसमें) ला-लाकर जतलाया जाता है, बोलचाल में इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती । बड़े-बड़े वाक्य भाषा के लिए स्वाभाविक नहीं हैं ।

वाक्य में सामान्य रूप से दो अंश माने जाते हैं, उद्देश्य और विधेय । हर वाक्य में पूर्ववर्ती वाक्य का कुछ न कुछ अंश दुहराया जाता है और कुछ नया होता है । यही नया अंश अगले वाक्य का दुहराया हुआ अंश हो जाता है और अन्य नया अंश उसके साथ आ जाता है । इस प्रकार वाक्य-परम्परा चलती रहती है । इस कथन का उदाहरण व्याकरण से नितान्त अनभिज्ञ लोगों से बात करने से मिल जायगा । उदाहरणार्थ यह अवतरण देखें—

भाई, एक थे राजा । वह राजा रोज़ सबेरे उठें । उठें तो रोज़ देखें एक सोने का महल । महल देखकर खुशी से फूल उठें । खुश होकर बुलवावें गरीब अनाथों, विधवाओं और ब्राह्मणों को । बुलवाकर महल के डकड़े कर-करके बाँट दें उनको ।

आज जब हम लिखित भाषा से इतने परिचित हो गए हैं कि स्वाभाविक भाषा को भूल-सा बैठे हैं, तब ऊपर दिया हुआ उदाहरण या इसी प्रकार के अन्य अवतरण अटपटे और कृत्रिम से लगेंगे । पर यदि कभी शाम को आपस में क्रिस्से-कहानी कहते हुए अपने ही नौकर-चाकरों को सुने तो मालूम होगा कि उनकी शैली से हम कितनी दूर जा पड़े हैं । पढ़े-लिखे आदमी का दिमाग इतना शिक्षित हो गया

है कि उसे बार-बार दुहराए हुए अंशों की ज़रूरत नहीं। ज़रूरत तो दूर उस पर ये अंश भारी गुज़रते हैं। पर अशिक्षित मनुष्य के लिए इसकी बराबर ज़रूरत रहती है। इसी लिए गाँव में जाकर शहर का जेंटिलमैन चुनाव की स्पीच जब अपनी स्टैंडर्ड शैली में देकर समझने लगता है कि मैंने बाज़ी मार ली तो वह भूल करता है। उसकी जनता अधिकांश भौचक्की-सी बैठती रह जाती है और बाद को गाँव के नेता जब स्पीच का भावार्थ शाम को अलाव पर बैठकर उसकी 'भाषा' में समझाते हैं तब उस भोली-भाली जनता की समझ में कुछ आता है।

उद्देश्य अधिकतर संज्ञा (कर्ता) के रूप में माना जाता है और विधेय क्रिया के रूप में। यह विभाग हमारी आधुनिक आर्य-भाषाओं के अनुकूल है। पर यह अन्य परिवारों की भाषाओं पर सर्वथा लागू नहीं है। विशेषकर ऐसी भाषाओं पर जहाँ संज्ञा, क्रिया आदि १८-विभाग ही नहीं, वहाँ उद्देश्य विधेय के लक्षण ढूँढ़ना असंगत होगा। वहाँ उद्देश्य विधेय केवल दुहराए हुए अंशों और नए आए हुए अंशों के रूप में अवश्य उपस्थित रहते हैं।

वाक्य का एक लक्षण यह भी बताया जाता है कि बहुधा वाक्य को हम एक साँस में बोल जाते हैं। यह लक्षण भी केवल बोलचाल के छोटे-छोटे वाक्यों पर ही घटित हो सकता है, साहित्यिक भाषा के वाक्यों पर नहीं। सामान्य रूप से तीन सेकण्ड तक आदमी बिना गहरी साँस लिए बोल सकता है। पर यह कौशल हम प्लैटफार्म पर बोलते समय ही दिखाते हैं। अन्यथा यदि वाक्य बड़ा हुआ तो चार-पाँच शब्दों के बाद साँस ले लेते हैं। इस प्रकार साँस वाला लक्षण केवल बोलचाल के वाक्यों पर ही लगता है। बोलते समय हमारे मस्तिष्क को भी सावधान रहना पड़ता है। कभी-कभी हम सभी ने अनुभव किया होगा कि हम कई वाक्य पढ़ जाते हैं पर अर्थ का कुछ बोध नहीं होता। ऐसी दशा में अवश्य ही हमारा अवधान पढ़ी हुई चीज़ पर न था, था कहीं और। यह अवधान भी अभ्यास की चीज़ है। साधारण मनुष्य को, विशेषकर मेहनत मज़दूरी करके जीविका उपार्जन करनेवाले को, इसका अभ्यास नहीं। इस कारण से भी बड़े बड़े वाक्य उसकी समझ में नहीं आते।

वाक्य में पदक्रम अलग-अलग भाषाओं का अलग-अलग होता है। उदाहरणार्थ अँगरेज़ी में कर्म का क्रिया के बाद स्थान है, हिन्दी में क्रिया के पूर्व। दोनों भाषाओं में कर्ता का स्थान सर्वप्रथम समझा जाता है पर यदि हम बोलचाल की अँगरेज़ी या हिन्दी का परीक्षण करें तो हमें इस नियम के बहुतेरे अपवाद मिलेंगे। इसी प्रकार समस्त पदों के अंशभूत पदों का क्रम भी हर भाषा की परम्परा के अनुकूल भिन्न-भिन्न होता है। जितना ही भाषा अयोग्यवस्था की होगी उतना ही उसमें पदक्रम का

महत्त्व होगा ।

हमारे देश में प्राचीन तत्वविदों ने जाति, गुण, क्रिया, द्रव्य में शब्दों का विभाग किया था, और व्याकरणकारों ने संज्ञा, सर्वनाम, कृदन्त, तद्धित और अव्यय में । इसी प्रकार ग्रीस के प्राचीन तत्ववेत्ता अरस्तू ने भाषा के चार विभाग माने थे— संज्ञा, विशेषण, क्रिया और अव्यय । बाद को अवान्तर भेद होते-होते ये चार, दस भागों में परिणत हो गए । इनका विचार ऊपर पदव्याख्या का विवेचन करते समय किया गया है और यह बतलाया गया है कि यह वर्गीकरण किसी भी अर्थ में भाषा के लिए मौलिक नहीं कहा जा सकता । सारांश यह कि हम इसी परिणाम पर पहुँचते हैं कि वाक्य का कोई ऐसा विश्लेषण नहीं किया जा सकता जो संसार की सभी भाषाओं पर सर्वथा लागू हो सके । वह हमारी 'बात' का अंश है, और हमारी 'बात' हमारी भाषा का अवयव । हमारी भाषा हमारी विचारधारा की प्रतिनिधि है ही ।

पच्चीसवां अध्याय

उपसंहार

भाषाविज्ञान का इतिहास

भाषा के अध्ययन से हम इस नतीजे पर पहुँचे कि एक ओर प्रत्येक मनुष्य की भाषा, विज्ञान की दृष्टि से, दूसरे मनुष्य की भाषा से भिन्न है। साथ ही साथ हम पिछले अध्याय में इस तत्व को भी देख चुके हैं कि भाषा विचारधारा की वाह्यप्रतिनिधि है और यह विचारधारा अखंडस्वरूप है। इस प्रकार भाषा भी विश्व के मौलिक एकत्व और अनेकरूपत्व का उदाहरणस्वरूप है।

भाषाविज्ञान का अभिप्राय भाषा का विश्लेषण करके उसका दिग्दर्शन कराना है। मनुष्य भाषा का दर्शन प्राप्त करने की कोशिश जब से उसने होश सँभाला तभी से कर रहा है। इस कोशिश का इतिहास बड़ा मनोरंजक है। भाषा के विषय में सर्व-प्रथम विवेचन हमारे देश में हमारे स्वर्णयुग में हुआ, और इधर दो ढाई सौ बरस में विशेष रूप से यूरोप में किया गया है।

प्राचीन भारतीय अनुसन्धान

किसी भी जनसमुदाय में अपनी भाषा के वैज्ञानिक अध्ययन का सवाल भाषा-भेद के कारण उठता है। यह भाषाभेद आन्तरिक होता है या बाहरी, पहला बोली-विभेद के कारण, दूसरा विदेशी भाषाओं के सम्पर्क से। भारत में वैदिक मन्त्रों को अद्वितीय महत्त्व प्राप्त हुआ, वे दिव्यशक्ति के उपहार माने गए। उनको जैसे का तैसे याद रखना मानव-धर्म का परम कर्तव्य समझा गया। भारतीय धारणाशक्ति सदा प्रसिद्ध रही है। वैदिक द्विजों ने संहिताओं को कठस्थ करके स्थिर रक्खा। भाषा सर्वाङ्ग में विकसित होती रहती है। कालभेद और देशभेद के कारण कठस्थ मन्त्रों के उच्चारण में भेद पड़ जाना अवश्यभावी था। ऐसी परिस्थिति में मूल की रक्षा करने के उपाय सोचे गए।

इन उपायों में संहिताओं का पदपाठ सर्वप्रथम सफल प्रयास साबित हुआ। पदपाठ के द्वारा मन्त्रों का विभाग पदों में करना संभव हो पाया। पदपाठ की युक्ति शाक्य ऋषि की रची समझी जाती है।

ब्राह्मणकाल में संहिताओं का स्वाध्याय विभिन्न ऋषियों की परिषदों, चरणों

और शाखाओं में होता था। कितने ही लगन के द्विजों ने संसारी सुख का मोह छोड़ कर अपनी सारी शक्ति इस वैदिक स्वाध्याय में लगा दी। वेद (ब्रह्म) के स्वाध्याय के लिए नैष्ठिक ब्रह्मचर्यव्रत पालन किया गया। इसके फलस्वरूप वैदिक भाषा की यथातथ रक्षा हो सकी। पदपाठ के लिए यह आवश्यक था कि *संहिता (सन्धि)*, *समास* और उदात्त आदि स्वरों का व्यवहार ठीक से समझ लिया जाय। ब्राह्मण ग्रन्थों में जहाँ तहाँ शिक्षा (ध्वनि) और व्याकरण के सम्बन्ध के तत्त्व उदाहरणस्वरूप मिलते हैं। इनसे पता चलता है कि ई० पू० आठवीं-नवीं सदी में ही भारतीयों ने भाषा के शास्त्रीय अध्ययन में आश्चर्यजनक सफलता प्राप्त कर ली थी। विद्वानों का मत है कि इसी काल में विविध शिक्षा-ग्रन्थ बने। इनमें *वर्ण*, *स्वर*, *मात्रा*, *उच्चारण* और *संहिता* के नियमों का विवरण रहा होगा। कुछ समय बाद ही मूल प्रातिशाख्य बने। वर्तमान प्रातिशाख्य इन्हीं मूल प्रातिशाख्यों पर आश्रित हैं यद्यपि हैं पाणिनि के समय के इधर के। मूल प्रातिशाख्यों में पदों का (१) नाम, (२) आख्यात, (३) उपसर्ग, (४) निपात, यह चतुर्विभाग, कुछ संज्ञाओं के लक्षण तथा पद का थोड़ा बहुत विश्लेषण, किया गया होगा। यह सब काम यास्कमुनि के पहले हां चुका था।

निरुक्त के कर्ता यास्कमुनि का काल ई० पू० ८००-७०० माना जाता है। यास्क के सामने वेद के शब्दों की सूची, निघंटु नाम की, मौजूद थी। इस सूची में पाँच अध्याय हैं। निरुक्त इसी निघंटु की व्याख्या है। निरुक्तकार ने निघंटु के शब्दों को लेकर वैदिक संहिताओं के उद्धरण देते हुए शब्दों का अर्थ स्थापित करने का उद्योग किया है। अर्थविज्ञान के विषय का सार में यह सर्वप्रथम प्रयास है। यास्क-मुनि के समय तक भाषाविज्ञान सम्बन्धी अन्वेषण इस देश में काफी आगे बढ़ चुका था, इसका इसी बात से यथेष्ट प्रमाण मिलता है कि यास्क ने बहुतेरे (आप्रायण, ऐतिहासिक, नैरुक्त, वय्याकरण आदि) पक्षों और गार्ग्य, गालव, शाकटायन, शाकल्य आदि पूर्ववर्ती या समकालीन आचार्यों का उल्लेख किया है और उनके मत को उद्धृत किया है। पदों के चतुर्विभाग के अलावा निरुक्तकार संज्ञा और क्रिया के तथा कृदन्त और तद्धित आदि के प्रत्यय-भेदों से भी कुछ न कुछ परिचित थे। भाषाविज्ञान के लिए निरुक्तकार की यह देन है कि प्रत्येक संज्ञा (नाम) की व्युत्पत्ति किसी न किसी धातु से है। अन्य विद्वानों के मत का खंडन करके उन्होंने अपने मत का सर्वथा पोषण किया है।

यास्क के बाद और पाणिनि के पूर्व बहुत से वय्याकरण रहे होंगे। पाणिनि ने प्रथमा, द्वितीया आदि *विभक्ति नामों* का तथा, *बहुव्रीहि*, *कृत*, *तद्धित* आदि संज्ञाओं का प्रयोग बिना इनका अर्थ बताए हुए किया है जिससे स्पष्ट है कि उनके समय तक

ये संज्ञाएँ सुपरिचित हो चुकी थीं और बहुतेरे व्याकरणकार पदविज्ञान को आगे बढ़ा चुके थे। इनमें से आपिशलि और काशकृष्ण दो का उल्लेख मिलता है। पाणिनि के पूर्व के व्याकरणों में इन्द्र का नाम सर्वप्रथम उल्लेखनीय है। तैत्तिरीय संहिता (७-४-७) के अनुसार यही पहले व्याकरण सिद्ध होते हैं—

वाग्वै पराच्यव्याकृताऽवद्त् । ते देवा इन्द्रमब्रुवन्निमां नो वाचं व्याकुर्विति । तामिन्द्रो मध्यतोऽवक्रम्य व्याकरोत् ।

व्याकरणों का ऐन्द्रसम्प्रदाय पाणिनि के पूर्व से आरंभ होकर उनके बाद भी चलता रहा। वर्तमान प्रातिशाख्य इसी सम्प्रदाय के हैं। कात्यायन भी इसी के थे। ऐन्द्रसम्प्रदाय की परिभाषाएँ सरल और सुबोध थीं।

पाणिनि की अष्टाध्यायी में पूर्ववर्ती व्याकरणों के सकल कार्य का सार समन्वित है। इन्होंने स्वयं उदीच्य और प्राच्य संप्रदायों का तथा आपिशलि, काश्यप, गार्ग्य आदि दस व्याकरणों का उल्लेख किया है।

पाणिनि मुनि के जीवन के बारे में कुछ पता नहीं। कहा जाता है कि यह शालातुर (अटक के निकट) के निवासी उदीच्य ब्राह्मण थे। इनकी माँ का नाम दाक्षी था। यदि पंचतन्त्र की गवाही मानी जाय तो इनका देहान्त एक सिंह के द्वारा हुआ। कथासरित्सागर के अनुसार इनके गुरु उपाध्यायवर्ष और सहपाठी कात्यायन, व्याडि और इन्द्रदत्त थे। इन्होंने घोर तपस्या करके चौदह माहेश्वर सूत्रों की प्राप्ति की। अँगरेज़ विद्वान इनका काल ई० पू० चौथी सदी में और जर्मन तथा भारतीय मनीषी ई० पू० ५०० से पूर्व छठी या सातवीं शताब्दी में मानते हैं।

पाणिनि की रचना अष्टाध्यायी है। हर अध्याय में चार पाद हैं। कुल सूत्रों की संख्या करीब चार हज़ार के है। अष्टाध्यायी की विशेषता संक्षेप है। इन चार हज़ार सूत्रों में सारी भाषा को ऐसा जकड़ दिया है कि मीन-मेष करना असंभव है। यह प्रत्याहारों के कारण ही संभव हो सका। इसके अलावा संक्षेप के लिए पाणिनि ने अनुबन्ध, गण, घ, लुक्, श्लु आदि संज्ञा, अनुवृत्ति तथा प्रचलित गुण, वृद्धि आदि परिभाषाओं का भी सहारा लिया। अष्टाध्यायी के अलावा उसके सहायक ग्रन्थों में से धातुपाठ, गणपाठ और उणादिसूत्र का अधिकांश भाग पाणिनि का ही रचा माना जाता है।

भाषाविज्ञान के लिए पाणिनि की छाप अमिट है। माहेश्वर सूत्रों में ध्वनियों का, स्थान और प्रयत्न के अनुसार, वर्गीकरण ध्वनिविज्ञान के तत्त्वज्ञान का उत्तम उदाहरण है। प्रति शब्द किसी न किसी धातु से सम्बद्ध है इस मत की पुष्कल पुष्टि पाणिनि ने न केवल अष्टाध्यायी के सूत्रों से बल्कि उणादिसूत्रों से की। पर सब से

महत्त्व का काम वैदिक (छन्दस्) और लौकिक संस्कृत का तुलनात्मक विवेचन है । यूरोप में जो काम ईसवी १६वीं सदी में किया गया वही इस देश में ईसा पूर्व छठी सातवीं सदी में पाणिनि मुनि कर चुके थे । इस प्रकार पाणिनि ने ध्वनि-विज्ञान, अर्थ-विज्ञान और तुलनात्मक व्याकरण के अध्ययन को बहुत आगे बढ़ाया ।

वैदिकी प्रक्रिया के अध्ययन से यह बात स्पष्ट मालूम होती है कि पाणिनि के समय तक छन्दस् और भाषा दोनों के बीच काफी अन्तर पड़ गया था । छन्दस् में वैकल्पिक रूपों की बहुतायत थी और इसको प्रकट करने के लिए पाणिनि ने 'बहुलं छन्दसि' का बहुत जगह निर्देश किया है । छन्दस् की भाषा बराबर चली आ रही थी । वह अपौरुषेय समझी जाती थी । उसको छेड़ना असंभव था और कोई छेड़ भी सकता तो पाप का भागी होता । पाणिनि मुनि ने भाषा को ही पकड़ा और उसको ऐसा स्टैंडर्ड रूप दिया जो आज ढाई हजार वर्ष बाद भी स्टैंडर्ड माना जाता है । इतना सफल व्याकरणकार संसार में कहीं नहीं हुआ ।

पाणिनि के उपरान्त बहुत से व्याकरण हुए । उन सब में वार्तिककार कात्यायन का नाम विशेष उल्लेखनीय है । कथासरित्सागर इन्हें पाणिनि का सम-कालीन बताता है पर यह असंभव है । इनका समय ई० पू० ५००--३५० के बीच में पड़ता है । पतंजलि इन्हें दाक्षिणात्य बताते हैं और संभव है कि यह व्याकरणकारों की किसी भिन्न शाखा के रहे हों । इन्होंने पाणिनि के ढंग से ही सूत्रों में पाणिनि के मत की आलोचना की है । इनके सूत्रों को वार्तिक कहते हैं । इनमें कात्यायन ने पाणिनि के १५०० सूत्र एक-एक कर उठाए हैं और उनमें दोष दिखाकर शुद्ध नियम निर्धारित किए हैं । विद्वानों का विश्वास है कि इस शुद्धीकरण द्वारा वार्तिककार ने विशेष रूप से पाणिनि मुनि के समय से उनके समय तक (अर्थात् डेढ़ दो सौ वर्ष में) भाषा में जो परिवर्तन हो गए थे उन्हीं का समावेश किया है । इसलिए आलोचनात्मक होते हुए भी, वार्तिककार की कृति ने अष्टाध्यायी के अध्ययन के लिए सहायक ग्रन्थ का काम दिया ।

वाजसनेयी प्रातिशाख्य भी कात्यायन की बनाई समझी जाती है । इसमें छन्दस् (वैदिक) भाषा के नियम दिए हैं जो पाणिनि के सूत्रों के अधिकांश अनुकूल हैं और जहाँ भेद है वहाँ अधिक उपयुक्त ।

कात्यायन ने पाणिनि के ही पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग किया है पर जहाँ-तहाँ स्वर (अच्), व्यंजन (हल्), समानाच्चर (अक्), भवन्ती (लट्) आदि नए शब्द भी दिए हैं । इनके बाद और पतंजलि मुनि के पूर्व अन्य वार्तिककार भी हुए हैं । संभव है कि कोई कात्यायन के पूर्व भी हुए हों ।

पतंजलि ने अपने ग्रन्थ (महाभाष्य) में पुष्यमित्र, साकेत के अवरोध आदि समकालीन व्यक्तियों और घटनाओं का उल्लेख किया है जिससे उनके काल (ई० पू० दूसरी सदी) के निर्धारण में कोई कठिनाई नहीं पड़ती। इनका उद्देश्य कात्यायन आदि पूर्ववर्ती व्याकरणों द्वारा की गई पाणिनि के ग्रन्थ की आलोचना का बलपूर्ण खंडन करना है। विशेष रूप से इन्होंने कात्यायन के नियमों में दोष दिखाए हैं और पाणिनि के मत का मंडन किया है। इन्होंने जो नियम दिए हैं उन्हें इष्टि का नाम दिया है। महाभाष्य का महत्त्व संस्कृत भाषा के नियम निर्धारण में उतना नहीं है जितना भाषा के दार्शनिक विवेचन में। ध्वनि क्या है, वाक्य के कौन-कौन से भाग होते हैं, ध्वनि-समूह (शब्द) और अर्थ में क्या संबंध है इत्यादि महत्त्वपूर्ण विषयों पर पतंजलि ने बहुत सुन्दर विवेचन किया है। इनकी शैली बड़ी ललित और हेतुपूर्ण है और सारे संस्कृत वाङ्मय में शकराचार्य कृत शारीरकभाष्य को छोड़कर अपना सानी नहीं रखती।

पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि ये तीन ऋषि संस्कृत व्याकरण के मुनित्रय कहे जाते हैं। इनके बाद टीकाकारों का समय आता है। टीकाओं में वामन व जयादित्य की बनाई काशिका सब से प्रसिद्ध है। यह प्रायः ई० ७वीं सदी की समझी जाती है। काशिका पर की गई टीकाओं में जिनेन्द्रबुद्धि का न्यास और हरदत्त की पदमंजरी भी प्रसिद्ध ग्रन्थ हैं। परन्तु भाषा के दार्शनिक विवेचन और मूलतत्त्वों के स्थापन के लिए भर्तृहरि का वाक्यपदीय सबसे अधिक महत्त्व का है। इसमें तीन कांड हैं, ब्रह्म (आगम-कांड), वाक्यकांड और पद (प्रकीर्णकांड)। कव्यट ने इस तात्विक विवेचन को अपने ग्रन्थ, महाभाष्यप्रदीप, में और आगे बढ़ाया। इस प्रकार के व्याकरणों में प्रदीप के टीकाकार नागोजि (नागेश) भट्ट का भी उल्लेख कर देना उचित है। विवाहित होने पर भी यह अखंड ब्रह्मचारी रहे और अपने ग्रन्थों को ही अपनी सन्तान समझते रहे। इन्होंने अन्य शास्त्रों के अलावा व्याकरण के विषय पर ही कई ग्रन्थ लिखे। इनमें से प्रदीपोद्योत, व्याकरणसिद्धान्त मंजूषा और परिभाषेन्दुशेखर महत्त्वपूर्ण बताए जाते हैं। व०सि०मंजूषा भाषा के तात्विक विवेचन के लिए अद्वितीय ग्रन्थ है।

टीका सम्प्रदाय के बाद अष्टाध्यायी के सूत्रों पर ही आश्रित किन्तु उसके क्रम को हटाकर विषयानुकूल क्रम रखनेवाले कौमुदीकारों का समय आता है। इस समय तक व्याकरण का वाङ्मय इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि उसको पुराने क्रम से हृदयंगम करना असंभव-सा हो गया था। इसी लिए नवीन क्रम निर्धारित किया गया। इस प्रकार के ग्रन्थों में विमल सरस्वती कृत रूपमाला सबसे पहला ग्रन्थ समझा जाता है। इनका समय १३५० ई० के पूर्व का माना जाता है। इन्होंने प्रत्याहार, संज्ञा, परिभाषा, सन्धि,

सुबन्त, निपात, स्त्री-प्रत्यय, कारक, आख्यात, कृत् और तद्धित इस प्रकार विषयानुकूल क्रम रक्खा। पर इस प्रकार के ग्रन्थों में सर्वप्रचलित और सर्वमान्य भट्टोजिदीक्षित कृत सिद्धान्तकौमुदी है। इनका समय १६५० ई० के आस-पास समझा जाता है। सिद्धान्त-कौमुदी द्वारा ही संस्कृत के व्याकरण की परिपाटी इतनी लोकप्रिय हुई कि अष्टाध्यायी-काशिका की परिपाटी बिल्कुल खत्म हो गई।

व्याकरणकारों की पाणिनि-शाखा के अलावा, चान्द्र, जैनेन्द्र, शाकटायन, कातन्त्र, सारस्वत आदि कई अन्य शाखाएँ प्रचलित हुईं। इनमें से एक आध का क्रम पाणिनि के क्रम की अपेक्षा सरल और सुबोध है। पर इनमें से कोई भी पाणिनीय शाखा के आगे चल नहीं पाई। अन्य शाखाओं के व्याकरणों में शब्दानुशासन के लेखक हेमचन्द्र और मुग्धबोध के कर्ता बोपदेव के नाम उल्लेखनीय हैं।

ऊपर, तुलनात्मक व्याकरण के आदिगुरु पाणिनि थे, यह कहा जा चुका है। पतंजलि के समय तक वैदिक भाषा के अध्ययन को थोड़ा बहुत महत्त्व मिलता रहा। उसके बाद प्रायः व्याकरणकारों ने अपना सारा ध्यान लौकिक भाषा पर ही लगाया और तुलनात्मक अध्ययन स्थगित रहा। यह अध्ययन प्राकृत भाषा के व्याकरणों ने फिर से उठाया। इन्होंने संस्कृत को प्रकृति (आधार) मानकर विविध प्राकृतों का विवरण दिया है। इनमें सर्वप्रथम प्राकृतप्रकाश के कर्ता वररुचि हैं। इनको वररुचिकात्यायन भी कहते हैं। कात्यायन वार्तिककार से निश्चय ही यह भिन्न हैं। प्राकृतप्रकाश में बारह परिच्छेद हैं। पहले नव में संस्कृत को आधार मानकर महाराष्ट्री का विवरण है, दसवें में शौरसेनी के आधार पर पैशाची का, ग्यारहवें में शौरसेनी के ही आधार पर मागधी का और बारहवें में संस्कृत को आधार बताकर शौरसेनी का विवरण दे दिया गया है। शौरसेनी के भेदक लक्षणों को देकर अन्त में ग्रन्थकार ने कह दिया है कि बाक़ी महाराष्ट्री के समान समझना चाहिए।

प्राकृतप्रकाश की ही शैली पर अन्य प्राकृत व्याकरण बाद को बने। प्रायः सभी में प्रचलित प्राकृतों का तुलनात्मक विवरण दिया हुआ है। इनमें से हेमचन्द्र और मार्कण्डेय के ग्रन्थ विशेषरूप से उल्लेखनीय हैं। ऊपर कह चुके हैं कि हेमचन्द्र ने शब्दानुशासन नाम का संस्कृत का व्याकरण रचा। इसी को सिद्धहेमचन्द्र भी कहते हैं। इसके आठवें अध्याय में प्राकृतव्याकरण है। इन्होंने महाराष्ट्री, शौरसेनी, मागधी, पैशाची, चूलिकापैशाची और अपभ्रंश का बड़ा सुन्दर और विस्तृत वर्णन किया है। मार्कण्डेय ने अपने ग्रन्थ प्राकृतसर्वस्व में तीन वर्ग स्थापित किये, (१) भाषा, (२) विभाषा और (३) अपभ्रंश। पहले के अन्तर्गत महाराष्ट्री, शौरसेनी, प्राच्या, अवन्ती और मागधी, दूसरे में शाकरी, चांबाली, शाबरी, आभीरिका और टाक़ी (ठक़ी) तथा

तीसरे में नागर, ब्राह्मण और उपनागर हैं। इनके अलावा पैशाची का वर्ग अलग माना है और उसके तीन भेद (केकयपैशाचिकी, शौरसेनपैशाचिकी तथा पांचाल-पैशाचिकी) बताये हैं।

इनके अतिरिक्त पालिभाषा का व्याकरण कच्चायनो (कात्यायन) का बनाया हुआ काफ़ी प्राचीन है।

वैयाकरणों के अलावा साहित्य - शास्त्रियों तथा नैयायिकों ने भी अपने-अपने शास्त्रों का अध्ययन करते हुए शब्दशक्ति का विशेष विवेचन किया है। शब्द की अभिधा, लक्षणा, व्यंजना (ध्वनि) तीन शक्तियों के विषय, प्रयोजन आदि का, तथा तात्पर्य, पदार्थ, वाक्यार्थ, अर्थस्फोट आदि का भी सुन्दर विवेचन ध्वन्यालोक, काव्यप्रकाश, रसगगाधर आदि ग्रन्थों में मिलता है। आधुनिक ग्रन्थों में जगदीश तर्कालंकार का बनाया हुआ शब्दशक्तिप्रकाशिका नाम का ग्रन्थ महत्त्वपूर्ण है।

इस प्रकार भारतवर्ष में भाषाविज्ञान के प्रायः प्रत्येक अंग का विवेचन शास्त्रीय शैली से बड़ी लगन से किया गया था। आधुनिक भाषाविज्ञान के पंडितों को यह सामग्री सुलभ नहीं है। वे इससे प्रायः अनभिज्ञ ही हैं। डा० सिद्धेश्वर वर्मा ने ध्वनि-विज्ञान के विषय की पुरानी सामग्री का अन्वेषण और अध्ययन करके भारतीय विवेचन को विद्वद्बर्ग के सम्मुख रक्खा है। शेष सामग्री में से महाभाष्य आदि ग्रन्थों पर एकांगी विचार यूरोपीय संस्कृत-पंडितों ने किया है। पर भाषाविज्ञान के धुरंधर प्रायः इस सामग्री से अनभिज्ञ ही हैं।

यूरोपीय खोज

यूरोप में भाषा-संबंधी विवेचन भारत की अपेक्षा बहुत देर को शुरू हुआ। यूरोपीय सभ्यता का मूलस्रोत ग्रीस देश रहा है। इस देश के रहनेवाले अन्य देश-वालों को बर्बर समझते थे और उनकी भाषा आदि संस्कृति के सभी अंगों की अवहेलना करते थे। अपनी भाषा की विवेचना करना उनके लिए बेकार था क्योंकि वह प्रत्येक ग्रीक को जन्म से ही प्राप्त थी। भारत की तरह वहाँ कोई अपौरुषेय ग्रन्थ नहीं थे जिनका संरक्षण आवश्यक हो। ऐसी परिस्थिति में यह स्वाभाविक ही था कि भाषातत्त्वों का अन्वेषण वहाँ देर से आरंभ हुआ।

ग्रीस के प्रसिद्ध तत्त्ववेत्ता अरस्तू ने भाषा का विश्लेषण करके पदों में विभाजित किया। प्लैटो ने विचार और भाषा की एकता का अनुभव किया और विचार को भाषा का अन्तरंगरूप निर्धारित किया। उन्होंने ग्रीक भाषा की ध्वनियों का वर्गीकरण सघोष और अघोष में किया। प्रथम वर्ग के अन्तर्गत स्वर रक्त्ते और दूसरे में शेष ध्वनियाँ। दूसरे वर्ग के फिर दो भाग किए, पहले में अन्तःस्थ बर्षा और दूसरे में

व्यंजन । उत्तरकालीन ग्रीक व्याकरणकारों ने व्यंजनों का विभाग तनु, मध्य और महाप्राण में किया है । यही अभी तक यूरोपीय विद्वान इस्तेमाल करते हैं । सुक्रात को यह भान हुआ कि ध्वनि और विचार में समवाय सम्बन्ध नहीं है, उनका विचार था कि ऐसी भाषा की सृष्टि हो सकती है जिसमें ऐसा सम्बन्ध रहे । अरस्तू द्वारा किए गए पद-विभाग को बादवाले ग्रीक विद्वानों ने जारी रखा । इस दिशा में स्टोइक वर्ग के दार्शनिकों ने विशेष काम किया । इन्हीं के रखे हुए नाम आज भी यूरोपीय व्याकरणों में किसी न किसी रूप से जारी हैं । ग्रीक भाषा की सर्वप्रथम व्याकरण के बनानेवाले थैक्स (ई० पू० दूसरी सदी के) थे ।

ग्रीस से जब सभ्यता और प्रभुता का केन्द्र रोम पहुँचा तो लैटिन और ग्रीक दोनों भाषाओं का अध्ययन होने लगा । अवश्य ही तब इन दोनों की समानताओं और विषमताओं पर ध्यान गया होगा । ईसाई धर्म के विस्तार से यहूदी भाषा हेब्रू का भी अध्ययन होने लगा । अब तो यही परमेश्वर और स्वर्गलोक की भाषा समझी जाती थी और इसका ज्ञान पाकर धार्मिक विद्वान अपने को कृतकृत्य मानते थे । साम्राज्य में स्थित पड़ोस के देशों की अरबी, सीरी आदि साहित्यिक भाषाओं पर भी थोड़ा बहुत ध्यान गया । पर शीघ्र ही लैटिन के अध्ययन ने सारे यूरोप में महत्त्व प्राप्त कर लिया । वही धर्म और सभ्यता की मूल भाषा मानी जाने लगी और इसलिए उसका यूरोप पर एकछत्र राज्य हो गया । प्रायः १८वीं ई० सदी के पहले तक सारे यूरोप के विद्यालयों में लैटिन ही पढ़ाई जाती थी । मातृ-भाषाओं को पढ़ाना बेकार था, वह तो स्वयं आ ही जाती थी । उनका कोई विशेष महत्त्व भी न समझा जाता था । लैटिन व्याकरण का ज्ञान प्राप्त कर लेना ध्येय था और व्याकरण का प्रयोजन केवल शुद्ध लिखना और बोलना था । पढ़ानेवाले आचार्य हर देश के अलग-अलग थे । ये लैटिन पुस्तकों से पढ़ते-पढ़ाते थे । परिणामस्वरूप एक देश में पढ़ाई जानेवाली लैटिन दूसरे देश की लैटिन से बहुत भिन्न होने लगी । तत्कालीन जन-साधारण की बोलचाल की भाषाओं की अपेक्षा लैटिन में शब्दों के रूपों का बाहुल्य था । यदि तत्कालीन भाषा को देखना हुआ तो लैटिन के चश्मे से देखा गया । विभिन्न देशों की लैटिन भाषा के उच्चारण में परस्पर बहुत विषमता दिखाई पड़ने लगी । भारत में आज बंगाली संस्कृतज्ञ का उच्चारण बँगला भाषा के उच्चारण से प्रभावित होकर अन्य प्रान्तवालों को अटपटा और अस्पष्ट जान पड़ता है । पर लैटिन का यह अटपटापन इससे कई गुना अधिक था ।

अठारवीं सदी के पूर्व यूरोपीय भाषाओं पर जो भी काम हुआ उस पर लैटिन के अध्ययन का प्रभाव बहुत स्पष्ट है । उच्चरित भाषा की अपेक्षा लिखित भाषा की

प्रधानता, रूपविभिन्नता के अभाव में भी उसके अस्तित्व की खोज, कोष-ग्रंथों में व्युत्पत्ति आदि के लिए लैटिन शब्दों का अस्थान सहारा लेना, व्याकरण में लैटिन के नियमों के सदृश नियम खोजना आदि उसी प्रभाव के सान्नीह्य हैं ।

भाषाविज्ञान की नींव

अठारवीं सदी में कई यूरोपीय विद्वानों का ध्यान भाषा के उद्गम की ओर गया । प्रसिद्ध दार्शनिक रूसो ने यह मत पेश किया कि आदिम मनुष्यों ने भाषा, एक स्थान पर बैठ कर समझौते से बनाई । कॉडिलक ने यह विचार रक्खा कि आदिम मनुष्यों, पुरुषों और स्त्रियों, के सहवास और भावातिरेक में निकले हुए नादों के स्तम्भ पर भाषा स्वाभाविक रूप से खड़ी हो गई । पर इस प्रश्न पर इस सदी में सर्वोत्तम गवेषणा हर्डर ने की । बर्लिन अकेडमी के लिए इन्होंने एक निबन्ध लिखा जिसमें भाषा के ईश्वरप्रदत्त होने का खंडन किया । इन्होंने कहा कि मनुष्य ने भाषा जानबूझ कर नहीं बनाई, वह उसकी प्रकृति से ही निकल पड़ी, उसी प्रकार जैसे गर्भ से बच्चा । इसी सदी के अन्त में जेनिश ने 'आदर्श भाषा' के विषय पर निबन्ध लिखा जिसमें उन्होंने ऐसी भाषा के लक्षणों का विवेचन किया और उनके अनुसार लैटिन, ग्रीक तथा कई यूरोपीय भाषाओं की तुलनात्मक जाँच की । इस सदी में हर्डर और जेनिश ने अपने विवेचन से भाषाविज्ञान की नींव रखी ।

उन्नीसवीं सदी को भाषाविज्ञान की सदी कह सकते हैं क्योंकि इसीमें इसका पूर्ण विकास हुआ । नई-नई भाषाओं का अध्ययन शुरू हुआ । लैटिन, ग्रीक आदि भाषाओं की भी विवेचना पूर्ववर्ती सदियों की निस्वतः अधिक गहराई से होने लगी । तुलनात्मक अध्ययन को प्रश्रय मिला । सब से महत्त्वपूर्ण बात यह हुई कि किसी ध्वनि या रूप के केवल भिन्न रूपों से ही संतोष न हुआ, उनका परस्पर इतिहासिक सम्बन्ध अर्थात् विकास ढूँढा जाने लगा । भाषा प्रवाहस्वरूप समझी गई ।

भाषाविज्ञान के बनने में सब से अधिक प्रभाव संस्कृत के अध्ययन से हुआ । अठारवीं सदी के अन्त में, रायल एशियाटिक सोसाइटी, कलकत्ता की स्थापना रखते हुए, सर विल्यम जोंस (१७४६-१७९६) ने संस्कृत का महत्त्व बतलाया था और घोषणा की थी कि गठन में यह लैटिन और ग्रीक दोनों के बहुत निकट है और इन तीनों भाषाओं का कोई एक ही स्रोत है, तथा प्राचीन फ़ारसी, केल्टी और गाथी भी इसीसे सम्बद्ध हैं । इस घोषणा के पूर्व ही (१७६७ में) फ्रेंच पादरी कोर्बो ने संस्कृत की ओर अपने देश के विद्वानों का ध्यान खींचा था और संस्कृत और लैटिन की समानता दिखाई थी, पर उनका लेख सर विल्यम जोंस की घोषणा के बाद प्रकाशित हुआ और जो श्रेय कोर्बो को मिलना चाहिए था वह जोंस महोदय को मिला ! शुरू के यूरोपीय

संस्कृत विद्वानों में कोलब्रुक का नाम उल्लेखनीय है ।

प्राचीनयुग

प्रसिद्ध जर्मन विद्वान फ्रेडरिक वान श्लेगेल (१७७२-१८२६) ने १८०८ में 'भारतीय भाषा और ज्ञान' के विषय पर एक महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ प्रकाशित किया । इन्होंने चार-पाँच साल तक पेरिस में हैमिल्टन नाम के एक अंगरेज़ सिपाही से संस्कृत पढ़ी थी और संस्कृत भाषा और वाङ्मय के प्रबल समर्थक हो गए थे । प्रथम बार इन्होंने तुलनात्मक व्याकरण का नाम लिया और कुछ ध्वनि-नियमों की ओर भी संकेत किया । इन्होंने भाषा को भी दो वर्गों में विभाजित किया, (१) संस्कृत तथा सगोत्र भाषाएँ, (२) अन्य । भाषा के उद्गम के बारे में श्लेगेल का मत था कि भाषा की उत्पत्ति भिन्न-भिन्न आधारों पर हुई होगी । उदाहरणार्थ मांचू भाषा में अनुरणनात्मक शब्दों का बाहुल्य है जिससे पशु-पक्षी आदि जन्तुओं का प्रभाव स्पष्ट है, पर संस्कृत में ऐसी कोई बात नहीं है । फ्रेडरिक श्लेगेल के भाई अब्रहम श्लेगेल (१७६७-१८४५) भी अपने भाई फ्रेडरिक की तरह ही संस्कृत के अच्छे विद्वान और समर्थक थे । इन्होंने शिल्ल्ट भाषाओं को दो वर्गों, संयोगात्मक और वियोगात्मक, में बाँटा ।

उन्नीसवीं सदी के आरंभ में ही, भाषाविज्ञान के संस्थापक, बॉप, ग्रिम और रैस्क के नाम आते हैं । धातुप्रकिया पर बॉप की पुस्तक १८१६ में, रैस्क की १८१८ में और ग्रिम की व्याकरण १८१९ में प्रकाशित हुई । इनमें से बॉप का काम स्वतन्त्र था, पर ग्रिम पर रैस्क का बहुत प्रभाव पड़ा था ।

रैज़मस रैस्क (१७८७-१८३२) लड़कपन से ही वैयाकरण प्रसिद्ध हो गए थे । इन्होंने आइसलैंड की भाषा का शास्त्रीय ढंग से अध्ययन किया और प्राचीन नार्स की उत्पत्ति पर महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ बनाया । इनके मत के अनुसार, ग्रन्थों के अभाव में किसी जाति या राष्ट्र का इतिहास उसकी भाषा से जाना जा सकता है ; धर्म, कला आदि तो कालचक्र से बहुत बदल जाते हैं पर भाषा अपेक्षादृष्टि से स्थिर रहती है ; भाषा के अध्ययन के लिए शब्दावली से ज़्यादा व्याकरण पर ध्यान देना चाहिए । इन्होंने ग्रीनी-उग्री भाषाओं का बड़ा अच्छा वर्गीकरण किया । यह भारत भी आए थे और सर्वप्रथम ज़ेन्ड (अवेस्ती) को आर्य-परिवार में उचित स्थान और महत्त्व दिला सके थे ।

जेकब ग्रिम (१७८५-१८६३) वकील के पुत्र थे और इन्होंने पहले कानून पढ़ा । भाषा का अध्ययन इनके जीवन में बाद को आया । अभी तक प्राचीन भाषाओं को महत्त्वपूर्ण माना जाता था । इन्होंने प्रतिपादित किया कि छोटी से छोटी भाषा भी विज्ञान की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण है, और जिस लगन और अध्ययनसे से इंग्लिश की भाषा हेब्रू तथा लैटिन और ग्रीक का अध्ययन होता है उसी से वर्तमान भाषाओं और

बोलियों को भी पढ़ना-पढ़ाना शुरू करना चाहिए। इनका जर्मनी भाषा का व्याकरण (देवभाषा व्याकरण) १८१६ में प्रकाशित हुआ। रैस्क के १८१८ के प्रकाशित ग्रन्थ की इन्होंने बड़ी प्रशंसा की और १८२२ में अपनी व्याकरण का परिवर्द्धित दूसरा संस्करण प्रकाशित किया। इसी में ग्रिम-नियम का वर्णन है जिसका विवरण जर्मनी भाषाओं का विचार करते समय ऊपर दिया जा चुका है। ग्रिम ने स्वर-क्रम आदि के लिए पारिभाषिक शब्द गढ़े जो आज भी प्रचलित हैं। जीवन के उत्तरकाल में ग्रिम महोदय बर्लिन में प्रोफ़ेसर रहे और भाषाविज्ञान का अध्ययन-अध्यापन में लगे रहे।

फ्रैंज़ बाॅप (१७६१-१८६७) ने पेरिस जाकर पूर्वी भाषाओं का अध्ययन किया और संस्कृत को विशेष ध्येय बनाया। १८१६ में इनकी धातुप्रक्रिया पर पुस्तक प्रकाशित हुई और इसी से भाषा के तुलनात्मक अध्ययन की नींव टढ़ हुई। इस किताब में संस्कृत के रूपों की ग्रीक, लैटिन, ईरानी, जर्मनी के रूपों से तुलना है। १८२२ में यह बर्लिन अकैडमी के प्रोफ़ेसर नियुक्त हुए। १८३३ में इनका दूसरा ग्रन्थ प्रकाशित हुआ। इसमें संस्कृत, ज़ेन्द, आर्मीनी, ग्रीक, लैटिन, लिथुएनी, प्राचीन स्लावी, गाथी और जर्मन भाषाओं का सम्पूर्ण तुलनात्मक व्याकरण था। बाॅप ने निश्चयपूर्वक यह बात कही कि इन भाषाओं के विभिन्न रूपों से किन्हीं आदिम रूपों का अस्तित्व सिद्ध होता है। बाॅप के पूर्व भी हार्नीटुके आदि विद्वानों ने इस बात की ओर निर्देश किया था कि परप्रत्यय किसी समय स्वतन्त्र सार्थक शब्द रहे होंगे, पर बाॅप ने इस पर अधिक बल दिया। बाॅप का प्रारंभ में विचार था कि संस्कृत में, पञ्चिमी भाषाओं के एँ ओँ के स्थान पर, केवल अकार की स्थिति भारतीय लिपि की अपूर्णता के कारण है, परन्तु दुर्भाग्यवश बाद को ग्रिम के प्रभाव के कारण उन्होंने अ, इ, उ को ही मूल स्वर माना। यह भ्रम १८८० में तालव्य नियम के स्थापित होने पर दूर हुआ। बाॅप ने आर्य धातुओं की सामी धातुओं से विभिन्नता प्रदर्शित की। बाॅप के पूर्व ही रैस्क आदि विद्वानों ने पुरुषवाचक प्रत्ययों (-ति, -सि, -मि आदि) की सर्वनामों से तद्रूपता बताई थी, बाॅप ने इसको सर्वत्र व्यापक किया। उन्होंने भाषा के तीन वर्ग किये (१) धातु आदि व्याकरण नियम रहित, यथा चीनी, (२) एकाक्षर धातुवाली यथा आर्य और (३) द्व्यक्षर धातुवाली यथा सामी। बाॅप का विवेचन बहुत-सी भाषाओं पर विस्तृत था, उनमें गहराई और सूक्ष्मता की कमी भलकती है।

विस्डेल्म वान हम्बोल्ट (१७६७-१८३५) मुख्य रूप से भाषाविज्ञानी न थे, वह थे राजनीतिक कार्यकर्ता। पर उन्होंने भाषातत्त्वों की भी यथेष्ट विवेचना की है। उनकी दृष्टि पैनी थी और वस्तु की तह तक पहुँचने की उनकी आदत-सी थी। उनका कोई विशेष उल्लेख के योग्य काम है तो जावा की कविभाषा पर। पर भाषा की

विवेचना के सम्बन्ध के उनके विचार बड़े सारगर्भित हैं। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि भाषा प्रवाहस्वरूप है, उसका लक्षण पूर्ववर्ती और परवर्ती अवस्था के सम्बन्ध से ही दिया जा सकता है। हम्बोल्ट का मत है कि प्रत्येक भाषा का स्वयं एक व्यक्तित्व है, सामान्य से सामान्य बोली का भी। भाषा से जाति के मनोभाव प्रकट होते हैं। भाषाओं के वर्गीकरण में उन्होंने अश्लिष्ट और श्लिष्ट का भेद निश्चित किया। उनका विचार है कि संसार की भाषाओं की परस्पर विभिन्नता इतनी ज़्यादा है कि कोई सन्तोषप्रद आकृतिमूलक वर्गीकरण कर पाना असंभव है।

बॉप और ग्रिम के देहान्त के पूर्व, १८५५ के करीब, भाषा-विज्ञान की काफ़ी सामग्री इकट्ठी हो गई थी। आर्य परिवार का अस्तित्व अलग निश्चित हो गया था। इस विज्ञान का अध्ययन अभी तक यूरोप भर में विभिन्न राष्ट्रों और जातियों की संस्कृति और साहित्य के अध्ययन के साथ-साथ गौण रूप से होता था। अब उसने स्वतन्त्र सत्ता प्राप्त कर ली। इसमें इतिहासिक और तुलनात्मक विवेचन ने विशेष मदद पहुँचाई। उल्हाही इस नवीन विज्ञान को पदार्थविज्ञान आदि भौतिक विज्ञानों का समकक्ष साबित करने लगे। अब तक के अध्ययन में (१) संस्कृत भाषा का विशेष महत्त्व, (२) भाषाओं की तुलना करते समय सामान्य लक्षणों पर बल, (३) प्रायः सर्वांश में गई गुज़री भाषाओं पर अपेक्षाकृत अधिक ज़ोर और समकालीन जीवित भाषाओं की उपेक्षा, (४) लिपिवद्ध भाषाओं के एकान्त अध्ययन से वाणी के स्वाभाविक स्वरूप की अवहेलना, (५) जीवित भाषाओं के थोड़े बहुत विवेचन में भी पुराने लक्षणों की ही खोज, यही मुख्य बातें थीं।

पॉट (१८०२-८०) नाम का प्रसिद्ध निरुक्तिकार तथा अन्य विद्वान् ग्रिम और बॉप की परिपाटी पर चलकर पुरानी लकीर पीटते रहे।

ग्रिम के समकालीन रैप ने भाषा के शरीर (ध्वनि) पर १८३६-४१ में कई ग्रंथ प्रकाशित किये। इनमें जहाँ ग्रिम के अन्य कार्य की प्रशंसा थी वहाँ साथ ही साथ ध्वनि के विवेचन के बारे में ग्रिम के काम की तीव्र आलोचना थी। इस आलोचना के कारण ही रैप के ग्रन्थों का उचित स्वागत न हो सका पर इतना मानना आवश्यक है कि रैप ने ध्वनि और लेख का परस्पर सम्बन्ध स्थापित किया। बॉप और ग्रिम ने भाषा की परिवर्तनशीलता (विकास) पर बिल्कुल ध्यान न दिया था। ब्रेड्स्टोर्फ ने १८२१ में एक ग्रन्थ प्रकाशित कर इसकी ओर विद्वानों का ध्यान खींचा। रैप और ब्रेड्स्टोर्फ दोनों ने भाषाविज्ञान में नवीनता और ताज़गी उपस्थित कर दी।

आगस्ट रखाइज़र (१८२१-६८) भाषाविज्ञान के प्राचीन और नवीन युग के सन्धिकाल के प्रतिनिधि हैं। यह अपने को भाषा-विज्ञानी ही घोषित करते थे। इस

प्रकार संस्कृत के अध्ययन से इन्होंने सम्बन्ध तोड़ा। लिथुएनी, रूसी आदि कुछ भाषाओं पर महत्त्वपूर्ण विवेचन करके इन्होंने भाषाविज्ञान के मूल सिद्धान्त निर्धारित करने में समय लगाया। इस विज्ञान के अलावा, दर्शन और वनस्पति-विज्ञान में भी इनकी अच्छी गति थी। इनके भाषाविज्ञान के विवेचन में हेगेल के दर्शन की और वनस्पतिशास्त्र की परिभाषाओं का पुट बहुत जगह मिलता है। श्लाइखर का मत है कि मनुष्य जाति का वर्गीकरण खोपड़ी की गोलाई, लम्बाई आदि के आधार पर न करके, भाषा की विभिन्नता पर करना चाहिए क्योंकि भाषा अधिक स्थिर चीज़ है। इन्होंने भाषाओं का वर्गीकरण अयोगात्मक, अश्लिष्ट योगात्मक और श्लिष्ट योगात्मक निर्धारित किया। मैक्समूलर और ह्रिटनी ने इसको सर्वथा मान लिया। श्लाइखर का सब से महत्त्वपूर्ण कार्य आदिम आर्यभाषा का पुनर्निर्माण है। इसका उल्लेख ऊपर (पृ० १६६ पर) किया गया है। इसके ध्वनिसमूह, पद, वाक्य आदि सभी कुछ सिद्ध किये गये। इन्होंने इस अनुमान-सिद्ध भाषा में एक कहानी भी लिख कर प्रकाशित की। अनुमान की भित्ति पर कोई भाषा खड़ी करना असंगत ही नहीं व्यर्थ का प्रयास है, क्योंकि भाषा के विकास की जटिलता इसके विरुद्ध पड़ती है। इसी कारण श्लाइखर की आदिम भाषा को उत्तरकालीन भाषा-विज्ञानियों ने आगे नहीं बढ़ाया।

जाज़ कर्टिअस (१८२७-८५) श्लाइखर के समकालीन थे और उन्हीं की तरह प्राचीन और नवीन युग के सन्धिकाल के। सौभाग्यवश श्लाइखर का देहान्त उस समय हो गया जब वह प्रसिद्धि और कीर्ति के उच्चशिखर पर थे, कर्टिअस अपने दुर्भाग्य से कुछ साल और जीवित रहे और उन्हें प्राचीन युग के विद्वानों की तीव्र आलोचना देखनी और सहनी पड़ी। श्लाइखर की तरह, कर्टिअस भी ध्वनि-नियमों के पालन के पक्षपाती थे पर नवीन युग के इस कथन का कि ध्वनि-नियम का कोई अपवाद नहीं हो सकता, इन्होंने प्रतिवाद किया। पदरचना में सादृश्य का भी वह उतना महत्त्व न समझते थे जितना नवयुगवाले। इसी काल में भिन्न-भिन्न भाषाओं पर अलग-अलग महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ निकले। इनमें कर्टिअस की ग्रीक भाषा पर, वेस्टरगाड व बेनफ्रे की संस्कृत पर, मिक्लोसिज़ व श्लाइखर की स्लावी पर, तथा ज़ेउस की केल्टी पर, ये कृतियाँ विशेष उल्लेख के योग्य हैं। मैडविग लैटिन और ग्रीक के ज्ञान के साथ-साथ, भाषा-विज्ञान के मूल तत्त्वों पर विवेचन के लिए प्रसिद्ध हुए।

इस समय तक भाषाविज्ञानी भिन्न-भिन्न भाषाओं की छान-बीन कर-कर ही मूल तत्त्वों के निर्धारण में व्यस्त थे, किसी को इतनी फुर्सत न थी कि इन तत्त्वों को जनता के सामने पेश करे और दिखाये कि ये लोग गहरे सागर से नये मोती निकाल कर लाये हैं।

इस काम की ओर मैक्समूलर (१८२३-१९००) अग्रसर हुए। इन्होंने १८६१ में भाषाविज्ञान पर व्याख्यान दिये। ये शीघ्र ही पुस्तकाकार प्रकाशित हुए और शैली की रोचकता और प्रसादगुण के कारण बड़े लोकप्रिय साबित हुए। पढ़ी-लिखी जनता का ध्यान इस विज्ञान की ओर जितना मैक्समूलर ने खींचा उतना और किसी ने नहीं। इस पुस्तक का अच्छा प्रचार हुआ। नया संस्करण १८९० में प्रकाशित हुआ। इसमें ग्रन्थकार ने पिछले तीस वर्षों में किये गये अनुसन्धानों का उल्लेख भूमिका में किया है, और अधिकांश में नवीनयुग के सिद्धान्तों को मान-सा लिया है। मैक्समूलर ने भाषाविज्ञान को विज्ञान सिद्ध किया पर वह इसे भूतविज्ञान आदि के समकक्ष न ठहरा सके। तुलनात्मक व्याकरण से भी इसका भेद विशद रूप से उन्होंने दिखाया। भाषा के उद्गम, वर्गीकरण, विकास, विकास का कारण इत्यादि विषयों पर भी अब तक किये गये काम को संगृहीत करके उन्होंने जनता के सामने उपस्थित किया। मैक्समूलर प्रधान रूप से साहित्यिक ही थे और प्राच्य विद्याओं के उत्साही समर्थक। उनका ऋग्वेद का संस्करण और प्राच्य प्राचीन ग्रन्थों का पचास जिल्दों में अँगरेज़ी में अनुवाद, दोनों उनकी अमर कृति हैं। भाषाविज्ञानी वह गौण रूप से थे। इसी कारण भाषाविज्ञान-व्याख्यान-माला में वह अन्य साहित्यिकों की तरह थोड़ा बहुत बहक गए हैं।

हिटनी (१८२७-१९४) प्रधान रूप से वैयाकरण थे और संस्कृत भाषा के विशेषज्ञ। यह मैक्समूलर के प्रतिद्वन्द्वी समझे जाते हैं। जितनी ख्याति मैक्समूलर को मिली, विशेषकर भारतवर्ष में, उतनी हिटनी को नहीं। इसका हिटनी को आजन्म खेद रहा। इन्होंने मैक्समूलर के काल्पनिक विचारों की कड़ी आलोचना की। मैक्समूलर ने अन्य साहित्यिकों की भाँति रोचक दृष्टान्त उपस्थित कर पढ़ी-लिखी जनता को मुग्ध कर लिया था। उन्हीं दृष्टान्तों की दुर्गत हिटनी ने अपने ग्रन्थों में की। “भाषा और भाषा का अध्ययन” इस विषय का उनका ग्रन्थ १८६७ में प्रकाशित हुआ और “भाषा का जीवन और विकास” १८७५ में। मैक्समूलर के ग्रन्थ की अपेक्षा ये दोनों भाषाविज्ञान के तत्त्वों का अधिक सुन्दर और शुद्ध विवेचन करते हैं, पर दोनों की शैली मैक्समूलर की शैली से कम रोचक है। हिटनी का संस्कृत व्याकरण भी अपने ढंग का निराला ग्रन्थ है।

नवीन युग

कुछ बातों में नवयुग के पथप्रदर्शक स्टाइनथल (१८२५-१९९) थे। इनका प्रथम ग्रन्थ १८५५ में प्रकाशित हुआ। इसमें व्याकरण, तर्कशास्त्र और मनोविज्ञान के परस्पर प्रभाव की सुन्दर विवेचना थी। पर इस समय श्लाइखर का भाषाविज्ञान के क्षेत्र में बोलबाला था। उन्होंने इस प्रकार के ग्रन्थों को नौसिखिए वैयाकरणों के

ग्रन्थ कहकर उनकी खिल्ली उड़ाई। स्टाइनथाल ने सुदूर पूर्व देश की चीनी आदि तथा नीग्रो आदि भाषाओं पर काम किया था और निकटवर्ती आर्य-परिवार की भाषाओं का विवेचन पिष्टपेषण समझकर छोड़ दिया था। इस कारण भी वह प्रसिद्धि न पा सके। पर भाषा का अध्ययन मनोविज्ञान के सम्पर्क और सहायता से करना चाहिए, इस दृष्टि को सामने रखने से इनका काम महत्त्वपूर्ण है। ऐस्कोली ने केन्डुम् और सतम् भाषाओं का भेद स्पष्ट रूप से उपस्थित किया।

प्रायः १८७० के करीब भाषाविज्ञान ने ऐसी महत्ता प्राप्त कर ली थी कि मैक्समूलर, ह्रिटनी आदि मनीषी उस पर गर्व कर रहे थे। उनका गर्व उचित भी था। इस विज्ञान के मूल सिद्धान्तों के अलावा तुलनात्मक व्याकरण के सहारे आदिम आर्य-भाषा का ढाँचा खड़ा हो गया था, अनुमानसिद्ध ही सही। और ग्रीक, लैटिन, संस्कृत आदि के प्रायः ६० फी सदी शब्दों की व्युत्पत्ति निश्चित हो चुकी थी।

१८८० में तालव्य ध्वनि-नियम ढूँढ़ लिया गया जिसके सहारे आदिम आर्य-भाषा के तृतीय श्रेणी के कवर्ग की ध्वनियों का संस्कृत का, कहीं तो कवर्ग, पर अन्यत्र चवर्ग, यह द्विधा विकास समझ में आ गया। इसलिए आदिम तीन मूल स्वर निश्चित हुए। यह उस धारणा के विरुद्ध हुआ जिससे संस्कृत सर्वांश में आदिम भाषा के सन्निकट समझी जाती थी। इस नई खोज के कारण स्वरक्रम के निष्कर्षों में भी संशोधन करना पड़ा। और यह भी निश्चय कि धातु का मूलरूप ही मौलिक है और गुण वृद्धिवाले रूप उत्तरकालीन, बदलना पड़ा। आदिम आर्य-भाषा की धातु एकाक्षर थी यह विचार भी बदला। इसी समय बुनर ने ग्रिम-नियम के अपवादों का सुर के प्रभाव के द्वारा समाधान किया।

अब तक जिन युवकों का मज़ाक़ नौसिखिया कहकर उड़ाया जाता था और जो यह प्रतिपादित करते थे कि ध्वनि-नियमों में अपवाद असंभव हैं क्योंकि ये अपवाद स्वयं किन्हीं अवान्तर नियमों के अनुकूल हैं उनकी बात आदर से सुनी जाने लगी। इनमें ब्रूगर्मा, डेलब्रुक, आस्टोफ़ और हर्मन पाल प्रमुख हैं। इन युवकों ने कुछ नई बातों पर बल दिया और पुरानी पीढ़ी के अन्वेषकों के कुछ उन कार्यों की उपेक्षा की जिनको वे भाषाविज्ञान की जड़ समझते थे। यहाँ पर इन बातों पर विचार कर लेना ज़रूरी है।

पुरानी पीढ़ीवाले व्याकरण के नियमों पर बहुत बल देते थे और शब्दों की व्युत्पत्ति बताते हुए अपवादों को असंगत न मानते थे। वे भाषा में शब्द का अस्तित्व प्रमुख मानते थे। इन नए विद्वानों ने यह दृष्टिकोण बदल दिया। इन्होंने सिद्ध किया कि भाषा के शब्द, बोलनेवाला संसर्ग से सीखता है और व्याकरणकार की तरह उसके सामने धातु और प्रत्यय नहीं रहते। वह पूर्व सीखे हुए शब्दों के आधार पर

नए शब्दों का प्रयोग करता चलता है और निरन्तर उनको सादृश्य से टालता रहता है। यदि कहीं विसदृश रूप मिले तो वे अपवाद नहीं हैं, गलत भी नहीं हैं। वे भी शुद्ध रूप हैं, केवल खोजना यह है कि वे किन अन्य पूर्व-स्मृत रूपों के वजन पर ढले और इनके सदृश न ढलकर उनके सदृश क्यों ढले। किया की जगह करा, या डालना की जगह पड़वाना गलत नहीं है, भाषा के विकास की दृष्टि से ये रूप भी ठीक हैं। इस प्रकार सादृश्य का महत्त्व पदरचना में अद्वितीय समझा जाने लगा।

इन्हीं नए विद्वानों ने भाषा के दो अगों को अलग-अलग मानने की परिपाटी चलाई, ध्वनिजात बहिरंग और अर्थ अन्तरंग। ध्वनि-विकास को ऑस्ट्रोफ़ ने शरीर-विज्ञान के अन्तर्गत माना और पदविकास को मनोविज्ञान के। यद्यपि यह विचार गलत साबित हुआ तब भी दोनों के विकास के अन्तर पर विद्वानों का ध्यान आकृष्ट हुआ। अर्थविज्ञान पर ब्रिष्क का महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ पेरिस से १८८२ में प्रकाशित हुआ।

इन्हीं विद्वानों ने भाषा के बोले हुए रूप का महत्त्व दिखाया और यह सिद्ध किया कि व्यकरणों और कोषों में केवल भाषा की विद्यम्बना मिलती है। इसी कारण बोलचाल की भाषाओं के अध्ययन पर विशेष बल दिया जाने जगा। बोलचाल की भाषा का स्वयं अध्ययन करनेवालों में हेनरी स्वीड का नाम उल्लेखनीय है।

नई पीढ़ी के विद्वानों ने भाषा के उद्गम और वर्गीकरण को विज्ञान में बहुत गौण स्थान दिया। पहले को उन्होंने हल करना असंभव समझा। पेरिस की भाषाविज्ञान परिषद् जो आज भी इस विज्ञान की विवेचना के लिए अद्वितीय महत्त्व रखती है, उसने भाषा के उद्गम और सर्वजन-भाषा की सृष्टि इन दो प्रश्नों के विवेचन का अपने नियमों द्वारा ही प्रतिषेध कर दिया। भाषा के वर्गीकरण को भी इन विद्वानों ने कृपादृष्टि से न देखा। इन्होंने बोलियों के मिश्रण की ओर ध्यान सींचा और दिखाया कि पदरचना अथवा ध्वनि-नियम के बहुत से अपवाद, बोलियों और भाषाओं के शब्दों के परस्पर आदान-प्रदान से समझ में आ सकते हैं। इन्हीं विद्वानों ने वाक्य-विज्ञान शाखा के अध्ययन पर भी बल दिया। यह शाखा अभी तक प्रायः अछूती ही पड़ी थी। हर्मन वाख और डेक्लरुक दोनों इस दिशा में अग्रसर हुए। पाल ने सामान्य भाषा-विज्ञान के सिद्धान्तों की अद्वितीय गवेषणा की और उस पर सुन्दर ग्रन्थ लिखे। ब्रूमों ने आर्थ परिवार की भाषाओं की पदरचना पर कई जिल्दों में अपना ग्रन्थ प्रकाशित किया जो अब भी अद्वा की दृष्टि से देखा जाता है। इन्हीं दिनों भाषा की परिवर्तन-क्षमता पर विशेष रूप से ध्यान दिया गया और उसके कारण निर्धारित किए जाने लगे।

वर्तमान प्रवृत्तियाँ

जर्मनी के नथमुबक व्याकरण-पंडितों का बोलचाला प्रायः १८८० से आरंभ

होकर बीसवीं सदी के पहले बीस साल तक रहा। धीरे-धीरे उनका प्रभाव शिथिल पड़ने लगा। इधर पिछले बीस-पच्चीस साल में अमरीका, प्रशान्त महासागर के द्वीप और अफ्रीका आदि की असाहित्यिक भाषाओं का विशेष अध्ययन किया गया है और फलस्वरूप भाषा का उद्गम, वर्गीकरण इत्यादि प्रश्नों पर भी जिनको नवयुवक ध्वनि-पंडितों ने अलग रख दिया था विचार किया जाने लगा है। अर्थ-परिवार की भिन्न-भिन्न भाषाओं पर स्वतन्त्र ग्रन्थ, तथा अन्य परिवारों की भाषाओं पर भी नए ग्रन्थ तैयार हुए हैं। बच्चे की भाषा के विकास को ध्यानपूर्वक देखा जा रहा है और उसके सहारे भाषा के विकास पर प्रकाश पड़ रहा है। मनोविज्ञान के प्रभाव की महत्ता सर्वथा स्वीकार कर ली गई है और अर्थ-विकास को उसी की मदद से समझा जा रहा है। ज्ञानतन्त्रियों को उच्चारण के अवयवों का प्रेरक मान कर शरीर-विज्ञान के अध्ययन की सामग्री लेकर ध्वनिविज्ञान पर इधर पच्चीस-तीस साल के भीतर बहुत अच्छा काम किया जा सका है। इस विषय में प्रयोगात्मक ध्वनि-विज्ञान की सफलता विशेष रूप से उल्लेखनीय है। शरीरविज्ञान के मनीषियों से लेकर रोज़ापेह्ली ने १८७६ में ही कायमोग्राफ़ का ध्वनिविज्ञान में प्रयोग शुरू कर दिया था और दन्तचिकित्सकों से लेकर ओकले कोट्स ने कृत्रिम तालु का प्रयोग १८७९ में। कायमोग्राफ़ से ध्वनियों के बोधत्व, प्राणत्व, स्फोटकत्व, स्पर्शसंबन्धित्व, संबन्धित्व तथा अनुनासिकत्व का यथातथ ज्ञान हो जाता है। कृत्रिम तालु से स्पर्श कहाँ हुआ इसका विस्तृत सही ज्ञान प्राप्त होता है। कायमोग्राफ़ द्वारा अंकित ध्वनियों को खुर्दबीन की मदद से देखने से सुर का भी ज्ञान मिल जाता है। इन सब के विशेष विवरण के लिए इन पंक्तियों के लेखक का हिन्दुस्तानी (प्रयाग) की १९३१ की किताब में 'ध्वनिविज्ञान में प्रयोग' शीर्षक लेख देखा जाय। उसमें कायमोग्राफ़ और कृत्रिम तालु के चित्र और उनके प्रयोगों के भी चित्र दिये गये हैं।

भाषाविज्ञान के अध्ययन का केन्द्र सौ डेढ़ सौ साल तक जर्मनी था। वर्तमान काल में वह केन्द्र पेरिस पहुँच गया, यद्यपि जर्मनी के बूब्ट, हर्ट, खेस्कीन आदि विद्वानों का काम पेरिस में किए गए ब्रील, मेइए, वान्द्रियाह, वुञ्जा आदि के काम से किसी हालत में नीचे दर्जे का नहीं है। अमरीका के कार्यकर्ताओं में ब्लूमफील्ड का नाम विशेष उल्लेखनीय है। ध्वनि-विज्ञान के विद्वानों में प्रसिद्ध जर्मन प्रोफ़ेसर श्लिफ़र और अंगरेज़ डेनियस जॉस प्रमुख हैं। सामान्य भाषाविज्ञान तथा इङ्ग्लिश भाषा पर विशेष रूप से काम करनेवाले डेनिश प्रोफ़ेसर आबो जेस्सेन हैं। इन सभी विद्वानों ने बहुत से विद्यार्थियों को शिक्षा दी। देश विदेश के विद्यार्थी इनकी 'उपासना' कर स्वदेश लौटे और अपनी-अपनी भाषाओं के अध्ययन में लगे हुए हैं।

भारत भाषाविज्ञान का आदिगुरु था। पर कालचक्र से यही नहीं कि उसकी पदवी खो गई, उसके विद्वानों की कृतियों पर पच्छिम के मनीषियों का उचित ध्यान भी नहीं आकृष्ट हुआ। वर्तमान युग में काम करनेवालों में सर्वप्रथम स्वर्गीय श्री रामकृष्ण गोपाळ भंडारकर का नाम आता है। व्याकरणशास्त्र का विवेचन संस्कृत विद्या के केन्द्रों में परम्परा से चला आया है। भंडारकर ने देशी परम्परा को अनुष्ण रखते हुए यूरोपीय विद्वानों द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्तों का भी गंभीर अध्ययन किया और परिणामस्वरूप 'विलसन व्याख्यानमाला' भारतीय जनता को १८७७ में दे सके। संस्कृत विद्या के प्रगाढ़ पांडित्य के कारण यह ग्रन्थ कुछ बातों में तत्कालीन अन्य भाषाविज्ञानियों की कृतियों से अच्छा ही है। इसी समय भारतीय भाषाओं के अध्ययन में भारत में कुछ यूरोपीय विद्वान लगे हुए थे। इनमें से सिन्धी के लिए ट्रम्प, द्राविड़ी के लिए कैल्डवेल और आधुनिक भारतीय आर्यभाषाओं के तुलनात्मक अध्ययन के लिए बीन्ज़ और होयनले के नाम प्रमुख हैं। इन्हीं दिनों भारतीय सरकार के भाषा सर्वे की जिल्दें प्रियसून की देख-रेख में प्रकाशित हुईं। ये सभी वृद्धजन पुरानी पीढ़ी के मान्य विद्वान थे। इधर बीस साल में टर्नर और ज्यूल ब्लाक ने सतत परिश्रम से भारतीय भाषाओं पर तुलनात्मक और इतिहासिक विवेचन किया है। टर्नर का नेपाली कोष व्युत्पत्तिविज्ञान के क्षेत्र में अपना सानी नहीं रखता। और ब्लाक का 'मराठी का विकास' तथा 'भारतीय आर्यभाषाएँ' दोनों ग्रन्थ अद्वितीय महत्त्व के हैं। भारत के वर्तमान भाषाविज्ञान सेवियों में बहुतेरे इन्हीं दो महानुभावों के शिष्य हैं। यहाँ के वर्तमान भाषाविज्ञानियों में सर्वप्रमुख सुनीतिकुमार चटर्जी हैं। इनका बंगाली भाषा के विकास के विषय का ग्रन्थ आज भी कई अंशों में कोष की महत्ता रखता है। चटर्जी महोदय केवल भाषाविज्ञानी नहीं हैं, इनकी गति पुरातत्त्व आदि अन्य कई विद्याओं में भी अच्छी है। इस कारण यह भाषाविज्ञान को व्यापक दृष्टि से पढ़ते-पढ़ाते आये हैं। केवल भाषाविज्ञानी प्रसिद्ध हैं डा० सिद्धेश्वर वर्मा। यह दर्दी भाषाओं और बोलियों की बहुत अच्छी खोज कर रहे हैं। इनके अलावा कान्ने (कोकणी), धीरेन्द्र वर्मा (ब्रज), बनारसीदास जैन (पंजाबी), बानीकान्त काकाती (असामी), बाबू राम सक्सेना (अवधी), रामस्वामी ऐयर (द्राविड़ी) आदि अपने-अपने क्षेत्रों में लब्धप्रतिष्ठ हैं। अपने विश्वविद्यालयों में संस्कृत और प्राकृतों पर काम करनेवाले बहुत से पंडित हैं, पर इनकी शिक्षा भाषाविज्ञान की परिपाटी पर नहीं हुई। इनमें से हीरालाल जैन (अपभ्रंश) का नाम उल्लेखनीय है।

भारतीय विद्वान् शायद अभी कुछ साल तक भाषाविज्ञान के मूल सिद्धान्तों पर कोई मौलिक कार्य न कर सकें। सभी अपने-अपने संकुचित क्षेत्र में संलग्न हैं।

द्वितीय परिशेष

ग्रन्थसूची तथा समाधान

(क) ग्रन्थसूची

भाषाविज्ञान के ग्रन्थों की एक बड़ी अच्छी सूची विलेम ग्रैफ की पुस्तक के ४३७—'७१ पन्नों पर दी हुई है। भारतीय भाषाओं के विवेचन के लिए सुनीति-कुमार चटर्जी जी की 'इंडोआर्यन अंड हिन्दी' के अन्त में पृ० २५०—'५८ पर भी एक अच्छी सूची दी हुई है। विशेष विवरण के लिए पाठकों को इन सूचियों को देखकर अपनी ज़रूरत के लिए पुस्तकें छाँट लेनी चाहिए। विषय के सामान्य ज्ञान और भारतीय भाषाओं के ज़रा विशिष्ट परिचय के लिए नीचे लिखी पुस्तकों से काम लिया जा सकता है।

- Armfield, N. —General Phonetics (London, 1930).
Belvalkar, S. K. —Systems of Sanskrit Grammar (Poona).
Bender H. H. —A Lithuanian Etymological Index (Princeton, 1921).
Bhandarkar, R. G.—Wilson Philological Lectures (Bombay, 1914).
Bloch, J. —L'Indo-Aryen (Paris, 1934).
Bloomfield, L. —An Introduction to the Study of Language (New York, 1914).
Breal, M. —An Essay on Semantics (Eng. translation of the original French work, Paris, 1882).
Brunot, F. E. —La pensee et la Langue (Paris 1922).
Buhler, G. —On the Origin of the Indian Brahma Alphabet (Strassburg, 1898).
Chatterji, S. K. —Indo-Aryan and Hindi (Ahmedabad, 1942).
Dauzat, A. —La Vie du Langage (Paris, 1910).
" —La Philosophie du Langage (Paris, 1912).
Graff, W. —Language and Languages (N. Y. & London, 1932).
Grierson, G. A. —Linguistic Survey of India Vol. I part I (Calcutta, 1928).
Gune, P. D. —An Introduction to Comparative Philology (Poona).
Hirt, H. —Geschichte der deutschen Sprachen (Munchen, 1919).

- Jespersen, O. —Fonetik (Copenhagen, 1899).
 —Language, its Nature, Development & Origin (London, 1922).
 —The Philosophy of Grammar (N. Y. 1924).
 —Logic and Grammar (Oxford, 1924).
- Jones, D. —An Outline of English Phonetics (London, 1932).
- Meillet, A. —Les Dialectes Indo-Europeennes (Paris, 1908).
 „ —Linguistique Historique et Linguistique General (Paris, 1926).
 „ —Introduction A l' Etude Comparative des Langues Indo-Europeennes (Paris, 1924).
- do & Cohen. —Les Langues du Monde (Paris).
- Pillsbury & Meader. —The Psychology of Language (N. Y., 1928).
- Saksena, B. R. —The Evolution of Awadhi (Allahabad, 1938)
- Sapir, E. —An Introduction to the Study of Speech (N. Y., 1921).
- Scripture, E. W. —The Elements of Experimental Phonetics (N. Y. & London, 1904).
- Taraporewala, I. J. S. —Elements of the Science of Language (Calcutta).
- Turner, R. L. —Nepali Dictionary (London, 1931).
- Varma, S. —Speculations of Ancient Indian Phoneticians (London).
- Vendryes, J. —Language : A Linguistic Introduction to History (Eng. trans. of original French work Le Langage, Paris, 1921)
- Woolner, A. C. —Introduction to Prakrit (Lahore).
- Encyclopædia Britannica—Article on Alphabet (14th ed. pp. 177—'84)
- Fourth Oriental Conference (Proceedings)—Article on the Origin of Brahmi Alphabet by I. J. S. Taraporewala (pp.625—661).
- गौरीशंकर ही० ओझा —प्राचीन लिपिमाला (अजमेर, १९१८).
- धीरेन्द्र वर्मा —हिन्दी भाषा का इतिहास (प्रयाग).
- मंगलदेव शास्त्री —तुलनात्मक भाषाशास्त्र अथवा भाषाविज्ञान (बनारस, १९४०).

(ख) समाधान

पृष्ठ	लाइन	अशुद्ध	शुद्ध
५	६	उसे भाषा	उनको समष्टिरूप में भाषा
६	६	अद्विफन कमल आदि । इस कोड की कुंजी यह है । फणकार हाथ दिखाकर स्वर, कमलाकार से कवर्ग, पहिए के आकार से चवर्ग, हाथ से टंकार ध्वनि करने से टवर्ग, हाथ को तना हुआ तस बनाने से तवर्ग और उससे हवा करने से पवर्ग का बोध होता है । मूछों पर हाथ फेरने से अन्तःस्थ वर्ण और मुँह से सुस्कार ध्वनि निकालने से ऊम वर्णों का व्यक्तीकरण होता है । एक उँगली दिखाने से प्रथम और दो से द्वितीय, इस तरह से वर्णों के वर्णों का अलग-अलग, और एक बार चुटकी बजाने से ह्रस्व और दो बार से दीर्घ मात्रा का बोध कराया जाता है ।	
६	१३	तुम इका	मुत इका
९	११	वय्याकरण	वैयाकरण
		[इसी प्रकार पृ० २४, ४७, ६७, ८०, ८१, ८३, ८६, १६०, १६१, १८०, १८१, १८७, २०४, २०५, २०६, २०७, २०८ पर जहाँ-जहाँ वय्याकरण शब्द आया है, उसे वैयाकरण पढ़ा जाय ।]	
११	४ व ६	फ्रिजियन Phrygians	फ्रिजियन Phrygian
"	नीचे से १२	सृष्टि	सृष्टि को
१३	" १३	फ्रियेड	फ्रियेंड
१६	" ४	अलिजिहा	अलिजिह
१८	९	ध्रुवप्रदेश	ध्रुवप्रदेश
२०	नीचे से ४	स्वराघात	बलाघात
		[इसी तरह पृ० ३२ आदि पर भी स्वराघात की जगह बलाघात पढ़ा जाय ।]	
२०	१६	शान्ति	शान्त
२३	६	उनके पास हैं	उनके पास है
"	नीचे से ५	परिस्थित	परिस्थिति

२५	”	६	ऋत्	ऋत्
२७	”	५	क्षेत्र-परिवार	क्षेत्र—परिवार
२९		५	मूर्धन्य व्यजनों	मूर्धन्य व्यंजनों
३१	नीचे से	१०	साहब	साहब
३३	नीचे से	१	translation	lation
३४	”	१७	aissimilation	dissimilation
३५		११	उद्धोषित	उद्धोषित
”	अन्तिम		पर काल	परकाल
५३		१७	उच्चारण के लिए	उदाहरण के लिए
६१		६	एव	एव
”		७	व्यजन	व्यंजन
”	नीचे से	५	पिथीपति	पिथीयति
६३		१०	प्रतिबिम्ब	प्रतिबिम्ब
६६	नीचे से	११	तुर्की-तारतारी	तुर्की-तातारी
८५		१	डालना डलना	डालना डलना
८६		८	”	”
८८	नीचे से	१	उसको	उनको
”	”	२	उसकी	उनकी
९१	नीचे से	१२	वाद	वाद
९३		१६	वच्ची	वच्ची
१०३	नीचे से	६	तया	तया
१०४		६	रोमन	रोम
११३	अन्तिम		अर्थ-	अर्थ-
१२४		१५	हैरे हैरे	हैरे हैरे
१२५		१८	सर्वनाम के वाच्य	सर्वनाम का, वाच्य
१२६	अन्तिम		फ्रेंच	फ्रेंच
१३०		१९	अक्षर	त्रिव्यंजनात्मक
१५७	नीचे से	२		.घ्
१५८		८	अल अल	अल अल
१६०		६	में	में
१६२		४	आ ए ओ	आ ए ओ

१७३	१४	मथु	मेथु
१७५	अन्तिम	शाख	शाखा
१७७	”	में में क...श, शह ज, ज्ह	में क् श्, रह्, ज्, ज्ह
१७८	नीचे से ११	तनूभ्यः	तनूभ्यः
१७९	४	केवल	केवल अकारान्त
१९०	नीचे से ६	ध्वनियों	ध्वनियों
१९९	” ११	पात्रों	छात्रों
२०१	” ६	उदाहरणार्थ	उदाहरणार्थ
२०४	३	ब्रह्मचर्यव्रत	ब्रह्मचर्यव्रत का
२१३	७	का	के



तृतीय परिशेष

पारभाषिक शब्द-सूची

नीचे सामान्य पारिभाषिक शब्दों की सूची दी गई है। ऐसे शब्दों के लिए जिनके अँगरेज़ी पर्याय विषय-बोध के लिए ज़रूरी समझे गए, अँगरेज़ी पर्याय भी दे दिए गए हैं, पर ऐसे शब्दों के जो नितान्त स्वदेशी हैं, तथा भाषाओं के नामों के, अँगरेज़ी पर्याय नहीं दिए गए। भाषाओं के नाम भी बहुधा भाषा-परिवार, आर्य-भाषा-समूह, इन दो के नीचे, और लिपियों के नाम प्रायः लिपि के नीचे मिलेंगे। अन्यत्र भी जहाँ कोई विशेष शब्द अकारादिक्रम से अपने स्थान पर न दिखाई दे, वहाँ उसे उसके सामान्य शब्द के अन्तर्गत खोजना चाहिए, जैसे स्पर्श व्यंजन, व्यंजन के नीचे, लोक-भाषा, भाषा के नीचे।

विलेम ग्रैफ़ की पुस्तक में पारिभाषिक शब्दों की सूची और उनकी व्याख्या ब्योरे से दी हुई है। विशेष ज्ञान के लिए पाठक उसको देखें।

<p>अ</p> <p>अक्खरिका</p> <p>अक्षर syllable</p> <p>-निर्माण formation of s.</p> <p>-स्रोत hapology</p> <p>-विन्यास spelling</p> <p>पंचमा- nasal</p> <p>समाना- similar s.</p> <p>अप्रागम prothesis</p> <p>अडागम augment a-</p> <p>अनुकरण imitation</p> <p>-रत्मक शब्द imitative cry</p> <p>अनुनासिक nasal</p> <p>-त्व nasalisation</p> <p>अनुबन्ध</p> <p>अनुरणन echoe</p> <p>-रत्मक शब्द onomatopoeic cry</p>	<p>अनुरूप similar</p> <p>-ता similarity</p> <p>अनुवृत्ति</p> <p>अनुस्वार</p> <p>अनेकरूपता variety, diversity</p> <p>अन्तःस्थ sonant</p> <p>अपभ्रंश (अवहट्ट)</p> <p>उपनागर</p> <p>नागर</p> <p>त्राचड</p> <p>शौरसेन</p> <p>अपवाद exception</p> <p>अभ्यास reduplication</p> <p>अमरीकाचक्र की भाषाएँ</p> <p>अथबस्की, अरोवक, अरौफन, अल्गो- नकिन, अज़्तेक्, एस्किमो, करीब, कूइचुआ, गुअर्नी तुपी, चको, चैरोकी,</p>
---	---

तयिरा देल् फूगो, नहुअत्ल, मय
 अयोगात्मक isolating
 अयोगावस्था isolating stage
 अरबी (भाषा)
 अर्थ meaning
 -देश displacement of—
 -तरव semanteme
 -परिवर्तन change in—
 -विकार modification in—
 -विचार semasiology
 -विज्ञान semantics
 -विस्तार extention of—
 -संकोच restriction of—
 -स्फोट flash of—
 अलिजिह्व uvula
 अल्बेनी
 अवधी (भाषा)
 अवन्ती (प्राकृत)
 अवेस्ता
 अवेस्ती (भाषा)
 अवस्था stage, state
 मानसिक psychological s.
 जातीय मा national psy. s.
 अयोगा- isolating—
 वियोगा- analytic—
 संयोगा- synthetic—
 अव्यय indeclinable
 विस्मयादिबोधक interjection
 समुच्चयबोधक conjunction
 अशोकी प्राकृत
 (उत्तर-पच्छिमी, दक्खिनी, पच्छिमी,
 पूर्वी, मध्यदेशी)
 असामी (भाषा)
 आ
 आख्यात

आत्मनेपद
 आभीरिका (प्राकृत)
 आर्टिकल् article
 आर्मीनी (भाषा)
 आर्ष (प्राकृत)
 आवेश emotion
 इ
 इच्छा desire
 अदम्य— will
 उ
 उच्चारण pronunciation
 उडिया (भाषा, लिपि)
 उद्गम source
 उद्देश्य subject
 उपरिनालिका upper part of w. p.
 उपव्यंजन semi-consonant
 उपसर्ग preposition, prefix
 उपालिजिह्वा pharynx
 उर्दू (भाषा, लिपि)
 ऊ
 ऊष्म sibilant, spirant
 ऋ
 ऋत dynamic laws of nature
 ए
 एकत्व identity
 एकरूपता identity of form
 एकीकरण identification
 एड्डा (गीत) eddas
 एत्रुस्कन, एत्रुस्की (भाषा, लिपि)
 एलाभाइट (भाषा)
 एळु (भाषा)
 ऐ
 ऐनू (भाषा)

ओ	कृत् active past participle
ओठ lips	क्रिया verb
ओष्ठ्य (व्यंजन) labial	का प्रकार aspect of v.
क	-विशेषण adverb
कला art	अकर्मक intransitive v.
कायमोग्राफ़ kymograph	सकर्मक transitive v.
कारक	सहायक auxiliary v.
कर्त्, कर्म, करण, सम्प्रदान, अपादान, अधिकरण	ख
काल tense	खशकुरा (नैपाली भाषा)
-प्रक्रिया conjugation	ग
अनिश्चित indefinite t.	गढ़वाली (बोली)
अपूर्णा imperfect t.	गण conjugation, group
निश्चित definite t.	गति speed, flow
पूर्णा perfect t.	गाथा (अवेस्ता के पद्य)
कीलाक्षर लेख cuneiform inscription	गिनती numerals
कुइपु	गुजराती
कुमाउनी (बोली)	गुण (ध्वनि) quality of—
केन्द्रम (आर्य भाषाएँ) centum	गुण (सन्धि)
केल्टी (आ० भा० स०) keltic	गोर्खाली (नैपाली भाषा)
कृत्	ग्रन्थ
कृत्य	-लिपि
-रूप	ग्रिम-नियम Grimm's law
कृदन्त	ग्रीक (भाषा, लिपि)
कोटि degree	ग्रैसमैन-नियम Grassman's law
निश्चय- d. of determination	घ
विचार- d. of consideration	घोष, त्व voice, voice-ness
कोमल अस्थि cartilage	अपूर्णा partial voice
कोमल तालु (सुकुमार) velum, soft palate	पूर्णा full voice
कोरियाई (भाषा)	च
कोस्सी (भाषा)	चांडाली (प्राकृत)
कौआ uvula	चित्र picture
क passive past participle	-लिपि pictorial script, hieroglyphic
	-संकेत picture-symbol

चिह्न symbol	कृत्रिम artificial p.
नेत्रग्राह्य visual	कोमल soft p.
श्रोत्रग्राह्य auditory	सुकुमार „
स्पर्शग्राह्य tactile	तिङ् conjugational termination
स्वरसूचक (जोर, जबर, पे.., छ	-अन्त conjugated form
छत्तीसगढ़ी (बोली)	तीव्रता intensity
छन्दस् (वैदिक संस्कृत)	तुमन्त infinitive
ज	तुर्का (उस्मानली)
जर्मनी (आ० भा० सं०)	तोखारी
जाति class	द
जापानी (भाषा)	दर्शन realisation
जिह्वा tongue	-शास्त्र philosophy
अग्रभाग front of—	दशम नियम decimal system
नोक tip of—	दाँत teeth
पश्च भाग back of—	दन्त्य व्यञ्जन dental con
मूलभाग root of—, epiglottis	देवनगर
ज्ञान knowledge	द्रव्य matter, thing
नैसर्गिक instinctive	द्वित्व doubling
बुद्धिग्राह्य by reason	द्विभाषाभाषी bilingual
स्वतःसिद्ध instinctive	घ
ढ	धातु root
ढक्की (प्राकृत)	-प्रक्रिया conjugation of—
त	एकाक्षर monosyllabic—
तत्त्व principle	द्व्यक्षर dissyllabic—
अर्थ- semanteme	त्रिव्यंजनात्मक triconsonantal
मूल- basic p.	धात्वदेश
सम्बन्ध- morpheme	धारा current, category
तद्धित	-प्रवाह incessant current
तद्रूपता similarity in form	-रूप in a current
तर्क argument	विचार- current of thought
-शास्त्र logic	व्याकरणात्मक- grammatical
सात्पर्य sense, meaning	category
तालु palate	ध्रुवाभिमुख नियम law of polarity
कठोर hard	ध्वनि sound
	गति, प्राप्ति, वाहन)

stages (production, reception, conveyance)	पद word
-चित्र sound-picture	-क्रम word-order
-चिह्न sound-symbol	-रचना word-formation
-ग्राम phonogram	-रचना विज्ञान morphology
-जात phonology	-विकास evolution of word
-परिवर्तन sound-shifting	-विज्ञान science of morphology
-विकार phonetic modification	आत्मने
-विकास phonetic evolution	परस्मै
-विभिन्नता phonetic diversity or difference	पदार्थ word-meaning
-विज्ञान phonetics	परसर्ग postposition
प्रयोगात्मक ध्व० वि experimental phonetics	परस्पर-विनिमय metathesis
-सामंजस्य phonetic harmony	परिभाषा technical definition
-साम्य phonetic similarity	पारिभाषिक शब्द technical term
ध्वन्यात्मक शब्द phonetic word	परिवर्तन change
समान-ध्व० श० homophone	-शील changing
न	पहाड़ी (बोलियाँ)
नली pipe, tube	पाठ
रवास- trachea	क्रम-, घन-, जटा-, पद-, संहिता-
नाम noun	पालि
नालिका pipe	पितृप्रधान संगठन patriarchal system
-मुख mouth of p.	पुरुष person
रवास- wind-pipe	अन्य (प्रथम) third
भोजन- food-pipe	उत्तम first
निपात	मध्यम second
निरुक्त	पैशाची
निरुक्ति	पैशाचिका
निरुक्ति dialect	केकय-, चूलिका-, पांचाल-, शौरसेन-
निषेध negation	प्रकरण context
-त्मक, negative	प्रकृति (आधार) base
-त्मकता negativeness	प्रतिपद crude form
नेपाली (भाषा)	प्रतिमा image
प	ध्वनि- sound-image
पंजाबी (भाषा)	विचार- thought-image
	वाक्य- sentence-image
	प्रत्यय suffix, termination

पर- termination
पूर्व- suffix
मध्यविन्यस्त- infix
प्रत्याहार
प्रयत्न effort

-लाघव economy of effort

प्रयोग use

कर्तरि active use

कर्मणि passive use

भावे impersonal use

प्रशान्त महासागर चक्र

प्राकृत

अवन्ती, अर्धमागधी, मागधी (प्राच्या),

महाराष्ट्री, शौरसेनी, पेशाची

प्राण breath-force

-त्व breathing

-शक्ति force of breath

फ

फुसफुसाहट whisper

फारसी

फ्रीनी (सुओमी)

ट

बंगाली (साधुभाषा)

बंगला (लिपि)

बलाघात stress (a)

बांगडू (बोली)

बात unit of speech

बाल्टी (भाषाएँ)

बाल्टो-स्लावी (भाषाएँ)

बास्क (आ० भा० स०)

बिहारी (बोलियाँ)

बुंदेली (बोली)

बोधाजकोई लेख

बोली dialect

३२

-भेद, -विभेद dialectal difference

-विशेष particular dialect

-विशेषता isogloss

विकृत- slang

ब्रज (बोली)

भ

भवन्ती (लट्)

भाव idea, concept

-चित्र, -आत्मक संकत ideographn,
ideographic symbol

भावात्मक conceptual

-ता conception

भावातिरेक emotion, passion

भाषा language, tongue

-की गठन structure of l.

-परिवार l. -family (देखो पृष्ठ २५४)

-भेद difference in l.

आन्तरिक internal difference

बाहरी (वाह्य) external d.

-विज्ञान linguistics

-विज्ञानी, वैज्ञानिक linguistcian

-शास्त्र grammar

आदिम आर्य- primitive A. l.

आर्य- Aryan, Indo-Euro.

आर्य-भाषा-समूह group of A. (देखो
पृष्ठ २५५)

इंगित- gesture l.

उच्चरित- spoken l.

कानूनी- legal l.

पुरोहिती- priest l.

मातृ- mother-tongue

मूक- silent l.

मूल- original, basic l.

राज- king's l.

राष्ट्र- national l.

(लेखबद्ध) लिखित- written l.	यन्त्र mechanism
(बोलचाल) लोक- current, common l.	उच्चारण-, ध्वनि- m. of speech
वणिक- श्रेणी traders' l.	य श्रुति y glide
विद्यार्थी- students' l.	योग agglutination
विशिष्ट- special l.	अन्त- suffix-a.
सर्वजन- universal l.	पूर्व- prefix-a.
साँसियों की l. of wandering tribes	मध्य infix-a.
साहित्यिक- literary l.	योगात्मक agglutinative
स्टैंडर्ड- standard l.	अन्त-, पूर्व-, मध्य-, पूर्वान्त- suffix
भूतविज्ञान physics	a., pre. a., in. a., pre. suf. a.
भोजन-नालिका food-pipe	अश्लिष्ट- simple agglutinative
म	प्रश्लिष्ट- incorporative
मगही (बोली)	श्लिष्ट- inflexional
मनोरोग passion	र
मनोविज्ञान psychology	रहस्यात्मक प्रभाव mystic influence
मनोवैज्ञानिक psychologist	राजस्थानी
मराठी	राष्ट्रभाषा national language
महाराष्ट्री	राष्ट्रलिपि national script
जैन-	रूढि convention
मागधी	रूप form
मात्रा unit, degree	अनियमित irregular f.
अर्धदीर्घ half long	नियमित regular f.
दीर्घ long	निर्बल weak f.
प्लुत longer	सबल strong f.
ह्रस्व short	ल
माध्यम intermediary, medium	लकार
मारवाड़ी (बोली)	(लट्, लोट्, विधिलिङ्, लङ्, लुट्,
मुहाविरा idiom	लट्, लङ्, आशीलिङ्, लिट्, लुङ्,
मूर्धा cerebra	लेट्)
-भाग	लक्षण definition, characteristic
मेवाड़ी	लहँदी
मैथिली	लिंग gender
य	अचेतन inanimate g.
यकार	चेतन animate g.
लघुप्रयत्नतर-	नपुंसक neuter g.

पुंलिंग masculine g.	वाच्य voice
स्त्रीलिंग feminine g.	कर्त् active v.
व्याकरणात्मक grammatical g.	कर्म passive v.
लिपि script (दे० पृ० २५६)	भाव impersonal v.
लुक loss	वाणी speech
लेख record, inscription	वाद theory
लेमुरी Lemuri continent	विकास evolution
लैटिन	-वाद theory of <i>evo.</i>
व	विकृत बोली slang
वक्तव्य unit of speech	विचार thought
वक्रोक्ति	-तरंग wave of t.
वचन number	-धारा current of t.
एक- singular n.	-विनिमय exchange of thought
द्वि- dual n.	विज्ञान science
त्रि- trial n.	विधेय predicate
बहु- plural n.	विनिमय exchange
समूहवाचक collective n.	परस्पर- metathesis
वन्नी (भाषा)	विचार- e. of thought
वर्गीकरण classification	विभाषा sub-language
आकृतिमूलक morphological c.	विभिन्नता diversity, variety
इतिहासिक historical (geneologi- cal) c.	बोली- dialectal d.
वर्ण letter	भाषा- linguistic d.
वर्णन description	भूगोलिक- geographical d.
-त्मक क्रिया-विशेषण descriptive ad- verb	शारीरिक- physical d.
वर्त्सभाग alveolar region	वियोगात्मक भाषाएँ analytic languages
वर्नर-नियम Verner's law	विवर opening, cavity
व श्रुति w glide	नासिका- nasal c.
वाक्य sentence	मुख- buccal (mouth) c.
-विज्ञान syntax	विशेषण adjective
व्यापारात्मक- verbal sentence	विश्लेषण analysis
संज्ञा- substantive s.	विषमीकरण dissimilation
वाक्यार्थ meaning of a s.	विस्मयादिबोधक शब्द interjection
शाब्दमय literature (general)	विभक्ति case
	(प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी. षष्ठी, सप्तमी, सम्बोधन)

अविकारी, विकारी direct, oblique
 विभक्त्यर्थक प्रत्यय case-termination
 वीराः Wirots
 वृत्ति mood
 वृद्धि (सन्धि)
 व्यक्तीकरण expression, specification
 व्यंजन consonant
 अनुनासिक nasal
 अलिजिह्वीय uvular
 अल्पप्राण unaspirated
 उत्क्षिप्त (उत्क्षेपात्मक) flapped
 उपालिजिह्वीय pharyngeal
 ऊष्म sibilant
 ओष्ठ्य labial
 कंठ्य velar, guttural
 क्लिक click
 तनु tenue
 तालव्य palatal
 दन्त्य dental
 अग्र- pre-dental
 पश्च- post-dental
 मध्य- centro-dental
 दन्तोष्ठ्य labio-dental
 दीर्घ long
 पार्श्विक lateral
 मध्य media
 महाप्राण aspirated
 मूर्धन्य cerebral
 लोडित rolled
 संयुक्त conjunct
 सघोष voiced
 अपूर्ण partially v.
 पूर्ण fully v.
 संघर्षी fricative
 स्पर्श stop, mute

स्पर्शसंघर्षी affricate
 स्फोटात्मक plosive
 अन्तः- implosive
 वहिः- explosive
 स्वरयन्त्रस्थानीय glottal
 ह्रस्व short
 व्याकरण grammar
 -कार -ian
 -पंडित, नवयुवक neo jung-gramma-
 tians
 -त्मक grammatical
 -धारा -category
 -लिग reader
 तुलनात्मक- comparative g.
 ऐतिहासिक- historical g.
 व्युत्पत्ति etymology
 -विज्ञान science of e.
 श
 शतृ, शानच् present participle
 शब्द word
 -कोष vocabulary
 -चित्र word-picture
 -शक्ति power of word
 (अभिधा, लक्षणा, व्यंजना, तात्पर्य)
 -समूह stock of words
 अर्थवान meaningful w.
 अर्थहीन meaningless, empty w.
 तत्सम
 तद्भव
 देशी
 ध्वन्यात्मक phonetic word
 व्याकरणात्मक grammatical word
 पूर्ण full w.
 रिक्त empty w.
 शरीरविज्ञान physiology

शाकारी (प्राकृत)	गौण secondary
शाबरी (प्राकृत)	मुख्य primary
शिक्षा phonetics (ancient Indian)	सत्य नियम static laws of nature
शौरसेनी, जैन-	सन्धि
श्रुति veda	समभिहार (पौनः पुन्य, भृशार्थ) intensity
श्रुति glide	समाजशास्त्र sociology
य y g.	समास compound
व w g.	(अव्ययीभाव, तत्पुरुष, द्वन्द्व, बहुव्रीहि)
श्लिष्ट sythetic (inflexional)	समीकरण assimilation
अश्लिष्ट, प्रश्लिष्ट	पुरोगामी progressive a.
श्लेष synthesis, first stage of inflexion	पश्चगामी regressive a.
शवास wind, breath	सम्प्रदाय tradition
-नालिका w. pipe	सम्बन्ध relation
-नली trachea	-तत्त्व morpheme
स	समवाय- necessary connection
संस्कृत (वैदिक, लौकिक, उदीच्य, प्राच्य, मध्यदेशीय)	सम्बन्धित्ववाद theory of relativity
संहिता	सर्वजन भाषा universal language
संकेत symbol	सर्वनाम pronoun
-स्वरूप symbolic	वाच्य समावेशक inclusive p.
चित्र- picture-symbol	व्यतिरिक्त exclusive p.
भावात्मक- ideographic symbol	सादृश्य analogy
संघर्षित्व friction	अस्थान- false a.
संज्ञा technical term	सामजस्य harmony
संज्ञा noun	ध्वनि- sound-harmony
अविकारी, विकारी direct, oblique	रवर- vowel-harmony
जीवित, मृत living, dead	साम्य similarity, affinity
उच्चजातीय high-caste	अक्षर निर्माण- s. in syllable-formation
नीचजातीय casteless	ध्वनि- s. in sounds
विवेकी, अविवेकी rational, irrational	व्याकरणात्मक- s. in grammar
व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक	शब्द- s. of words
proper n., concrete n., abstract n.	शब्दावली- s. of vocabulary
संज्ञात्मक वाक्य noun-sentence	सिंहली (भाषा)
सतम भाषाएँ Satam languages	सिन्धी (भाषा)
सत्ता position	सुप् case-terminations

सुबन्त declensional form

सुमेरी (भाषा)

सुर pitch (accent)

उच्च high p.

नीच low p.

सम level p.

स्त्रीप्रत्यय feminine affixes

स्त्रीलिंग f. gender

स्थान position

स्थिति state

स्पर्श contact

-संघर्षी affricate

-संघर्षित्व affrication

स्फोट plosion

-कत्व plosiveness

स्लावी (भाषा)

स्वर vowel

-अनुरूपता vowel-affinity

-क्रम ablaut

-व्यत्यय different position of v.

-सामंजस्य vowel-harmony

-साम्य vowel-similarity

-यन्त्र, -यन्त्रपिटक glottis, larynx

-समुदाय vowel-group

अग्र front v.

पश्च back v.

मध्य central v.

मूल cardinal, simple

मिश्र diphthong

अवनायक falling d.

उन्नायक rising d.

संयुक्त conjunct vowels

एकमात्रिक short v.

द्विमात्रिक long v.

त्रिमात्रिक longer v.

विवृत open v.

अर्धविवृत half-open v.

अर्धसंवृत half-close v.

संवृत close v.

उदात्त high pitch (accent)

अनुदात्त low pitch (accent)

स्वरित level pitch (accent)

सानुनासिक nasalised v.

उदासीन neutral v., schwa

स्वरतन्त्री glottal cord, vocal cord

स्वरत्व sonority

स्वरभक्ति anaptyxis (vocalic)

व्यंजनभक्ति anaptyxis (consonantal)

स्वराघात stress accent

ह

हबूड़ी (जिप्सी)

हाइपर-बोरी (भाषा)

हिटाइट

-कप्पडोमी

हिन्दको

हिन्दी

दिन्दस्तानी

भाषा-परिवार

आर्य (इंडो-केल्टिक, इंडो-जर्मनिक,
इंडो-यूरोपियन, जैफ्राइट, संस्कृतिक)

उराल-अल्ताई

तुंगूजी ; तुर्की (तुर्क-तातारी)

तुर्की, किर्गिज़, नोगाइर,

याकूत, फ़ीनी-उग्रि—फ़ीनी

(सुओमी), मग्यार (हंगेरी);

मंगोली, समोवेदी

काकेशी

उत्तरी, दक्खिनी (अवर, बेचेन, जार्जी)

चीनी

अनामी, तिब्बती-ब्रह्मी (तिब्बती,
ब्रह्मी, लद्दाखी), थाई
(आहोम, खांती, शान),
स्वयं चीनी (मन्दारी, कंदूनी)

बांद्र

कांगो, काफिर, जुलू,
सेसुतो, स्वहीली

बुशमैन

सामी-हामी

(क) सामी (अकदी, अरबी, अरमी,
गीज़, फ़िनीशी, यहुदी, सीरी, हब्शी
(ख) हामी (काप्टी, कुशी—
खमीर, गल्ल, नामा, लीबी—
बर्बर, मिस्त्री, सोमाली)

सुडान

(ईव, कनूरी हाउसा, नूबी, प्यूल,
मोम, वाइ, वोलोफ, सेनेगल)

होटेंटाट

द्राविडी

कन्नड़, कुरुख, कूई (कन्धी), कोटा,
कोडगु, कोलामी, गोंडी, टोडा,
तामिल, तुळु, तेलगू, ब्राहुई, मल-
यालम, माल्टो

मलाया-पालीनेशिया (आस्ट्रोनेशिया)

(क) आस्ट्रेलिया (टस्मेनिया)

(ख) पापुआ (मफ़ोर)

(ग) पालीनेशिया (माओरी, टोंगी,
समोअई, हवाई)

(घ) मलाया (कवि, क्रोमो, न्गोको),
जावी, टगल, दयक, फ़ारमोसी, मल-
गसी (होवा), सुन्दियन

(ङ) मलेनेशिया (फ़ीजी)

मुंडा

खेरवारी (मुंडारी, संथाली), कनावरी,

कूर्क, बुदशस्की, सवर, हो
मोनख्मेर

मोन-ख्मेर, खासी, नागा

आर्य भाषा समूह

इटाली

उम्ब्री, ओस्को, लैटिन

इटाली

पुर्तगाली

प्रोवेंशल

फ्रेंच

रुमानी

सेफ़ार्डी

स्पेनी

केल्टी

आइरी (गैली)

ग्रीक

ऐटिक, कोइनी, डोरिक,

थेसी, फ़िजी, मैसेडोनी

जर्मनी (ट्यूटानी)

आइसलैन्डी

इंगलिश (अंगरेज़ी)

पिडगिन, बाबू

गाथी

डच

डेनी

जर्मन

हाइ, लोड, एचूटस् एप्रोखेन

नार्वेजी

नार्स

फ़ीजी

स्कैंडीनेवी

स्वीडी

दर्दी

दर्दी विशिष्ट, कश्मीरी,

काफ़िरी, खोवारी,
चित्राली, शीना
बाल्टो-स्तावी
(क) बाल्टी
प्रशियाई,
लिथुएली, लेटी
(ख) स्लावी
चेक, पोलि, बल्गेरी,
रुथेनी (लघु रूसी),
श्वेतरूसी, महारूसी
(रूसी), सबोकोटी
हिन्द-ईरानी
(क) ईरानी—जेन्द,
परशी, पहलवी,
पाजन्द, पअरसी,
हुज्वारेश
(ख) भारतीय
(१) प्राचीन युग
(वैदिक, छन्दस्)
लौकिक (भाषा)
संस्कृत (उदीच्य
आदि)
(२) मध्ययुग
पालि
अशोकी प्राकृत
प्राकृतें
प्रवन्ती, पैशाची,
प्रधमागधी,
मागधी,
महाराष्ट्री,
शौरसेनी,

अपभ्रंश
(३) वर्तमान युग
असामी, उडिया,
गुजराती, पंजाबी,
पहाड़ी, बंगाली,
बिहारी, भीली,
मराठी, राजस्थानी,
लहँदी, सिंहली,
सिन्धी, हबूडी, हिन्दी
लिपि (लिबि) script,
alphabet
अरबी
अरमी (अरमइक)
आमीनी
उडिया
उर्दू
एत्रुस्की
ओध
कन्नडी
कलिग
कश्मीरी
कुटिल
कूफ़ी
कैथ
खरोष्ठी (खरोष्ठी)
गुजराती
गुप्त
गुरुमुखी
ग्रन्थ
ग्रीक

ग्लैगोलिथी
चित्रलिपि
टाकरी
तामिल
तुळु
तेलगू
-कन्नडी
देवनागरी
नदिनागरी, नागरी
दोसापुरिया
नस्त्री
नैपाली
बंगला
ब्राह्मी (बंभी)
उत्तरी, दक्खिनी,
पश्चिमी, मध्यप्रदेशी
मलयालम
महाजनी
मिनोआ
मैथिली
यवनानी (जवणालिया
राजस्थानी
रूनी
रोमन
इंडोरोमन
लैटिन
वट्टेळुत्तु
शारदा
सिरिली
हेब्रू

